माला, खंड 14, अंक 4

FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

शुक्रवार, 23 फरवरी, 2001
4 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 57
Date 19/9/2001

(खण्ड 14 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

लोक सभा, वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
शुक्रवार, 23 फरवरी, 2001/4 फाल्गुन, 1922 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची (ii)	24	श्री जी.एस.बनातवाला	श्री जी.एम.बनातवाला
106	19	श्री मान सिंह भौरा	श्री भान सिंह भौरा
247	26	प्रो.उम्मारेड्डी वेंकटेस्वस्लु	प्रो.उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 14, छठा सत्र, 2001/1922 (शक)]

अंक 4, शुक्रवार, 23 फरवरी, 2001/4 फाल्गुन, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-5
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41, 42, 45 और 46 .	5-30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 43, 44 और 47 से 60 .	30-59
अतारांकित प्रश्न संख्या 410 से 622 . .	59-318
सभा पटल पर रखे गए पत्र	318-325
लोक लेखा समिति	
की गई कार्यवाही संबंधी विवरण .	325
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
अध्ययन दौरा प्रतिवेदन .	325-326
रेल अभिसमय समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	326
सभा का कार्य	326-329
बाल्को के शेयरों की कथित बिक्री के बारे में .	329-334
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर: स्थापित	
(एक) भारत का उच्चतम न्यायालय (नागपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना विधेयक	
श्री विलास मुत्तेमवार	334
(दो) राजभाषा (संशोधन) विधेयक (धारा 3, आदि का संशोधन)	
श्री जी०एम० बनातवाला .	335
(तीन) विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक	
श्री जी०एस० बसवराज	335
(चार) विवाह (व्यय पर निर्बंधन) विधेयक	
श्री जी०एस० बसवराज	335
(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 248 आदि का संशोधन)	
श्री सुरेश कुरूप	336

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(छह) अवैध अप्रवासी (पहचान और विवासन विधेयक)	
श्री अनन्त गंगाराम गीते	336
(सात) कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा 51, आदि का संशोधन)	
श्री बालकृष्ण चौहान	337
(आठ) जांच आयोग (संशोधन) विधेयक (धारा 3 का संशोधन)	
श्री जी०एम० बनातवाला .	337
(नौ) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 77 का संशोधन)	
श्री हन्नान मोल्लाह .	338
(दस) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक (धारा 5 का संशोधन)	
श्री हन्नान मोल्लाह .	338
(ग्यारह) बेरोजगारी भत्ता संदाय विधेयक	
श्री हन्नान मोल्लाह .	339
(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 200, आदि का संशोधन)	
श्री हन्नान मोल्लाह .	339
(तेरह) बालक श्रम उत्सादन विधेयक	
श्री जी०एस० बसवराज	340
(चौदह) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक (धारा 4 का संशोधन)	
श्री जी०एस० बनातवाला .	340
(पन्द्रह) उपभोक्ता संरक्षण (प्राइवेट सेक्टर में विनिर्मित उत्पादों की कीमत अवधारण) विधेयक	
डा० वी० सरोजा .	341
(सोलह) घरेलू कर्मकार (सेवा शर्तें) विधेयक	
डा० वी० सरोजा . . .	341
(सत्रह) राष्ट्रीय बाल आयोग विधेयक	
डा० वी० सरोजा .	342
(अठारह) आयकर (संशोधन) विधेयक (धारा 1, आदि का संशोधन)	
श्री प्रकाश परांजपे . . .	342
(उन्नीस) उत्तरांचल राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक	
श्री हरपाल सिंह साथी	343

विषय	कॉलम
(बीस) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन विधेयक (नये अनुच्छेद 68क, आदि का अंत:स्थापन)	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी .	343
(इक्कीस) संविधान संशोधन विधेयक—विचाराधीन (नये अनुच्छेद 75 क, आदि का अंत: स्थापन) (विचार करने के लिए प्रस्ताव)	
श्री अनंत गंगाराम गीते .	344
श्री अनादि साहू .	347
श्री नवल किशोर राय .	350
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	352
श्री खारबेल स्वाइं	355
श्री रामजीलाल सुमन	357
श्रीमती श्यामा सिंह .	358
श्री थावर चन्द गेहलोत.	360
श्री सुकदेव पासवान.	363
डा० नीतिश सेनगुप्ता	364
श्री श्याम बिहारी मिश्र.	366
श्री हरीभाऊ शंकर महाले .	369
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	369
श्री हरपाल सिंह साथी .	373
श्री माणिकराव होडल्या गावित	376
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	377
श्री पी०आर० किन्डिया	379-380

लोक सभा

शुक्रवार, 23 फरवरी, 2001/4 फाल्गुन, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, आज देश का किसान मर रहा है, आज देश के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : आपने पार्लियामेंट को मजाक बना रखा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : मजाक आपने बना रखा है।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : आप रोज रोज इस तरह से मामले उठाते हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह : हम बार-बार उठाएंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, बहुत हो गया।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को हमारे पूर्व सहयोगी डा. हीरा लाल रॉय के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

डा. हीरा लाल रॉय वर्ष 1998-99 के दौरान बिहार के छपरा संसदीय चुनाव क्षेत्र से बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

पेशे से अध्यापक और शिक्षाविद डा. रॉय राम जयपाल कॉलेज, छपरा, बिहार के प्रधानाचार्य रहे।

सक्रिय संसद सदस्य होने के साथ-साथ वे वर्ष 1998-99 के दौरान विदेशी मामलों संबंधी समिति और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

एक सजग सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने समाज के पददलित और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किए।

डा. हीरा लाल रॉय का निधन 65 वर्ष की आयु में 9 फरवरी, 2001 को छपरा, बिहार में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सदन भी मेरे साथ-साथ शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 41, श्री प्रभुनाथ सिंह।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमने इस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, आप जीरो ऑवर में उठाइए।

कुंवर अखिलेश सिंह : सर, हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, उस पर चर्चा की जाए। इसी सदन के अंदर किसानों के सवाल पर...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कल भी आपने हाउस को डिस्टर्ब किया था। आप बैठ जाइए।

कुंवर अखिलेश सिंह : आज किसान मर रहा है, यह एक

गंभीर सवाल है। इसी सवाल पर हमने सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रोसीजर को फालो नहीं कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक गंभीर मामला है, यह हमें भी मालूम है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष **महोदय** : मैंने आपकी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसानों पर अब तक जो चर्चाएं हुई हैं, उनका क्या सार्थक परिणाम निकला है।...*(व्यवधान)* आज देश का किसान मर रहा है, यह एक गंभीर सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे या नहीं, *[अनुवाद]* श्री अखिलेश सिंह कृपया अपनी सीट पर बैठिए। यह क्या हो रहा है? *[हिन्दी]* हाउस में आप लोग क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं, आप बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मि. अखिलेश आप क्या कर रहे हैं, आप रोज हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आप?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। बहुत हो गया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : किसानों के सवाल पर सदन में संपूर्ण कार्यवाही स्थगित करके चर्चा करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामजीलाल सुमन जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। इसमें से कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप रोज हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, इसे अपना घर न समझें। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए प्लीज। यह जीरो ऑवर नहीं है, क्वश्चन ऑवर है।

(व्यवधान)

***कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बहुत हो गया। आप कृपया समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी आप बैठेंगे नहीं? *[अनुवाद]* श्री अखिलेश सिंह, मैं बोल रहा हूं। पहले अपनी सीट पर बैठ जाइए। यह सब क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हैं? कोई रूल्स का ज्ञान आपको नहीं है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसमें से कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 41, श्री प्रभुनाथ सिंह।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन.सी.सी.एफ.) द्वारा वस्तुओं की खरीद

***41. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन.सी.सी.एफ.) के अनेक आपूर्तिकर्ता/डीलर, विनिर्माताओं से प्राधिकार प्राप्त नहीं हैं, बल्कि विनिर्माताओं के वितरकों से प्राधिकार प्राप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह एन.सी.सी.एफ. की स्थापित नीति के विरुद्ध है;

(घ) इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या अनधिकृत डीलरों से आपूर्ति लेना तत्काल बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) ऐसे डीलरों के संबंध में ब्यौरा क्या है जो एन.सी.सी.एफ. और सरकारी विभागों के लिए अपना ब्रांड नाम तथा कीमतें देते रहे हैं, साथ ही तत्संबंधी अधिकतम/खुदरा कीमत कितनी है?

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (छ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ अपने पास पंजीकृत विनिर्माताओं, वितरकों और डीलरों से वस्तुएं खरीदकर सरकारी विभागों को आपूर्ति की व्यवस्था करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ अपने द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकरण करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ सप्लायरों के श्रेणीवार चयन में कोई भेदभाव नहीं करता। किसी विभाग से अलग आदेश के संबंध में किसी सप्लायर का चयन पंजीकृत सप्लायरों में से केवल वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वे किस श्रेणी से संबंधित हैं। किसी ब्रांड नाम वाली मद के किसी सप्लायर का पंजीकरण करते समय विनिर्माता और/अथवा वितरक के साथ ऐसे सप्लायर के संबंध को विनिर्माता और/अथवा वितरक के प्राधिकार पत्र के आधार पर सत्यापित किया जाता है। चूंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में पंजीकृत ब्रांड नाम वाली मदों के सभी सप्लायर विनिर्माता और/अथवा वितरक द्वारा प्राधिकृत होते हैं और कोई अप्राधिकृत सप्लायर न होने के कारण ऐसे सप्लायरों से सप्लाई लेना बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसको देखते हुए ऐसे सप्लायरों के ब्रांड नामों, सरकारी विभागों में कोट किए गए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के मूल्यों, अधिकतम खुदरा मूल्य आदि के ब्यौरे प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एक बहु राज्यीय सहकारी समिति

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। यह अपने चुने हुए निदेशक मंडल के अधीन स्वायत्त आधार पर कार्य कर रहा है। सरकार राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कारोबार में हस्तक्षेप नहीं करती है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो नेशनल कंज्यूमर कोआपरेटिव फैडेरेशन है जिसके माध्यम से सामान की आपूर्ति सरकारी मंत्रालयों में और सरकारी संस्थाओं में की जाती है और हमने माननीय मंत्री जी का उत्तर भी पढ़ा है, इस उत्तर में हमारे सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं आ पाया है।

अध्यक्ष महोदय, हमने सवाल किया है कि अगर विभागों को कंज़्यूमर गुड्स की आपूर्ति वितरकों के माध्यम से, डीलर के माध्यम से और उप-डीलर के माध्यम से कराते हैं, तो वह सामान महंगा पड़ता है। उदाहरणस्वरूप कम्प्यूटर की खरीद में 30 हजार रुपये ज्यादा देने पड़ते हैं और डीलर, सब-डीलर से सामान लेना दलाली का सिस्टम इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप सीधे मैन्यूफैक्चरर से कंज़्यूमर गुड्स की आपूर्ति कराने पर विचार करेंगे ताकि सरकार के पैसे की बचत हो सके और दलाली की प्रथा को समाप्त किया जा सके?

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से हमारी उनके कक्ष में हुई मुलाकात की ओर आकर्षित करते हुए जानना चाहता हूं जिस मुलाकात में उन्होंने हमें अपने कक्ष में बुलाकर, विभाग के सचिव को बुलाकर, हमारी इस बात को स्वीकार किया था कि उपभोक्ता सामान के खरीदने में घपला, घोटाला और दलाली चल रही है और उन्होंने हमारे ही समक्ष अपने सचिव को यह आदेश दिया था कि इस बात की जांच की जाए और अगले महीने की पांच तारीख को इस बारे में बैठक करके उचित निर्देश दिए जाएं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मंत्री महोदय ने सदन में जो उत्तर दिया है वह बिलकुल ठीक नहीं है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कक्ष में जो महसूस किया था और सचिव को जो निर्देश दिया था, उस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई ताकि उपभोक्ता सामान सीधा निर्माता से विभाग खरीद सके और सरकार के पैसे की बचत हो सके?

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सरकार के ध्यान में लाई है। मुझे कुछ माननीय सदस्यों के पत्र मिले थे। इसीलिए मैंने उनको बुलाया, उनसे बातचीत की और उनके इस आरोप में सच्चाई थी कि सरकार के कुछ इदारों को बिना फार्मेलिटी पूरी किए सिंगल कोटेशन पर वस्तुओं की जो खरीदने की सुविधा प्रदान की गई थी उसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। सुविधा देते समय सरकार का उद्देश्य तो यह था कि सरकार के विभागों को तुरंत सामान मिल सके, सस्ते दामों पर मिल सके, लेकिन इस सुविधा का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि दुरुपयोग हो रहा है। यह बात ध्यान में आई है। इस प्रकार की जो-जो बातें ध्यान में आई हैं उनके ऊपर गौर किया जा रहा है और जांच की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कम्प्यूटर के बारे में कहा, वह भी सत्य है। मैंने इस मामले को गहराई से देखा है। उसकी मैन्यूफैक्चरर से लेने पर कीमत 1 लाख 68 हजार रुपये है, लेकिन सरकार को जो आपूर्ति की गई वह 2 लाख 5 हजार रुपये में की गई। यह गंभीर बात है। इस पर जांच हो रही है और पूरी कार्रवाई की जाएगी।

मैं माननीय सदस्य और सदन को यह बताना चाहता हूं कि जब विभाग वस्तुओं को खरीदता है, तो अभी तक तो यह व्यवस्था थी कि मैन्यूफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर, तीनों में से किसी को भी इस खरीद के लिए तय कर लिया जाता था, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण निर्णय सिद्धांत रूप में ले लिया है और वह यह है कि अब विभाग जो ये सारी चीजें खरीदेंगे, वे सीधे मैन्यूफैक्चरर से खरीदेंगे और इस प्रकार से जो बीच का आदमी होगा, जो मिडिल मैन होगा, उसका जो कमीशन होगा, वह बिलकुल खत्म हो जाएगा और बल्क परचेज करने से हमें सस्ते भाव पर चीज मिलेगी। यदि मैन्यूफैक्चरर हमारी फार्मेलिटीज, क्रेडिट लिमिट इत्यादि की जो शर्तें हैं, उन्हें पूरी कर देंगे, तो विभाग उनसे सीधे खरीद करेगा। इस प्रकार से जो बात माननीय सदस्य ने बताई, डीलर-सबडीलर, मिडिल मैन इत्यादि की वे बिलकुल समाप्त हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इस प्रकार की शिकायतें सुपर बाजार के बारे में, केंद्रीय भंडार के बारे में भी आती हैं। उनको देखते हुए मैंने यह मामला पर्सोनल विभाग के साथ भी उठाया। मैंने उनको पत्र के माध्यम से लिखा है कि जो ये सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, उनका दुरुपयोग न हो। इसलिए सीधे मैन्यूफैक्चरर से खरीदकर सीधे सरकारी विभागों को दें। यह निर्णय हमने ले लिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत से विभागों में, जो सामान लेते हैं, उनमें बहुत घपला होता है। इस बारे में सी.ए.जी. की रिपोर्ट भी आई है और सी.ए.जी. की रिपोर्ट वर्ष 1998 में वायुसेना और नौ-सेना के संबंध में टिप्पणी की गई है और उसमें बिलकुल साफ लिखा गया है कि खरीद में लगभग 40 लाख रुपये एक्सैस दिए गए और उसमें यह भी स्पष्ट लिखा है कि एन.सी.सी.एफ. पर निगरानी रखनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। मंत्री महोदय ने इस बात को महसूस किया कि घपला, घोटाला और दलाली सामान खरीदने में हो रही है और उसकी जांच की जा रही है तथा जांच कराने का आदेश भी दे दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के घपले, घोटाले और दलाली में संलिप्त क्या किसी पदाधिकारी को चिह्नित किया गया है, यदि हां, तो कौन-कौन से लोग हैं या इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं, यदि चिह्नित किया है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

हम यह जानना चाहेंगे कि जो जांच आप विभाग के माध्यम से करा रहे हैं, तो जो चोर चोरी कर रहा है, उसी को आप थानेदार बनाकर जांच करा रहे हैं। ऐसा कहीं भी इंसाफ नहीं होता। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि निष्पक्ष जांच और दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित करने के लिए तथा सी.ए.जी. की रिपोर्ट के आधार पर जांच कराने के लिए क्या वित्त मंत्री जी सी.बी.आई. से जांच कराना चाहेंगे ताकि करोड़ों रुपये के घोटाले का पर्दाफाश हो सके?

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि ऐसे जितने विषय आए हैं, उन पर एन.सी.सी.एफ. जांच नहीं कर रही है बल्कि मंत्रालय प्रारंभिक जांच करेगी। उसके बाद जिसको भी जांच के लिए देना होगा, मैं उसको दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। पूरी जांच होगी, पूरी कार्यवाही होगी।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, सब मिले हुए हैं।...*(व्यवधान)* ऐसी स्थिति में सी.बी.आई. से जांच कराने में क्या कठिनाई है, हम यह जानना चाहते हैं।

श्री शांता कुमार : पहले प्रारंभिक जांच होने दीजिए फिर वह भी करवाएंगे।

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नेशनल कापरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन यानी एन.सी.सी.एफ. एक सर्वप्रिय योजना है। क्या यह दिल्ली में भी चल रही है और अगर दिल्ली में नहीं चल रही है तो उसके क्या कारण हैं? इस योजना के क्या उद्देश्य हैं और यह कितने प्रदेशों में चल रही है? आपने जो 11 वस्तुएं चुनी हैं, उनका भाव क्या है और क्या यह भाव दिल्ली के मार्केट भाव से कम होगा? क्या मंत्री जी इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि उसका क्या फायदा हो रहा है?

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सर्वप्रिय योजना इस संस्था द्वारा शुरू की और इस योजना के दो उद्देश्य थे। एक उद्देश्य यह था कि देश में 4 लाख, 60 हजार जो सस्ती राशन की दुकानें चलती हैं, उनकी वायेबिलिटी बढ़े, उनका काम बढ़े और सस्ती वस्तुएं लोगों को मिलें। यह बड़ी इन्नोवेटिव प्रकार की स्कीम है जिसमें एन.सी.सी.एफ. बल्क परचेज करके नो प्रॉफिट पर 11 वस्तुएं देश के करोड़ों गरीब लोगों को देना चाहेगी। हमने सभी प्रदेशों को लिखा है कि 11 वस्तुएं जो आम व्यक्ति के प्रतिदिन की जरूरत की हैं, यह हम सस्ते भाव से देना चाहते हैं।

श्री विजय गोयल : वह कौन-कौन सी चीजें हैं?

श्री शांता कुमार : इसमें जैसा आपने पूछा कि भाव का अंतर कितना है तो हम 11 वस्तुएं जिस भाव पर देना चाहते हैं, तो दिल्ली के अंदर हम बाजार भाव से 15 से 20 प्रतिशत तक सस्ता देना चाहते हैं। दिल्ली में इस समय जो बाजार भाव है, वह मैं दो-तीन चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। दिल्ली में अरहर की दाल 32 रुपये किलो है जबकि हम इस योजना में 26 रुपये किलो दे रहे हैं। इसी तरह ग्राम दाल का बाजार भाव 24 रुपये किलो है जबकि हम 21 रुपये किलो में दे रहे हैं। टाटा नमक सात रुपये किलो और बाकी नमक चार रुपये किलो हैं जबकि हम इस योजना में दो रुपये पचास पैसे दे रहे हैं। यह 11 वस्तुएं यदि राशन की दुकान पर राज्य सरकार हमसे लेकर पहुंचा दे तो एक किलो खरीदने पर गरीब परिवार को 50 रुपये का फायदा होता है। उसके फूड बजट में 50 रुपये भी राहत होती है। इस योजना की एक विशेषता यह है कि इतनी बड़ी योजना के लिए मुझे आदरणीय सिन्हा जी के पास नहीं जाना पड़ा। कोई सब्सिडी नहीं, कोई एक पैसे का अतिरिक्त खर्च नहीं। हमारा एन.सी.सी.एफ. 400-500 करोड़ रुपये का काम करता है। हमने उनको कहा है कि बाकी चीजों पर जो मुनाफा रहता है, वह आप लेते रहिए लेकिन इस योजना पर एक भी पैसा मुनाफा नहीं लेंगे।

श्री विजय गोयल : राज्य सरकार नहीं चाहेगी तो वह नहीं लेंगे।

श्री शांता कुमार : इस योजना पर कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे। इस योजना में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर भी नहीं डाला जाएगा। हमने एन.सी.सी.एफ. को कहा कि यह गरीबों के लिए योजना है इसलिए बलक परचेज करके नो प्रॉफिट पर 4 लाख 60 हजार दुकानों पर हमें पहुंचाना है। इससे एक भी पैसा नया खर्च किए बिना हम करोड़ों रुपये का काम गरीबों की मदद के लिए कर सकते हैं। दिल्ली सरकार का आपने पूछा है तो दिल्ली सरकार ने अभी तक इस योजना में हमसे सामान लेना शुरू नहीं किया।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सीधा सवाल जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि बिचौलिया, मिडिल मैन है लेकिन हम मैनुफैक्चर्स से डायरेक्टली भी खरीदने की कोशिश करेंगे। हम यह जानना चाहते हैं कि प्रारंभिक जांच कराने का आदेश कब हुआ और प्रारंभिक जांच के पश्चात् यह जो जांच होगी, उस जांच में कोई टर्म्स एंड कंडीशन्स रखने का विचार किया गया है क्योंकि प्रारंभिक जांच के बाद ही उच्चस्तरीय जांच हो सकती है? इसलिए क्या कोई टर्म्स एंड कंडीशन्स या कालबद्ध जांच करने का विचार किया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष जी, मैंने पहले कह दिया है कि जो भी शिकायतें आई हैं और मैंने स्वीकार किया है कि शिकायतों में वजन है, मैंने इंकार नहीं किया। उन सारी शिकायतों पर प्रारंभिक

जांच करने के बाद जहां से जांच करवानी होगी, वे करवाएंगे और उसकी पूरी तरह कार्यवाई होगी।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की खरीद

\+

***42. श्री बी. वेंकटेस्वरलु :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के किसानों से कम मात्रा में धान खरीदा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने यह अनुरोध किया है कि खरीद की मात्रा बढ़ा दी जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने, चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए चावल-उत्पादक राज्यों को एक आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केंद्र सरकार को इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों और स्थानीय चावल-मिल मालिकों द्वारा सांठ-गांठ करके, किसानों की उपज की कम कीमत लगाकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है; और

(ज) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश और बिहार सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह उनके राज्यों में अधिक धान की वसूली करे। भारतीय खाद्य निगम ने खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान धान की वसूली करने के लिए आंध्र प्रदेश में 163 केंद्र और बिहार में 40 केंद्र खोले हैं।

(ङ) और (च) जो राज्य अधिकांशतः चावल आधारित फसल चक्र प्रणाली अपना रहे हैं उनमें भारत सरकार समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम चावल आई.सी.डी.पी. (चावल) क्रियान्वित कर रही है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, केरल, पूर्वी मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्री बी. वेंकटेस्वरलु : महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता। आंध्र प्रदेश सरकार और आंध्र प्रदेश राज्य ने संसद-सदस्यों के साथ एक लंबी चर्चा के पश्चात्, उपभोक्ता मामलों के माननीय मंत्री दस लाख टन धान का प्रोपण करने पर सहमत हुए। अभी तक, जैसी मुझे जानकारी है, भारतीय खाद्य निगम ने केवल 42.49 लाख टन चावल की ही खरीद की है।

महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारतीय खाद्य निगम किसानों से सीधे धान की खरीद करने की अपनी वचनबद्धता को पूरा करेगा अथवा नहीं। रबी की फसल की कटाई होने को है, इससे स्थिति और गंभीर हो रही है। अतएव, भारतीय खाद्य निगम को दस लाख टन धान की खरीद करने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए कहा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष जी, आंध्र प्रदेश के संबंध में जितनी समस्याएं थीं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करके जो-जो डिमांड उनकी थीं, उनको हमने स्वीकार किया है और उसके मुताबिक वहां प्रोक्योरमैंट हो रही है। आंध्र सरकार के लेवी आदेश के मुताबिक हमने लेवी में 50 प्रतिशत प्रोक्योरमैंट लेनी है। हमारी वचनबद्धता है, हम ले रहे हैं। इस समय तक हम 37.91 लाख टन ले चुके हैं जबकि पिछले साल केवल 29 लाख टन लिया था। पिछले साल से ज्यादा लिया है और 50 प्रतिशत लेने की वचनबद्धता हम निश्चित रूप से पूरी करेंगे।

[अनुवाद]

श्री बी. वेंकटेस्वरलु : महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य में धान और

चावल के भारी वहनरोध को देखते हुए, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य से चावल के निर्यात की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। भारत सरकार आंध्र प्रदेश से 20 लाख टन चावल का निर्यात करने पर सहमत हो गई है।

महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश से चावल के निर्यात के लिए कोई व्यवस्था की गई है या नहीं? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष जी, सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे पास फूडग्रेन का पर्याप्त भंडार है, हम विश्व बाजार में आएं। उस निर्णय के मुताबिक 20 लाख टन गेहूं निर्यात करने का निर्णय किया गया था। लगभग 8 लाख टन गेहूं निर्यात हो गया है। कहां पहले गेहूं इम्पोर्ट होता था। इम्पोर्ट पूरी तरह बंद हो गया। एक्सपोर्ट शुरू हो गया। 8 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट हो चुका है। चावल के बारे में यह है कि 20 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करने का निर्णय हो गया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया माननीय मंत्री को व्यवधान उत्पन्न न करें। आपको उनके उत्तर को सुनने का भी धैर्य होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : ओपन टेंडर इत्यादि फोर्मेलिटीज हो रही है। जिस तरह गेहूं में हमने एक्सपोर्ट किया है, 20 लाख टन. चावल एक्सपोर्ट करने का निर्णय सरकार ने लिया है। औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और बहुत जल्दी उसका एक्सपोर्ट शुरू कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम प्रसाद सिंह।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : महोदय, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक मार्गदर्शी सिद्धांत तय नहीं किए गए हैं और यही कारण है कि विलंब हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडू, मैंने दूसरा नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से खासकर बिहार के बारे में जानना चाहता हूं। बिहार सरकार ने आपसे अनुरोध किया था कि आप खरीद के केंद्र को बढ़ा दें और बिहार में धान की खरीदगी बड़े पैमाने पर की जाए। साथ ही साथ हम लोगों का एक डेलीगेशन प्रधान मंत्री जी से भी मिला था कि बिहार में इस साल 123 लाख टन धान की फसल हुई है, इसलिए आप बिहार में धान ज्यादा खरीदें। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी मिलने पर आश्वासन दिया है, लेकिन मंत्री जी का जवाब सुनकर दु:ख होता है कि बिहार में धान का बड़ा भंडार है, लेकिन अभी तक केवल 40 केंद्र ही खोले गए हैं और वह भी कागज में हैं। मुझे जानकारी है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां बिहार का धान का सबसे बड़ा भंडार है, जो रोहताश, कैमूर और भोजपुर का इलाका है, मैं आरा से आता हूं; वहां कागज पर खरीद सेंटर खोल दिए गए, जैसे पीरो, विक्रमगंज और भोत्तानियों में खोले गए, ये चार-पांच सेंटर्स ही खोले गए। किसान ट्रक में धान भरकर ले गए, लेकिन धान की खरीदी नहीं हुई और उनको जबरन केंद्र से भगा दिया गया, कहा गया कि धान ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : राम प्रसाद सिंह जी, सप्लीमेंटरी पूछिए, इतना लंबा भाषण क्यों कर रहे हैं। मिनिस्टर रिप्लाई भी देंगे।

श्री राम प्रसाद सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि खोले गए केंद्रों से अब तक आपकी एजेंसी के माध्यम से धान की कितनी खरीद हुई है और आगे आप क्या करने जा रहे हैं? क्या अभी इन खरीद केंद्रों का समय और बढ़ा रहे हैं या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इनका प्रश्न केवल बिहार के संदर्भ में है।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : बिहार के संबंध में सदन में भी चर्चा हुई थी, उसके बाद माननीय सदस्यों के साथ, सरकार के साथ मेरी बातचीत हुई थी। उसके बाद मैं स्वयं पटना गया था। पटना जाकर सरकार से मैंने बातचीत की। उसमें बिहार ने हमसे जो-जो मांग की, हमने वे मांगें पूरी कीं। एक कठिनाई है कि बिहार में पहले प्रोक्यूरमेंट नहीं होती थी, हमने उन्हें कहा कि हम जहां भी प्रोक्यूरमेंट करते हैं, वहां राज्य सरकार की भी कोई एजेंसी आकर हमारी मदद करती है, हम भी करते हैं। पंजाब में 30 हम करते हैं और 70 पंजाब की सरकार करती है। बिहार सरकार के अधिकारियों ने हमें कहा कि हमारी 500 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटीज हैं, हम उनको ऑथोराइज करना चाहते हैं, आप उनसे धान लीजिए। हमने निर्णय कर दिया कि बिहार की जो 500 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटीज हैं, हम उनके द्वारा प्रोक्यूरमेंट करेंगे। फिर बिहार सरकार ने कहा कि इसके अलावा आप भी कुछ प्रोक्यूरमेंट केंद्र खोलिए तो हमने 40 प्रोक्यूरमेंट केंद्र खोल दिए, लेकिन प्रोक्यूरमेंट पूरा नहीं हुआ। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं। इस पर आगे हमने विचार किया तो माननीय सदस्यों ने और सरकार ने कहा कि आपने जो पंजाब में रिलेक्सेशन दी है, उसकी

बिहार में जरूरत नहीं है, बिहार में किसी और ढंग की रिलेक्सेशन चाहिए। जो रिलेक्सेशन अब बिहार सरकार ने मांगी है, अध्यक्ष महोदय, वह भी हमने दे दी। आपने जो-जो मांग की, हमने सारी मांगें पूरी कर दी हैं और हम प्रोक्यूरमेंट करने के लिए तैयार हैं।

श्री रघुनाथ झा : आपने कितना धान लिया है, कितना खर्च किया है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा, आप यह क्या कर रहे हैं, आप बैठ जाइए।

श्री शांता कुमार : प्रोक्यूरमेंट केवल 6 हजार टन हुआ है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। 500 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटीज...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

श्री **शांता कुमार** : 540 स्थान तय हैं, जिन पर बिहार का किसान अगर धान लेकर आएगा तो हम लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो-जो उन्होंने मांग की हैं, हमने सारी मांगें स्वीकार कर ली हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बराड़ के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं लिया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री राम प्रसाद सिंह : बिहार में बहुत सारा धान पड़ा हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बराड़ को कहा है।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, कृपया इस पर आधे घण्टे की चर्चा कराइए।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, आप बैठ जाइए, यह क्वश्चन ऑवर है।

[अनुवाद]

मैंने पहले ही श्री बराड़ से कहा हुआ है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। माननीय सदस्य ने दौरे के बारे में पूछा है, इन्होंने दौरा क्यों नहीं किया? ये किसानों को और सदन को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। मैंने मि. बराड़ को बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, अभी नहीं बाद में, आप बैठ जाएं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप क्या कर रहे हैं, आपकी जगह किधर है? आपको हाउस के प्रोसिजर मालूम नहीं हैं। मैंने मि. बराड़ को बुलाया है।

श्री जे. एस. बराड़ : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण सवाल है इसलिए सारा सदन उत्तेजित है। मंत्री महोदय ने बड़ी चालाकी और होशियारी से इस बुनियादी सवाल के तीन मुद्दों का रुख बिल्कुल ही मोड़ दिया है। मंत्री जी से वेंकटेस्वरलु साहब ने अपने लिखित प्रश्न ई, एफ और जी में सवाल किया है। सवाल ई में पूछा गया है—

[अनुवाद]

> "(ङ) क्या सरकार ने चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए चावल-उत्पादक राज्यों को कोई आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराया है;"

[हिन्दी]

आपने सदन को मिसगाइड किया है। इसमें पंजाब का वर्णन नहीं है। आपने पंजाब को पैकेज दिया है, जिसका एक रुपया भी किसानों को नहीं मिला। उसका इस उत्तर में वर्णन नहीं किया है। यह बुनियादी तौर पर आपके सवाल की सबसे बड़ी गलती है। आप प्रोक्योरमेंट में भी चालाकी की बात कर रहे हैं, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। प्रोक्योरमेंट हुई है, एक महीने पहले तो मंडियों में डिले किया गया और डिले करने के बाद आपको जानकारी देना चाहता हूं, यह फैक्ट पर आधारित है।

[अनुवाद]

पंजाब एक चावल-उत्पादक राज्य है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जे.एस. बराड़, यह प्रश्न काल है या चर्चा काल? अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री जे.एस. बराड़ : महोदय, मेरा पूरक प्रश्न खरीद के बारे में है।

[हिन्दी]

ये कह रहे हैं कि बहुत प्रोक्योरमेंट किया गया है। एक महीने तक पंजाब में सरकार के जो सरपरस्त लोग हैं, उन्होंने सस्ते भाव पर लाखों मिलियन पैडी 350 रुपये में खरीदकर 540 रुपये में वही पैडी आपको बेच दी। यह बहुत बड़ा स्कैम वहां हुआ है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का गबन एफ.सी.आई. ने किया है। इसमें पंजाब के राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं। 100 से ज्यादा सांसदों ने इस मुद्दे पर प्रधान मंत्री जी को एक मेमोरंडम भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई सप्लीमेंटरी प्रश्न भी है या नहीं?

श्री जे.एस. बराड़ : इसकी सी.बी.आई. से जांच होनी चाहिए। जो रेस्ट्रिक्शन हैं प्रोक्योरमेंट की, जो मूवमेंट आफ फूडग्रेन है, जो सरकार परस्त लोग हैं, उनको इजाजत है इसकी, लेकिन आम आदमी को नहीं है। इसमें मैं आपसे कहूंगा कि दुनिया भर में एफ.सी.आई से बड़ा स्कैंडल करने वाला और कोई नहीं है। आपके मुख्य अधिकारी ने पंजाब में कहा कि 80 प्रतिशत पैडी खराब है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जे.एस. बराड़, मैं आपको पूरक प्रश्न उठाने से मना करता हूं।

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से इस प्रश्न के बारे में आधे घण्टे की चर्चा की सहमति देने का अनुरोध करता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैंने श्री जे.एस. बराड़ का पूरक प्रश्न खारिज कर दिया है। आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा कराने पर सहमत हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : इन्होंने, अध्यक्ष महोदय, कुछ आरोप लगाए हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैंने उनके पूरक प्रश्न को खारिज कर दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठिए। दूरदर्शन का टेलीकास्ट बंद किया जाए।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.35 बजे

इस समय श्री नागमणि, कुंवर अखिलेश सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि इस पर आधे घण्टे की चर्चा कराई जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप आधे घण्टे की चर्चा कराने के लिए सहमत हैं?

श्री शांता कुमार : जी, हां...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा के लिए सहमत हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैंने आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति प्रदान कर दी है। कृपया अपने अपने स्थान पर जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। पहले आप बैठिए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं लिया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री आधे घण्टे की चर्चा पर सहमत हैं। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। हम आपको नहीं सुनेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मुद्दे पर आधे घण्टे की चर्चा करने की अनुमति प्रदान कर दी है। मंत्री जी भी इस पर सहमत हुए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। *[अनुवाद]* कुंवर अखिलेश सिंह, आप सभा में उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले अपनी जगह पर बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है।

पूर्वाह्न 11.42 बजे

इस समय श्री नागमणि, कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन ऑवर में कोई डिसिप्लिन नहीं है। हाफ-एन-ऑवर डिसकशन एलाउ करेंगे। आप ऐसे ही हाउस में बिहेव करेंगे?

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात को समझिए, आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। आप उस समय बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात को समझिए, आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। आप उस समय बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अखबारी कागज की कीमतें

*45. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वदेशी अखबारी कागज की कीमतों में तेजी से हो रही वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, कंपनी-वार विभिन्न प्रकारं के स्वदेशी अखबारी कागज की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान, देश में कंपनी-वार और वर्ष-वार कितनी मात्रा में अखबारी कागज का उत्पादन किया गया;

(घ) क्या अखबारी कागज की कीमतों में हुई इस तीव्र वृद्धि के कारण छोटे और मध्यम दर्जे के अखबार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार, स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्य में समय-समय पर हुई वृद्धि से अवगत है। स्वदेशी अखबारी कागज के कंपनीवार मूल्य केंद्रीय रूप में नहीं रखे जाते हैं। स्वदेशी अखबारी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कागज के मूल्य प्रत्येक मिल के अलग-अलग होते हैं। पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान उत्पादित किए गए विभिन्न प्रकार के अखबारी कागज के आंकड़े निम्नानुसार हैं–

(रुपये प्रति मीट्रीक टन)

वर्ष	घरेलू अखबारी कागज का मूल्य (लगभग)
1998	15000-22500
1999	14000-22000
2000	16500-29000

(ग) अखबारी कागज के कंपनीवार उत्पादन के आंकड़े केंद्रीय रूप में नहीं रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान अखबारी कागज का कुल उत्पादन निम्नानुसार हुआ–

वर्ष	उत्पादन (लाख मीट्रीक टन में) (लगभग)
1998-99	5.25
1999-2000	5.04
2000-2001 (अप्रैल-दिसंबर)	4.63

(घ) से (ङ) इस संबंध में लघु तथा मझौले समाचार-पत्र संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, विवरण से यह समझ आता है कि देशी अखबारी कागज की कंपनी-वार कीमत को केंद्रीयत: बनाए नहीं रखा जा रहा।...*(व्यवधान)* यह भी दर्शित होता है कि अखबारी कागज के कंपनी-वार उत्पादन को भी केंद्रीयत: अनुरक्षित नहीं किया जा रहा।...*(व्यवधान)* किन्तु सरकार को देशी अखबारी कागज की कीमतों में, एक वर्ष के भीतर पांच से छह प्रतिशत से ज्यादा की आवधिक वृद्धि के बारे में पता ही है...*(व्यवधान)*

क्या देशी अखबारी कागज के वास्तविक मूल्य को अभिनिर्धारित करने के लिए सरकार के पास कोई तंत्र है?...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहूंगा कि क्या अखबारी कागज बनाने में आने वाली लागत को देखते हुए, देशी अखबारी कागज की लागत के अभिनिर्धारण का काम एम.आर.टी.पी. के अन्तर्गत किया जाएगा?...*(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन : महोदय, विशेषकर 17.7.1997 के बाद से अखबारी कागज उद्योग को लाइसेंस-मुक्त किया गया है...*(व्यवधान)* अतएव, इससे संबंधित सांख्यिकी को केंद्रीयत: अनुरक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किन्तु, यदि किसी प्रकार की असामान्य वृद्धि होती है, तो कोई भी एम.आर.टी.पी. का सहारा ले सकता है अथवा सरकार से शिकायत कर सकता है।...*(व्यवधान)* हमें अभी तक तो कोई शिकायत नहीं मिली है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं लिया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा, ये क्या रनिंग कमेंट्री हो रही है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदस्य दूसरा पूरक प्रश्न कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बराड़, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। आप पूरी सभा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वरिष्ठ सदस्य तक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : यह सरकार किसान-विरोधी है, इसलिए हम इस सदन का बहिष्कार करते हैं।

पूर्वाह्न 11.47 बजे

तत्पश्चात् श्री कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस सरकार ने सदन की सही जानकारी नहीं दी है। यह किसान-विरोधी है, इसलिए हम इस सदन का बहिष्कार करते हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.47¼ बजे

तत्पश्चात् डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस सभा में कोई प्रश्न काल होने देना नहीं चाहते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको हाउस के नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा की एक कार्य-संचालन प्रक्रिया है। कृपया बात को समझें।

(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : महोदय, इन्होंने प्रधान मंत्री का नाम लिया है। मैं अध्यक्ष जी से कार्यवाही-वृत्तांत देखने का अनुरोध करूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने समस्त पूरक प्रश्न को पहले ही खारिज कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, डॉलर विनिमय-दरों में उतार-चढ़ाव होने के कारण, विदेशी अखबारी कागज की कीमत दिन-ब-दिन गिर रही है...*(व्यवधान)* साथ ही, सस्ते दर्जे के अखबारी कागज का आयात किया जा रहा है।...*(व्यवधान)* सरकार उन छोटे और मझौले देशी अखबारी-कागज उद्योगों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने का इरादा रखती है, जो सस्ते मूल्य पर सस्ते दर्जे के अखबारी-कागज का उत्पादन करने में लगे हुए हैं?

श्री मुरासोली मारन : जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है, यदि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अधिक है, तो यह स्थानीय उद्योग के लिए अच्छा है। केवल इतना ही नहीं, अखबारी कागज को समाचार और ज्ञान के प्रसार का वाहन माना जाता है। इसलिए हम आयात को नियंत्रित नहीं करना चाहते। अब तक हमें अखबारी कागज उद्योग से कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

श्री ए.सी. जोस : जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है लघु और मध्यम समाचार-पत्र बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं क्योंकि अखबारी-कागज का मूल्य हमेशा उत्पादन मूल्य से कम होता है। परिणामस्वरूप लघु और मध्यम समाचार-पत्र शोर मचा रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन्हें राजसहायता के द्वारा विशेष ध्यान दें। क्या सरकार लघु और मध्यम समाचार-पत्रों को कुछ राजसहायता देने पर विचार करेगी। क्योंकि माननीय मंत्री स्वयं मीडिया के व्यक्ति हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वे लघु और मध्यम समाचार-पत्रों के मामले में कुछ राजसहायता दें।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, अखबारी-कागज पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। केवल यही नहीं, सीमा-शुल्क 5% है और बुनियादी शुल्क का 10% प्रभार यानि 5.5%। जैसा कि आप जानते हैं, राजसहायता इतना नुकसान पहुंचा रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे सहयोगी वित्त मंत्री लघु और मध्यम समाचार-पत्रों को सहायता देने हेतु आगे नहीं आएंगे।

श्री ए.सी. जोस : क्या आप उनसे अनुशंसा करेंगे?

श्री मुरासोली मारन : उनसे अनुशंसा का क्या फायदा क्योंकि मुझे उनकी स्थिति पता है और मुझे लगता है कि आप भी उनकी स्थिति जानते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसके पास ऐसी कोई योजना है जिससे हमारे देश के बेरोजगार नौजवान को, कागज के छोटे-छोटे उद्योगों को सब्सिडी देकर, उनमें लगाकर रोजगार दिलाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि हमने कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया है और पत्रों के लिए कुछ छूट भी दी है, जैसे 35% और बेसिक शुल्क पर 10% प्रभार और 4% एस.ए.डी. तथा 16% सी.बी.डी. अखबारी कागज के लिए कोई उत्पाद शुल्क नहीं है तथा 5.5% सीमाशुल्क। यही सुरक्षा हम दे रहे हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

***46. डा. बी.बी. रमैया :**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने सरकार द्वारा हाल में शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति चाही है तथा अब तक कितने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति दी गई है;

(ग) इन बैंकों का इस प्रयोजनार्थ आवश्यक धनराशि किस प्रकार जुटाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस योजना को बड़े पैमाने पर मिली लोकप्रियता के फलस्वरूप, कई बैंक कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे हैं और उनकी कुछ शाखाएं बन्द हो गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस स्थिति से निपटने के लिए तथा सभी संबंधित बैंकों का सुचारु कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भारतीय बैंक संघ द्वारा 31.8.2000 को परिचालित माडल योजना पर आधारित एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं अनुबंध-I में दी गई हैं।

(ख) बैंक-वार उपलब्ध सूचना अनुबंध-II में दी गई है।

(ग) माडल योजना में दिए अनुसार बैंकों को व्यय या तो अपनी स्वयं की निधियों से अथवा अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य किसी स्रोत से ऋण लेकर पूरा करना होता है।

(घ) से (च) सरकार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण शाखाओं के बंद होने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथापि, बैंक शाखाओं में उचित स्टाफिंग सुनिश्चित करने के लिए अपनी अधिक कर्मचारियों वाली शाखाओं से कम कर्मचारियों वाली शाखाओं में कर्मचारी पुनर्नियोजित करने का कार्य कर रहे हैं।

अनुबंध-I

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं

पात्रता : 15 वर्ष की सेवा वाले या 40 वर्ष की आयु वाले स्थायी कर्मचारी।

अपात्र : विशेष अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने सेवा बांड प्रस्तुत किया है लेकिन इसे पूरा नहीं किया है, कर्मचारी/अधिकारी जो विशेष व्यवस्था/बांडों के अंतर्गत विदेश में कार्यरत हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस के पात्र नहीं होंगे। तथापि निदेशक मंडल बांड/अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यधीन इससे छूट दे सकता है।

* कर्मचारी जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है/लंबित है या जो निलंबनाधीन है।
* करार के आधार पर नियुक्त कर्मचारी।
* कर्मचारियों की कोई अन्य श्रेणी जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

अनुग्रह राशि : प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 60 दिन का वेतन (वेतन के साथ-साथ गत्यावरोध वेतन वृद्धि तथा विशेष भत्ते एवं महंगाई राहत) या उतने महीनों का वेतन जितनी सेवा बची हो, इनमें से जो भी कम हो।

अन्य लाभ : (i) ग्रेच्युटी अधिनियम/सेवा ग्रेच्युटी के अनुसार, जैसा भी मामला हो।

(ii) पेंशन (पेंशन के सारांशीकृत मूल्य सहित) पीएफ के पक्ष में बैंक का अंशदान, जैसा भी मामला हो।

(iii) नियमानुसार छुट्टी की भुनाई।

अन्य विशेषताएं : (i) बैंक की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक के प्रबंधन के लिए वीआरएस के अनुरोध को स्वीकार करना या उसे अस्वीकार कर देना उसका विशेषाधिकार होगा,

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखना होगा कि उच्च दक्षता और अर्हता वाले कामगारों और कर्मचारियों को यह विकल्प न दिया जाए,

(iii) वीआरएस के कारण हुई रिक्तियों के बदले कोई भर्ती नहीं की जाएगी,

(iv) वीआरएस लागू करने से पूर्व बैंकों की अपनी श्रम शक्ति की योजना को अवश्य पूरा कर लेना चाहिए और उन अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या का पता लगा लेना चाहिए जिन पर इस योजना के अंतर्गत विचार किया जा सकता है,

(v) वीआरएस और किसी नई भर्ती की मंजूरी श्रम शक्ति योजना के अनुसार ही होनी चाहिए।

योजना का निधियन : (क) अपनी वित्तीय स्थिति और नकदी के प्रवाह के अनुरूप बैंक आंशिक रूप से नकदी में और आंशिक

रूप से बांडों या किस्तों में भुगतान का निर्णय ले सकते हैं लेकिन न्यूनतम 50 प्रतिशत नकदी का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए और शेष 50 प्रतिशत का निर्धारित अवधि के भीतर।

(ख) इस योजना का निधियन बैंकों द्वारा स्वयं या तो अपनी स्वयं की निधि से या अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं या किसी अन्य स्रोत से ऋण लेकर किया जाएगा।

आवधिकता : योजना 31.3.2001 तक खुली रखी जाएगी।

अनुबंध-II

बैंक का नाम	वीआरएस के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन	उन कर्मचारियों की सं. जिन्हें 15.2.2001 तक वीआरएस के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति दी गई
बैंक ऑफ इंडिया	7828	7020
पंजाब नेशनल बैंक	6095	5759
पंजाब एंड सिंध बैंक	2037	1715
सिंडिकेट बैंक	7080	3128
विजया बैंक	1621	960
इलाहाबाद बैंक	1576	
आंध्रा बैंक	1368	
बैंक ऑफ बड़ौदा	6720	
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2683	
केनरा बैंक	8130	
देना बैंक	3300	
इंडियन बैंक	3988	अभी निर्णय लिया जाना है
इंडियन ओवरसीज बैंक	3992	
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	644	
यूको बैंक	5130	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3990	
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	3007	
भारतीय स्टेट बैंक	35380	

आंकड़े अनंतिम

[अनुवाद]

डा. बी.बी. रमैया : माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार केवल चार या पांच बैंक ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का उपयोग कर सके हैं। कई बैंक अब भी संभवतः वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रक्रिया में समय लग रहा है। मुझे नहीं पता कि अन्य बैंकों हेतु कब तक मंजूरी मिलेगी ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें। आप भारतीय स्टेट बैंक को लें, 35,000 लोगों ने आवेदन किया है लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली है। सरकार उन्हें कितनी जल्दी मंजूरी देने जा रही है ताकि वे यह योजना लागू कर सकें? इससे उनकी संचालन क्षमता बेहतर होगी। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसका जवाब दें।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, एक-एक बैंक का प्रस्ताव मंजूरी हेतु वित्त मंत्रालय के पास नहीं आता है। बोर्ड इस मुद्दे पर विचार करने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना दिए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या पर फैसला देने में पूरी तरह सक्षम है। अनेक मामलों में अंतिम फैसला लंबित होने की वजह यह है कि सिद्धांत रूप में योजना को मंजूरी मिलने के बाद, विभिन्न बैंकों ने अलग-अलग समय पर इस योजना को शुरू करने का फैसला किया है और कुछ के फैसला न ले पाने का कारण यह है कि अवधि या तो बची है या समाप्त हो गई है। यह मामला बैंकों के बोर्डों के विचाराधीन है और बैंकों के बोर्ड बहुत शीघ्र फैसला लेंगे।

डा. बी.बी. रमैया : दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार यदि बड़ी संख्या में कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाते हैं, तो क्या इससे बैंकों के कार्य-निष्पादन पर प्रभाव पड़ेगा? चूंकि इसमें लोगों की संख्या घटेगी, तो क्या सरकार की योजना बैंकों को सुदृढ़ करने हेतु कुछ उपाय करने की है? संचालन कार्यक्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या इससे इन बैंकों की ग्रामीण सेवा पर प्रभाव पड़ेगा? इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सरकार बैंकों के कार्यकरण का कम्प्यूटरीकरण करने और लोगों की संख्या घटाने जा रही है, कम्प्यूटरीकरण पर कितनी अतिरिक्त लागत आएगी और क्या सरकार कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी ताकि वे लोगों की बेहतर सेवा हेतु कार्यसंचालन में अधिक सक्षम बन सकें।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, दिशा-निर्देश के अंतर्गत बैंक बोर्डों ने किस कारण यह फैसला किया कि किन कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना दी जाए, किन्हें नहीं, वह सदस्य द्वारा सभी व्यक्त चिंता के बाहर है। जहां बैंकों की जितने अधिक कर्मचारियों को हो सके, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना देने में रुचि है, उन्हें बैंकों की संचालन कार्यक्षमता, प्रत्येक बैंक विशेषकर ग्रामीण शाखाओं की स्थिति को ध्यान में रखना है। दिशा-निर्देश बहुत स्पष्ट हैं कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के परिणामस्वरूप कोई बैंक शाखा बंद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैंक बोर्डों को इस मुद्दे को ध्यान में रखना

है। इसलिए अक्षमता का कोई अंदेशा नहीं है। इस कदम से बैंकों की कार्यक्षमता बेहतर होगी।

जहां तक कम्प्यूटरीकरण और सुधार के अन्य रूपों का सवाल है, प्रत्येक बैंक ने जनशक्ति नियोजन तैयार किया है। इस जनशक्ति नियोजन को मध्यम अवधि में संचालित होना है।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने की प्रक्रिया में काफी विशेषज्ञता को खोना पड़ रहा है। बैंकिंग विशेषज्ञता ऐसी गतिविधि नहीं है जो एक दिन में बनती हो। महोदय, दशकों से बैंकिंग क्षेत्र में काफी विशेषज्ञता विकसित हुई है जिसके लिए बैंकों ने भी खर्च किया है। उन्होंने न केवल दी जाने वाली सेवाओं बल्कि सभी प्रकार की विशेषज्ञता हेतु भुगतान किया है। अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु आवेदन करने वाले कर्मचारियों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच गई है। बैंकिंग क्षेत्र में तैयार इस विशेषज्ञता से अब हम अचानक वंचित होने जा रहे हैं। बैंकिंग प्रणाली में गुणवत्ता निश्चित रूप से प्रभावित होने जा रही है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु आवेदन करने वाले सभी लोग फिर निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों में जा रहे हैं। अत: इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक बार फिर खतरा पैदा होगा। महोदय, बैंकिंग क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण की मूल भावना ही समाप्त हो जाएगी। क्या भारतीय बैंकिंग एसोसियेशन द्वारा प्रभावित होने जा रही सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में कोई आकलन किया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की मंजूरी के पहले प्रत्येक बैंक को विस्तृत जनशक्ति नियोजन तैयार करना पड़ता था। जनशक्ति नियोजन तैयार करने में उन्होंने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखा है। तथ्य यह है कि प्रत्येक बैंक को यह अधिकार है कि वह केवल कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने की अनुमति दे, जिन्हें वे ठीक समझे। मुझे लगता है कि इससे बैंक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे जिन कर्मचारियों की सेवा जरूरी है उन्हें वे चाहें तो स्वैच्छिक सेवा योजना अपनाने की अनुमति नहीं देंगे।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि प्रौद्योगिकी हम सबके बीच पहुंच चुकी है। आज बैंकों को जिस प्रकार की जनशक्ति की, गुणवत्ता और कुशलता की जरूरत है वे बिलकुल नई और अलग हैं। आज हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो विदेशी मुद्रा में कारोबार कर सकें, उद्यम पूंजी से परिचित हों, ई-कॉमर्स और धन प्रबंधन से वाकिफ हों। आज 10 वर्ष पहले की बैंकिंग का तरीका बदल गया है। विश्व भर में बैंक नई प्रौद्योगिकियों और नई कार्यकुशलता से लैस हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एक मुख्य लक्ष्य बैंकों में नई कुशलता से युक्त नये लोगों की भर्ती का है। अत: इस प्रक्रिया से बैंक सुदृढ़ होंगे। माननीय सदस्य को जो डर है, वह प्रतिभा पलायन का, वह नहीं होने जा रहा है।

मध्याह्न 12 बजे

डा. नीतिश सेनगुप्ता : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बड़े पैमाने पर पुन: प्रशिक्षण और पुन: तैनाती संभव नहीं है। बीमा उद्योग का मामला लीजिए जो खोला जा रहा है। कई कुशलताएं, जिनकी बीमा उद्योग में आवश्यकता है, वैसी हैं, जिस तरह के अनुशासन से बैंककर्मी परिचित हैं। जब किसी बीमा कंपनी को खोलने की अनुमति दी जाती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ शर्तें रखी जा सकती हैं वे बैंकों से छोड़े गए, कुछ बैंककर्मियों को अपने यहां ले।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या सरकार बेकार कर्मियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर पर बैठने और जब तक सेवानिवृत्त न हों उन्हें वेतन देने पर विचार करेगी। मुझे लगता है कि वह सस्ता होगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, इसका लिखित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सीमेंट की कीमतें

***43. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की आपूर्ति पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसके मूल्य हाल में बढ़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह महीनों के दौरान सीमेंट की कीमतों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई और निर्माण उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या भारतीय भवन निर्माता एसोसिएशन ने देश में निर्माण संबंधी गतिविधियों को रोकने की घोषणा करके, सीमेंट-उत्पादकों द्वारा मूल्यादि का नियंत्रण करने के लिए उत्पादक संघ बनाकर की जा रही अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है;

(घ) यदि हां, तो सीमेंट उत्पादकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) सीमेन्ट की कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) यह सही है कि पिछले छ: महीनों की अवधि के दौरान देश के अधिकांश भागों में सीमेंट की कीमतें बढ़ी हैं।

(ख) यह वृद्धि एक समान नहीं रही है और यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और एक केंद्र से दूसरे केंद्र में अलग-अलग रही है (विवरण संलग्न है)।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) एम.आर.टी.पी. आयोग द्वारा प्रमुख सीमेंट विनिर्माताओं के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं और इस संबंध में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार को स्थिति की जानकारी है तथा कीमतों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

इस संबंध में सीमेंट विनिर्माताओं के साथ बैठकें की गई हैं और यह सूचित किया गया है कि कीमतों की वृद्धि पर रोक लगा दी गई है तथा कुछ स्थानों पर इसमें सीमान्तिक गिरावट आई है। फिर भी, यदि जनहित के खिलाफ जानबूझकर कुछ किया जाता है तो सरकार अपेक्षित कदम उठाए जाने के संबंध में संकोच नहीं करेगी।

विवरण

	अगस्त, 2000	सितम्बर, 2000	अक्तू. 2000	नवंबर 2000	दिसंबर, 2000	जनवरी, 2001	अधिकतम मूल्य		22 फरवरी, 2001	अधिकतम मूल्य से 22 फरवरी, 2001 को कमी	
	न्यून.-अधिक.	न्यून.-अधिक.	न्यून.-अधिक.	न्यून.-अधिक.	न्यून.-अधिक.	न्यून.-अधिक.	न्यून.-अधिक.	तिथि	न्यून.-अधिक.	न्यून.	अधिक.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तरी क्षेत्र											
दिल्ली	131-134	131-134	133-136	133-136	152-155	152-155	152-156	8.12.00	140-146	12	10
करनाल	142-143	142-143	143-146	142-144	152-155	152-155	152-155	19.1.01	146-151	6	4
चंडीगढ़	138-140	138-140	138-140	138-140	158-160	158-160	163-165	8.12.00	159-161	4	4
जयपुर	124 126	124 126	123-125	123-125	143-145	143-145	143-145	26.1.01	136-138	7	7
लखनऊ	120-128	130-132	120-125	118-123	135-145	142-148	152-155	26.1.01	142-150	10	5
मेरठ	125-130	125-130	125-130	125-130	140-150	145-152	150-155	26.1.01	140-146	10	9
फैजाबाद	115-120	122-126	115-120	110-115	130-140	138-142	148-152	8.12.00	143-151	5	1
रोहतक	133-135	133-135	136-138	132-134	148-150	148-150	148-150	5.1.01	145-147	3	3
भटिंडा	136-138	136-138	136-138	136-138	158-160	163-165	163-165	5.1.01	158-163	5	2
लुधियाना	140-142	140-142	140-142	140-142	163-165	168-170	168-170	5.1.01	164-166	4	4
जम्मू	170-175	175-180	180-185	180-185	190-192	195-200	195-200	5.1.01	192-200	3	0
शिमला	140-142	142-145	145-148	145-148	160-163	165-170	165-170	5.1.01	165-170	0	0
बरेली	125 130	126-132	118-127	122-128	140-150	145-152	145-152	5.1.01	141-148	4	4
पूर्वी क्षेत्र											
कलकत्ता	135-140	134-139	132-137	128-135	158-160	160-165	160-170	29.12.00	155-160	5	10
पटना	120 135	115-133	115-130	114-132	140-160	135-160	140-170	29.12.00	131-160	9	10
भुवनेश्वर	125 143	128-138	125-134	120-128	146-148	147-161	158-161	29.12.00	148-161	10	0
गुवाहाटी	162-170	162-170	162-170	155-165	182-184	182-184	182-184	8.12.00	180-184	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मुजफ्फरपुर	127-138	120-138	122-134	122-134	144-163	131-163	152-173	29.12.00	132-163	20	10
सिल्चर											
पश्चिमी क्षेत्र											
मुम्बई	150-155	150-155	140-145	130-138	170-180	181-185	180-185	5.1.01	180-185	0	0
भोपाल	110-115	115-120	110-115	110-115	140-150	153-160	153-160	5.1.01	153-160	5	2
अहमदाबाद	136-141	129-134	129-134	125-130	उ.न.	163-165	163-165	5.1.01	156-161	7	4
नागपुर	124-128	115-122	115-122	115-122	137-141	153-158	157-160	19.1.01	154-157	3	3
पुणे	146-146	144-150	144-150	144-150	150-152	166-168	169-174	19.1.01	169-174	0	0
गोवा	133-147	133-145	133-147	133-147	133-147	148-152	160-165	26.1.01	160-165	0	0
राजकोट	135-147	128-134	128-133	124-129	उ.न.	160-161	160-163	12.1.01	156-161	4	2
बड़ौदा	135-140	129-134	129-134	125-130	उ.न.	158-165	158-165	5.1.01	156-161	2	4
सूरत	136-141	129-134	129-134	125-130	उ.न.	161-163	161-165	22.12.00	157-162	4	3
दक्षिणी क्षेत्र											
चेन्नई	150-170	155-175	155-175	170-185	170-185	175-190	175-190	29.12.00	170-185	5	5
तिरुवनंतपुरम	160-175	170-180	180-190	180-190	185-195	185-195	185-198	19.1.01	181-194	4	4
बंगलौर	126-136	155-165	155-170	160-175	165-175	160-175	165-180	19.1.01	158-173	7	7
हैदराबाद	106-110	130-140	140-148	140-155	150-160	145-160	150-160	19.101	145-156	5	4
कालीकट	160-175	175-185	182-192	180-190	180-194	180-195	180-195	22.12.00	176-191	4	4
विशाखापटनम	119-120	145-150	152-160	155-160	165-170	160-170	160-170	8.12.00	150-162	15	8

स्रोत : सीमेंट विनिर्माता संघ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास आयुक्तों को अधिकार देना

***44. श्री चन्द्रभूषण सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ (फिक्की) ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड.) के विकास आयुक्तों को श्रम कानूनों के क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान करने के अधिकार देने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार फिक्की द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों की एककों पर लागू श्रम संबंधी कानूनों में परिवर्तन किए जाने के बारे में अपने विचारों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

[हिन्दी]

अंत्योदय योजना

***47. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :**
श्री रतनलाल कटारिया :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के निर्धनतम तबके के लोगों के लिए हाल में 'अंत्योदय योजना' प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) प्रत्येक राज्य में लाभार्थियों की संख्या कुल कितनी है;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न का उचित वितरण सुनिश्चित करने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न के परिवहन के विषय में राज्य सरकारों के भार को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) प्रत्येक राज्य के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया और इसका वितरण किस प्रकार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को क्या मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (छ) प्रधान मंत्री द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना में गरीब परिवारों में एक करोड़ निर्धनतम की पहचान करने और उन्हें 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्न मुहैया करने की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पहचान किए गए अंत्योदय परिवारों की संख्या बताने वाला विवरण संलग्न है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अपने क्षेत्राधिकार में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से अंत्योदय परिवारों की पहचान करने का अनुरोध किया गया है। उन्हें पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों को अंतर्ग्रस्त करके अन्त्योदय परिवारों की सूची को अंतिम रूप देने का परामर्श दिया गया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्रीय गोदामों से राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए खाद्यान्न वास्तव में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभभोगियों को वितरित किए जाते हैं, भारत सरकार ने सुझाव दिया है कि खाद्यान्नों के भविष्य में किए जाने वाले आबंटनों को राज्य सरकरों से प्राप्त होने वाले इस बात के प्रमाण-पत्र के साथ संबद्ध किया जाए कि खाद्यान्नों की आबंटित मात्रा वास्तव में लाभभोगियों को वितरित कर दी गई है। हाल में शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि राज्यों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन उनसे इस बात का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से संबद्ध किया जाएगा कि पहले आबंटित खाद्यान्न अंत्योदय परिवारों तक वास्तव में पहुंच गए हैं।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि सामाजिक लेखापरीक्षा के उपाय के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के, विशेष रूप से उचित दर दुकान के स्तर पर पर्यवेक्षण और मानीटरिंग करने के काम में ग्राम पंचायतों को अधिकाधिक रूप से शामिल किया जाए। आशा है कि अपंचायती राज संस्थाओं को निम्नतम स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में शामिल करने से उक्त प्रणाली पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी और इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के विपथन को रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी।

अंत्योदय परिवारों की अत्यंत निर्धन स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह परामर्श दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि गेहूं के लिए अंतिम खुदरा निर्गम मूल्य 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम रखा जाए। इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाने वाला खर्च बहुत अधिक नहीं होगा। केंद्रीय राजकोष से इस योजना के लिए दी जाने वाली राजसहायता 2300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक होगी।

अंत्योदय अन्न योजना के अधीन लाभभोगियों को खाद्यान्नों का वितरण उचित दर दुकानों के मौजूदा नेटवर्क के माध्यम से किया जाएगा।

विवरण

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पहचान किए गए अंत्योदय परिवारों की संख्या बताने वाला विवरण

(लाख में).

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अंत्योदय परिवारों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6.228
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.151
3.	असम	2.815
4.	बिहार	10.000
5.	छत्तीसगढ़	2.874
6.	दिल्ली	0.626
7.	गोवा	0.073

1	2	3
8.	गुजरात	3.250
9.	हरियाणा	1.209
10.	हिमाचल प्रदेश	0.787
11.	जम्मू और कश्मीर	1.129
12.	झारखंड	3.665
13.	कर्नाटक	4.797
14.	केरल	2.382
15.	मध्य प्रदेश	6.324
16.	महाराष्ट्र	10.017
17.	मणिपुर	0.255
18.	मेघालय	0.281
19.	मिजोरम	0.105
20.	नागालैंड	0.189
21.	उड़ीसा	5.055
22.	पंजाब	0.717
23.	राजस्थान	3.726
24.	सिक्किम	0.067
25.	तमिलनाडु	7.455
26.	त्रिपुरा	0.452
27.	उत्तरांचल	0.763
28.	उत्तर प्रदेश	16.371
29.	पश्चिम बंगाल	7.939
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.043
31.	चंडीगढ़	0.035
32.	दादरा और नगर हवेली	0.028
33.	दमन और दीव	0.006
34.	लक्षद्वीप	0.004
35.	पांडिचेरी	0.128
	जोड़	99.954

[अनुवाद]

थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति

***48. श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान तथा 31 दिसंबर, 2000 की स्थिति के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं की थोक-मूल्य सूचकांक की दर तथा उपभोक्ता-मूल्य सूचकांक का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान होने वाली मुद्रास्फीति की बिन्दु-वार साप्ताहिक दर क्या रही;

(ग) मूल्य-सूचकांक में लगातार वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(घ) पेट्रोल और पेट्रोलियम-उत्पादों पर मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने तथा मुद्रास्फीति-दर को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान थोक मूल्य सूचकांक और औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित 30 अनिवार्य जिंसों के समूह की वार्षिक मुद्रास्फीति दर नीचे सूचीबद्ध है।

	अनिवार्य जिन्सों में वार्षिक मुद्रास्फीति (प्रतिशत) निम्नलिखित पर आधारित	
	थो.मू.सू.	उ.मू.सू. (औ.श्र.)
1	2	3
2000		
जनवरी	2.7	0.0
फरवरी	2.0	0.5
मार्च	5.4	2.8
अप्रैल	8.1	-0.2
मई	7.9	4.5
जून	7.2	4.0
जुलाई	6.5	5.2
अगस्त	4.5	5.0

1	2	3
सितंबर	3.9	2.2
अक्टूबर	5.8	1.9
नवंबर	5.1	3.1
दिसंबर	5.9	

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की बिन्दु-दर-बिन्दु साप्ताहिक दर संलग्न विवरण में सूचीबद्ध है।

(ग) और (घ) नवीनतम उपलब्ध 3 फरवरी, 2001 को सप्ताह की बिन्दु-दर-बिन्दु वार्षिक मुद्रास्फीति दर 8.21 प्रतिशत है। अकेले ईंधन उत्पाद समूह की ही वार्षिक मूल्य वृद्धि 31.7 प्रतिशत है जो मुद्रास्फीति दर का 63 प्रतिशत आंकी गई है। यदि पेट्रोलियम उत्पादों—एल.पी.जी., मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल—के प्रशासित मूल्यों में अक्टूबर, 1999 में और पुन: वर्ष 2000-2001 के दौरान दो बार वृद्धि न होती तो इस समय मुद्रास्फीति दर प्रेक्षित 8.21 प्रतिशत की तुलना में लगभग 3.61 प्रतिशत होती। कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए ऊर्जा उत्पादों के प्रशासित मूल्यों में समायोजन करना नितान्त आवश्यक था।

(ङ) हालांकि कच्चे तेल में विश्वव्यापी मूल्य-वृद्धि को अक्टूबर 1999 से तीन बार पेट्रोलियम उत्पादों के प्रशासित मूल्यों की वृद्धि में अंतरित करना पड़ा जिससे वर्ष 2000-01 के दौरान मुद्रास्फीति दर दुगनी होकर 8 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई थी, फिर भी प्राथमिक और विनिर्मित उत्पादों के मूल्य स्थिर रहने के कारण इनका समग्र मुद्रास्फीति दर पर संतुलनकारी प्रभावी पड़ा।

सरकार ने कारगर आपूर्ति प्रबंध और साथ ही अनिवार्य जिन्सों के मूल्यों और आपूर्ति का बारीकी से अनुवीक्षण करने के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए सम्मिलित उपाय किए हैं। परिणामस्वरूप, दैनिक उपभोग की महत्वपूर्ण मदों जैसे चावल, गेहूं, आटा, खाद्य तेल, नमक और कुछ दलहनों के थोक मूल्य इस समय पिछले वर्ष के मूल्यों से कम होने की सूचना मिली है।

विवरण

थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर (%)

निम्न तिथि को समाप्त सप्ताह	थो.मू.सू.	मुद्रास्फीति (प्रतिशत)
1	2	3
1 जनवरी, 2000	145.8	3.0
8 जनवरी, 2000	145.9	3.6
15 जनवरी, 2000	145.9	3.6
22 जनवरी, 2000	145.9	3.9
29 जनवरी, 2000	146.1	3.6
5 फरवरी, 2000	146.2	3.3
12 फरवरी, 2000	145.9	3.0
19 फरवरी, 2000	146.1	3.3
26 फरवरी, 2000	147.4	4.4
4 मार्च, 2000	148.8	5.0
11 मार्च, 2000	149.1	5.3
18 मार्च, 2000	149.2	5.4
25 मार्च, 2000	150.9	6.5
1 अप्रैल, 2000	151.8	6.8
8 अप्रैल, 2000	151.9	6.8
15 अप्रैल, 2000	151.6	6.5
22 अप्रैल, 2000	151.7	6.3
29 अप्रैल, 2000	151.6	6.0
6 मई, 2000	151.6	6.2
13 मई, 2000	151.7	6.4
20 मई, 2000	152.0	6.4
27 मई, 2000	152.1	6.6
3 जून, 2000	152.2	6.4
10 जून, 2000	152.5	6.4
17 जून, 2000	152.9	6.6
24 जून, 2000	153.0	6.6
1 जुलाई, 2000	153.0	6.5
8 जुलाई, 2000	152.9	6.4
15 जुलाई, 2000	153.0	6.5
22 जुलाई, 2000	153.2	6.6

1	2	3
29 जुलाई, 2000	153.3	6.6
5 अगस्त, 2000	153.4	6.3
12 अगस्त, 2000	153.3	6.3
19 अगस्त, 2000	153.2	5.7
26 अगस्त, 2000	153.7	6.2
2 सितंबर, 2000	154.2	6.1
9 सितंबर, 2000	154.1	6.1
16 सितंबर, 2000	154.2	5.9
23 सितंबर, 2000	154.4	6.3
30 सितंबर, 2000	156.8	7.8
7 अक्तूबर, 2000	157.4	7.4
14 अक्तूबर, 2000	157.8	7.2
21 अक्तूबर, 2000	158.3	7.3
28 अक्तूबर, 2000	158.2	7.3
4 नवंबर, 2000	158.4	7.6
11 नवंबर, 2000	158.1	7.5
18 नवंबर, 2000	158.0	7.5
25 नवंबर, 2000	158.2	7.8
2 दिसंबर, 2000	158.6	8.3
9 दिसंबर, 2000	158.5	8.5
16 दिसंबर, 2000	157.7अ	8.0अ
23 दिसंबर, 2000	157.6अ	8.0अ
30 दिसंबर, 2000	157.7अ	8.2अ
6 जनवरी, 2001	157.8अ	8.2अ
13 जनवरी, 2001	157.8अ	8.2अ
20 जनवरी, 2001	158.0अ	8.3अ
27 जनवरी, 2001	158.1अ	8.2अ
3 फरवरी, 2001	158.2अ	8.2अ

अ—अनुमानित

विनिवेश हेतु निर्धारित लक्ष्य

***49. श्री किरीट सोमैया : क्या विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 31 मार्च, 2001 से पूर्व, विनिवेश हेतु रखे गए 10,000 करोड़ रु. के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी;

(ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) सरकार ने 'विदेश संचार निगम लिमिटेड', 'एयर इंडिया' और 'इंडियन एयर लाइंस' से विनिवेश के लिए क्या-क्या रियायतें दी हैं;

(घ) क्या सरकार का इस प्रक्रिया में कर्मचारियों और निवेशकों को भी सम्मिलित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 2001-2002 में कितने विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। विनिवेश निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। किसी कंपनी में विनिवेश का समय, बाजार की परिस्थितियों, कंपनी के वित्तीय कार्य निष्पादन, निवेशकों/क्रेताओं द्वारा दिखाई गई अभिरुचि, सरकार द्वारा बिक्री की शर्तों को अंतिम रूप दिएं जाने, व्यवसायिक सलाहकार द्वारा सरकार को दी गई सलाह इत्यादि सहित अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

(ग) बोलीदाताओं से बेहतर अभिरुचि आमंत्रित करने और पेश की गई साझीदारी के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए सरकार यहां तक कि विनिवेश के बाद भी सीमित समय के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आदेश प्राप्त करने के लिए अधिमानता को जारी रखने जैसे कतिपय लाभ प्रदान करने पर विचार करती है। ऐसी शर्तों को जिन पर सरकार द्वारा विनिवेश किया जाता है, शेयर खरीद करार और शेयर धारक करार में समाविष्ट किया जाता है। सरकार ने एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइंस और विदेश संचार निगम लिमिटेड के विनिवेश के मामले में इन करारों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(घ) और (ङ) विदेश संचार निगम लिमिटेड के 1.97 प्रतिशत शेयरों और एयर इंडिया के 10 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश इनके कर्मचारियों के पक्ष में करने का निर्णय लिया गया है। इंडियन एयर

लाइंस के 25 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश स्वदेशी वित्तीय संस्थानों, कर्मचारियों और अन्य निवेशकों के पक्ष में करने का निर्णय भी लिया गया है।

(च) वर्ष 2001-2002 के लिए विनिवेश के कोई लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

भूकंप के कारण क्षति

***50 श्री बाबूभाई के. कटारा :**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के विभिन्न भागों में हाल में आए भूकंप के कारण क्षेत्रवार किन-किन उद्योगों और परियोजनाओं को क्षति पहुंची है;

(ख) इन उद्योगों तथा परियोजनाओं में, अलग-अलग, अनुमानित रूप से कितने रुपये का नुकसान हुआ है;

(ग) इन उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ये उद्योग/परियोजनाएं कब तक काम करना शुरू कर देंगे;

(घ) इन्हें पुनरुज्जीवित करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) केंद्र सरकार, वित्तीय संस्थाओं तथा विदेशों द्वारा, पृथक-पृथक रूप से, इस प्रयोजनार्थ इन उद्योगों/परियोजनाओं को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है/उपलब्ध कराए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) महोदय, गुजरात के विभिन्न भागों में हाल ही में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हुए उद्योगों और परियोजनाओं से संबंधित नामों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर गुजरात में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को लगभग 5,000 करोड़ रुपये की राशि नुकसान होने का अनुमान है। भूकंप के कारण नमक उद्योग में 166 करोड़ रुपये की राशि नुकसान होने का अनुमान है। नमक विनिर्माताओं को अनुग्रह भुगतान के रूप में 3 करोड़ रुपये की राशि की राहत देने का प्रस्ताव है। भारत सरकार ने गुजरात को 500 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। अब तक 51 देशों और 3 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से नकद सहायता के रूप में 115 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। पुनर्वास पैकेजों के कार्यान्वयन के लिए गुजरात के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में गुजरात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना में छूट देने का प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से 85 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। केंद्रीय करों में हिस्से की तदर्थ सिपुर्दगी (रिलीज) के रूप में 500 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और प्रधान मंत्री राहत कोष से 10 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। भारत सरकार के लिए सहायता के रूप में विश्व बैंक ने 300 मिलियन अमरीकी डालर की राशि की और एशियाई विकास बैंक ने 350 मिलियन अमरीकी डालर की राशि की घोषणा की है। सी.आई.आई., फिक्की और एसोचैम ने राहत और पुनर्निर्माण के लिए गांवों के समूहों को गोद लेने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नियमों में ढील देना

***51. श्री सुरेश रामराव जाधव :**
डा. जसवंत सिंह यादव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नियमों में ढील देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नियमों में ढील की अनुमति देने के विषय में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में और सुधार लाए जाने हेतु तथा एक निवेश लक्ष्य के रूप में भारत के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से निरंतर रूप में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की समीक्षा की जाती है।

(ग) से (ङ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति का उदारीकरण किए जाना एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में है, जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किए जाने हेतु क्षेत्र-विशिष्ट की आवश्यकताओं के आधार पर समय-समय पर सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श किए जाने की प्रक्रिया अंतर्ग्रस्त है।

राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति

***52. श्रीमती श्यामा सिंह :**
डा. (श्रीमती) सुधा यादव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य भंडारण का विकेन्द्रीकरण करने के उपायों के एक भाग के रूप में, एक व्यापक राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति तैयार करने तथा उच्च तकनीक युक्त गोदाम स्थापित करने हेतु निजी क्षेत्र से निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य सुरक्षा और रक्षित भंडार के समस्त प्रकरण की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इनमें से कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और लागू कर दिया गया है; और

(च) कितनी प्राइवेट पार्टियों ने सरकार की पहल के प्रति रुचि प्रदर्शित की है तथा इनका ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (च) कृषि लागत और मूल्य आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रो. अभिजीत सैन की अध्यक्षता में देश के लिए दीर्घकालिक अनाज नीति तैयार करने हेतु दिनांक 16-11-2000 को एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। उच्च स्तरीय समिति के संदर्भाधीन विषयों में न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य समर्थन प्रचालन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यकरण, बफर स्टाक संबंधी नीति, खुले बाजार में हस्तक्षेप और निर्यात/आयात, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए खाद्यान्नों का आबंटन तथा भारतीय खाद्य निगम से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। उच्च स्तरीय समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

भारत सरकार ने 4 जुलाई, 2000 को खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति पहले ही अधिसूचित कर दी है ताकि भंडारण और मार्गस्थ हानियां कम की जा सकें और भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों के लिए बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई लागू की जा सके। इस नीति में घरेलू और विदेशों के सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के प्रयासों और संसाधनों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। इस नीति के अधीन समन्वित बल्क हैंडलिंग और भंडारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए स्थानों की पहचान करने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके बाद इच्छुक पार्टियों से बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा शुल्क का अपवंचन

***53. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा शुल्क का अपवंचन किए जाने के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन कम्पनियों द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम का उल्लंघन करने और सीमा शुल्क का अपवंचन किए जाने के बारे में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इन कंपनियों तथा उनके विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से विशिष्ट उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) वित्तीय वर्ष 1999-2000 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कथित रूप से शुल्क अपवंचन के मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है—

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सीमा शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या		केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सीमा शुल्क की अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपयों में)	
1999-2000	97	26	10137.04	11412.00

(ख) और (ग) जी, हां। जिन मामलों में वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम के उपबन्ध के कथित उल्लंघन और सीमा शुल्क अपवंचन के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ जांच की गई है और न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार ने सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन की रोकथाम करने और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बहुत से उपाय किए हैं—किए गए कतिपय विशिष्ट उपायों में न्यून मूल्यांकन की जांच करना, डी.ई.ई.सी., डी.ई.पी.बी., 100% ई.ओ.यू. आदि जैसी निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के दुरुपयोग को रोकना, उत्पादन और निकासियों की आकस्मिक जांच करना, मार्ग में जांच करना, सेनवैट जांच करना और संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विनिर्माण इकाइयों की गहन लेखा परीक्षा करना शामिल है। राजस्व आसूचना निदेशालय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय सहित क्षेत्रीय कार्यालय वाणिज्यिक धोखाधड़ियां और शुल्क अपवंचन की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1999-2000

बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम	अपराध की प्रकृति	स्थिति
1	2	3
1. उषा मार्टिन टेलिकॉम लि.	सीमाशुल्क अधिसूचना का गलत अर्थान्वियन करके शुल्क के लाभ को गलत तरीके से प्राप्त करना।	1.39 करोड़ रुपये की राशि सी गैट में लंबित है।
2. सिडको फोरेक्स	210.83 करोड़ रुपये मूल्य की 'ट्राइडेंट-II' नामक एक ड्रिलिंग रिंग का बगैर सीमा शुल्क का भुगतान किए तथा बगैर सीमा शुल्क औपचारिकताओं के आयात।	सी गैट ने दिनांक 2 फरवरी 2001 के आदेश द्वारा आयुक्त के आदेश में संशोधन किया है तथा अर्थदंड की राशि को 15 करोड़ से कम करके 25 लाख रुपये तथा दंड की राशि को 5 करोड़ रुपये से कम करके 5 लाख रुपये कर दिया है।
3. सीमेंस लिमिटेड	पुन:निर्यात की वस्तुओं के बारे में गलत घोषणा/431,000 रुपये शुल्क की राशि अंतर्ग्रस्त।	इन वस्तुओं का प्रतिअदायगी दावे के अधीन निर्यात किया जा रहा था। चूंकि ऐसा लगा कि इनके बारे में गलत घोषणा की गई थी अत: इन्हें जब्त कर लिया गया था तथा इन पर 50,000 रुपये मोचन दंड, 10,000 रुपये पी पी लगाया गया था।
4. ए एन पी मेनुफैक्चरिंग बी वी	आयातक ने दिनांक 1.3.2000 की सीमा शुल्क छूट अधिसूचना 16/2000 के लाभ का दावा करते हुए वस्तुओं के बारे में गलत घोषणा की।	1.19 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का न्यायनिर्णयन किया गया था तथा 29.75 लाख रुपये के अतिरिक्त शुल्क की वसूली की गई थी। कोई आर.एफ./पी.पी. नहीं लगाया गया था।
5. मैसर्स मोटोरोला लिमिटेड, 88, इलेक्ट्रानिक सिटी होसूर रोड, बंगलौर-561229	कंपनी ने 70,000 पेजरों के निर्यात के लिए डीईईसी योजना के अधीन लाइसेंस संख्या 07071273 को प्राप्त किया था। उक्त लाइसेंस के प्रति 75 लाख रुपये मूल्य की शुल्क मुक्त वस्तुओं का निर्माण किया गया था जिसमें 40 लाख रुपये मूल्य शुल्क की राशि अंतर्ग्रस्त थी। लेकिन कंपनी ने निर्यात दायित्व को पूरा नहीं किया।	कंपनी के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। कंपनी ने सीमा शुल्क तथा ब्याज के लिए 57.25 लाख रुपये जमा कर दिए हैं। सीमा शुल्क आयुक्त, बंगलौर द्वारा दिनांक 9.6.2000 को इस मामले का न्यायनिर्णयन किया गया था। 3.50 लाख रुपये मोचन दंड तथा 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया था।
6. मैसर्स सीमेंस पब्लिक कम्यूनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड	257.06 लाख रुपये के शुल्क का अपवंचन किया।	मामले का न्यायनिर्णयन किया गया तथा वस्तुओं अर्थात् सी डी रोम को जब्त किया गया था। 3 करोड़ रुपये के अर्थदंड तथा सीमा शुल्क का भुगतान करने पर वस्तुओं को जहाज से वापस भेजने के विकल्प सहित 5 करोड़ रुपये का मोचन अर्थदंड लगाया गया था।
7. मैसर्स एरिकसन सर्विसिज कम्यूनिकेशन लिमिटेड	दूरसंचार साफ्टवेयर का आयात करके 461.00 लाख रुपये के सीमा शुल्क का अपवंचन।	पार्टी से अब तक 4.8 करोड़ रुपये शुल्क के अपवंचन ब्याज की राशि के रूप में वसूल किए गए हैं। पार्टी द्वारा किए अपवंचित शुल्क की मांग करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

1	2	3
8. सुम्बर्गर एशिया सर्विस	72.00 लाख रुपये के शुल्क का अपवंचन किया गया।	कारण बातओ नोटिस जारी किया गया। चेन्नई में आयातों के लिए सीमाशुल्क आयुक्त ने 9.11 लाख रुपये शुल्क और 1 लाख रुपये अर्थदंड के लिए मांग जारी की। मुंबई में आयातों के लिए न्याय निर्णयन कार्यवाही लंबित है।
9. एमिएट्स ट्रेडिंग एजेंसी	160.00 लाख रुपये के शुल्क का अपवंचन किया गया।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा मामला न्याय निर्णयाधीन है।
10. मैसर्स सी ग्राम मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड	आयातित वस्तुओं के मूल्य की गलत घोषणा करके रुपये के सीमा शुल्क का अपवंचन किया गया।	अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना महानिदेशालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
11. मैसर्स एल पी इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लिमिटेड, नोएडा (उ.प्र.)	355 लाख रुपये शुल्क का अपवंचन किया गया। मैसर्स सुंदरम् एक्सप्रेस से हस्तांतरणीय डी ई पी बी लाइसेंस को खरीदा तथा शुल्क मुक्त आयात हेतु उनका प्रयोग किया। मैसर्स सुंदरम् एक्सपोर्ट्स ने सी डी रोम के निर्यात के लिए सकल मूल्यांकन द्वारा यह लाइसेंस प्राप्त किया था।	अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना महानिदेशालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
12. मैसर्स सोनी इंडिया लिमिटेड, हरियाणा	मैसर्स नेटकांपवेयर प्रा. लि. से हस्तांतरणीय डी ई पी बी लाइसेंसों को खरीदा गया और शुल्क मुक्त आयातों के लिए इनका प्रयोग किया गया। मैसर्स साइबर एक्सप्रेस ने सी डी रोम के निर्यात के लिए पूरी तरह अधिक मूल्यांकन द्वारा यह लाइसेंस प्राप्त किया था।	42 लाख रुपये शुल्क का अपवंचन किया गया। अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली खाद्य सामग्री की सामाजिक संवीक्षा

***54. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई खाद्य सामग्री के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र मांगने तथा सामाजिक संवीक्षा कराने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें, केन्द सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खाद्य सामग्री की सामाजिक संवीक्षा कराने से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली खाद्य सामग्री के अन्यत्र उपयोग करने को कहां तक रोका जा सकेगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केन्द्रीय गोदामों से राज्य सरकार द्वारा उठाए गए खाद्यान्न वास्तव में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लाभभोगियों को वितरित किए जाते हैं, भारत सरकार ने सुझाव दिया है कि खाद्यान्नों के भविष्य में किए जाने वाले आबंटनों को राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले इस बात के प्रमाण-पत्र के साथ संबद्ध किया जाए कि खाद्यान्नों की आबंटित मात्रा वास्तव में लाभभोगियों को वितरित कर दी गई है। हाल में शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि राज्यों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन उनसे इस बात का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से संबद्ध किया जाएगा कि पहले आबंटित खाद्यान्न अंत्योदय परिवारों तक वास्तव में पहुंच गए हैं। सिद्धांततः राज्य इस सुझाव से सहमत हैं

और उन्होंने उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 3-4 माह का समय देने के लिए कहा है।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि सामाजिक लेखापरीक्षा के उपाय के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के, विशेष रूप से उचित दर दुकान के स्तर पर पर्यवेक्षण और मानीटरिंग करने के काम में ग्राम पंचायतों को अधिकाधिक रूप से शामिल किया जाए। आशा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निम्नतम स्तर पर इसके क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने से उक्त प्रणाली पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी और इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के विपथन को रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी।

चीन निर्मित माल की भरमार

*55. **श्री के. येरननायडू :**
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :

क्या **वाणिजय और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन निर्मित वस्तुओं तथा माल की भरमार के कारण किन किन घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) इन उद्योगों का व्यापार कहां तक प्रभावित हुआ है;

(ग) क्या पाटन रोध तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा चीन के विरुद्ध मामलों की जांच पूरी कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो पाटन-रोध तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वैध/अवैध तरीके से चीन निर्मित सामग्री की भरमार किए जाने के मामले पर नेशनल पीपुल कांग्रेस ऑफ चाइना के अध्यक्ष श्री ली. फेंग के साथ, उनकी भारत यात्रा के दौरान चर्चा की गई थी;

(च) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(छ) इस पर चीनी शिष्टमंडल की क्या प्रतिक्रिया थी; और

(ज) चीनी सामान की आवक को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) चीन से आयातों द्वारा प्रभावित होने के बारे में शिकायत के रूप में ड्राई बैटरीज, स्पोर्टस शूज और खिलौनों जैसे कुछेक उद्योगों से हाल ही में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चीन के आयातों से उनके व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं है।

कंपनियां यदि चाहें तो सामानों के किसी पाटन के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय में पूर्ण दस्तावेजी याचिका दायर कर सकती हैं। वित्तीय वर्ष 2000-01 में चीनी कंपनियों के खिलाफ निर्दिष्ट पाटनरोधी प्राधिकारी द्वारा 13 याचिकाएं प्राप्त की गई हैं। ऐसे सभी मामलों में कार्रवाई शुरू की गई है, पांच मामलों में प्रारंभिक शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है और तीन मामलों में अनंतिम शुल्क लगाया गया है। शेष दो मामलों के बारे में अनंतिम शुल्क लगाया जाना प्रतीक्षित है। अन्य आठ मामलों में कार्रवाई प्रगति पर है। इसके अलावा निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन से ड्राई बैटरी, स्पोर्ट्स शूज और खिलौनों के तीन मामलों में दिनांक 20.11.2000 को अपनी ओर से कार्रवाई शुरू की थी। तीन मामलों में से दो मामलों अर्थात ड्राई बैटरी और स्पोर्टस शूज के मामले में प्राथमिक शुल्क लगाया गया है। खिलौनों के मामले में घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति के बारे में कोई साक्ष्य न होने की स्थिति में तीसरे मामले में कार्रवाई बंद कर दी गई थी।

(ग), (घ) और (ज) पाटनरोधी जांचों के अलावा पैक की गई सभी वस्तुओं के आयातों को घरेलू उत्पादकों पर यथा लागू मानक माप एवं तौल (पैक की गई वस्तु) आदेश 1977 के सभी शर्तों के अनुपालन के अधीन रखा गया है। 131 उत्पादों के आयातों को घरेलू सामानों पर यथा लागू अनिवार्य भारतीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अधीन रखा गया है। इस अपेक्षा के अनुपालन के लिए भारत के इन उत्पादों के सभी विनिर्माताओं/निर्यातकों को भारतीय मानक ब्यूरो में स्वयं को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। उन मामलों में सुरक्षोपाय शुल्क भी लगाया जा सकता है जिन मामलों में देश में सामानों के आयात में वृद्धि हुई है।

(ङ) से (छ) चीनी सामानों के पाटन के मुद्दे को श्री लीपेंग द्वारा नहीं उठाया गया था अथवा भारत की उनकी यात्रा के दौरान इस पर उनके साथ चर्चा नहीं की गई थी।

मानव उपभोग के अनुपयुक्त
खाद्यान्न की भरमार

*56. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :**
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न के विशाल भंडार सरकारी भांडागारों और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़े-पड़े सड़ रहे हैं और अब मानव उपभोग योग्य नहीं रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 31.12.1999, 31.12.2000 तथा आज की स्थिति के अनुसार ऐसा खाद्यान्न कितनी मात्रा में है तथा ऐसा होने के क्या कारण हैं;

(ग) इस घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए शुरू किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भंडारण समस्या से बचने के लिए सरकार ने मानव उपभोग के अनुपयुक्त खाद्यान्न को समुद्र में फेंकने का निर्णय किया है;

(ङ) क्या अनुपयोगी खाद्यान्न के उपभोग योगय होने के संबंध में फिर से कोई आकलन किया गया है;

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(छ) इस प्रकार के खराब रख-रखाव के लिए कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं; और

(ज) उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के पास रखा खाद्यान्नों का स्टाक दो श्रेणियों अर्थात् जारी करने योग्य और जारी न करने योग्य स्टाक में विभाजित किया जाता है। जारी करने योग्य स्टाक मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होता है जबकि जारी न करने योगय स्टाक मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होता है। 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास कुल 257.69 लाख टन स्टाक उपलब्ध है जिसमें से 1.59 लाख टन खाद्यान्न जारी न करने योग्य था। 31.12.1999 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 1.62 लाख टन जारी न करने योग्य खाद्यान्न थे।

(ग) भारतीय खाद्य निगम वैज्ञानिक विधि से खाद्यान्नों का भंडारण करता है। इनकी गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए विभिन्न रोगनिरोधी और रोगहर उपचार किए जाते हैं।

(घ) जारी न करने योग्य स्टाक को फीड-I, फीड-II, फीड-III औद्योगिक उपयोग, खाद और नष्ट करने की श्रेणी में रखे जाते हैं। इन स्टाकों का निपटान करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। नष्ट किए जाने वाले स्टाक की पेशकश पहले राज्य सरकारों को की जाती है और यदि 10 दिन के अंदर उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो इन्हें इस प्रयोजनार्थ नियुक्त समिति के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के खर्च पर भारतीय खाद्य निगम के अहाते में या नगरपालिका की सीमा के बाहर नष्ट किया जाता है।

(ङ) और (च) जो खाद्यान्न खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप नहीं होते हैं और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होते हैं वे उच्च श्रेणीकरण करने योग्य नहीं होते हैं इसलिए उनका फिर से मूल्यांकन नहीं किया जाता।

(छ) और (ज) जब भी यह पाया जाता है कि स्टाक, कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही से क्षतिग्रस्त हुआ था तो ऐसी स्थिति में भारतीय खाद्य निगम के नियमों और विनियमों के अनुसार संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को पुनरुज्जीवित करने में विफल रहना

***57. श्री वाई.वी. राव**
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एच.ई.सी.) को पुनरुज्जीवित करने में विफल रहने के बारे में जांच करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या इस निगम को पुनरुज्जीवित करने के लिए किन्हीं नए प्रस्तावों की पेशकश की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भूकम्प के कारण दूरदर्शन और रेडियो ट्रांसमीटरों को क्षति

***58. श्री दिन्शा पटेल :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में नष्ट हुए टेलीविजन और रेडियो ट्रांसमीटरों और उन्हें पहुंची क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी मरम्मत कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार का भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन केन्द्रों को पुन: चालू करने के लिए किन-किन देशों ने आर्थिक और अन्य प्रकार की तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) दूरदर्शन ने सूचित किया है कि गुजरात में इसके सभी ट्रांसमीटर सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। रापड स्थिति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर भवन को बडे पैमाने पर क्षति पहुंची है इसलिए ट्रांसमीटर को एक पोर्टा केबिन से प्रचालित किया जा रहा है। आकाशवाणी ने भी गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में अपने ट्रांसमीटरों के क्षतिग्रस्त न होने की सूचना दी है और वे सभी सामान्य रूप से कार्य कर रहे है। अधिकांश आकाशवाणी/दूरदर्शन भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां कहीं भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भूकम्प-सह ढांचे द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया गया है।

(ङ) प्रसार भारती को इस उद्देश्य हेतु किसी देश से कोई आर्थिक सहायता अथवा राहत सामग्री प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त आकाशवाणी/दूरदर्शन स्थापनाएं

क्र.सं.	केन्द्र	विवरण
(क)	**आकाशवाणी केन्द्र**	
1.	भुज	आकाशवाणी भुज में स्टूडियो बिल्डिंग, कार्यालय बिल्डिंग, ओवरहैड टैंकों तथा कर्मचारी आवासों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। स्टूडियो में मशीन ब्लॉक, ओवरहैड पानी के टैंक और कुछ कर्मचारी आवासों के ढांचे को गिराने/पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। ट्रांसमीटर बिल्डिंग को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है लेकिन ए टी यू हट और गाइ मास्ट के आसपास के परिसर के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। अन्य भवनों में भी कुछ मरम्मत की जरूरत है।
2.	अहमदाबाद	अहमदाबाद स्थित भवनों में कई दरारें पड़ गई हैं और इनकी मरम्मत की जरूरत है।
3.	राजकोट	सभी भवनों में कई दरारें पड़ गई हैं और इनकी बड़े पैमाने पर मरम्मत की जरूरत है।
4.	सूरत	कर्मचारी आवासों में कई दरारें पड़ गई हैं और इनकी मरम्मत की जरूरत है।
(ख)	**दूरदर्शन केन्द्र**	
(1)	**स्टूडियो केन्द्र**	
1.	दूरदर्शन केन्द्र अहमदाबाद	स्टूडियो और कार्यालय ब्लॉक, सुरक्षा तार-बाढ़, कर्मचारी आवास (सं. 70)
2.	दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट	स्टूडियो/ट्रांसमीटर तथा कार्यालय ब्लॉक और कर्मचारी आवास (सं. 68)
(2)	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**	
1.	उ.श.ट्रा. भुज	ट्रांसमीटर भवन, शहर में स्थित कार्यालय, सुरक्षा तार-बाढ़, संपर्क मार्ग, कर्मचारी आवास (सं. 13) और सुरक्षा गार्डों के दो आवास।
2.	उ.श.ट्रा. द्वारका	ट्रांसमीटर भवन और कर्मचारियों के 12 आवास।
(3)	उ.श.ट्रा.	लिम्बड़ी, थराड, अमरेली, बोताड, दियु, धारी, राजुला, महुवा, भावनगर, उना, पलिटाना, मंगरोल, राजपिपल, धरमपुर, दानली, वलसाड, बंटवा, जामनगर, मोरबी, सुरेन्दर नगर, धरंगधारा, जमजोधपुर, मंगरोल, रायर और खम्बालिया।
(4)	डी एम सी	राजकोट

प्राकृतिक आपदा के लिए बीमा-योजना

*59. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री शिवाजी माने :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपदा-पश्चात् राहत और पुनर्निर्माण की लागत वहन करने के लिए सरकार का, अमरीका और जापान द्वारा जारी किए गए राहत बांड की भांति, एक व्यापक बीमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के कब तक प्रभावी बनाए जाने की संभावना है; और

(घ) प्राकृतिक आपदा-पश्चात् राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धनराशि जुटाने के लिए अन्य और कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्राकृतिक आपदा राहत और पुनर्निर्माण कार्यों पर खर्च करने के लिए निधियां जुटाने हेतु किए गए उपायों में भारतीय रिजर्व बैंक की ओवर ड्राफ्ट रेग्यूलेशन स्कीम में ढील देना, 'खाते पर' निधियों को, इसके राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से सहायता में औपचारिक रूपांतरण होने तक, जारी करना, वाणिज्यिक बैंकों से ऋणों को पुन: सूचीबद्ध किया जाना, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रियायती दरों पर व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत करना, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय निधिकरण करने वाली एजेंसियों से सहायता मुहैया कराना आदि शामिल है।

खाद्य तेलों की भरमार

*60. **श्री गंता श्रीनिवास राव :**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों द्वारा भारत में विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों की भरमार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों, विशेषत: मलेशिया और इंडोनेशिया के द्वारा कई तरह के खाद्य तेलों की भरमार किए जाने से घरेलू खाद्य तेल उद्योग भारी संकट का सामना कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो देश के घरेलू खाद्य तेल उद्योग की सहायता के लिए सरकार का कौन से सुधारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, हाल ही में देश में सभी खाद्य तेलों के आयातों की मात्रा में कुछ वृद्धि हुई है। पूरे वर्ष 1999-2000 के दौरान लगभग 42 लाख टन के कुल आयात की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर 2000 के बीच आयातों की मात्रा लगभग 29 लाख टन थी। तथापि, देश में तिलहन का उत्पादन लगभग 21 से 25 मिलियन टन पर स्थिर रहा है। अप्रैल-नवंबर 2000 के दौरान सामान्य रूप से तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में एक तेजी से गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई थी।

बढ़े हुए आयात अपने आप में पाटन का साक्ष्य तब तक नहीं है जब तक कि विदेशी वस्तुओं का पाटन घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और इनके बीच कारणात्मक संबंध प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं हो जाते। पाटनरोधी एवं संबंध शुल्क महानिदेशक यदि सीमा शुल्क समाहर्ता अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना पर इस आशय से संतुष्ट होता है कि विदेशी वस्तुओं के पाटन घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति तथा इन दोनों के बीच कारणात्मक संबंध से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है तो वह इसकी जांच करता है। खाद्य तेलों के आयात के मामले में घरेलू उद्योग की ओर से किसी पाटन अथवा घरेलू उत्पादकों को हुई क्षति दर्शाते हुए कोई विशेष सूचना अथवा पूर्णतया प्रलेखित याचिका प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए आज तक कोई जांच आरंभ नहीं हुई है।

(ग) घरूले उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं—

(i) खाद्य श्रेणी के खाद्य तेलों पर उर्ध्वगामी समीक्षित शुल्क दर ढांचा 21.11.2000 से शुल्क की दरों में परिवर्तन किए गए हैं। इनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

क्र.सं.	मद	अपरिष्कृत		परिष्कृत	
		21.11.2000 से पूर्व शुल्क की दरें कुल शुल्क	21.11.2000 के पश्चात् शुल्क की दरें कुल शुल्क	21.11.2000 से पूर्व शुल्क की दरें कुल शुल्क	21.11.2000 के पश्चात् शुल्क की दरें कुल शुल्क
1	2	3	4	5	6
1.	सोयाबीन तेल	27.5%	35%	44.04%	50.8%

1	2	3	4	5	6
2.	पामआयल (वनस्पति के विनिर्माण हेतु)	16.5%	25%	—	—
3.	पामआयल (वनस्पति से इतर विनिर्माण हेतु)	50.8%	55%	50.8%	71.6%
4.	आर बी डी पामोलीन	—	—	44.04%	71.6%
5.	मूंगफली का तेल	27.5%	35%	44.04%	50.8%
6.	सूरजमुखी/कुसुम	27.5%	35%	44.04%	50.8%
7.	नारियल तेल	50.8%	45%	50.8%	50.8%
8.	रेपसीड तेल	27.5%	35%	44.04%	50.8%
9.	वन्य कपिशाक अथवा सरसों का तेल	27.5%	35%	44.04%	50.08%
10.	अन्य तेल	27.5%	35%	50.8%	50.8%

(ii) वास्तविक उपभोक्ता की शर्त बगैर इरादतन इस्तेमाल के लिए खाद्य तेलों के विपणन को न्यूनतम करने के लिए बनाई गई है और इसलिए आयात को विनियमित करती है।

(iii) तिलहन और खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों को तेज करने की दृष्टि से वनस्पति के विनिर्माण में घरेलू तेल के कुल उत्पादन में कम से कम 25 प्रतिशत मासिक आधार पर इस्तेमाल करना अनिवार्य बना दिया गया है। इन उपायों से खाद्य तेलों के अबाधित आयात को प्रभावशाली ढंग से विनियमित करने में मदद मिलनी चाहिए।

[हिन्दी]

आर.आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत गोदामों का निर्माण

410. श्री राजो सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने राज्य में आर.आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत गोदामों के निर्माण हेतु नाबार्ड को कोई प्रस्ताव सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो नाबार्ड ने किन स्थानों पर गोदामों के निर्माण हेतु मंज़ूरी दी है;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान इस उद्देश्य के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) बिहार के बाकी स्थानों में गोदामों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि बिहार सरकार ने राज्य के विभाजित होने से पहले ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर आई डी एफ) से ऋण सहायता लेकर 1500 गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चूंकि राज्य सरकार ने परियोजना के ब्यौरे/अतिरिक्त सूचना आदि नहीं भेजी थी, अत: नाबार्ड इस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं कर सका। जिन 27 जिलों में गोदामों को निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है, वे बिहार एवं झारखंड दोनों राज्यों के अंतर्गत आते हैं। ये हैं—बिहार में गोपालगंज, सिवान, छपरा, सीतामढ़ी, मधुबनी, खगड़िया, शिवहर, गया, रोहतास, कैमूर, भोजपुर एवं बक्सर तथा झारखंड में बोकारो, दुम्का, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज, पाकुर, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, चतरा, लोहारदग्गा, रांची, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम।

(घ) नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने के बाद ही इन मामलों पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

24 घंटे का उड़िया चैनल

411. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर 24 घंटे उड़िया कार्यक्रम प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह मुक्त प्रसारण होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) **और** (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन केन्द्र भुवनेश्वर से क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवा पर 24 घंटे का उड़िया कार्यक्रम चैनल शुरू करने हेतु रूपात्मकताएं तैयार की जा रही हैं।

(ग) प्रस्तावित चैनल उपग्रह पद्धति में होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में बैंक

412. **श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विशेषकर भूकंप के बाद विभिन्न बैंकों की कई शाखाएं अपना रोज का काम नहीं कर पा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों में कामकाज सामान्य करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) गुजरात राज्य के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक देना बैंक ने सूचित किया है कि गुजरात राज्य में कार्यरत कुल 4945 बैंक शाखाओं में से भूकम्प के कारण 68 शाखाएं पूरी तरह से तहस-नहस हो गई हैं तथा 80 शाखाओं को आंशिक रूप से क्षति हुई है। तथापि, इन सभी 4945 शाखाओं ने अब कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

[हिन्दी]

करेंसी नोट

413. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जाली नोटों के परिचालन पर रोक लगाने के उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वर्तमान में सरकारी मुद्रणालयों की छपाई क्षमता क्या है और वर्तमान में अलग-अलग मूल्य वर्ग के किन नोटों की छपाई की जा रही है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष कितनी संख्या और कितने मूल्य के फटे-पुराने नोटों की बदली की जाती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जाली करेंसी नोटों के प्रचालन पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सभी सरकारी नोट प्रिंटिंग मुद्रणालयों की संयुक्त वार्षिक नोट मुद्रण क्षमता 5900 मिलि. अदद है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रणाधीन दो अन्य मुद्रणालयों में से प्रत्येक की मुद्रण क्षमता 4770 मिलि. अदद प्रतिवर्ष है। 10 रु., 20 रु., 50 रु., 100 रु., 500 रु. और 1000 रु. के मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई की जा रही है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मूल्यवर्गों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बदले गए कटे-फटे करेंसी नोटों की संख्या निम्नानुसार है—

(लाख अदद में)

1997-98	1998-99	1999-2000
1889	1439	1581

मूल्य के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

विवरण

जालसाजी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

वित्त मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम :

(क) विगत में जब्त किए गए नकली नोटों की जांच करने के लिए महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की संयोजकता में एक छह सदस्यीय तथ्य अन्वेपण समिति जिसमें नोट मुद्रण, करेंसी कागज आदि से संबंधित विशेषज्ञ शामिल होंगे, का गठन किया गया है ताकि सरकार मुद्रण और प्रतिभूति की विशिष्टताओं के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई कर सके।

(ख) विगत में सूचित किए गए नकली करेंसी नोटों के परिचालन द्वारा हुई समस्या की समग्र रूप में जांच करने के लिए नोटों की छपाई के क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन संयुक्त सचिव (सी. एंड सी.) की अध्यक्षता में किया गया है। समिति में गृह मंत्रालय, एन. एस.सी.एस, भारतीय रिजर्व बैंक तथा छपाई मुद्रणालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) सी.पी.सी. में बैंक नोट प्रेस, देवास, करेंसी नोट प्रेस, नासिक और राज्य न्यायिक प्रयोगशालाओं के अधिकारियों को संदिग्ध नकली करेंसी नोटों का पता लगाने के लिए 'विशेषज्ञों' के रूप में शामिल करने के लिए इसके संशोधन का प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह दी गई है कि असली नोटों में शामिल प्रतिभूति विशिष्टताओं के बारे में प्रचार अभियान चलाए।

(ङ) सीमाओं पर तैनात सीमा-शुल्क अधिकारियों को नकली नोटों का पता लगाने में सक्षम बनाने हेतु उनको प्रशिक्षण देने का एक प्रस्ताव गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम :

(क) नकली नोटों का पता लगाने में लोगों की मदद करने के लिए 500 रुपये के मूल्यवर्ग के नोटों की प्रतिभूति विशिष्टताओं का समाचार-पत्रों में व्यापक प्रचार किया गया है।

(ख) 500 रुपये के मूल्यवर्ग की प्रतिभूति विशिष्टताओं पर अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार की गई एक फिल्म दूरदर्शन पर दिखाई गई है।

(ग) जनहित के लिए एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ असली नोटों की विशिष्टताओं का वर्णन किया गया है। इस पुस्तिका को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में बिक्री हेतु जनता को उपलब्ध कराने के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट में रखा गया है।

1000 रुपये मूल्यवर्ग के नोट और उन्नत प्रतिभूति विशिष्टताओं सहित नए डिजाइन वाले 500 रु. मूल्यवर्ग के नोटों की शुरूआत की गई है।

गृह मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय

(क) सी.बी.आई. ने जाली करेंसी नोटों के मामलों की विशिष्ट जांच करने के लिए एक विशेष यूनिट बनाई है।

(ख) बी.एस.एफ. ने सीमा पार से नोटों की तस्करी को रोकने में अधिक सतर्क रहने के लिए अपने अग्रिम सैन्यदलों को संकेत कर दिया है।

(ग) सभी राज्य सरकारों विशेषकर, सीमावर्ती राज्यों को अधिक सतर्क रहने के लिए अनुदेश भी जारी किए गए हैं।

(घ) राज्य सरकारों को जाली नोटों की बरामदी/जब्ती के संबंध में एन.सी.आर.बी. को नियमित रूप से जानकारी उपलब्ध कराने के अनुदेश दिए गए हैं ताकि एन.सी.आर.बी. इस क्षेत्र में कार्य कर रहे अपराधियों/गिरोहों के संबंध में उनकी कार्य प्रणाली सहित डाटा बैंक तैयार कर सके।

[अनुवाद]

मारुति उद्योग लिमिटेड में विनिवेश

414. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड (एमयूएल) में विनिवेश किए जाने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) एमयूएल में सरकार की कितनी भागीदारी का विनिवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यह विनिवेश कब तक किए जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) सरकार ने इस चरण पर सरकार के लिए परित्याग विकल्प के साथ जो भारतीय वित्तीय संस्थानों के पक्ष में हो सकते हैं, उपयुक्त आधार पर मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा शेयरों की पेशकश के प्रस्ताव पर सुजुकी मोटर कम्पनी लिमिटेड के साथ औपचारिक बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है।

सीमेंट का निर्यात

415. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कौन-कौन से देश भारत से प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में सीमेंट का आयात कर रहे हैं और उससे कितनी विदेशी मुद्रा सालाना अर्जित हो रही है;

(ख) आपूर्ति में कमी के कारण क्या हैं, यदि कोई हों, और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सीमेंट की घरेलू मांग से निर्यात में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो सीमेंट का उत्पादन, मांग और आपूर्ति की क्या स्थिति है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमेंट की विभिन्न श्रेणियों के हुए भारतीय निर्यात का मूल्य निम्नानुसार है :

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु. में)
1997-98	267.4
1998-99	144.0
1999-2000	218.3

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस

सीमेंट की विभिन्न श्रेणियों के निर्यात संबंधी देश और मात्रावार आंकड़े डीजीसीआई एंड एस के प्रकाशन अर्थात् मंथली स्टैटिस्टिक्स ऑफ फोरेन ट्रेड ऑफ इंडिया में उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी होने के कारण सीमेंट के निर्यातों में कमी आई है। निर्यातों की कमी के लिए कोई अन्य विशेष कारणों की सूचना नहीं मिली है। सभी निर्यातकों को प्रयोज्य सामान्य निर्यात प्रोत्साहन सीमेंट के निर्यातकों को भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सरकार विदेश में मेले, प्रदर्शनियों में भागीदारी तथा व्यापार शिष्टमंडलों के माध्यम से विदेश के बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों के द्वारा निर्यातकों के लिए बाजार विकास सहायता प्रदान कर रही है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियां

416. श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 2000 की तिथि के अनुसार न वसूले गए ब्याज को शामिल किए बिना/शामिल करके सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल गैर-निष्पादक आस्तियां कितनी थीं;

(ख) 31 दिसंबर, 2000 की तिथि के अनुसार कुल गैर-निष्पादक आस्तियों में से कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना था; और

(ग) गैर निष्पादक आस्तियों की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 30 सितंबर, 2000 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां 55,971.44 करोड़ रुपये थीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि इसके मार्गनिर्देशानुसार बैंकों को उन अग्रिमों पर ब्याज की पहचान नहीं करनी है जिन्हें अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार कृषि क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनुपयोजय आस्तियां 7,450.05 करोड़ रुपये थीं।

(ग) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से बैंकों की देयराशियों की वसूली के लिए बैंकों द्वारा वसूली नीति तैयार करने तथा उनका क्रियान्वयन करने, सिविल न्यायालयों में मुकदमा दायर करने, ऋण वसूली अधिकरणों में मामले दायर करने, निपटान सलाहकार समितियों के माध्यम से समझौता निपटान करने और बैंक में विभिन्न स्तरों पर अनुपयोज्य खातों की निगरानी करने और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करने जैसे कई उपाय करने को कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 जुलाई, 2000 के अपने परिपत्र के तहत 5 करोड़ रुपये तक की अनुपयोज्य आस्तियों के निपटान के लिए अविवेकाधीन और अभेदमूलक मार्गनिर्देश तैयार किया है। दिनांक 31.3.2001 तक सभी आवश्यक मामलों में पुनर्वास, एक बारगी निपटान और मुकदमा दायर करने के लिए बैंकों द्वारा प्रभावी कार्रवाई मुख्य कार्यपालकों द्वारा सुनिश्चित की जानी है।

असम के निर्यातकों की कठिनाइयां

417. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के निर्यातकों को समय से फाइटोसैनिटरी प्रमाण-पत्र न मिलने के कारण अपनी कृषि और वनोत्पाद के निर्यात की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे असम के चाय के निर्यात पर असर पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक और इस उद्देश्य हेतु जरूरी प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं; और

(घ) ऐसे उत्पादों के आसानी से निर्यात हेतु शीघ्रता से और समय से फाइटोसैनिटरी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) फाइटोसैनिटरी प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन से गुवाहाटी और कोलकाता में संयुक्त कृषि निदेशक (पौध संरक्षण), कृषि निदेशालय, गुवाहाटी, असम और उप-निदेशक, क्षेत्रीय पौध संगरोध केन्द्र, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता को प्राधिकृत करने की समुचित व्यवस्था की गई है। सभी फाइटोसैनिटरी प्रमाण-पत्र जारीकर्त्ता अधिकारियों को समय पर फाइटोसैनिटरी प्रमाण-पत्र जारी करने को

सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर आदेश दिए जाते हैं ताकि निर्यातकों को होने वाले विलंब से बचा जा सके।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्यों को गेहूं की बिक्री

418. श्री रामदास आठवले : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों को खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत कुल कितनी मात्रा में गेहूं का आबंटन किया गया;

(ख) क्या जिन व्यापारियों को गेहूं का आबंटन किया गया उन्होंने इसे अन्य राज्यों के व्यापारियों को बेच दिया;

(ग) यदि हां, तो खुले बाजार में गेहूं की बिक्री के लिए बनाए गए नियमों का ब्यौरा क्या है और इन व्यापारियों को अलग-अलग राज्य-वार किस दर पर गेहूं बेचा गया; और

(घ) राज्य में गेहूं की बिक्री न करने वाले व्यापारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) 1997-98 के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत 3.09 लाख टन गेहूं की मात्रा आबंटित की गई थी। 1998-99 से आगे इस योजना के तहत कोई आबंटन नहीं किया। तथापि, रोलर फ्लोर मिलों, थोक विक्रेताओं, चक्कियों, सहकारी समितियों, सुपर बाजार जैसे थोक खरीदारों सहित राज्य सरकारों को 10 टन की न्यूनतम खरीदारी के साथ इस योजना के तहत गेहूं खरीदने की अनुमति दी गई।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

समाचार-पत्रों के लिए आचार संबंधी दिशा-निर्देश

419. डा. संजय पासवान : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुद्रित माध्यम में अश्लील और अर्द्धनग्न दृश्यों के दिखाने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने का है;

(ख) क्या सरकार को फैशन के नाम पर अर्द्धनग्न चित्र छापने के लिए विभिन्न समाचार-पत्रों के बीच होड की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) देश में प्रिंट मीडिया पर कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं है। तथापि, प्रेस परिषद जो कि प्रेस के संबंध में एक स्वत: नियामक निकाय है, ने पत्रकारिता आचरण संबंधी मानक निर्धारित किए हैं जिनमें अश्लील फोटो का प्रकाशन न किए जाने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

खाद्य राजसहायता के संबंध में व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट

420. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 जुलाई, 2000 को खाद्य राजसहायता के संबंध में व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सहायता खर्च को कम करने के लिए सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों विशेषकर बोरों पर लगाए जाने वाले प्रभार संबंधी सुझाव पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) व्यय सुधार आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उक्त रिपोर्ट से यह देखा जा सकता है कि सरकार ने ऐसी सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित कर दिया है जिनके लिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। राजसहायता बिल में कमी करने के लिए बोरी प्रभारों से संबंधित रिपोर्ट के बिंदु संख्या 31 में दिए गए सुझाव सहित अन्य सिफारिशों, जिन पर राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करना अपेक्षित था, को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है। इन सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त विचारों/टिप्पणियों पर निर्भर करेगी।

विवरण

1. राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की पहचान करने, उनको राशन कार्ड देने और उनके लिए निर्धारित सुविधाओं को उन तक पारदर्शी ढंग से पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने होंगे।

2. 10 मिलियन टन का एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बफर स्टाक हर समय तैयार रखा जाना चाहिए जिसमें 4 मिलियन टन गेहूं और 6 मिलियन टन चावल होना चाहिए।

3. अति उदार न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित वसूली नीति के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यकता से अधिक स्टाक रखने की लागत को बजट में उपभोक्ता राजसहायता के बजाय उत्पादक राजसहायता के रूप में दिखाया जाना चाहिए।

4. न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रत्येक वर्ष वृद्धि को संयत करके संगठित और बड़े पैमाने पर राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों को खाद्यान्नों के कारोबार—वसूली, भंडारण और निर्यात में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करना।

5. धान/चावल और गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को आगामी मौसमों में उसी स्तर पर रखना जिस पर वे विगत वसूली मौसम में निर्धारित किए गए थे और आगे कोई वृद्धि किए बिना कृषि लागत और मूल्य आयोग जैसी विशेषज्ञ निकायों द्वारा अनुसंशित मूल्यों को स्वीकार करना।

6. खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन वाली राज्य सरकारों/निजी क्षेत्रों वसूली, बिक्री और प्रत्येक वर्ष 3 मिलियन टन तक चावल और 5 मिलियन टन तक गेहूं का निर्यात की अनुमति दी जाए और यह नीति कम से कम 15 वर्षों तक अपरिवर्तित रहेगी और यदि किसी वर्ष खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट हुई तो घरेलू उपभोग की आवश्यकताओं को आयात के जरिए पूरा किया जाएगा।

7. न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय एक वसूली मूल्य की ओर प्रवृत्त होना, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ राज्यों के द्वारा लगाए जा सकने वाले करों और अन्य लेवी प्रभारों के उचित स्तर भी शामिल होंगे, और इस प्रकार यह राज्यों के निर्णय के अधीन होगा कि मूल्य में उन्हें करों और लेवी प्रभारों के रूप में कितना हिस्सा रखना है और कितना हिस्सा किसानों पर डालना है।

8. लेवी के जरिए चावल की वसूली को प्रोत्साहन देना।

9. एक ही मूल्य होना चाहिए जैसा कि गेहूं के संबंध में है और वह भी केवल साधारण किस्म के लिए होना चाहिए।

10. सख्त गुणवत्ता मानदंड के अनुसार संशोधित लेवी मूल्य का निर्धारण आगामी मौसम के पहले किया जाए और मिल-मालिकों की इच्छानुसार लेवी की प्रतिशतता 50% से 70% के बीच निर्धारित की जाए।

11. भारतीय खाद्य निगम के संबंध में लागत घटाने के सभी उपायों पर त्वरित कार्रवाई की जाए, जैसी कि भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज द्वारा सिफारिश की गई है, यह कालेज फिलहाल आर्थिक लागत को कम करने के उपायों और साधनों की सलाह देने के लिए अध्ययन कर रहा है।

12. चावल की वसूली के लिए सिन्थेटिक बोरियों का इस्तेमाल करना।

13. जो राज्य गरीबी रेखा से नीचे की दरों के अधीन आबंटित मात्रा से अधिक मात्रा वितरित करते हैं, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के लिए राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के बजाय नकद भुगतान करना चाहिए। इससे राज्य आवश्यक खाद्यान्न सीधे या व्यापारियों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी लागत पर प्राप्त कर सकते हैं, जो भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत से कम हो सकता है।

14. वितरण स्टाक के निर्धारण के लिए केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या को बेची गई मात्रा, और विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए किए गए आबंटन तथा आर्थिक लागत पर की गई बिक्री को ही शामिल करना चाहिए।

सरकार द्वारा स्वीकृत और कार्यान्वित की गई सिफारिशें

15. बफर में अभिवृद्धि करने की सीमा तक ढुलाई लागतों और ढुलाई में हुई हानियों पर पूरा प्रभार लेने के अलावा बफर के अथशेष स्टाक के एक-तिहाई की सीमा तक भाड़ा प्रभार और ढुलाई में हुई हानियां, यदि वर्ष में बफर स्टाक में कोई वृद्धि न हो तो, बफर रख-रखाव लागत में प्रभारित की जानी चाहिए, जबकि वर्तमान प्रथा ढुलाई लागत में पूरी तरह वितरण लागत में शामिल करने की है।

16. गेहूं के संबंध में वर्ष के 30 जून से आगे स्टाक रखने के लिए भंडारण के रूप में अग्रनयन प्रभारों और राज्य एजेंसियों को भगतान किए गए ब्याज प्रभार को, वसूली-पूर्व लागत के एक हिस्से के रूप में लेने और इस प्रकार गेहूं के आर्थिक लागत में शामिल करने के बजाय बफर रख-रखाव लागत में प्रभारित करना चाहिए।

17. वर्ष के लिए अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर आर्थिक लागत के निर्धारण के बजाय विगत वर्ष में कम मूल्यों पर वसूल किए गए स्टाकों से हुए लाभ को आर्थिक लागत में शामिल करके लाभभोगियों को देना चाहिए।

सीमेंट उद्योग

421. **डा. वी. सरोजा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमेंट उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) और (ख) सीमेंट उद्योग के सामने आ रही समस्याओं के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—

(i) कर/लेवी का भारी बोझ।

(ii) उद्योग के विकास के लिए अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाओं की अपर्याप्तता।

(iii) मांग में कमी।

(ग) सीमेंट उद्योग विनियंत्रित एवं लाइसेंसमुक्त है। सीमेंट का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार सीमेंट उद्योग को अवसरंचनात्मक सहयोग प्रदान कर रही है। सीमेंट संयंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर रेल वेगन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि अभाव वाले क्षेत्रों में सीमेंट की आपूर्ति की जा सके।

[हिन्दी]

अफीम की खेती

422. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसानों ने अफीम की खेती के अपने लाइसेंस वापस कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अफीम के परीक्षण और माप प्रक्रिया के संबंध में क्या अद्यतन फैसला लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) संशक्ति के आधार पर अफीम को वर्गीकृत किया जाता है जिसे 'हॉट एयर ओवन टैस्टिंग' पद्धति द्वारा निर्धारित किया जाता है। विभिन्न माप-तोल केन्द्रों पर इसे तोला जाता है, जहां कृषक अपनी उपज के साथ आते हैं।

[अनुवाद]

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को पेंशन कोष का नियामक बनाना

423. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण पेंशन कोष का नियामक बनने जा रहा है, जो कि वर्तमान में श्रम मंत्रालय के पास है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने पेंशन का कारोबार करने वाली नई कंपनियों हेतु निगम और विनियम तैयार करने हेतु आईआरडीए को एस.ए. दवे समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पेंशन कोष हेतु कब तक नियम और विनियम बना लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) वर्तमान में इस संबंध में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एस.ए. दवे समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात प्रसंस्करण जोन

424. **श्री मोइनुल हसन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और केरल में निर्यात प्रसंस्करण जोन के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन निर्यात प्रसंस्करण जोनों के माध्यम से किन उत्पादों और कितने मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ग) प्रत्येक निर्यात प्रसंस्करण जोन द्वारा कुल कितना निर्यात और आयात किया गया और निर्यात प्रसंस्करण जोन से कुल निर्यात और आयात में पश्चिम बंगाल और केरल का कितना प्रतिशत हिस्सा है; और

(घ) उक्त निर्यात प्रसंस्करण जोनों के बीच आयात और निर्यात का अंतर कितना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) फाल्टा निर्यात संसाधन जोन (एफईपीजेड) पश्चिम बंगाल नामक राज्य में कार्य कर रहा है। कोचीन, केरल स्थिति ईपीजेड को दिनांक 1.11.2000 से कोचीन विशेष आर्थिक जोन (सीएसईजेड) में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान फाल्टा निर्यात संसाधन जोन तथा कोचीन विशेष आर्थिक जोन से हुए उत्पाद-वार निर्यात नीचे दिए गए हैं—

(करोड़ रु. में)

उत्पाद समूह	फाल्टा			कोचीन		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर	—	—	2.70	72.74	87.87	120.81
इलेक्ट्रानिक्स सॉफ्टवेयर	—	0.10	—	0.14	0.35	1.63
रत्न एवं आभूषण	—	—	—	—	—	—
भेषज एवं रसायन	37.84	7.93	4.69	—	—	—
वस्त्र एवं परिधान	6.11	23.31	165.92	9.43	23.40	29.35
इंजीनियरी सामान	2.89	11.80	42.70	5.21	5.39	5.87
प्लास्टिक एवं रबड़ के उत्पाद	2.56	11.24	25.41	34.94	27.00	19.60
खाद्य एवं कृषि उत्पाद	—	—	—	21.03	42.71	24.31
चर्म	—	2.57	10.98	—	—	—
अन्य	3.54	15.82	14.20	31.02	13.33	39.43
कुल	52.94	72.77	266.60	174.51	200.05	241.00

(ग) और (घ) फाल्टा ईपीजेड तथा कोचीन एसईजेड के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए आयात एवं निर्यात तथा इसके बीच के अन्तर निम्नानुसार हैं—

(करोड़ रु. में)

ईपीजेड/एसईजेड का नाम	वर्ष	निर्यात	आयात*	अंतर
1	2	3	4	5
फाल्टा ईपीजेड	1998-99	72.77	65.42	7.35
	1999-2000	266.60	64.07	202.53
कोचीन एसईजेड	1997-98	174.51	120.34	54.17
	1998-99	200.05	117.01	83.04
	1999-2000	241.00	132.68	108.32

आयात तथा निर्यात के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

*जिसमें पूंजीगत सामान तथा कच्ची सामग्री शामिल है।

ऋण-राहत योजना

425. श्री एस.पी. लेपचा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण-राहत योजना से राज्यवार कितने कारीगरों, किसानों और बेरोजगार व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कुल कितनी सहयता उपलब्ध कराई गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) माननीय सदस्य संभवत: भारत सरकार द्वारा तैयार और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित कृषि और ग्रामीण ऋण सहायता (ए आर डी आर) योजना, 1990 का उल्लेख कर रहे हैं। योजना 31 मार्च, 1991 को समाप्त हो गई थी और दावों का अंतिम निपटान हो चुका था। योजना के परिचालन की अवधि को 31 मार्च, 1995 को यथा समाप्त माना गया था। कारीगरों, किसानों एवं बेरोजगार व्यक्तियों समेत हिताधिकारियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) भारत सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण [illegible] के उधारकर्त्ताओं के दावों संबंधी समस्त देयताओं को पूरा कर चुकी है। सरकार बैंकों के संबंध में देयता भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में बांटी गई थी। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध अनुदान तथा नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों को उनके हिस्से को चुकाने के लिए दिए गए ऋणों की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

कृषि और ग्रामीण ऋण-राहत (एआरडीआर) योजना, 1990 के अंतर्गत हिताधिकारियों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हिताधिकारियों की सं.
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6867
2.	आंध्र प्रदेश	1901949
3.	अरुणाचल प्रदेश	12252
4.	असम	574095
5.	बिहार	3878769
6.	चंडीगढ़	3375
7.	दादरा और नगर हवेली	1273
8.	दमन और दीव	432
9.	गोवा	19196
10.	गुजरात	1350511
11.	हरियाणा	530643
12.	हिमाचल प्रदेश	352054
13.	जम्मू व कश्मीर	209744
14.	कर्नाटक	1599244
15.	केरल	900690
16.	लक्षद्वीप	90
17.	मध्य प्रदेश	1996787
18.	महाराष्ट्र	2914146
19.	मणिपुर	84958
20.	मेघालय	71441
21.	मिजोरम	6686
22.	नागालैंड	24622
23.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	11143
24.	उड़ीसा	2155445
25.	पांडिचेरी	47979
26.	पंजाब	445604
27.	राजस्थान	2015770
28.	सिक्किम	9390
29.	तमिलनाडु	1936280
30.	त्रिपुरा	259311
31.	उत्तर प्रदेश	5145768
32.	पश्चिम बंगाल	2661056
	कुल	32027462

विवरण-II

एआरडीआर योजना 1990 के अंतर्गत सरकार और नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई कुल सहायता के राज्य-वार ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रदान की गई सहायता
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.50
2.	आंध्र प्रदेश	43457.86
3.	अरुणाचल प्रदेश	151.93
4.	असम	5858.85
5.	बिहार	61708.61
6.	चंडीगढ़	31.24
7.	दादरा और नगर हवेली	–
8.	दमन और दीव	–
9.	गोवा	129.24
10.	गुजरात	34179.95
11.	हरियाणा	11217.11
12.	हिमाचल प्रदेश	6580.68
13.	जम्मू व कश्मीर	3652.23
14.	कर्नाटक	19646.07
15.	केरल	8508.82
16.	लक्षद्वीप	–
17.	मध्य प्रदेश	26729.72
18.	महाराष्ट्र	48155.56
19.	मणिपुर	810.49
20.	मेघालय	1027.45
21.	मिजोरम	154.55
22.	नागालैंड	411.68
23.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	–
24.	उड़ीसा	21939.70
25.	पांडिचेरी	179.97
26.	पंजाब	10982.89
27.	राजस्थान	385.78.18
28.	सिक्किम	–
29.	तमिलनाडु	28370.96
30.	त्रिपुरा	2556.30
31.	उत्तर प्रदेश	73814.26
32.	पश्चिम बंगाल	19171.24
	कुल	468014.04

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह राज्य सरकार/प्रशासक, मिजोरम, पांडिचेरी ने नाबार्ड से ऋण नहीं लिये।
2. नई दिल्ली में सहकारी बैंकों द्वारा योजना कार्यान्वित नहीं की गई है।

सुपर बाजार को हुआ घाटा

426. **श्री शीशराम सिंह रवि : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार की कई शाखाओं को काफी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार, पृथक-पृथक रूप से कुल संचित घाटा कितना है; और

(ग) इस विषय में, इन शाखाओं को बंद किए जाने पर विचार करने सहित, सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार सुपर बाजार की संचित हानि 2299.92 लाख रुपये थी। संचित हानि के शाखा-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) भारत सरकार इस विषय में अनेक विकल्पों की जांच कर रही है। सुपर बाजार जो एक सहकारी समिति है, को अपने कारोबार संबंधी क्रियाकलापों में सुधार लाने और खर्चों को कम करने की सलाह दी गई है।

राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त सामग्री का विक्रय

427. **श्री अमर राय प्रधान : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 के दौरान, प्रत्येक राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किस-किस अतिरिक्त सामग्री का वितरण किया गया;

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लचर होती स्थिति को देखते हुए सरकार का भविष्य में राशन की मदों को बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पांच आवश्यक वस्तुएं नामत: गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल और केरोसीन राज्य सहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध कराती है। राज्य सरकारें उपर्युक्त पांच वस्तुओं के अलावा दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी वितरित कर रही है। भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जा रही अतिरिक्त वस्तुओं की सूची नियमित आधार पर नहीं रखती है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि उचित दर दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं से अलग वस्तुएं भी बेचने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि अधिक कारोबार के जरिए उचित दर दुकानों की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार हो सके। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दैनिक उपयोग की अतिरिक्त वस्तुओं के वितरण से सामान्य उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

उचित मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के अलावा उचित दर दुकानों की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाने के उद्देश्य से 'सर्वप्रिय' नामक एक योजना शुरू की गई है। इस योजना में दैनिक उपयोग की 11 चयनित वस्तुओं नामत: अरहर दाल, चना दाल, लाल मलका दाल, साबुत उड़द, नमक, चाय, नहाने का साबुन, डिटरजेंट टिकिया, अभ्यास पुस्तिका, खाद्य तेल और टूथ पेस्ट का न लाभ न हानि आधार पर वितरण करने की परिकल्पना की गई है। यह एक स्वैच्छिक योजना है जिसे लागू करना राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

नेपाल से प्लास्टिक निर्मित माल का आयात

428. **श्री तूफानी सरोज : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नेपाल से होने वाला प्लास्टिक माल का आयात लगातार बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, नेपाल से कितने मूल्य के प्लास्टिक के माल का आयात हुआ;

(ग) क्या नेपाल से प्लास्टिक के माल के भारी मात्रा में हो रहे आयात के कारण देश की 30 से अधिक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाईयां बंद पड़ गई हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी इकाईयों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) घरेलू प्लास्टिक उद्योग को बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख)	1997-1998	=	6.32 करोड़
	1998-1999	=	24.06 करोड़
	1999-2000	=	39.98 करोड़

(ग) और (घ) इस मामले में सरकार ने कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं करवाया है। तथापि, आर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक प्रोसेसर्स ऑफ इंडिया, मुंबई ने सूचित किया है कि नेपाल से आयातों के कारण राजस्थान में 13 एककों और दिल्ली में 3 एककों को बंद कर दिया गया है। इस मामले का सत्यापन नहीं किया गया है।

(ङ) नेपाल से होने वाला आयात भारत-नेपाल व्यापार संधि द्वारा शासित होता है। इस संधि में, अन्य बातों के साथ-साथ, नेपाल से विनिर्मित वस्तुओं के आयात को अधिमानी व्यवहार प्रदान करने की व्यवस्था है। इस संधि में यह भी व्यवस्था है कि "इस सुविधा से आमतौर पर आयातों में अथवा किसी विशेष वस्तु के आयात में वृद्धि होने की स्थिति में, दोनों सरकारें समुचित उपाय करने की दृष्टि से परामर्श करेंगी।" तदनुसार, सरकार आयातों पर कड़ी निगरानी रख रही है और यदि आयातों से घरेलू उत्पादकों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है अथवा प्रभाव पड़ने का खतरा होता है तो सभी आवश्यक उपायों की बहाली की जाएगी।

[अनुवाद]

भारत-नेपाल सीमा पर सीमा-शुल्क अधिकारियों और तस्करों की मिलीभगत

429. श्री राधा मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के चम्पारान जिले से लगी भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सीमा-शुल्क अधिकारियों की तस्करों से मिलीभगत है तथा वे उनसे रिश्वत लेने के बाद उन्हें निकल जाने देते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में सरकार की जानकारी में इस प्रकार के कितने मामले आए हैं;

(ग) ऐसे सीमा-शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, चम्पारन चौकी से सीमा-शुल्क के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) चम्पारन (बिहार) जिले से लगी भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सीमा-शुल्क अधिकारियों की तस्करों से मिलीभगत का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, चम्पारन सीमा-शुल्क चौकी, अर्थात् भू-सीमा-शुल्क केन्द्र, रक्सौल से प्राप्त सीमा-शुल्क की राशि इस प्रकार है—

वर्ष	प्राप्त सीमा-शुल्क
1997-98	21.09 करोड़ रु.
1998-99	30.06 करोड़ रु.
1999-2000	53.02 करोड़ रु.
2000-2001 (जनवरी, 2001 तक)	67.93 करोड़ रु.

फिल्म उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

430. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के फिल्म उद्योग और विज्ञापन एजेंसियों के कार्यक्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि. हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका भारतीय फिल्म उद्योग और विज्ञापन एजेंसियों के कार्यकरण पर क्या प्रभाव होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) कुछ क्षेत्रीय दिशा-निर्देशों के अधीन फिल्म क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की पहले से ही अनुमति दी गई है। वर्तमान में, विज्ञापन क्षेत्र में 74% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। विज्ञापन क्षेत्र में विदेशी निवेश 100% तक बढ़ाए जाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विज्ञापन क्षेत्र में 100% निवेश की अनुमति देने संबंधी किसी प्रस्ताव पर देश में विज्ञापन क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

दवाओं का अवैध व्यापार

431. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस बात का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था कि दवाओं के अवैध व्यापार को कहां से चलाया जा रहा है और इसे किन मार्गों के जरिए संचालित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) इन मार्गों के जरिए दवा-तस्कर, अनुमानित रूप से, वर्षभर में दवाओं का कितना अवैध व्यापार कर रहे हैं; और

(घ) इन लोगों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में विफलता के क्या कारण हैं और इस हेतु तंत्र को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) महोदय, दवाओं के अवैध व्यापार के बारे में आसूचना और सूचना एकत्र करने का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्रों, अर्थात् पश्चिमी सीमाओं के निकट दक्षिणी-पश्चिमी एशियाई क्षेत्र और पूर्वी सीमाओं के निकट उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों से भारत की निकटता के कारण दवाओं के अवैध व्यापार के लिए भारत आशंकित क्षेत्र बन गया है। दवाओं के अवैध व्यापार की मौजूदा प्रवृतियों से यह पता चलता है कि भारत-पाक सीमा दवाओं के अवैध व्यापार के लिए सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है। तथापि, भारत-म्यामां सीमा, भारत-नेपाल सीमा और भारत-श्रीलंका सीमा को भी संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है।

(ग) चूंकि दवाओं का अवैध व्यापार एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धंधा है, इसलिए इन रास्तों के जरिए दवा वाहकों द्वारा किए

जा रहे मादक पदार्थों के अवैध वार्षिक व्यापार का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि वर्ष 2000 के दौरान देश में निम्नलिखित दवाओं का अभिग्रहण किया गया—

क्र.सं.	दवा का नाम	मात्रा कि.ग्रा. में
1.	अफीम	2524
2.	मॉर्फीन	37
3.	हेरोइन	1198
4.	गांजा	94682
5.	हशीश	4923
6.	कोकीन	0.083
7.	मेथाक्वलॉन	1095

(घ) देश में दवाओं के अवैध व्यापार की रोकथाम करने में सरकार विफल नहीं रही है। दवाओं के अवैध व्यापार की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों में निरंतर निगरानी रखना, प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाना, एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत 20 वर्ष तक की कारावास की सजा के साथ नशीले पदार्थों की बिक्री को एक दाण्डिक अपराध बनाना, एस.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत 'नियंत्रित पदार्थ' के रूप में मादक पदार्थों में प्रयुक्त होने वाली संवेदनशील कच्ची सामग्रियों को अधिसूचित करना, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाना, सीमा पर दवाओं की रोकथाम करने के लिए सीमा-शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक को शक्तियां प्रदान करना, भारत और पाकिस्तानी नारकोटिक ऐजेंसियों के प्रतिनिधियों के बीच समय-समय पर सीमा के आर-पार बैठकों का आयोजन करना, तिमाही समन्वय बैठक करना जिसमें उस स्तर पर औषध कानून प्रवर्तन से जुड़ी सभी प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भाग लिया जाता है और दवाओं के अवैध व्यापार के सिलसिले में गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करना शामिल है।

बैंक-कर्मचारियों का स्थानांतरण

432. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऐसे कर्मचारी, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य राज्यों में स्थानान्तरित किया जा रहा है, स्थानान्तरण संबंधी लाभ-सुविधाएं पाने के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कुछ मामले भी सरकार की जानकारी में आए हैं, जिनमें कुछ कर्मचारियों को स्थानान्तरण संबंधी लाभ-सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) बैंक कर्मचारी द्विपक्षीय समझौते/अधिकारी सेवा विनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक स्थान से दूसरे के लिए यात्रा भत्ता और स्थानांतरण लाभ पाने के पात्र हैं। ऐसा कोई भी कर्मचारी स्थानांतरण लाभों का पात्र है जिसे दिल्ली/नई दिल्ली के शहरी क्षेत्र के भीतर किसी स्थान से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाह्य शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है। जब कभी भी द्विपक्षीय समझौते/अधिकारी सेवा विनियम में दिए गए किसी भी प्रावधान के उल्लंघन का मामला सरकार की जानकारी में लाया गया है तो उपचारी कार्रवाई के लिए उसे संबंधित बैंक/भारतीय बैंक संघ के साथ उठाया जाता है।

[हिन्दी]

'काम के बदले अनाज' योजना

433. श्री ब्रज मोहन राम :
श्री रामशकल :
श्री जोरा सिंह मान :
श्री नवल किशोर राय :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार का सूखा-प्रभावित राज्यों में 'काम के बदले अनाज' योजना के अंतर्गत या मुफ्त खाद्यान्न वितरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने खाद्यान्न सहायता मांगी है तथा प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी मात्रा में खाद्यान्न की मांग की गई है; और

(ग) सरकार इन राज्यों की मांग को कब तक पूरा करेगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) भारत सरकार ने सूखा प्रभावित राज्यों में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम चलाने के लिए 3.49 लाख टन खाद्यान्न गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू दरों पर तथा 5 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त आबंटित किए हैं। एक ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है, जिसमें राज्य सरकारों से 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आबंटित करने की मांग तथा भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटन दर्शाए गए हैं।

विवरण

विभिन्न राज्य सरकारों से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के लिए प्राप्त अतिरिक्त आबंटन की मांग और किए गए आबंटन बताने वाला विवरण

(टन में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मांग			आबंटन			लागू दर
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	
1.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य	80,000	20,000	1,00,000	मुफ्त
2.	राजस्थान	शून्य	2,52,500	2,52,500	शून्य	2,52,500	2,,52,500	गरेनी दर
					शून्य	1,00,000	1,00,000	मुफ्त
3.	मध्य प्रदेश	20,000	50,000	70,000	10,000	25,000	35,000	मुफ्त
4.	छत्तीसगढ़	3,30,000	शून्य	3,30,000	96,600	शून्य	96,600	गरेनी दर
					1,60,000	शून्य	1,60,000	मुफ्त
5.	गुजरात	2,40,000		2,40,000	20,000	70,000	90,000	मुफ्त
6.	महाराष्ट्र	30,000	60,000	90,000	2,000	8,000	10,000	मुफ्त
7.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	5,000	शून्य	5,000	मुफ्त

विदेशी तथा घरेलू ऋण

434. **प्रो. दुखा भगत :**
श्री बृज भूषण शरण सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री रामानन्द सिंह :
डा. नीतिश सेनगुप्ता :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :
श्री एस.पी. लेपचा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विदेशी/घरेलू ऋण की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक, देश-वार और संस्था-वार कितना विदेशी/घरेलू ऋण लिया गया;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार, देश-वार और संस्था-वार अलग-अलग बकाया विदेशी/घरेलू ऋण की मात्रा कुल कितनी है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 31 दिसंबर, 2000 तक विदेशी/घरेलू ऋण के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े क्या रहे हैं;

(च) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान, विदेशी/घरेलू ऋणदाताओं को देय मूलधन और ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(छ) ऋण का भुगतान करने तथा और अधिक ऋणभार से बचने के लिए सरकार की क्या योजना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकारी खाते में विदेशी ऋण और घरेलू ऋण सहित भारत सरकार का कुल बकाया ऋण 31 मार्च, 2000 के अंत में 1,159,932 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 1998 के अंत में 884,380 करोड़ रुपये की तुलना में 30 सितंबर, 2000 को 1,174,363 करोड़ रुपये आंका गया है। परंतु, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में ऋण स्टाक मार्च अंत, 1998 के 58.1 प्रतिशत से मामूली बढ़कर मार्च अंत, 2000 में 59.3 प्रतिशत हो गया। सितंबर अंत, 2000 तक ऋण-स.घ.उ. अनुपात घटकर 53.9 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है।

(ग) भारत सरकार द्वारा लिए गए विदेशी एवं घरेलू ऋणों

पर निवल प्राप्तियों (अर्थात् वापस अदायगियां घटाकर संवितरण) की राशि वर्ष 1997-98 के दौरान 88,655 करोड़ रुपये, 1998-99 के दौरान 112,363 करोड़ रुपये और 1999-2000 के दौरान 109,203 करोड़ रुपये थी। भारत सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशी और घरेलू ऋणों (बाजार उधारों) पर हुई निवल प्राप्तियों का देश-वार और संस्था-वार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार के बकाया ऋण की कुल राशि मार्च, 2000 के अंत में 1,159,932 करोड़ रु., मार्च 1999 के अंत में 10,12,486 करोड़ रु. और मार्च 1998 के अंत में 884,380 करोड़ रु. की तुलना में 30 सितंबर, 2000 को 1,174,363 करोड़ रु. आंकी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार के बकाया विदेशी/घरेलू ऋण की राशि का देश-वार और संस्था-वार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) भारत सरकार द्वारा की गई मूलधन की वापसी अदायगियों की कुल राशि (लघु बचतों, जमाराशियों, भविष्य निधियों, विशेष जमाराशियों आदि जो कि अन्य देयताओं के अतिरिक्त) 1997-98 के दौरान 357,267 करोड़ रु., 1998-99 के दौरान 357,749 करोड़ रु. और 1999-2000 के दौरान 328,285 करोड़ रु. थी। भारत सरकार द्वारा अदा की गई ब्याज अदायगियों की कुल राशि (लघु बचत जमाराशियों, भविष्य निधियों, विशेष जमाराशियों आदि जैसी अन्य देयताओं सहित) 1997-98 के दौरान 65,637 करोड़ रु., 1998-99 के दौरान 77,882 करोड़ रु. और 1999-2000 के दौरान 96,518 करोड़ रु. थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी/घरेलू ऋणों के मूलधन और ब्याज संबंधी अदायगियों के विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(छ) संसद में प्रस्तुत प्रस्तावित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक, 2000 का उद्देश्य 31 मार्च, 2011 तक स.घ.उ. के अनुपात के रूप में ऋण स्टाक के अनुपात को 50 प्रतिशत तक लाकर भारत सरकार के ऋण भार को कम करना है। इसे 1 अप्रैल, 2001 से स.घ.उ. के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को कम करके प्राप्त किया जाएगा।

विवरण-I

भारत सरकार द्वारा प्राप्त किए गए ऋणों पर निवल प्राप्ति
(अर्थात् वापसी अदायगियां घटाकर संवितरण)

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	सरकारी ऋण	1997-98	1998-99	1999-2000 (संशोधित अनुमान)
1	2	3	4	5
I.	सरकारी खाते पर विदेशी ऋण	809	934	1211
	(क) बहुपक्षीय संस्था	1141	1652	1645
	1. आई.बी.आर.डी.	-1451	-1761	-1301
	2. आई.डी.ए.	2131	2433	2147
	3. आई.एफ.ए.डी.	42	31	23
	4. ए.डी.बी.	450	985	800
	5. ई.ई.सी. (एस.ए.सी.)	-1	-2	-4
	6. ओ.पी.ई.सी.	-30	-34	-19
	7. आई.एस.ओ.	0	0	0
	(ख) द्विपक्षीय ऋण	-331	-717	-434
	1. आस्ट्रेलिया	2	-2	3
	2. डेनमार्क	-9	-27	-28

1	2	3	4	5
	3. जर्मनी	–317	–411	–421
	4. फ्रांस	–16	–182	–141
	5. जापान	1217	1348	1575
	6. कुवैत निधि	–44	–64	–62
	7. नीदरलैंड	–173	–134	–152
	8. साऊदी निधि	–24	–15	–1
	9. रूसी संघ	–228	–225	–222
	10. आस्ट्रिया	–11	–11	–11
	11. बेल्जियम	–24	–27	–25
	12. कनाडा	–53	–55	–59
	13. चेक और स्लोवाक गणराज्य	–4	–4	–4
	14. स्पेन	–10	–17	–17
	15. इटली	–32	–77	–72
	16. स्वीटजरलैंड	–26	–31	–27
	17. स्वीडन	–19	–163	–157
	18. यूनाइटेड किंगडम	–69	–54	–17
	19. संयुक्त राज्य अमरीका	–490	–565	–591
II.	घरेलू ऋण	87846	111429	107992
	(क) बाजार उधार	32499	68988	77065
	(ख) 91-दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां	–910	–209	3470
	(ग) अन्य देनदारियां	56257	42650	27457
III.	कुल सरकारी ऋण	88655	112363	109203

आंकड़े रोकड़ शेष से आहरण को दर्शाते हैं।

टिप्पणी : पूर्णांकन के कारण सम्भवत: आंकड़े पूर्णत: मेल न खाएं।

विवरण-II

भारत सरकार के बकाया ऋण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	सं.	सरकारी ऋण	31 मार्च, 98	31 मार्च, 99	31 मार्च, 2000 (संशोधित अनुमान)	30 सितंबर, 2000 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6	7
I.		सरकारी खाते पर विदेशी ऋण	161418	177934	186791	191924

1	2	3	4	5	6	7
	(क)	बहुपक्षीय संस्था	104218	114531	120319	124644
	1.	आई.बी.आर.डी.	25438	25747	25342	25575
	2.	आई.डी.ए.	69392	77725	82720	86166
	3.	आई.एफ.ए.डी.	834	939	1033	1008
	4.	ए.डी.बी.	8220	9805	10928	11594
	5.	ई.ई.सी. (एस.ए.सी.)	186	191	188	181
	6.	ओ.पी.ई.सी.	125	100	83	94
	7.	आई.एस.ओ.	23	24	25	26
	(ख)	द्विपक्षीय ऋण	57200	63403	66472	67280
	1.	आस्ट्रेलिया	47	48	47	48
	2.	आस्ट्रिया	163	166	141	137
	3.	बेल्जियम	246	241	195	190
	4.	कनाडा	1478	1432	1467	1487
	5.	चेक और स्लोवाक गणराज्य	30	26	21	17
	6.	डेनमार्क	460	473	406	383
	7.	जर्मनी	11286	11845	10354	9863
	8.	फ्रांस	3658	3785	3326	3117
	9.	इटली	739	722	634	615
	10.	जापान	25737	31600	37906	39811
	11.	कुवैत निधि	368	330	274	256
	12.	नीदरलैंड	2586	2673	2286	2107
	13.	साऊदी निधि	66	56	56	51
	14.	स्वीडन	1054	962	860	696
	15.	स्विटजरलैंड	136	117	81	72
	16.	स्पेन	182	178	166	166
	17	यूनाइटेड किंगडम	68	17	0	0
	18.	संयुक्त राज्य अमरीका	6698	6683	6313	6318
	19.	रूसी संघ	2198	2047	1941	1947

1	2	3	4	5	6	7
II.	घरेलू ऋण		722962	834552	973141	982439
	(क) आंतरिक ऋण		388998	459696	728627	765010
	(ख) अन्य देनदारियां		333964	374856	244514	217429
III.	कुल सरकारी ऋण		884380	1012486	1159932	1174363

सरकारी खाते पर विदेशी ऋणों का अनुमान बाजार में प्रचलित मुद्रा दरों पर लगाया गया है न कि बही मूल्य पर।

टिप्पणी : पूर्णांकन के कारण संभवत: आंकड़े पूर्णत: मेल न खाएं।

विवरण-III

सरकारी ऋण पर मूलधन और ब्याज भुगतान

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	सरकारी ऋण	1997-98 (संशोधित अनु.)	1998-99 (संशोधित अनु.)	1999-2000 (संशोधित अनु.)
I.	सरकारी खाते में विदेशी ऋण	10878	12459	13221
	(क) मूल	6768	8095	8713
	(ख) ब्याज	4110	4364	4508
II.	घरेलू ऋण	412026	423172	411582
	(क) मूल	350499	349654	319572
	1. *आंतरिक ऋण	350499	349654	319572
	(ख) ब्याज	61527	73518	92010
	1. आंतरिक ऋण	31270	39832	72707
	2. अन्य देनदारियां	30257	33686	19303
III.	कुल सरकारी ऋण	422904	435631	424803
	(क) मूल*	357267	357749	328285
	(ख) ब्याज	65637	77882	96518

*कुल सरकारी ऋण के मूलधन के भुगतान में अन्य देनदारियां जैसे कि लघु बचत जमा, भविष्य निधियों, विशेष जमा आदि पर वापसी भुगतान शामिल नहीं है।

टिप्पणी : पूर्णांकन के कारण संभवत: आंकड़े पूर्णत: मेल न खाएं।

बैंकों पर बकाया आयकर

435. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक, विदेशी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं पर, आज की तारीख तक, कितना आयकर बकाया है;

(ख) यह धनराशि किस तारीख से बकाया है;

(ग) इस बकाया धनराशि के इस प्रकार संचित हो जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) आयकर की बकाया राशि को वसूलने के लिए अब की स्थिति के अनुसार, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार एक करोड़ रु. से अधिक की बकाया मांग वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों, विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) भाग (क) में वर्णित बकाया मांग में कई वर्षों की और कर, ब्याज, दंड, अर्थदंड आदि जैसे विभिन्न के अंतर्गत मांगें शामिल हैं। इसके अलावा यह संभावित संशोधनों, अपील प्रभावों, सुधारों इत्यादि के कारण परिवर्तनों के अध्यधीन होती है। अत: सही अवधि पता पाना संभव नहीं होगा कि मांगें कब से बकाया हैं।

(ग) अपीलों में मुकदमे, अपीली प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त स्थगन, समझौता आयोग और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में लंबित, मांगें देय न होने, किस्तों एवं विभागीय प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त स्थगन और भुगतानों के सत्यापन के अधीन मांगें इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों फलस्वरूप बकाया कर संग्रहीत हो गए हैं।

(घ) बकाया मांग की वसूली/कमी के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और इसकी वसूली के लिए उचित प्रशासनिक, वैधानिक और अन्य उपाय किए जाते हैं। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित अपील प्राधिकरणों से अनुरोध किया जाता है। जब कभी न्यायालयों द्वारा वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती है तो रोक को हटवाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। मांग की शीघ्र वसूली के लिए उचित मामलों में अवपीड़क कदम भी उठाए जाते हैं। बड़े मामलों में डोजीयर रखे जाते हैं और वसूली स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

विवरण

दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/विदेशी बैंकों पर एक करोड़ रुपये तथा उससे अधिक बकाया धनराशि

(लाख रुपये में)

क्रमांक	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का नाम	. को बकाया मांग धनराशि
1	2	3
1.	ए पी स्टेट फाईनेंस कारपोरेशन लि.	1291
2.	आंध्रा बैंक फाइनेंस सर्वि. लि.	1169
3.	आंध्रा बैंक (ब्याज कर)	2872
4.	बैंक आफ पंजाब लि.	711
5.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	127
6.	बाम्बे मर्केन्टाइल को. बैंक लि.	119
7.	केनरा बैंक	19235
8.	केनरा बैंक फाइनेंस सर्वि. लि.	3033
9.	सेन्चुरियन बैंक लि.	811
10.	सिटी युनियन बैंक लि.	249
11.	एनफील्ड बिजनेस फाइ. एण्ड लीजिंग लि.	168
12.	फेयर ग्रोथ फाइ. सर्वि. लि.	21845
13.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	377
14.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.-II	2808
15.	एच डी एफ सी बैंक लि.	718
16.	एच डी एफ सी लि.	2620
17.	हरीथा फाइ. लि.	362
18.	आई डी बी आई	31026
19.	आई एफ सी आई लि.	31438
20.	आई एफ सी आई लि. (ब्याज कर)	911
21.	आई सी आई सी आई बैंकिंग कार्पो.	436
22.	इंडियन बैंक लि.	3275
23.	इंडियन ओवरसीज बैंक लि.	8200
24.	इन्दु सिन्ध बैंक लि.	1995
25.	कर्नाटका बैंक लि.	1015
26.	केरला फाइ. कार्पोरेशन	530
27.	केरला स्टेट इंड. डेव. कार्पो. लि.	223
28.	मैट्रोपोलिटन को. बैंक लि.	9464
29.	नेदुंगदी बैंक लि.	268
30.	उड़ीसा स्टेट को. इंवे. लि.	121
31.	पी एल फाइ. एण्ड इंवे. लि.	433
32.	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लि.	683
33.	एस बी आई कैपि. मोर्केट्स लि.	2524

1	2	3
34.	एस बी आई फण्ड मैनेजमेंट लि.	1996
35.	साउथ इंडियन बैंक लि.	503
36.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	464
37.	स्टेट बैंक आफ मारीशस लि.	122
38.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	4471
39.	तमिलनाडु इंड. इन्वेस्ट कार्पो. लि.	1211
40.	द अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक लि.	289
41.	द कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	252
42.	द कालूपुर कामर्शियल बैंक लि.	153
43.	द करुण वैश्य बैंक लि.	1351
44.	द पियरलेस जनरल फाइ. एण्ड इंवे. लि.	21855
45.	द थाणे जिला केन्द्रीय को. बैंक लि.	588
46.	वैश्य बैंक लीजिंग लि.	133
47.	वैश्य बैंक लि.	3727
48.	जेड फाइनेंस एण्ड इंवे. (प्रा.) लि.	120
	कुल (लाख रुपये में)	188292

क्रमांक	नाम	धनराशि
	सकूरा बैंक लि.	361
	स्टेट बैंक आफ मारीशस	122
	ए बी एन आम्रो बैंक	2954
	द बैंक आफ टोक्यो मितसुबीशि लि.	1760
	द बैंक आफ टोक्यो मितसुबीशि लि.	697
	कुल (लाख रुपये में)	5894

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र में निवेश में गिरावट

436. **श्री अनन्त नायक : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र में निवेश की मात्रा निजी क्षेत्र में निवेश की तुलना में पीछे रह गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की मात्रा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगभग 38,944 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जबकि उसी अवधि के दौरान लाइसेंस मुक्त क्षेत्र (आईईएम) तथा लाइसेंस युक्त क्षेत्र (एलओआई) के लिए 2,61,372 करोड़ रुपये का निवेश अनुमोदित किया गया था।

(ख) आर्थिक उदारीकरण के कारण सरकारी क्षेत्र के लिए पहले से आरक्षित कुछ क्षेत्रों को गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है, ताकि अर्थव्यवस्था में गैर-सरकारी निवेश में वृद्धि की जा सके।

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न/मिनी रत्न का दर्जा प्रदान करने की योजना के अंतर्गत उन्हें निवेश संबंधी निर्णयों के लिए अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है, ताकि उन्हें अपने संसाधनों में से निवेश करने की अनुमति दी जा सके। इसके साथ-साथ, सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले, रुग्ण सक्षम उपक्रमों में उपयुक्त पुनर्स्थापन पैकेजों के आधार पर प्रत्येक मामले के अनुसार और निवेश करके उनके पुनर्स्थापन पर विचार करती है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

437. **श्री के.पी. सिंह देव :**
श्री टी. गोविन्दन :
डा. वी. सरोजा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) को संशोधित रूप में प्रारंभ किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम शुरू करने का कोई प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन नहीं है। तथापि, व्यय सुधार आयोग द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग

की सिफारिशों के आधार पर फालतू कार्मिकों के संबंध में एक अधिक उदार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की सिफारिश की गई।

आयकर पर अधिभार

438. श्री सी. कुप्पुसामी :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात की भूकम्प विभीषिका को देखते हुए आयकर पर अधिभार लगाने की अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ जो अन्य कर लगाए जा रहे हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, इस व्यवस्था के द्वारा कुल कितनी धनराशि जुट जाने की आशा है;

(घ) राहत और पुनर्वास कार्य के लिए गुजरात राज्य सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध करा दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) अन्तरराष्ट्रीय वित्त पोषण करने वाली एजेंसियों से आसान शर्तों पर ऋण के रूप में जुटाई गई/जुटाई जा रही धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) आयकर पर अधिभार लगाते हुए 3 फरवरी, 2001 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। उक्त अध्यादेश द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 के संबंध में 60,000/- रु. से अधिक आय वाली घरेलू कम्पनियों और गैर-निगमों द्वारा देय आयकर पर 2% की दर से अतिरिक्त अधिभार लगाया गया है।

(ग) 13.00 करोड़ रुपये।

(घ) राष्ट्रीय आकस्मिक निधि के अंतर्गत निधियों की निकासी राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि गठन एवं प्रबंधन योजना के दिशा-निर्देशों द्वारा संचालित की जाती है और इस निधि को चक्रवात, सूखा, भूचाल आग, बाढ़ और ओलावृष्टि से संबंधित गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए तत्काल राहत एवं पुनर्वास पर खर्च करने के लिए दिया जाता है। उक्त योजना में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से व्यय की पूर्ति करने के लिए विशेष अधिभार लगाने पर विचार किया गया है।

(ङ) अंतराष्ट्रीय विकास अभिकरण विश्व बैंक का एक उदार ऋण संबद्ध संस्थान है। विश्व बैंक के साथ एक सहायता पैकेज पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, जिसमें बृहत उदार ऋण अवयव शामिल है। अब विश्व बैंक दल गुजरात में हुई क्षति और आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर रहा है।

चीनी का उत्पादन

439. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या उपभोक्ता मामले **खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में, विगत तीन विग वर्षों के दौरान, चीनी के उत्पादन की मात्रा कितनी रही;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान लक्ष्य से भी अधिक उत्पा हुआ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी में कैलोरी की मा सरकारी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी में कैलोरी की मात्रा की तुल में कम है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में चीनी में कैलोरी मात्रा को कम करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या चीनी पर लगाए गए शुल्क को हटा लेने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) चीनी मौसम अक् से सितम्बर तक की अवधि का होता है। तदनुसार पिछले तीन मौसमों के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में चीनी के उत्पा की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) चीनी के उत्पादन के बारे में कोई लक्ष्य निर्धा नहीं किए जाते हैं।

(घ) शुद्ध चीनी में कैलोरी तत्व 3955 (4000) कि. कैल किलोग्राम होता है। भारत में चीनी फैक्ट्रियां मानक विनिर्दिष्टियों अनुसार चीनी का उत्पादन करती हैं जिसमें न्यूनतम सुक्रोज की 99.5% होती है जो कमोबेशी शुद्ध चीनी होती है।

(ङ) चीनी के सुक्रोज तत्व के संबंध में मानक विनिर्दि में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) सरकार ने चीनी उद्योग को चरणबद्ध रूप विनियंत्रित करने का निर्णय किया है। 01.01.2000 से लेवी दे 40% से कम करके 30% कर दी गई थी। सरकार ने 01.02.2 से लेवी देयता 30% से पुनः कम करके 15% कर दी है।

विवरण

चीनी का राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	चीनी मौसम 1997-98	चीनी मौसम 1998-99*(अ)	चीनी मौसम 1999-2000*(अ)
पंजाब	3.29	2.94	3.90
हरियाणा	3.82	4.03	4.75
राजस्थान	0.29	0.26	0.14
उत्तर प्रदेश	39.22	37.23	45.76
मध्य प्रदेश	0.68	0.85	1.03
गुजरात	8.90	10.07	11.41
महाराष्ट्र	38.46	53.43	64.68
बिहार	2.99	2.67	3.70
असम	0.03	0.04	0.04
उड़ीसा	0.57	0.74	0.53
पश्चिम बंगाल	0.03	0.05	0.07
नागालैंड	–	–	–
आंध्र प्रदेश	7.82	11.20	11.78
कर्नाटक	9.59	13.76	15.78
तमिलनाडु	12.22	17.20	17.08
पांडिचेरी	0.37	0.44	0.48
केरल	0.06	0.09	0.13
गोवा	0.10	0.20	0.15
समस्त भारत	**128.44**	**155.20**	**181.41**

*अ—अनंतिम

प्राकृतिक रबड़ के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाना

440. **श्री टी. गोविन्दन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को **प्राकृतिक रबड़ के आयात पर सरकार** द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने की सी.ए.पी.ई.एक्स.आई.एल. की मांगें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) घरेलू रबड़ की खेती करने वाले किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई की गई अथवा की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) कैपेक्सिल ने राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) द्वारा प्राकृतिक रबड़ के सभी ग्रेडों की गैर-आपूर्ति और अग्रिम लाइसेंस धारकों (ए एल एन) को विलंब से आपूर्ति करने के आधार पर प्राकृतिक रबड़ के आयातों पर से प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) स्वदेशी रबड़ की खपत को बढ़ाने के लिए दिनांक 20.2.1999 से अग्रिम लाइसेंसों पर प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। अग्रिम लाइसेंस धारकों द्वारा राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) से प्राकृतिक रबड़ की खरीद करना अपेक्षित है। एस टी सी को घरेलू बाजार से प्राकृतिक रबड़ की खरीद करने और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर अग्रिम लाइसेंस धारकों को इसकी आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। मौजूदा नीति में न केवल प्राकृतिक रबड़ उपजकर्त्ताओं को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है अपितु अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्यात उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज

441. **श्री वी.एम. सुधीरन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराने पर एक गहन अध्ययन कराने की आवश्यकता के प्रति सचेत है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) कहना न होगा कि देश में गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने की अत्यधिक जरूरत है। इस समय राज्य और केन्द्रीय सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य बीमा हेतु स्कीमें भी बीमा कम्पनियों द्वारा पेश की जा रही हैं जो

सबके लिए उपलब्ध हैं। बीमा कम्पनियों ने समय-समय पर लोगों की स्वास्थ्य बीमा संबंधी जरूरतों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किए हैं। देश में गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर किसी प्रकार का कोई गहन अध्ययन कराने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

दूरदर्शन द्वारा घटनाओं का कवरेज

442. श्री अधीर चौधरी :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा रोजमर्रा की घटनाओं का कवरेज घटिया किस्म का है और सभी क्षेत्रों में निजी टी.वी. चैनल आगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे घटिया कवरेज के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दूरदर्शन को निजी चैनलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाने के लिए सरकार कौन-कौन सी नयी पहल करने पर विचार कर रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन द्वारा समाचारों-कार्यक्रमों आदि के प्रस्तुतीकरण में अपने व्यावसायिक मानकों में सुधार करने हेतु सतत रूप से विभिन्न उपयुक्त उपाय किए जाते रहे हैं। वास्तव में, जन-संचार/मीडिया सहित किसी भी क्षेत्र में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और दूरदर्शन अन्य निजी टेलीविजन चैनलों से प्रतिस्पर्धा करने की दृष्टि से अपनी प्रस्तुति/कवरेज की गुणवत्ता में सुधार हेतु सदैव सभी क्षेत्रों से अद्यतन तकनीकें अपनाता है।

[हिन्दी]

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार समाप्त किए गए पद

443. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवें वेतन आयोग की तीन लाख पदों को समाप्त करने की सिफारिश के अनुसरण में अब तक श्रेणीवार कितने पदों को समाप्त किया गया है;

(ख) 31 मार्च, 2001 तक श्रेणीवार कितने पदों को समाप्त कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001 और 2002 की अवधि में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में और अधिक कमी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) नियत कार्यों के निष्पादन के लिए कार्यात्मक आवश्यकता और औचित्य के आधार पर पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजन के लिए पांचवें वेतन आयोग, व्यय सुधार आयोग की सिफारिशें, कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट तथा प्रासंगिक ... हेतु सरकार द्वारा मितव्ययिता अनुदेश जारी किए गए हैं। इस प्रकार पदों को समाप्त करना एक अनवरत प्रक्रिया है जो सभी मंत्रालयों/विभागों में क्रियाशील है तथा विभिन्न पदों को समाप्त करने की संख्या के संबंध में आंकड़ों को केन्द्रीय तौर पर संकलित नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

कर्नाटक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिए जाने वाले चीनी कोटे में वृद्धि

444. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री आर.एस. पाटिल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से चीनी के आबंटन को 33.723 मिट्रिक टन तक बढ़ाने का अनुरोध किया है क्योंकि यहां पर 111 लाख से भी अधिक कार्ड धारक हैं और केन्द्र सरकार ने चीनी कोटे को बढ़ाने के स्थान पर इसे 21,884.2 टन से घटाकर इसे 20,497.2 टन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार कर्नाटक के अनुरोध पर पुनः विचार करने और आबंटन कोटे में वृद्धि करने का है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने दिसंबर, 1998 में लेवी चीनी के अपने मासिक कोटे को 19117 मी. टन से बढ़ाकर 33723 मी. टन करने का अनुरोध किया था लेकिन तब लेवी चीनी की अपर्याप्त प्राप्ति के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका था तथा राज्य सरकार को इस संबंध में सूचित कर दिया गया था। तथापि, जब जनसंख्या के और अधिक अद्यतन आंकड़ों अर्थात् 1.3.1999 को प्रक्षेपित जनसंख्या के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मासिक लेवी कोटों में संशोधन किया गया था, तब मार्च, 2000 से कर्नाटक सरकार का मासिक कोटा बढ़ाकर

21860 मी. टन कर दिया गया था। तत्पश्चात्, जब केन्द्र सरकार ने आयकर निर्धारितियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी से वंचित करने का निर्णय लिया तब जुलाई, 2000 से कर्नाटक सरकार का मासिक लेवी कोटा घटकर 20437 मी. टन हो गया।

इसके अतिरिक्त, 1 फरवरी, 2001 से लेवी चीनी की देयता 30% से घटाकर 15% करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुनर्संरचना को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने विशेष श्रेणी के राज्यों के मामलों को छोड़कर अन्य राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी की आपूर्ति को केवल गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित करने का निर्णय किया है। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी की आपूर्ति के दायरे में आने वाली जनसंख्या 01 मार्च, 2000 की प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर होगी। प्रति व्यक्ति मानदंड को 425 ग्राम प्रति माह से बढ़ाकर 500 ग्राम प्रतिमाह कर दिया गया है ताकि गरीबी की रेखा से नीचे के लाभभोगियों को और अधिक लाभ मिल सके। तदनुसार कर्नाटक सरकार का मासिक लेवी कोटा 8636 मी. टन बैठता है।

हवाला कारोबार करने वाले

445. श्री मंजय लाल :
श्री अरुण कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सरकार को हाल ही में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में दिल्ली को हवाला सौदों का सबसे बड़ा केन्द्र बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में हवाला व्यापार का एक बड़ा कारण बीजक में आयात मूल्य का कम करके दिखाना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) महोदय, सरकार के ध्यान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सेवा क्षेत्र की आय में गिरावट

446. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा क्षेत्र में बाजार व्यापारिक उत्कर्ष के बावजूद, वर्ष 1999-2000 के दौरान निर्यात की तुलना में आयात की अच्छी वृद्धि दर के कारण देश के सेवा व्यापार में आय की वृद्धि दर घट गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) रिजर्व बैंक की नवीनतम बुलेटिन के मुताबिक वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान सेवाओं का कुल निर्यात एवं आयात और सेवाओं से प्राप्त निवल आय नीचे दी गई है। निर्यात और निवल आय दोनों में वृद्धि दर्शाई गई है—

अमरीकी डालर मिलियन

	1998-99	1999-200
निर्यात	13186	15721
आयात	11021	11865
निवल आयात	2165	3856

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वनस्पति का उत्पादन

447. श्री मान सिंह भौरा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में जोनवार वनस्पति का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि में निर्माताओं द्वारा कुल कितने प्रतिशत स्वदेशी तेल और आयातित तेल का इस्तेमाल किया गया;

(ग) क्या कम आयात शुल्क के कारण गत 11 महीनों में कच्चे पाम ऑयल का आयात बहुत अधिक बढ़ गया है;

(घ) क्या निर्माताओं द्वारा आयातित कच्चे पाम ऑयल का बड़ा भाग गैर-वनस्पति उपयोग में लाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान, जोन-वार वनस्पति का कुल उत्पादन निम्नवत है—

(मात्रा 000 टनों में)

वर्ष	जोन			
	पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1997-98	107.8	230.4	587.2	86.3
1998-99	145.5	318.3	787.7	89.0
1999-2000	131.0	236.4	805.6	98.3

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वनस्पति विनिर्माताओं द्वारा प्रयोग किए गए देशी तेलों और आयातित तेलों की मात्रा और प्रतिशत निम्नवत है–

(मात्रा लाख मीट्रिक टन में)

वर्ष	वनस्पति के विनिर्माण में देशी तेलों का प्रयोग		वनस्पति के विनिर्माण में आयातित तेलों का प्रयोग	
	मात्रा	प्रतिशत	मात्रा	प्रतिशत
1997-98	6.6	61	4.2	39
1998-99	5.9	42	8.1	58
1999-2000	3.3	25	10.2	75

(ग) क्रूड पाम आयल के आयात में वृद्धि के मूल कारण हैं अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट, शुल्क संरचना का यौक्तीकरण, जिससे प्रोसेसिंग यूनिटों द्वारा क्रूड वनस्पति तेल के आयात को प्रोत्साहन मिला तथा इस प्रकार देश में ही इसका मूल्य संचित रहा।

(घ) और (ङ) वनस्पति विनिर्माता यूनिटों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर विनिर्माताओं द्वारा क्रूड पाम आयल का गैर-वनस्पति प्रयोग के लिए परिवर्तित किया जाना नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

ढांचागत सुविधाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

448. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए परियोजनाओं का फिर से वित्तपोषण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उपलब्ध कराए गए ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) मानव आवश्यकता 'ह्यूमन नीड' श्रेणी के अंतर्गत रखे गए वित्तीय सुधार और विद्युत क्षेत्र पुनर्सरचना कार्यक्रम कौन-कौन से हैं; और

(घ) राज्य सरकारों विशेषकर उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराए गए ऋण के संबंध में निर्धारित निबंधन और शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) विश्व बैंक ने पोखरण-II के पश्चात्, जब विश्व बैंक प्रबंधन द्वारा ऐसे देशों से संभावित विरोध के कारण जिन्होंने प्रतिबंध लगाए थे, आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, उसके थोड़े समय के अंतर के पश्चात् आधारभूत ढांचागत सुविधाओं के सृजन के लिए परियोजनाओं को पुन: वित्तपोषित करना आरंभ कर दिया है। भारत के किसी भी राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के वित्त पोषण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यद्यपि विश्व बैंक कतिपय सुधार करने योग्य राज्यों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

(ख) विश्व बैंक द्वारा हाल में स्वीकृत की गई आधारभूत परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं–

1. राजस्थान विद्युत पुनर्सरचना	181 मिलियन अमरीकी डालर
2. गुजरात राज्य राजमार्ग	381 मि. अ. डालर
3. आईआरईडीए-II	130 मि. अ. डालर
4. राष्ट्रीय राजमार्ग	516 मि. अ. डालर
5. दूरसंचार क्षेत्र के लिए टी.ए.	62 मि. अ. डालर
6. उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार	150 मि. अ. डालर
7. आंध्र प्रदेश विद्युत	210 मि. अ. डालर

(ग) इस प्रकार 'वित्तीय सुधार' और 'विद्युत क्षेत्र पुनर्सरचना कार्यक्रम' उन 'मानवीय आवश्यकताओं' की श्रेणी में नहीं थे जिन्हें प्रतिबंधों से मुक्त रखा था।

(घ) विश्व बैंक सीधे ही राज्य सरकारों को ऋण प्रदान नहीं करता है। भारत सरकार 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान (कतिपय विशिष्ट राज्यों में 10 प्रतिशत ऋण और 90 प्रतिशत अनुदान) की मानक शर्तों के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य क्षेत्र में ऋण के अंतर्गत मिलने वाली राशि को उधार देता है। यह ऋण 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्ष के लिए होता है और इस पर 12.5 प्रतिशत ब्याज दर लगती है।

[अनुवाद]

निर्यातकों पर छापे

449. श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रूस को अपना सामान निर्यात करने वाले कतिपय भारतीय निर्यातकों पर मारे गए छापों के दौरान इन निर्यातकों को कई करोड़ रुपये के घोटाले में लिप्त पाया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस घोटाले में कितनी धनराशि संलिप्त है और इस घोटाले में निर्यातकों की कार्य प्रणाली क्या थी; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बरामद किए गए दस्तावेजों तथा बाद में इनमें शामिल लोगों से पूछताछ के आधार पर यह शक है कि कुछ बेईमान निर्यातक राज्य रुपया ऋण की पुनः अदायगी के प्रति भारत से रूस के निर्यात को नियंत्रित करने वाली नीतियों का दुरुपयोग कर रहे थे। अन्यों बातों में, मूल्य से अधिक बीजक बनाने तथा विदेशों में बड़ी राशि के हवाला भुगतान करने का संदेह है।

(घ) तथाकथित धोखाधड़ी में शामिल आठ लोगों को हिरासत में ले लिया गया।

भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की भंडारण क्षमता

450. श्री चाडा सुरेश रेड्डी :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री पदमसेन चौधरी :
श्री नवल किशोर राय :
प्रो. रासासिंह रावत :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए गोदामों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में आज की तिथि के अनुसार इन गोदामों की भंडारण क्षमता कितनी है और ये गोदाम कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या इन गोदामों का निर्माण संबंधित राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को ध्यान में रखते हुए किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन गोदामों को अगले तीन वर्षों में राज्यवार कितनी अतिरिक्त भंडारण क्षमता वाला बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) इन गोदामों के रख-रखाव पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जाता है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास क्षेत्र-वार भंडारण क्षमता (अपनी और ढकी) को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण पर है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम वसूली, वितरण और बफर स्टाक बनाने की अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गोदामों का निर्माण करता है।

(ङ) वर्तमान नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997 2002) के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने 4.67 लाख टन की भंडारण क्षमता के निर्माण का प्रस्ताव किया है जिसमें से दिसम्बर, 2000 तक 2.11 लाख टन क्षमता का निर्माण किया जा चुका है।

वर्तमान योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम के उपयोग के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम को भी 2.20 लाख टन भंडारण क्षमता के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। पंजाब और वसूली करने वाले अन्य राज्यों में राज्य भंडारण निगम भी भारतीय खाद्य निगम के उपयोग के लिए गोदामों का निर्माण कर रहे हैं।

सरकार ने एक राष्ट्रीय भंडारण नीति भी तैयार की है जिसका उद्देश्य बल्क भंडारण सुविधाओं के निर्माण के साथ खाद्यान्नों की हैंडलिंग के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करना और 'बनाओ-चलाओ' योजना के अधीन परंपरागत गोदामों के लिए भी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करना है।

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के रख-रखाव में खर्च की गई राशि निम्नानुसार है—

	रुपये करोड़ में (अनंतिम)
1997-98	22.41
1998-99	18.00
1999-2000	25.00

विवरण

1.1.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास स्थानवार उपलब्ध अपनी, ढकी हुई भंडारण क्षमता

आंकड़े हजार टन में

राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	क्षमता (अपनी)
1	2	3
राज्य का नाम : बिहार		
देवघर	1. जसीडीह	12.50
दरभंगा	2. दरभंगा	5.74
मधुबनी	3. जयनगर	9.67
गया	4. गया (एफएसडी)	64.72
	5. गया (ब्रिन्स)	32.00
धनबाद	6. धनबाद	13.74
चनपतिया	7. चनपतिया	6.28
मुजफ्फरपुर	8. मुजफ्फरपुर	7.60
	9. नरायणपुर अनंत	39.67
बक्सर	10. बक्सर	25.00
पटना	11. दीघाघाट	32.44
	12. मोकामा	57.63
	13. फुलवारी सरीफ	56.97
पुर्णिया	14. त्रेलौरी (पुर्णिया)	8.98
कटिहार	15. कटिहार	10.84
पलामू	16. डालटेनगंज	14.64
पूर्वी सिंहभूम	17. जमशेदपुर	10.84
गुमला	18. गुमला	3.34
रांची	19. रांची	11.67
सहरसा	20. सहरसा	14.64
राज्य का नाम : उड़ीसा		
भद्रक	21. रानीताल	20.00
बालासोर	22 रूपसे	10.00
	23. जलेश्वर	5.00
मयूरभंज	24. बादाम पहाड़	10.00
क्योंझर	25. क्योंझर	5.00
	26. बारबिल	5.00
बहरामपुर	27. जगन्नाथपुर	14.42
कान्दामल	28. फुलभनी	5.00
खुरदा	29. भुवनेश्वर	8.14
	30. खुर्दा रोड	16.48
ढेनकनाल	31. ढेनकनाल	10.00
अंगुल	32. अंगुल	5.00
कालाहांडी	33. केसिन्गा	13.34
सोनपुर	34. दुंगारपाली	15.00
बरगढ़	35 अट्टाबीरा	8.34
संबलपुर	36. हीरकुंड	20.00
झरसुगुडा	37. बालीझारी	40.00
	38. झरसुगुड	10.00
सुन्दरगढ़	39. राउरकेला	12.50
कोरापुर	40. उमेरी (जैपोर)	17.50
नौरंगपुर	41. नौरंगपुर	7.50
रायगढ़	42. रायगढ़	10.00
राज्य का नाम : पश्चिम बंगाल		
बंकुरा	43. आद्रा	80.00
	44. बिकना (एफएसडी)	24.48
	45. बिकना (एमआरएम)	2.31
बीरभूम	46. सूरी (अब्दरपुर)	43.20
कूच बिहार	47. बाबूरहाट	5.00
हुगली	48. चूनसुराह	5.00

1	2	3
	49. धानकुनी	20.00
	50. श्री रामपुर	6.24
लदा	51. मंगलाबारी	26.50
दनापुर	52. मिदनापुर	35.78
र्शिदाबाद	53. बहरामपुर	11.28
दिया	54. भात जंगला	20.00
	55. नाबाद्वीप	1.26
रूलिया	56. बलरामपुर	8.20
	57. छड़ाह	17.56
4-परगना	58. अशोक नगर	5.00
क्षिण दीनाजपुर	59. बुनियादपुर (एफएसडी)	21.20
	60. बुनियादपुर (एमआरएम)	1.20
तर दीनाजपुर	61. रायगंज	7.50
ार्जिलिंग	62. देवग्राम	68.00
लकत्ता	63. कलकत्ता (पोर्ट)	19.00
लकत्ता उत्तरी	64. जिन्जिरा पुल (जेजेपी)	174.00
लकत्ता (उत्तरी)	65. ओजेएम (बज बज)	110.47
नदिया	66 कल्याणी	117.38
र्दवान	67. दुर्गापुर	25.26
	68. सीतारामपुर	8.20
ोमडिला	69. भालूकपोन	5.00
ुमपाड़ा	70. बंडरडेवा	5.00
ांगलांग	71. कारसोंग(*)	5.00
र्वी सियांग	72. पासीगर	2.50
ज्य का नाम : मेघालय		
श्चिमी गारो पहाड़ियां	73. तूरा	5.00
र्वी खासी पहाड़ियां	74. शिनांग	5.00
ज्य का नाम : मिजोरम		
ुलई	75. लुंगलेई(*)	3.00

*) क्षमता पूर्ण लेकिन अब तक अधिगृहित नहीं।

1	2	3
	76. भैरवी(*)	5.00
आइजोल	77. आइजोल	4.59
	78. कोलासिब	5.00
राज्य का नाम : मणिपुर		
इम्फाल	79. सोनगाउप्रो	12.75
उखरूल	80. उखरूल	5.00
राज्य का नाम : नागालैंड		
कोहिमा	81. दिमापुर	0.50
मोन	82. मोन	2.22
मुकुचोंग	83. मुकुचोंग	2.50
तुवेनसांग	84. तुवेनसांग	2.50
राज्य का नाम : त्रिपुरा		
पश्चिमी त्रिपुरा	85. चुरियाबारी	1.67
उत्तरी त्रिपुरा	86. धरमनगर	15.00
राज्य का नाम : असम		
कामरूप	87. गौहाटी	31.06
थिऊ	88. थिऊ	9.04
जोरहट	89. सिनामोरा	13.84
कोकराझार	90. गोसियागांव	7.10
उत्तरी लखीमपुर	91. नारायणपुर	15.00
	92. उत्तरी लखमीपुर	8.98
धेमाजी	93. धेमाजी	5.64
करंबियालोंग	94. दिफु	5.00
नागांव	95. होजाई (12.70 एफ.एस.डी. + 4.51 एम.आर.एम.)	17.24(2)
काचर	96. संचोवा	6.92
करीमनगर	97. रामनगर	20.00

(*) क्षमता पूर्ण लेकिन अब तक अधिगृहित नहीं।

1	2	3
गोवालपारा	98. बदरपुरघाट	5.00
	99. जोग्गीगोपा	5.00
डिब्रूगढ़	100. डिब्रूगढ़	11.28
तीनसुखिया	101. तीनसुखिया	9.42
दारंग	102. तांगला	16.28
सोनितपुर	103. बिंदुकुरी	12.50
राज्य का नाम : दिल्ली		
मायापुरी (दक्षिणी/पश्चिमी)	104. नारायणा (एफएसडी)	81.66
	105. नारायणा (सिलो)	21.30
केन्द्रीय जिला	106. न्यू पूसा (सीटीओ)	17.62
2 नई दिल्ली	107. ओखला	13.36
शक्तिनगर (पश्चिमी)	108. घेवरा	122.13
उत्तरी/पूर्वी	109. नरेला	50.00
2 उत्तरी	110. शक्ति नगर	30.00
राज्य का नाम : हरियाणा		
फरीदाबाद	111. फरीदाबाद (एफएसडी)	43.34
	112. फरीदाबाद (सिलो)	20.00
	113. पलवल	11.06
भिवानी	114. भिवानी	11.67
	115. भिवानी खेरा	10.00
हिसार	116. बारवाला	10.64
	117. हिसार	21.92
	118. तोहाना	10.00
फतेहाबाद	119. भट्टू	15.00
	120. फतेहाबाद	19.62
	121. डबवाली	20.00
	122. एलानाबाद	13.34
	123. कलांवाली	15.00
	124. सिरसा (पुराना)	22.50
	125. सिरसा (बी.जी.)	23.24
करनाल	126. करनाल	18.23
	127. करनाल (टी.सी.)	4.00 एमआरएम
	128. तरावड़ी	33.56
अम्बाला	129. अम्बाला कैंट	11.31
पानीपत	130. पानीपत (पुराना)	15.00
	131. पानीपत (बी.जी.)	53.34
कुरुक्षेत्र	132. कुरुक्षेत्र (पुराना)	10.64
	133. कुरुक्षेत्र (बी.जी.)	30.00
	134. शाहाबाद	2.56
कैथल	135. पेहोवा	23.32
	136. चीका	12.18
	137. गुल्हा	10.00
	138. धांड	9.60
	139. कैथल (धांड बी.जी.)	70.00
	140. कैथल	13.56
रोहतक	141. रोहतक	23.78
जींद	142. नरवाना (पुराना)	8.34
	143. नरवाना (बी.जी.)	80.92
	144. साफीदन (पुराना)	9.60
	145. साफीदन (बी.जी.)	25.00
सोनीपत	146. गोहाना	22.29
	147. सोनीपत	10.00
राज्य का नाम : हिमाचल प्रदेश		
ऊना	148. ऊना	2.50

1	2	3
हमीरपुर	149. हमीरपुर	1.67
	150. नूरपुर	5.00
कुल्लू	151. कुल्लू	1.67
जम्मू	152. छाता	13.84
	153. जम्मू	21.60
कठुआ	154. कठुआ	5.00
	155. खिल्लानी (डोडा)	2.50
राजौरी	156. राजौरी	2.50
पुंछ	157. पुंछ	2.50
अनंतनाग	158. अनंतनाग	10.00
श्रीनगर	159. श्रीनगर	11.00
बारामूला	160. बारामूला	3.40
लेह	161. लेह	2.50
	162. करगिल	2.50
राज्य का नाम : पंजाब		
अमृतसर	163. भगतनवाला	7.60
	164. भराड़ीवाल	16.15
	165. भीखीविंद	5.00
	166. छाबल-1	9.03
	167. जांडियाला-I	30.00
	168. एन. पुन्नावान	10.00
	169. मजीठा	6.12
	170. मेहता	9.85
	171. रय्या	21.50
	172. तरनतारन	12.10
	173. वल्लाह	15.00
भटिंडा	174. भटिंडा	29.81
	175. भुचु	9.46
	176. बुधलाडा	10.84
	177. सार्दूलगढ़	15.00
	178. तलवंडी-भाई	15.00
मंसा	179. मंसा	12.73
	180. रामपुरफूल	10.00
फरीदकोट	181. बाड़ीवाला	18.34
	182. फरीदकोट	27.25
	183. कोटकापुरा	24.75
	184. कोटकापुरा (बी.जी.)	80.00
	185. लाखेवाली	11.28
	186. निहालसिंहवाला	8.75
मोगा	187. भागपूर्णा	10.00
	188. मलाउत (पुराना)	10.00
	189. मलाउत (बी.जी.)	30.00
	190. मोगा (पुराना)	43.41
	191. मोगा (सीलो)	20.00
	192. डोडा	12.31
मुक्तसर	193. भागसर	8.84
फिरोजपुर	194. अबोहर	15.00
	195. धर्मकोट	15.00
	196. फाजिल्का	10.00
	197. फिरोजपुर	10.20
	198. जलालाबाद	22.50
	199. लाडुका	8.34
	200. माखू	11.67
	201. रोरनवाली	8.34
	202 तलवंडी	14.40
	203. जीरा	18.35

1	2	3
	204. गुरुहरसहाय	20.00
गुरुदासपुर	205. बटाला-I	23.30
	206. बटाला-II	16.20
	207. धारीवाल	18.34
	208. गुरुदासपुर-I	12.12
पठानकोट	209 पठानकोट	25.47
होशियारपुर	210. बालाचौड़	16.67
	211. दसूया	21.27
	212 गढ़शंकर	6.25
	213. होशियरपुर	15.00
	214. मुकेरियां	10.17
	215. नसराला	9.78
	216. टांडा (पुराना)	16.67
	217. टांडा (नया)	48.36
जालंधर	218. आदमपुर	10.00
	219. अपरा	13.59
	220. बंगा	13.94
	221. भोगपुर	3.34
	222. जोलंधर	18.76
	223. लाडनवाली	9.46
	224. लोहियांखास	10.00
	225. नकोदर	11.38
	226. नवांशहर	38.98
लुधियाना	227. चावापेल	11.00
	228. दोराहा	15.64
	229. गोबिन्दगढ़ (सीलो)	20.00
—	230. हाथुर	15.00
	231. जगरांव (एफ.एस.डी.)	27.95
	232. जगरांव (सीलो)	20.00
	233. जमालपुर	30.00
	234. खम्मानान	10.00
	235. खन्ना जी.टी. रोड	45.65
	236. किलराईपुर	13.75
	237. लुधियाना (गिल रोड)	18.05
	238. माचीवाड़ा	13.14
	239. मलौद	16.67
	240. राजकोट	10.43
	241. साहनेवाल	75.00
	242. सहघोल	15.58
	243. मुल्लांपुर	17.89
पटियाला	244. अमलोह	15.00
	245. बन्नूर	13.34
	246. धूधान	13.49
	247 चिनास्थल	14.23
	248. घन्नूर	12.24
	249. पटियाला (पुराना)	25.10
	250. पटियाला (बी.जी.)	79.18
नाभा	251. नाभा	20.00
	252. पतरां	17.14
	253. राजपुरा (पुराना)	11.68
	254. राजपुरा (बी.जी.)	60.00
	255. समाना	12.84
	256. सरहिंद	11.89
संगरूर	257. अहमदगढ़	21.76
	258. बरनाला	56.92
	259. बहादुर	13.59

1	2	3
	260. भवानीगढ़	5.00
	261. धुरी	20.00
	262. धुरी (बी.जी.)	61.69
	263. खन्नौरी	10.00
	264. मालेरकोटला	33.34
	265. महलकलां	12.95
	266. संगरूर	48.14
	267. सुराम	18.47
	268. तापा	6.92
कपूरथला	269. भलौत	15.00
	270. कपूरथला (पुराना)	10.00
	271. कपूरथला (बी.जी.)	15.00
	272. फगवाड़ा	14.39
	273. सुल्तानपुर लोधी	18.34
राज्य का नाम : राजस्थान		
अलवर	274. अलवर	13.34
	275. खेरली	13.40
भरतपुर	276. भरतपुर	12.31
धौलपुर	277. धौलपुर	11.67
अजमेर	278. अजमेर	42.34
	279. किशनगढ़	14.42
भीलवाड़ा	280. भीलवाड़ा	11.68
नागौर	281. नागौर	17.90
पाली	282. मारवाड़ जंक्शन	10.00
	283. पाली	15.22
बीकानेर	284. बीकानेर	17.50
झुंझुनु	285. झुंझुनु	13.13
चूरू	286. चुरू	11.93
	287. सादुलपुर	9.61
	288. सुजानगढ़	8.34
दौसा	289. बांदीकुंई	19.42
जयपुर	290. गांधी नगर	26.78
सीकर	291. सीकर	13.34
टोंक	292. नेवाई	21.34
बाड़मेर	293. बाड़मेर	26.54
जाल्लौर	294. जाल्लौर	12.92
जैसलमेर	295. पोखरन	15.00
जोधपुर	296. जोधपुर	32.50
बाड़न	297. बाड़न	7.50
बूंदी	298. बूंदी	15.00
	299. किशोर पाटन	11.67
कोटा	300. शिवपुरा (कोटा)	32.18
झालावाड़	301. भवंडी मंडी	10.00
सवाईमाधोपुर	302. सवाईमाधोपुर	91.12
श्रीगंगानगर	303. श्री विजयनगर	20.65
हनुमानगढ़	304. हनुमानगढ़	41.42
बनासवाड़ा	305. बनासवाड़ा	10.00
चित्तौड़गढ़	306. चंदेरिया	24.00
सिरोही रोड	307. सिरोही रोड	11.67
उदयपुर	308. उदयपुर	41.19
राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश		
आगरा	309. आगरा	54.80
फिरोजाबाद	310. शिकोहाबाद	21.21
मैनपुरी	311. मैनपुरी	0.54
बरेली	312. बरेली	39.51
	313. पारसखेड़ा	25.00

1	2	3
पीलीभीत	314. पीलीभीत	7.50
बुलंदशहर	315. बुलंदशहर इमलिया	13.34
	316. खुर्जा (एफ.एस.डी.)	16.10
	317. खुर्जा (सीलो)	20.00
	318. श्यामनगर	8.79
	319. चांदपुर रोड	25.84
बाराबंकी	320. बाराबंकी (पुराना)	17.56
	321. बाराबंकी (नया)	55.00
फैजाबाद	322. फैजाबाद	39.23
बस्ती	323. बस्ती	5.74
गोरखपुर	324. गोरखपुर	35.34
गाजियाबाद	325. हापुड़ (61.91 + 15.36)	77.27(2)
मेरठ	326. परतापुर	29.58
पिथौरागढ़	327. पिथौरागढ़	2.50
समपुर	328. धमरोहा	35.00
उधमसिंहनगर	329. बाजपुर	10.00
	330. रुद्रपुर (एफ.एस.डी.)	45.40
	331. रुद्रपुर (एमआरएम)	5.60
जालौन	332. उरई	29.48
झांसी	333. झांसी	19.04
इटावा	334. इटावा	13.06
कानपुर	335. चंदेरी (कानपुर)	121.08
	336. कानपुर (सीलो)	72.00
रायबरेली	337. रायबरेली	40.00
लखनऊ	338. लखनऊ (तालकटोरा)	36.50
	339. लखनऊ (सीलो)	20.00
मुरादाबाद	340. मुरादाबाद	23.35
मिर्जापुर	341. मिर्जाबाद	7.32

1	2	3
वाराणसी	342. वाराणसी	71.42
	343. व्यासनगर	25.00
इलाहाबाद	344. नैनी (इलाहाबाद)	51.97
फतेहपुर	345. फतेहपुर	8.34
आजमगढ़	346. आजमगढ़	22.30
पडरौना	347. पडरौना	2.50
बांदा	348. अत्तरा	12.30
	349. बांदा	5.00
महोबा	350. महोबा	10.00
गोंडा	351. गोंडा	30.00
शाहजहांपुर	352. रोजा	50.00
	353. शाहजहांपुर	13.98
हरदोई	354. हरदोई	11.92
लखीमपुर खीरी	355. लखीमपुर खीरी	12.24
सीतापुर	356. सीतापुर	25.77
अलीगढ़	357. अलीगढ़	12.50
	358. हरदुआगंज	82.20
हाथरस	359. हाथरस	13.36
एटा	360. एटा	11.89
	361. कासगंज	9.16
मथुरा	362. कोशीकलां	57.58
	363. मथुरा	13.10
राज्य का नाम : आंध्र प्रदेश		
हैदराबाद	364. शांतानगर	53.76
रंगारेड्डी	365. चेरलापल्ली	100.00
वारंगल	366. काजीपेट	84.97
करीमनगर	367. जम्मीकुंटा	40.00
	368. पेड्डापल्ली	13.30

1	2	3
दिलाबाद	369. मचेरियल	25.50
म्माम	370. खम्माम (पुराना)	10.84
	371. खम्माम (नया)	60.00
नालगोंडा	372. नालगोंडा	30.00
	373. मिरयालगुडा (एफ.एस.डी.)	57.40
	374. मिरयालगुडा (एम.आर.एम.)	5.60
चित्तूर	375. चित्तूर	10.00
अनंतपुर	376. जंगापल्ली	75.00
	377. तिमंचेरल	26.48
गुंटूर	378. सतनापल्ली	17.56
प्रकाशम	379. अंगोले	30.00
कृष्णाकैनाल	380. कृष्णा कैनाल	12.31
	381. निजाविडु (हनुमान जंक्शन)	30.00
	382. गुड्डीवडा	60.00
पश्चिमी गोदावरी	383. ताडेपल्लीगुडेम	9.20
	384. भवानीवरम	19.80
	385. पालाकोले	10.64
	386. अकीविडु	14.62
	387. एलुरू	26.76
	388. पेन्नाडा	70.00
	389. निदादावोले	14.59
पूर्वी गोदावरी	390. काकीनाडा	36.60
	391. बीकावोले	20.00
	392. समालकोट	50.00
	393. दोवेलेश्वरम	50.00
श्रीकाकुलम	394. अमदलावलसा	24.87
	395. विजाग (एफ.एस.डी.)	40.79
	396. बोबिल्ली	2.00

1	2	3
	397. विजाग पत्तन	41.56
अंडमान व निकोबार	398. पोर्टब्लेयर	7.50
राज्य का नाम : केरल		
अलेप्पी	399. अलेप्पी	10.00
	400. मावेलीकारा	20.00
कालीकट	401. तिकोडी	39.00
	402. वेस्ट हिल (कालोकट)	36.48
मालापुरम	403. कुट्टीपुरम	5.00
विनाड	404. मीनानगुडी	5.00
एर्नाकुलम	405. अंगामाली	40.00
	406. विलिंगडन (द्वीपसमूह)	60.30
कोट्टायम	407. चिंगावनम	50.64
कुट्टीकनम	408. एर्नाकुलम	5.00
कन्नूर	409. मुज्जप्पुलंगद	12.56
	410. लिमेश्वर	10.00
पालाघाट	411. अंगदीपुरम	10.00
	412. ओलवाकोट (पालाघाट)	72.02
क्विलों	413. अवनेश्वरम	9.20
	414. करुंगापल्ली	30.00
	415. किलोल्लूर	5.00
	416. क्विलों	13.18
त्रिचूर	417. चालाकुडी	10.00
	418. मुलाकुन्नातुकावु	50.24
त्रिवेन्द्रम	419. कजाकुटम	36.74
	420. वैलातुरा (टी.वी.एम.)	34.08
राज्य का नाम : कर्नाटक		
बंगलौर	421. बंगलौर	49.54
	422. व्हाइट फील्ड	85.00

1	2	3
कोलार	423. कोलार	5.50
धारवाड़	424. हुबली	10.92
	425. बम्मापुर	30.00
उदुपी	426. उदुपी	10.00
मांड्या	427. मद्दूर	4.61
मैसूर	428. के.आर. नगर	11.00
	492. मैसूर	10.00
घमराजनगर	430. नंजागढ़	8.64
	431. कुशलनगर	2.50
तुमकूर	432. तुमकूर	5.00
बेल्लारी	433. बेल्लारी	25.00
हसन	434. हसन	10.00
शिमोगा	435. भद्रावती	5.64
	436. गिडीकोप्पा	12.73
राज्य का नाम : तमिलनाडु		
कोयम्बतूर	437. कोयम्बतूर	55.25
	438. पीलामाडु	110.00
सलेम	439. सलेम	15.00
चेन्नई	440. अवादी	161.00
	441. एगमोरे	29.37
तूतीकोरिन	442. तूतीकोरिन	35.20
दक्षिण अरकाट	443. चिदम्बरम (सीलो)	5.60
	444. चिदम्बरम (एम.आर.एम.)	2.00
तंजावुर	445. मन्नारगुडी	1.54
	446. संबानरकोई (सीलो)	6.10
	447. संबानरकोई (एम.आर.डी.)	5.60
	448. तंजावुर	0.88
	449. एस.ई.पी. सेमबनारकोई	0.48
उत्तरी अरकाट	450. अरकोनम	29.26
	451. सेवूर	60.00
चेन्नई	452. बंदरगाह (पोर्ट)	40.00
राज्य का नाम : गुजरात		
पांच महल	453. भमैया	30.00
	454. गोधरा	23.96
वडोदरा	455. बड़ौदा	14.25
वलसाड	456. वलसाड	10.00
भावनगर	457. भावनगर	20.00
जामनगर	458. जामनगर	30.00
राजकोट	459. वांकेर	10.00
	460. घंटेश्वर	10.00
सुरेन्द्र नगर	461. वाधवन (सुरेन्द्र नगर)	10.00
अहमदाबाद	462. साबरमती	101.62
	463. विरामगम	35.00
बनासकांठा	464. पालमपुर	30.48
मेहसाना	465. मेहसाना	11.12
कच्छ	466. गांधीधाम	50.50
	467. कांडला	93.36
राज्य का नाम : महाराष्ट्र		
मुम्बई शहर	468. जी.आई.सी.	20.94
	469. सेवरी	27.36
	470. वादला	39.00
मुम्बई शहर	471. जनरल मोटर्स	14.30
मुम्बई शहर	472. भिवान्डी	10.00
	473. बोरीवली (एमएसडी)	169.86
	474. बोरिवली (सिलो)	104.00
पनवल	475. पनवल	91.67

1	2	3
माड	476. मनमाड (एफएसयू)	330.00
	477. मनमाड (सिलो)	84.00
न्दा	478. गोन्डिया	30.00
पुर	479. नागपुर	74.98
र्धा	480. वर्धा	105.00
मदनगर	481. अहमदनगर	5.00
लापुर	482. सोलापुर	32.00
नागिरी	483. रतनागिरी	10.00
णे	484. पुणे	29.00
य का नाम : मध्य प्रदेश		
पाल	485. भोपाल	25.00
तुल	486. वेतुल	10.00
शंगाबाद	487. इटारसी	86.25
लासपुर	488. ब्रेहला	8.34
	489. बिलासपुर	34.12
	490. कारगी रोड	15.00
	491. शक्ति	12.50
	492. नैला	14.28
यगढ़	493. फारसिया	30.64
	494. फैगढ़	10.64
डोल	495. सहडोल	5.64
गुजा	496. विश्रामपुर	13.34
ा	497. अशोकनगर	11.98
तिया	498. दतिया	7.50
लियर	499. ग्वालियर	12.50
ना	500. शेरपुर कलाम	11.28
आ	501. मेघनगर	5.00
लाघाट	502. बालाघाट	20.31
	503. कटांगी	13.98
	504. वारा सियोनी	10.00
जबलपुर	505. जबलपुर	10.64
	506. कटना	8.64
सियोनी	507. सियोनी	8.34
बस्तर	508. जगदलपुर	10.64
दुर्ग	509. दुर्ग	53.95
राजदानगांव	510. राजदानगांव	71.63
रायपुर	511. भगतपाड़ा	10.67
	512. धमान्ड	21.67
	513. महासमुंद	14.16
	514. मंडी हासौड	25.00
	515. नेवरा पाड़ा	21.92
	516. रायपुर	25.09
	517. राजीन	15.64
छतरपुर	518. हरपापुर	10.00
सतना	519. सतना	6.92
टिकमगढ़	520. टिकमगढ़	15.00
	521. नेवार	18.14
सागर	522. बीना	6.28
विदिशा	523. विदिशा	10.00
रतलाम	524. रतलाम	8.96
उज्जैन	525. उज्जैन	15.00
गोवा		
गोवा	526. गोवा	15.00
पांडिचेरी (संघ राज्य)		
साऊथ अरकाट	527 पांडिचेरी	5.00
विल्लुपुरम	528. काराल	7.50

1	2	3
रामास्वामी	529. टी.वी. आयल	28.70
चंडीगढ़ (संघ राज्य)		
रोपड़	530. चामकुर साहिब	13.34
	531. खरार	7.20
	532. रोपड़	11.90
	533. मोरी	7.50
सिक्किम (संघ राज्य)		
पूर्वी जिला	534. रंगू	7.30
	+ 1 हापुड़ में	
	+ 1 सिक्किम में	
जोड़	536	

चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करना

451. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या उपभोक्ता मामले, **खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी की आपूर्ति पूरी तरह रुक जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किस प्रकार चीनी उपलब्ध कराने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने चरणबद्ध ढंग से चीनी उद्योग से नियंत्रण समाप्त करने का निर्णय लिया है। 1.1.2000 से लेवी दायित्व को 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया है। सरकार ने 1.2.2001 से लेवी दायित्व को 30 प्रतिशत से और घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बीमा कंपनियों को हुए घाटे

452. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां घाटे में चल रही हैं;

(ख) क्या प्रीमियम के माध्यम से अर्जित आय की तुलना में इन साधारण बीमा कंपनियों और इनकी चारों सहायक कंपनियों का व्यय कहीं अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इन कंपनियों के वार्षिक व्यय का कंपनी-वार वार्षिक ब्यौरा क्या है और इनके द्वारा प्रीमियम के माध्यम से कितनी आय अर्जित की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1999-2000 के संबंध में कंपनी-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं—

(करोड़ रु.)

कंपनी	नेशनल	न्यू इंडिया	ओरियंटल	यूनाइटेड इंडिया
निवल प्रीमियम व्यय	1615	2477	1632	1753
• किए गए दावे	1303	1906	1332	1524
• व्यय और कमीशन	472	603	494	430
• समाप्त न हुए जोखिम भंडार	72	146	104	7[illegible]
-निवल हामीदारी परिणाम	(-)232	(-)178	(-)298	(-)27[illegible]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

453. **श्री पी. आर. खूंटे :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले वित्त वर्ष में कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए वरीयता के आधार पर घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का चयन किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या जिनमें निवेश किया जा रहा है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों निवेश नई परियोजनाओं, सरकारी क्षेत्र के वर्तमान उपक्रमों की ावश्यकताओं, बाजार/रणनीतिक दृष्टिकोणों से मांग, धनराशि की पलब्धता और कच्चे माल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से कारकों पर आधारित होता है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण ोर्ड को सौंपे गए सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उपक्रमों के लए और निवेश पर विचार प्रत्येक मामले के अनुसार औद्योगिक एवं वत्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अनुमोदित उपयुक्त पुनर्स्थापन/नवीकरण पैकेज े आधार पर किया जाता है।

(घ) लोक उद्यम सर्वेक्षण 1997-98 तथा 1998-99 में शामिल चना के आधार पर वर्ष 1998-99 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों किए गए निवेश की राशि 7602 करोड़ रुपये थी।

रुपये का मूल्य

454. **श्री रामजीलाल सुमन** :
श्री पवन कुमार बंसल :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 2000 से दिसंबर, 2000 तक रुपये के मूल्य में माह-वार कितनी गिरावट आई है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई और कौन-कौन से स्रोतों ने विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि में अपना योगदान दिया; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय रुपये में इस गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : (क) और (ख) जनवरी, 2000 से दिसंबर, 2000 की अवधि के दौरान रुपये में यूरो की तुलना में 5.1 प्रतिशत, पौंड स्टर्लिंग की तुलना में 2.8 प्रतिशत और जापानी येन की तुलना में 1.6 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई जबकि उसी अविध के दौरान अमरीकी डालर की तुलना में इसमें 7.0 प्रतिशत का ह्रास हुआ। जनवरी, 2000 से दिसंबर, 2000 की अवधि के दौरान प्रत्येक माह में इनमें से प्रतयेक मुद्रा की तुलना में रुपये की मूल्यवृद्धि/ह्रास (−) की मात्रा नीचे दी गई है—

	रुपया/ अम. डालर	रु. की मूल्यवृद्धि/ ह्रास (−) (प्रतिशत)	रुपया/ येन*	रु. की मूल्यवृद्धि/ ह्रास (−) (प्रतिशत)	रुपया/ यूरो	रु. की मूल्यवृद्धि/ ह्रास (−) (प्रतिशत)	रुपया/ पौण्ड स्टर्लिंग	रुपये की मूल्यवृद्धि/ ह्रास (−) (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिसम्बर, 99	43.49		42.39		44.01		70.18	
जनवरी, 2000	43.55	-0.14	41.50	2.14	44.29	-0.63	71.43	-1.75
फरवरी, 2000	43.61	-0.14	39.90	4.01	42.92	3.19	69.92	2.16
मार्च, 2000	43.59	0.05	40.86	-2.35	42.08	2.00	68.93	1.44
अप्रैल, 2000	43.64	-0.11	41.42	-1.35	41.30	1.89	69.05	-0.17
मई, 2000	43.98	-0.77	40.69	1.79	39.87	3.59	66.40	3.99
जून, 2000	44.69	-1.59	42.09	-3.33	42.41	-5.99	67.46	-1.57
जुलाई, 2000	44.78	-0.20	41.53	1.35	42.14	0.64	67.59	-0.19
अगस्त, 2000	45.68	-1.97	42.30	-1.82	41.38	1.84	68.02	-0.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सितम्बर, 2000	45.89	-0.46	42.97	-1.56	39.93	3.63	65.76	3.44
अक्तूबर, 2000	46.34	-0.97	42.76	0.49	39.71	0.55	67.34	-2.35
नवम्बर, 2000	46.78	-0.94	42.97	-0.49	40.03	-0.80	66.73	0.91
दिसम्बर, 2000	46.75	0.06	41.73	2.97	41.87	-4.39	68.28	-2.27

*रुपया प्रति 100 येन

(ग) और (घ) जी, हां। देश का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर, 1999 के अंत में 3409 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर दिसंबर, 2000 के अंत में 40.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जो कि जनवरी, 2000 से दिसंबर, 2000 की अवधि के दौरान 5.2 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि दर्शाता है। परवर्ती अवधि में विदेशी मुद्रा भंडार और अधिक बढ़कर 9 फरवरी, 2001 को 41.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार का उतार-चढ़ाव भारत के भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी खातों में लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा के अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह के निवल परिणाम को प्रतिबिम्बित करता है। अत: प्रारक्षित भंडार में परिवर्तन प्रत्येक लेन-देनों में और उतार-चढ़ाव के बीच एक के प्रति एक समानुरूपता को स्थापित करना संभव नहीं है। तथापि, वर्ष 2000-01 के दौरान विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में हुई वृद्धि को अभी तक निर्यातों में हुई तीव्र वृद्धि और अदृश्य प्राप्तियों में ही अनवरत उत्प्लावकता से समर्थन मिला है। अक्तूबर-नवंबर, 2000 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट (आई.एम.डी.) से प्राप्त लगभग 5.5 बिलियन अमरीकी डालर के अंतर्प्रवाह से पूंजी प्रवाहों में वृद्धि हुई।

(ङ) भारत में विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थितियां मुख्य रूप से विनिमय दरों में होने वाली दैनंदिन गतिविधियों द्वारा निर्धारित होती हैं। भारत और विदेशों में वित्तीय बाजारों के घटनाक्रमों का भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निकटता से अनुवीक्षण किया जाता है और जब भी जरूरी हो विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को कम करने, अस्थिरता उत्पन्न करने वाली सट्टेबाजी की गतिविधियों को उभरने से रोकने, सुव्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार स्थितियों का विकास करने और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने में सहायता करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

आन्ध्रा बैंक के अस्थाई कर्मचारी

455. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्रा बैंक में राज्य-वार कितने अस्थाई कर्मचारी हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इन्हें नियमित करने का कोई अभ्यावेदन लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई मांग पर सरकार का अंतिम निर्णय क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग में पैनल बनाने और अस्थायी उम्मीदवारों के आमेलन के मामले में दिनांक 9.1.1995 को बैंक के बहुसंख्यक अवार्ड स्टाफ यूनियन के साथ आन्ध्रा बैंक द्वारा किए गए समझौते के अनुक्रम में बैंक के पास सूची में शामिल 1169 अस्थायी कर्मचारी हैं। सूची में शामिल इन उम्मीदवारों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है—

केरल	8
कर्नाटक	26
आन्ध्र प्रदेश	985
तमिलनाडु	37
महाराष्ट्र	14
पश्चिम बंगाल	17
बिहार	3
उड़ीसा	60
मध्य प्रदेश	7
उत्तर प्रदेश	7
चंडीगढ़	2
राजस्थान	2
पांडिचेरी	1
कुल	1169

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों के अतिरिक्त भंडार का भंडारण

456. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपने गोदामों में खाद्यान्नों के अतिरिक्त भंडार के भंडारण और रखरखाव के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इस हेतु प्रतिवर्ष कितना अतिरिक्त व्यय हुआ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान अब तक कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इस अतिरिक्त बोझ को वहन करने के लिए सरकार ने किस स्रोत से धन जुटाया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के लिए गेहूं और चावल के निवल अधिशेष पर हुआ अनुमानित अतिरिक्त व्यय नीचे दिया गया है--

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अतिरिक्त व्यय
1997-98	904
1998-99	1392
1999-2000	2797

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय को वर्ष के लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बताया जा सकेगा, क्योंकि स्टाक की स्थिति में दिन-प्रतिदिन के आधार पर परिवर्तन हो जाता है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित बैंकों के संघ से नकद ऋण सुविधाएं लेकर बैंक उधारी के जरिए अपने कार्य करता है, उधार की इन राशियों की भारत सरकार द्वारा यथारूप खाद्य राजसहायता की बजट के माध्यम से प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

हल्दी का निर्यात

457. **श्री रामशकल :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बाजार में हल्दी के संबंध में भारत के एकाधिकार के बावजूद निर्यात का प्रतिशत कुल उत्पादन का केवल 5 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात की इस कम प्रतिशतता के क्या कारण हैं; और

(ग) हल्दी का निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) 1998-99 के दौरान हल्दी के निर्यात का प्रतिशत इसके कुल उत्पादन का 6.2% था। भारत, विश्व बाजार में हल्दी का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक होने के कारण पहले ही हल्दी की कुल अंतर्राष्ट्रीय मांग का लगभग 90% से अधिक को पूरा कर रहा है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार सीमित है इसलिएं हल्दी के निर्यात का इसके कुल उत्पादन में प्रतिशत भी कम है।

(ग) हल्दी का निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं—

(i) स्वच्छ परिस्थितियों के तहत हल्दी सुखाने के लिए इमदाद प्राप्त लागत पर पोलीथीन शीटों की आपूर्ति करना।

(ii) घरेलू प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन में निर्यातकों की सहायता करना।

(iii) हल्दी की गुणवत्ता उन्नयन हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(iv) हल्दी उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए करक्यूमिन का प्रजन्न टोक्सीकोलोजी अध्ययन करना।

मसाला बोर्ड हल्दी सहित मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए मसाला गृह प्रमाणपत्र एवं भारतीय मसाला लोगो प्रदान करने, विदेशों में भारतीय ब्रांडों का संवर्धन करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन; व्यापार संवर्धन; उत्पाद विकास तथा अंतिम उपयोग विकास इत्यादि जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन भी कर रहा है।

औद्योगिक विकास

458. श्री जोरा सिंह मान :
श्री नवल किशोर राय :
डा. (श्रीमती) सुधा यादव :
श्री पुष्प जैन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास की क्या स्थिति है;

(ख) गत तीन वर्षों की तुलना में औद्योगिक विकास में कितने प्रतिशत वृद्धि/गिरावट हुई;

(ग) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान देश में औद्योगिक विकास दर धीमी हुई है;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान अनुमानित विकास दर क्या है और यह निर्धारित लक्ष्य से कितनी कम है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) किन-किन क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट दिखलाई पड़ी है; और

(च) औद्योगिक विकास को बढ़ाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) अप्रैल-दिसंबर, 2000 के दौरान औद्योगिक विकार दर 5.7% रही है। विश्व विकास रिपोर्ट 2000-01 के अनुसार 1990-99 के दौरान भारत और चुनिंदा देशों के समूह के लिए औद्योगिक विकास दर नीचे दी गई है—

देश समूह	औसत वार्षिक औद्योगिक विकास (1990-1999)
निम्न आय	1.1
मध्यम आय	4.4
उच्च आय	2.6
भारत	6.7

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि निम्न रही है--

1997-98	1998-99	1999-2000
6.7	4.1	6.5

(ग) और (घ) चालू वर्ष (अप्रैल-दिसंबर, 2000) के दौरान देश में औद्योगिक विकास दर घटकर 5.7% हो गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 6.4% थी। चालू वर्ष के दौरान गिरावट मुख्यत: समग्र मांग में कमी, अवसंरचनात्मक सुविधाओं की बाधाओं तथा ऊर्जा की बढ़ती लागत, विशेषकर कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप आई है।

(ङ) अप्रैल-दिसंबर, 2000 के दौरान विनिर्माण और विद्युत क्षेत्रों ने मंदी की प्रवृत्ति दर्शायी है।

(च) औद्योगिक विकास में वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं—

- सामरिक और सुरक्षा महत्व के छ: उद्योगों के अलावा अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित बैंक दर तथा नकद आरक्षित अनुपात में कमी।
- प्रौद्योगिकी आयातों का उदारीकरण।
- उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क व्यवस्था का योक्तीकरण।
- अनेक क्षेत्रों को स्वत: मार्ग के तहत लाते हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदारीकरण।
- विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) से प्रतिस्थापित किया जाना।

जड़ी-बूटियों का पेटेंट

459. **कुंवर अखिलेश सिंह :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ जड़ी-बूटियों को पेटेंट करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में आवश्यक और प्रभावी कार्रवाई कब तक की जाएगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालय में उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क वंचन के लंबित मामले

460. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क वंचन के लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि शामिल है;

(ख) क्या सरकार का विचार विवादास्पद मामलों के शीघ्र निपटान और बकाया राशि की तत्काल वसूली के लिए कोई कानून बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यातोन्मुखी क्षेत्र

461. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चुने हुए केन्द्रों को निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों के रूप में विकसित करने की आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में बिहार और अन्य राज्यों से कोई व्यापक व्यवहार्यता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राज्यों के सूचना और प्रसारण मंत्रियों की समिति

462. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनोरंजन के क्षेत्र के विकास के लिए एक समिति का गठन किया है जिसमें राज्यों के सूचना और प्रसारण मंत्री शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निदेश पद क्या हैं; और

(ग) समिति अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत करेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) समिति के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

विवरण

इस मंत्रालय के दिनांक 14.2.2001 के आदेश सं. 103/1/2001 द्वारा गठित समिति का संघटन निम्न प्रकार से है—

(1) केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, अध्यक्ष

(2) केन्द्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष

(3) सूचना और जन-संपर्क मंत्री, असम सरकार

(4) सूचना और जन-संपर्क मंत्री, गुजरात सरकार

(5) सूचना और जन-संपर्क मंत्री, जम्मू और कश्मीर सरकार

(6) सूचना और जन-संपर्क मंत्री, झारखंड सरकार

(7) सूचना और जन-संपर्क मंत्री, कर्नाटक सरकार

(8) सूचना और जन-संपर्क मंत्री, महाराष्ट्र सरकार

(9) सूचना और जन-संपर्क मंत्री, मिजोरम सरकार

(10) सूचना और जन-संपर्क मंत्री, राजस्थान सरकार

(11) सूचना और जन-संपर्क मंत्री, तमिलनाडु सरकार

इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं—

(1) केन्द्र तथा राज्यों, दोनों के लिए एक नीतिगत ढांचे का सुझाव देना जो मनोरंजन क्षेत्र के विकास में सहायक हो।

(2) मनोरंजन क्षेत्र के बदलते/उभरते परिदृश्य के कारण वैधानिक तथा विनियामक ढांचे में परिवर्तन के सुझाव देना।

(3) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा, प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर निर्माण सुविधाओं के बारे में अतिरिक्त आधारभूत आवश्यकताओं का पता लगाना।

(4) निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना।

(5) सिनेमा को वित्त उपलब्ध कराने के तरीकों का पता लगाना।

(6) कराधान प्रणाली की समीक्षा करना तथा ऐसे परिवर्तन सुझाना जो और अधिक राजस्व अर्जित करने में सहायक हों और साथ ही मनोरंजन क्षेत्र को प्रोत्साहित करते हों।

(ड) मनोरंजन क्षेत्र की क्षमताओं का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए इससे जुड़े या आनुषंगिक अन्य मुद्दे।

कर सुधारों संबंधी सलाहकार समूह

463. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर सुधारों के संबंध में योजना आयोग सलाहकार समूह ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निगमित और वैयक्तिक आयकर को कम करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) कर सुधारों के संबंध में योजना आयोग सलाहकार समूह के सुझाव वार्षिक बजट प्रक्रिया के एक भाग के रूप में विचाराधीन हैं और इस संबंध में सरकार का निर्णय यदि कोई होगा, तो उसे लोक सभा में 28 फरवरी, 2001 को पेश किए जाने वाले वित्त विधेयक, 2001 में शामिल किया जाएगा।

कम मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों की कमी

464. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कम मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार टिकाऊपन के कारण प्लास्टिक करेंसी नोट चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो प्लास्टिक करेंसी नोटों का चलन कब से आरंभ किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) एक रुपये, दो रुपये और पांच रुपये के करेंसी नोट अब नहीं छापे जाते हैं और जो नोट पहले से ही प्रचलन में हैं उन्हें सिक्कों में बदल दिया जाएगा। सरकारी टकसालों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अल्पकालिक उपाय के तौर पर सरकार लोगों के लिए सिक्कों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सिक्कों का आयात कर रही है।

(ग) और (घ) भारतीय बैंक नोटों को अधिक समय तक चलन योग्य बनाए रखने के संबंध में सरकार द्वारा गठित समिति नोट के आधार को कागज की जगह प्लास्टिक का बनाने के साथ-साथ सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

कार्यक्रम सलाहकार समितियां

465. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों के लिए कार्यक्रम सलाहाकर समितियां गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के गठन हेतु नियुक्त प्राधिकारी के मानदंडों का ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक केन्द्र द्वारा कितनी बैठकें की गईं;

(ग) क्या कुछ केन्द्रों के लिए ऐसी समितियों का गठन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) 23 नवंबर, 1997 से एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में गठन के बाद प्रसार भारती कार्यक्रम सलाहकार समितियां गठित करने के लिए सक्षम है। प्रसार भारती बोर्ड ने दूरदर्शन केन्द्रों/आकाशवाणी केन्द्रों में कार्यक्रम सलाहकार समितियों के गठन से पहले नए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्णय किया है। इन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के लंबित रहते सरकार द्वारा 1995-96 में 74 आकाशवाणी केन्द्रों में दो वर्ष की अवधि के लिए गठित की गई कार्यक्रम सलाहकार समितियां अभी भी कार्य कर रही हैं। प्रसार भारती ने बताया है कि इन समितियों की बैठकें तीन महीने में एक बार की जाती हैं। प्रसार भारती ने आगे सूचित किया है कि दूरदर्शन केन्द्रों के लिए कोई कार्यक्रम सलाहकार समिति विद्यमान नहीं है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक ऋण

466. **श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान विश्व बैंक ने किन-किन राज्यों के लिए ऋण स्वीकृत किए हैं और ये योजनाएं क्या हैं तथा प्रत्येक योजना के लिए पृथकतः कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अधिकतम धनराशि किस राज्य के लिए स्वीकृत की गई और यह किस योजना के लिए मंज़ूर की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत हुई ति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) :) और (ग) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान विश्व द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं तथा अनुमोदित राशि और 31.12.2000 स्थिति के अनुसार उपयोग में लाई गई राशि के ब्यौरे इस प्रकार

(आंकड़े अनंतिम हैं)
मिलियन अमरीकी डालर में

य	परियोजना का नाम	अनुमोदित राशि	31.12.2000 की स्थिति के अनुसार उपयोग
र प्रदेश	उत्तर प्रदेश विविधिकृत कृषि सहयोग (1998-99)	128.50	16.826
	उत्तर प्रदेश सोडिक भूमि-II (1998-99)	194.10	13.844
	उत्तर प्रदेश डीपीईपी-II (1999-2000)	182.40	11.209
ध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना (1998-99)	543.20	155.172
	आंध्र प्रदेश विद्युत एपीएल-I (1998-99)	210.00	83.001
राष्ट्र	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली (1998-99)	134.00	4.162
मलनाडु	तमिलनाडु शहरी विकास (1999-2000)	105.00	38.001
स्थान	राजस्थान डीपीईपी-I (1999-2000)	81.90	4.002
ीसा	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली (1998-99)	76.40	5.131

(ख) इस अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए अधिकतम सहायता मोदित की गई थी तथा इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता

[अनुवाद]

कर्मचारी निरीक्षण इकाई का प्रतिवेदन

467. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर अभी भी कर्मचारी रहित अधिष्ठापित प्रतिष्ठान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों सहित विभिन्न दूरदर्शन अधिष्ठापनाओं की कुल कर्मचारी आवश्यकता का पता लगाने के लिए कर्मचारीवृन्द संबंधी मानदंडों का तत्काल अध्ययन करने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को कर्मचारी निरीक्षण इकाई (एस.आई.यू.) की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त सिफारिशें कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) किसी भी स्थल पर स्थित अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्वचालित स्थापनाएं हैं। वर्तमान में, 297 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर दूरदर्शन नेटवर्क में कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) कर्मचारी निरीक्षण एकक की सिफारिशों की प्राप्ति के लिए कोई समय-सारणी संभव नहीं है।

खाद्यान्नों की वार्षिक आवश्यकता और उपभोग

468. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आवश्यकता/खपत का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषतया महाराष्ट्र के मामले में मदवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बढ़ती जनसंख्या और मांग को ध्यान में रखते हुए 2005 के अंत तक खाद्यान्नों की कुल कितने मिलियन टन आवश्यकता होगी; और

(घ) विशेषतया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा इन आवश्यकता को किस तरह से पूरा किया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000 के लिए खाद्यान्नों की वार्षिक आवश्यकता देश के लिए 195.42 मिलियन टन और महाराष्ट्र के लिए 17.83 मिलियन टन अनंतिम रूप से होने का अनुमान है। खपत की आवश्यकता की गणना राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद द्वारा संस्तुत खाद्यान्नों की मानक आवश्यकता (182.5 किलोग्राम/सी.यू./वर्ष) का उपयोग करके 1002.14 मिलियन प्रक्षेपित आबादी को हिसाब में लेकर की गई है।

(ग) वर्ष 2005 के लिए 210.11 मिलियन टन खाद्यान्नों की वार्षिक आवश्यकता होने का अनंतिम अनुमान लगाया गया है।

(घ) अंत्योदन अन्न योजना सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की वार्षिक आवश्यकता लगभग 293 लाख टन है। यह आवश्यकता भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा वसूल और भंडारित खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल के स्टाक से पूरी की जाती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को चीनी की आपूर्ति

469. श्री नरेश पुगलिया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अनुमानत: राज्यवार कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं; और

(घ) किसी व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे मानने के वर्तमान मानदंड क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जहां तक लेवी चीनी का संबंध है, सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुनर्संरचना करने का फैसला किया है। जुलाई, 2000 से आयकर निर्धारितियों और उनके परिवारों के सदस्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लेवी चीनी के लाभ से बाहर कर दिया गया था। 1.2.2001 से उत्तर-पूर्वी राज्यों/पर्वतीय राज्यों/द्वीपसमूहों, जहां वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी, को छोड़कर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों तक ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लेवी चीनी की आपूर्ति सीमित रखी गई है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी की मात्रा को प्रति व्यक्ति प्रति माह 425 ग्राम से बढ़ाकर 500 ग्राम कर दिया गया है जिससे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को लाभ मिलेगा।

(ग) 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की अनुमानित संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या स्वर्गीय प्रो. लाकड़वाला की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गठित 'गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल' की विधि को अपनाकर वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमान के आधार पर निकाली गई है।

विवरण

देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.3.200 की स्थिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	40.63
अरुणाचल प्रदेश	00.99
असम	18.36
बिहार	89.17
गोवा	00.48
गुजरात	21.20
गोवा	07.89
हिमाचल प्रदेश	05.14
जम्मू और कश्मीर	07.36
कर्नाटक	31.29
केरल	15.54
मध्य प्रदेश	60.01
महाराष्ट्र	65.34
मणिपुर	01.66
मेघालय	01.83

1	2
मिजोरम	00.68
नागालैंड	01.24
उड़ीसा	32.98
पंजाब	04.68
राजस्थान	24.31
सिक्किम	00.43
तमिलनाडु	48.63
त्रिपुरा	02.95
उत्तर प्रदेश	111.77
पश्चिम बंगाल	51.79
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	00.28
चंडीगढ़	00.23
दादरा और नगर हवेली	00.18
दमन और दीव	00.04
दिल्ली	04.09
लक्षद्वीप	00.03
पांडिचेरी	00.84
जोड़	652.04

रबड़ निर्यात को प्रोत्साहन

470. **श्री पी.सी. थामस** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड वर्तमान में प्राकृतिक रबड़ के निर्यात हेतु कोई प्रोत्साहन दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रबड़ के निर्यात हेतु सहायता राशि में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। रबड़ बोर्ड क्रमशः भारतीय मानक प्राकृतिक रबड़ और सारन्द लेटेक्स के निर्यात के लिए ब्लॉक रबड़ प्रोसेसरों और लेटेक्स प्रोसेसरों को 3 रुपये प्रति किग्रा. का प्रोत्साहन प्रदान करता रहा है।

(ग) और (घ) वर्तमान में रबड़ के निर्यात के लिए प्रोत्साहन की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय कर राजस्वों का हस्तांतरण

471. **श्री सुशील कुमार शिन्दे** :
श्री एम.के. सुब्बा :
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अंतर्गत केन्द्रीय कर राजस्वों के हस्तांतरण के नए फार्मूले को अपनाए जाने के विरुद्ध केन्द्र सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दसवें वित्त आयोग की तुलना में ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में राजस्व हस्तांतरणों में कितना वार्षिक नुकसान हुआ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि राज्य सरकारें नुकसान की भरपाई कर सकें?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) कुछ राज्य सरकारों ने शिकायत की है कि ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) द्वारा केन्द्रीय करों और प्रशुल्कों में राज्यों के हिस्से और सहायता अनुदान की प्रमात्रा निर्धारित करने में अपनाए गए मानकों/पद्धतियों के परिणामस्वरूप दसवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) द्वारा यथा-संस्तुत अंतरणों की तुलना में उनके राज्य को मिलने वाले अंतरणों में कमी आई है।

वित्त आयोग ने राज्यों की अपेक्षाओं और क्षैतिज साम्यताओं की जरूरतों के संदर्भ में किए गए अपने आकलन को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर राज्यों के बीच अंतरणों की मात्रा का निर्धारण करने के लिए मानक नियत किए हैं। दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत कुल अनुमानित अंतरणों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) ग्यारहवें वित्त आयोग ने केन्द्र के संसाधनों और प्रत्येक राज्य की जरूरतों का समग्र आकलन करने के बाद ही राज्यों को अंतरण संबंधी अपनी सिफारिशें की हैं। भारत सरकार ने सन् 2000-2005 की अवधि के लिए अपनी मुख्य रिपोर्ट में केन्द्रीय करों और प्रशुल्कों के अंतरण, सहायता अनुदान की प्रमात्रा और राज्यों को ऋण सहायता से संबंधित ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। ग्यारहवें वित्त आयोग की मुख्य रिपोर्ट के साथ आयोग की सिफारिशों

पर की गई कार्रवाई का एक व्याख्यात्मक ज्ञापन 27 जुलाई, 2000 को संसद के दोनों सदनों के सभा-पटल पर प्रस्तुत किया गया था।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अतिरिक्त विचारार्थ विषयों पर अपनी प्रतिपूरक रिपोर्ट में राज्यों को राजकोषीय कार्य निष्पादन आधारित अनुदानों को जारी करने के लिए एक प्रोत्साहन निधि गठित करने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने इस संबंध में ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है। अतिरिक्त विचारार्थ विषयों पर ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति को 19.12.2000 को संसद के दोनों सदनों के सभा-पटल पर प्रस्तुत किया गया था।

विवरण

दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुमानित कुल अंतरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	दसवां वित्त आयोग (1995-2000)						ग्यारहवां वित्त आयोग (2000-05)					
		करों और प्रशुल्कों में अंशदान	गैर-योजनागत राजस्व घाटा अनुदान	स्तरोन्नयन एवं विशेष समस्या	स्थानीय निकाय अनुदान	राहत व्यय	कुल अंतरण (कालम 2 से 6)	करों और प्रशुल्कों में अंशदान	गैर-योजनागत राजस्व घाटा अनुदान	स्तरोन्नयन एवं विशेष समस्या	स्थानीय निकाय अनुदान	राहत व्यय	कुल अंतरण (कालम 8 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	16325.94	686.45	153.88	424.94	490.33	18081.54	28980.25	0.00	285.23	924.90	820.80	31011.1[illegible]
2.	अरुणाचल प्रदेश	1360.03	307.60	68.31	4.63	27.79	1768.36	918.22	1228.02	90.59	28.52	49.83	2315.1[illegible]
3.	असम	7064.14	712.03	206.86	147.56	197.46	8328.05	12362.05	110.68	132.54	254.99	420.60	13280.[illegible]
4.	बिहार	23302.45	333.06	240.63	574.28	205.14	24655.56	54934.90	0.00	401.60	878.94	512.46	56727.[illegible]
5.	गोवा	524.06	77.26	10.79	5.91	4.23	622.25	775.22	0.00	27.28	13.91	5.15	821.[illegible]
6.	गुजरात	8014.95	0.00	50.00	259.47	551.17	8875.59	10615.93	0.00	234.85	480.56	668.88	12000.[illegible]
7.	हरियाणा	2554.96	0.00	40.00	99.22	98.93	2793.11	3552.44	0.00	132.65	183.73	336.95	4205.7[illegible]
8.	हिमाचल प्रदेश	3743.81	772.18	105.03	34.23	106.41	4761.66	2570.25	4549.26	91.16	69.56	180.20	7460.4[illegible]
9.	जम्मू और कश्मीर	5904.70	1184.13	105.77	49.68	77.80	7322.08	4854.50	11211.19	127.82	90.07	144.64	16428.[illegible]
10.	कर्नाटक	10034.64	0.00	29.00	291.96	165.23	10520.83	18552.48	0.00	311.53	518.94	309.03	19691.9[illegible]
11.	केरल	7217.00	0.00	81.83	204.24	218.74	7721.81	11504.04	0.00	129.14	404.88	278.66	12316.7[illegible]
12.	मध्य प्रदेश	15275.50	0.00	206.37	410.43	201.67	16093.97	33258.98	0.00	494.52	871.48	373.40	34998.3[illegible]
13.	महाराष्ट्र	12859.84	0.00	100.00	479.96	269.28	13709.08	17431.05	0.00	331.97	972.98	651.49	19387.4[illegible]
14.	मणिपुर	1689.63	350.92	74.74	11.54	9.79	2136.62	1377.32	1744.94	58.59	23.17	11.89	3215.91
15.	मेघालय	1534.58	316.42	16.72	10.12	11.01	1888.85	1287.01	1572.38	57.39	28.31	16.32	2961.41
16.	मिजोरम	1398.37	331.19	64.13	3.32	5.00	1802.01	745.11	1676.30	89.84	11.70	12.32	2535.2[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	नागालैंड	2197.38	592.78	53.96	5.21	6.71	2793.04	827.90	3536.24	62.84	14.66	8.12	4449.76
18.	उड़ीसा	8783.41	371.74	137.79	220.10	193.51	9706.55	19026.64	673.60	215.05	385.55	453.66	20754.50
19.	पंजाब	3160.41	0.00	81.31	133.95	213.80	3589.47	4316.37	284.21	110.01	209.37	508.57	5428.53
20.	राजस्थान	10255.26	33.45	149.87	255.40	706.89	11400.87	20595.88	1244.68	299.85	590.37	857.85	23588.63
21.	सिक्किम	562.07	105.69	10.06	2.48	18.59	698.89	692.43	840.58	66.78	5.50	28.63	1633.92
22.	तमिलनाडु	12622.54	0.00	100.84	402.86	234.33	13360.57	20264.72	0.00	251.86	659.49	425.36	21601.43
23.	त्रिपुरा	2325.81	488.78	25.90	14.97	17.75	2873.21	1832.67	2414.16	60.18	32.48	21.55	4361.04
24.	उत्तर प्रदेश	33526.67	982.00	275.54	880.70	494.00	36158.91	74501.56	1026.74	669.91	1570.76	740.33	78509.30
25.	पश्चिम बंगाल	14104.85	0.00	219.17	453.77	202.63	14980.42	30540.09	3246.09	239.45	775.22	419.00	35219.85
	कुल	206343.00	7582.68	2608.50	5380.93	4728.19	226643.30	376318.01	35359.07	4972.63	10000.00	8255.69	434905.40

आयकर का भुगतान करने वालों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी की बिक्री

472. **श्री चिंतामन वनगा :**

श्री रामपाल सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर के आयकर भुगतान न करने वाले लोगों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी की बिक्री करने पर रोक लगा दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु चयनित प्रभावी तारीख क्या है;

(ग) आयकर भुगतान करने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी की बिक्री करने पर किस तारीख से रोक लगा दी गई थी;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से और अधिक वस्तुओं को बेचने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) जहां तक चीनी की आपूर्ति का संबंध है सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्संचित करने का निर्णय लिया है। जुलाई, 2000 से आयकर निर्धारितियों और उनके आश्रितों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी लेने की पात्रता से वंचित कर दिया गया था। उत्तर-पूर्वी राज्यों/पहाड़ी राज्यों/द्वीप समूह क्षेत्रों, जहां मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी, को छोड़कर 1.2.2001 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी की आपूर्ति केवल गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए सीमित कर दी गई है। तथापि, लेवी चीनी की न्यूनतम प्रति व्यक्ति प्रति माह मात्रा को 425 ग्राम से बढ़ाकर 500 ग्राम कर दिया गया है जिससे गरीबी रेखा से नीचे के परिवार लाभान्वित होंगे।

(घ) और (ङ) सरकार ने जुलाई, 2000 में भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि. के माध्यम से 'सर्वप्रिय' योजना शुरू की है। इस योजना में उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का सामान उपलब्ध करवाने, उचित दर दुकान को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समर्थन देने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों, नागरिक पूर्ति निगम की खुदरा यूनिटों और उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से दाल, नमक, चाय, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, कापियों, सरसों का तेल और टूथपेस्ट जैसी 11 आवश्यक वस्तुएं वितरित करने की परिकल्पना की गई है।

घटिया किस्म की चाय का निर्यात

473. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कथित रूप से मानव उपभोग के अनुप्रयुक्त घटिया किस्म की चाय की आपूर्ति करने के कारण लीबिया में अपना चाय निर्यात बाजार खो दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से न हों, क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) भारतीय चाय के लिए लीबिया स्थिर बाजार नहीं है। पिछले पांच वर्षों के दौरान लीबिया को चाय का निर्यात निम्नानुसार रहा है—

वर्ष	मात्रा मिलि. किग्रा. में
1996	0.05
1997	1.65
1998	6.98
1999	शून्य
2000	3.63

भारतीय दूतावास, त्रिपोली ने अगस्त, 2000 में लिबियन नेशनल सप्लाई कारपोरेशन को भारतीय निर्यातक द्वारा असंतोषजनक गुणवत्ता वाली चाय की आपूर्ति के बारे में मंत्रालय को सूचित किया था।

चाय बोर्ड ने शुरू में घटिया चाय की आपूर्ति संबंधी आरोप के बारे में भारतीय निर्यातक से टिप्पणियां प्राप्त की थीं और इसके बाद में चाय (संवितरण तथा निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1957 के तहत प्रदान किए गए चाय के निर्यातक लाइसेंस को निलंबित/रद्द करने के लिए निर्यातक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। भारतीय निर्यातक ने कारण बताओ नोटिस के उत्तर में बताया था कि उसे नैस्को त्रिपोली से सीधे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः चाय बोर्ड ने भारतीय दूतावास, त्रिपोली से नैस्को द्वारा निर्यातक के विरुद्ध यदि कोई हो, लिखित शिकायत की एक प्रति प्राप्त करके भेजने का अनुरोध किया है। इस घटना के आलोक में चाय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

विनिर्माण क्षेत्र का निष्पादन

474. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में मंदी आ रही है जबकि सेवा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या वर्ष 1995 में विनिर्माण क्षेत्र ने कुल रोजगार अवसरों का 48 प्रतिशत उपलब्ध कराया था जबकि अब यह 20 प्रतिशत तक नीचे आ गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में आ रही मंदी को रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माणकारी क्षेत्र के अंश से गिरावट की प्रवृत्ति का पता चला है जबकि सेवा क्षेत्र ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शायी है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्ष 1999 के दौरान संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में 25% विनिर्माणकारी क्षेत्र में नियोजित थे, जबकि 1995 के दौरान इसमें 23.7% नियोजित थे।

(घ) विनिर्माणकारी क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का बढ़ता हुआ अंश विश्व भर में अपनाए गए आर्थिक विकास की एक उल्लेखनीय घटना है। महत्वपूर्ण लक्ष्य उस क्षेत्र की बजाय जिस क्षेत्र से आय प्राप्त की जाती है, लोगों की आय में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट

475. श्री रूपचन्द पाल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माल उठाने में कोई उल्लेखनीय कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 (जनवरी, 2001 तक) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल के वर्षवार/राज्यवार आबंटन और उठान बताने वाले विवरण संलग्न हैं (विवरण-I और II)।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यवार आबंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष : 1999-2000 (अनंतिम) (आंकड़े हजार टन में)

राज्य	गेहूं								चावल							
	आबंटन				उठान				आबंटन				उठान			
	गरेऊ	गरेनी	अतिरिक्त	जोड़	गरेऊ	गरेनी	अतिरिक्त	जोड़	गरेऊ	गरेनी	अतिरिक्त	जोड़	गरेऊ	गरेनी	अतिरिक्त	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
बिहार	142.56	618.48	100.00	861.04	17.08	641.93	0.00	659.01	95.04	412.32	0.00	507.36	2.22	234.35	0.00	236.57
उड़ीसा	0.00	0.00	420.00	420.00	51.70	49.90	64.80	166.40	44.64	478.05	647.21	1169.90	118.30	769.30	0.00	887.60
पश्चिम बंगाल	776.40	283.80	0.90	1061.10	456.73	278.51	0.00	735.24	128.76	264.84	120.00	513.60	169.34	100.99	0.00	270.33
सिक्किम	1.20	0.00	0.89	2.09	1.42	0.00	0.00	1.42	35.64	4.08	48.00	87.72	65.81	4.21	0.00	70.02
जोड़	920.16	902.28	521.79	2344.23	526.93	970.34	64.80	1562.07	304.08	1159.29	815.21	2278.58	355.67	1108.85	0.00	1464.52
असम	193.60	0.00	20.30	213.90	195.50	0.00	23.67	219.17	241.28	228.72	200.00	670.00	179.50	215.90	132.73	528.13
अरुणाचल प्रदेश	6.34	0.84	1.20	8.38	5.28	0.00	0.07	5.35	61.65	8.40	30.48	100.53	73.69	8.32	19.72	101.73
त्रिपुरा	15.36	0.00	1.80	17.16	7.64	0.00	0.00	7.64	109.44	27.72	60.34	197.50	117.98	19.07	16.08	152.13
मणिपुर	20.52	0.00	2.70	23.22	0.12	0.00	0.00	0.12	34.32	15.60	75.08	125.00	21.30	21.07	0.00	42.37
नागालैंड	18.48	2.28	2.73	23.49	17.16	2.31	0.00	19.47	103.56	9.24	12.30	125.10	103.22	10.34	0.00	113.56
मिजोरम	12.12	0.00	1.96	14.08	14.80	0.00	0.00	14.80	61.72	6.36	36.96	105.04	74.82	6.89	9.16	90.89
मेघालय	12.00	0.00	2.46	14.46	15.69	0.00	0.00	15.69	114.36	17.16	76.08	207.60	128.14	17.55	46.01	191.70
जोड़	278.42	3.12	33.15	314.69	256.19	2.31	23.74	282.24	726.33	313.20	491.24	1530.77	698.65	299.14	222.72	1220.51
दिल्ली	484.80	0.00	240.00	724.80	53.94	0.00	0.00	53.94	154.68	0.00	0.00	154.68	74.47	0.00	0.00	74.47
हरियाणा	8.64	87.96	60.00	156.60	3.83	80.32	0.00	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	38.40	51.12	52.92	142.44	30.71	24.15	0.00	54.86	62.76	0.00	84.00	146.76	64.80	0.00	0.00	64.80
जम्मू और कश्मीर	88.32	17.76	258.48	364.56	29.16	16.93	0.00	46.09	150.12	56.40	218.95	425.47	282.65	52.25	7.76	342.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
पंजाब	18.12	43.44	0.00	61.56	0.00	2.43	0.00	2.43	3.36	8.16	0.00	11.52	0.05	0.22	0.00	0.27
चंडीगढ़	11.64	1.92	8.04	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	0.24	1.32	3.60	0.08	0.03	0.00	0.11
राजस्थान	392.16	257.40	60.00	709.56	51.68	191.76	0.00	243.44	9.36	3.00	15.56	27.92	1.44	1.30	0.00	2.74
उत्तर प्रदेश	266.04	768.00	494.00	1528.04	15.77	314.22	0.00	329.99	134.40	378.00	223.00	735.40	79.42	266.21	0.00	345.63
जोड़	1308.12	1227.60	1173.44	3709.16	185.09	629.81	0.00	814.90	516.72	445.80	542.83	1505.35	502.91	320.01	7.76	830.68
आंध्र प्रदेश	96.00	0.00	50.00	146.00	117.60	0.00	0.00	117.60	1847.04	453.36	0.00	2300.40	1874.35	433.50	0.00	2307.85
केरल	272.64	0.00	180.00	452.64	237.00	0.00	0.00	237.00	1319.64	184.20	24.00	1743.84	1009.00	182.00	0.00	1191.00
कर्नाटक	111.00	69.00	240.00	420.00	106.30	68.80	40.50	215.60	444.00	276.00	180.00	900.00	419.30	278.10	125.60	823.00
तमिलनाडु	0.00	0.00	360.00	36.00	131.79	0.00	34.13	165.92	461.28	549.48	748.00	1758.76	1271.88	535.39	0.00	1907.27
पांडिचेरी	0.24	0.00	8.76	9.00	1.56	0.00	0.55	2.11	3.48	7.80	12.72	24.00	2.05	7.32	2.52	11.89
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.16	0.84	0.00	9.00	4.57	0.18	0.00	4.75	28.20	1.80	0.00	30.00	16.68	0.00	0.00	16.68
लक्षद्वीप	0.50	0.00	0.00	0.50	0.03	0.00	0.00	0.03	6.06	0.24	0.00	6.30	5.00	0.00	0.00	5.00
जोड़	488.54	69.84	838.76	1397.14	598.85	68.98	75.18	743.01	4109.70	1472.88	1180.72	6763.30	4598.26	1436.31	128.12	6162.69
गुजरात	354.00	145.50	240.00	739.50	144.49	149.93	0.00	294.42	198.00	94.50	0.00	292.50	72.13	96.92	0.00	169.05
महाराष्ट्र	496.56	471.60	240.00	1208.16	644.42	432.11	0.00	1076.53	268.56	253.92	240.00	762.48	441.39	239.50	0.00	680.89
गोवा	20.28	1.44	12.00	33.72	13.19	0.14	0.00	113.33	42.84	3.12	30.00	75.96	37.65	8.48	0.00	46.13
मध्य प्रदेश	151.80	352.08	0.00	503.88	8.56	64.23	0.00	72.79	124.20	288.00	0.00	412.20	48.53	270.42	0.00	318.95
दमन और दीव	0.48	0.12	1.65	2.25	0.03	0.00	0.00	0.03	1.32	0.68	5.17	7.17	0.78	0.04	0.00	0.82
दादरा और नगर हवेली	0.60	0.36	2.04	3.00	0.18	0.18	0.00	0.36	2.16	1.44	3.00	6.60	0.78	0.60	0.00	1.38
जोड़	1023.72	971.10	495.69	2490.51	810.87	646.59	0.00	1457.46	637.08	641.66	278.17	1558.91	601.26	615.96	0.00	1217.22
सकल जोड़	4018.96	3173.94	3062.83	10255.73	2377.93	2318.03	163.72	4859.68	6293.91	4032.83	3308.17	13634.91	6756.75	3780.27	358.60	10895.62

(• : इसमें उड़ीसा को महाचक्रवात राहत के लिए आबंटित 50.00 हजार टन गेहूं और 346.71 हजार टन चावल शामिल है।)

टिप्पणी : विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन उठान के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यवार आबंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष : 2000-2 (जनवरी, 2001 तक) (अनंतिम) (आंकड़े हजार टन में)

राज्य	गेहूं								चावल							
	आबंटन				उठान				आबंटन				उठान			
	गरेऊ	गरेनी	अतिरिक्त	जोड़	गरेऊ	गरेनी	अतिरिक्त	जोड़	गरेऊ	गरेनी	अतिरिक्त	जोड़	गरेऊ	गरेनी	अतिरिक्त	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
बिहार	112.48	975.46	0.00	1087.94	1.04	383.90	0.00	384.94	74.98	650.30	0.00	725.28	0.92	129.89	0.00	130.81
झारखंड	6.32	55.36	0.00	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	36.90	144.98	186.10	0.00	0.00	177.45	177.45
उड़ीसा	0.00	0.00	98.20	98.20	0.00	0.00	91.10	91.10	37.20	641.04	305.15	983.29	2.76	567.03	57.41	627.20
पश्चिम बंगाल	647.00	477.44	2.00	1126.44	35.34	402.87	0.00	438.21	107.30	445.56	0.00	552.86	29.17	77.47	0.00	106.64
सिक्किम	1.00	0.00	0.00	1.00	0.35	0.00	0.00	0.35	33.70	7.18	40.00	80.88	3.29	3.55	0.00	6.84
जोड़	766.80	1508.26	100.20	2375.26	36.73	786.77	91.10	914.60	257.40	1780.98	49.13	2528.51	36.14	777.94	234.86	1048.94
असम	103.00	0.00	0.00	103.00	0.40	0.00	0.00	0.40	259.40	381.18	20.00	660.58	5.17	308.05	0.38	313.60
अरुणाचल प्रदेश	5.30	1.48	0.00	6.78	0.44	0.00	0.00	0.44	51.25	14.80	0.00	66.05	10.13	12.46	3.02	25.61
त्रिपुरा	12.80	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	91.20	46.22	0.00	137.42	6.23	44.33	0.00	50.56
मणिपुर	17.10	0.00	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	26.02	0.00	54.62	2.06	18.25	2.54	22.85
नागालैंड	15.40	3.80	0.00	19.20	1.49	2.28	0.00	3.77	86.30	15.40	0.00	101.70	0.28	14.87	0.00	15.15
मिजोरम	10.10	0.00	0.00	10.10	0.95	0.00	0.00	0.95	56.10	11.22	0.00	67.32	24.13	11.21	0.00	35.34
मेघालय	10.00	0.00	0.00	10.00	0.12	0.00	0.00	0.12	95.30	28.64	63.40	187.34	1.01	24.85	0.00	25.86
जोड़	173.70	5.28	0.00	178.98	3.40	2.28	0.00	5.68	668.15	523.48	83.40	1275.03	49.01	434.02	5.94	488.97
दिल्ली	426.40	8.18	0.00	434.58	0.08	0.00	0.00	0.08	136.10	0.00	0.00	136.10	1.77	0.00	0.00	1.77
हरियाणा	7.20	146.60	0.00	153.80	0.00	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	1.64
हिमाचल प्रदेश	32.00	59.64	0.00	91.64	2.74	20.39	0.00	23.13	52.30	25.56	0.00	77.86	3.54	18.02	0.00	21.56
जम्मू और कश्मीर	73.60	29.59	0.00	103.19	7.87	18.66	0.00	26.53	125.10	93.98	0.00	219.08	3.45	54.06	0.00	57.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
पंजाब	15.10	73.68	0.00	88.78	1.52	6.49	0.00	8.01	2.80	13.84	0.00	16.64	0.07	0.26	0.00	0.33
चंडीगढ़	9.70	3.20	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.40	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	326.80	433.62	503.89	1264.31	1.23	264.95	353.35	619.53	7.80	5.06	22.57	35.43	0.02	0.97	1.02	2.01
उत्तर प्रदेश	219.14	1274.08	0.00	1493.22	0.00	0.00	0.05	0.05	110.70	618.92	0.00	729.62	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तरांचल	2.56	5.92	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	11.08	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	1459.9	2045.07	503.89	4008.86	13.44	348.87	33.40	715.71	437.80	768.84	22.57	1229.21	8.85	74.95	1.02	84.82
आंध्र प्रदेश	80.00	0.00	0.00	80.00	3.30	0.00	0.00	3.30	1539.20	767.00	435.76	2741.96	852.11	775.79	430.81	2058.71
केरल	377.20	0.00	0.00	377.20	29.00	0.00	0.00	29.00	1146.20	307.76	0.00	1453.96	70.54	348.79	0.00	419.33
कर्नाटक	92.50	117.04	90.00	299.54	46.74	113.19	12.91	172.84	370.00	468.14	387.00	1225.14	302.28	430.40	42.98	775.66
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	384.40	927.16	0.00	1311.56	.47.58	936.86	31.00	1015.44
पांडिचेरी	0.68	0.00	4.52	5.20	0.00	0.00	0.83	0.83	2.90	13.74	10.00	26.64	0.05	6.26	2.35	8.66
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.16	1.68	0.00	9.84	4.08	1.74	0.00	5.82	28.20	3.60	0.00	31.80	2.33	2.27	0.00	4.60
लक्षद्वीप	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	0.48	0.00	6.54	5.29	0.00	0.00	5.29
जोड़	559.04	118.72	94.52	772.28	83.12	114.93	14.50	212.55	3476.96	2487.88	832.76	6797.60	1280.18	2500.37	507.14	4287.69
गुजरात	295.00	242.88	371.52	909.40	2.66	242.13	0.00	244.79	180.00	161.92	147.68	489.60	2.53	97.01	21.21	120.75
महाराष्ट्र	413.80	798.70	0.00	1212.50	8.03	508.23	0.00	516.26	223.80	430.04	0.00	653.84	33.29	280.51	0.00	313.80
गोवा	16.90	2.40	0.00	19.30	1.28	0.36	0.00	1.64	35.70	5.20	0.00	40.90	7.06	1.19	0.00	8.25
मध्य प्रदेश	119.66	571.94	0.00	691.60	0.11	27.98	0.00	28.09	93.50	428.15	0.00	521.66	1.05	310.58	0.00	311.63
छत्तीसगढ़	6.86	14.86	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	51.84	0.00	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन और दीव	0.40	0.22	0.00	0.62	0.00	0.02	0.00	0.02	1.10	0.42	0.00	1.52	0.15	0.13	0.00	0.28
दादरा और नगर हवेली	0.50	0.60	0.00	1.10	0.12	0.30	0.00	0.42	1.80	2.44	0.00	4.24	0.53	1.62	0.00	2.15
जोड़	853.12	1631.60	371.52	2856.24	12.20	779.02	0.00	791.22	545.90	1080.02	147.68	1773.60	44.61	691.04	21.21	756.86
सकल जोड़	3812.56	5308.93	1070.13	10191.62	148.89	2031.87	459.00	2639.76	5386.21	6641.20	1135.54	13603.95	1374.18	3787.28	770.17	5910.42

यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक मुद्दों पर बैठक

476. **श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में यूरोपीय संघ के कर्मचारियों के साथ किन द्विपक्षीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(ख) उक्त बैठकों से किस प्रकार की सहायता मिलनी अपेक्षित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) विदेश मामलों के यूरोपीय आयुक्त श्री क्रिस्टोफर एफ. पैटन ने जनवरी, 2001 के अंतिम सप्ताह में भारत की यात्रा की। वित्त मंत्री के साथ अपनी भेंट के दौरान आयुक्त ने गुजरात भूकम्प पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। द्विपक्षीय विकास सहयोग, निवेश तथा विश्व व्यापार संगठन के मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

(ख) आयुक्त द्वारा किसी वित्तीय सहायता के लिए कोई वचनबद्धता नहीं की गई।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचा जाना

477. **श्री अनंत गुढे :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शीर्ष संगठन स्कोप ने सरकार को अवसंरचनात्मक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपना हिस्सा विशिष्ट साझेदारों को नहीं बेचने का सुझाव दिया है क्योंकि यह रास्ता उपभोक्ता उत्पादों और सेवाओं के लिए ठीक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां। सितंबर, 2000 में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को प्रस्तुत एक ज्ञापन में स्कोप ने रणनीतिक बिक्री की अपेक्षा बाजार में सरकारी इक्विटी की बिक्री करने का सुझाव दिया था।

(ख) सरकार ने सुझावों को नोट कर लिया है।

बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का प्रवेश

478. **श्री वी. वेत्रिसेलवन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा क्षेत्र को विदेशियों के लिए खोलने और लाभों और अधिशेषों के प्रत्यावर्तन की अनुमति दिए जाने से देश का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ऐसी कोई योजना है कि विदेशी एन्टीटी और उनके सहयोगियों द्वारा विदेश में कोई रकम, विदेशी मुद्रा हस्तांतरित नहीं की जाएगी परंतु केवल भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के माध्यम से ही घोषित लाभों को हस्तांतरित कर सकेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार भारत में सभी विदेशी मुद्रा को अपने पास रखने और विदेशी मुद्रा के संबंध में अंतरपणन करने हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भारतीय बीमा कंपनियों की चुकता इक्विटी पूंजी के 26 प्रतिशत तक सीमित किया गया है। लाभों को केवल इस सीमा तक लाभांशों के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने यह भी अनुमान लगाया है कि किसी भी नई बीमा कंपनी के लिए पहले छः अथवा सात वर्षों में कोई लाभ कमाना मुश्किल होगा। अतः बीमा क्षेत्र को विदेशियों के लिए खोलने से देश की राजकोषीय स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बीमा अधिनियम के अंतर्गत पालिसी धारकों की निधियों का भारत के बाहर निवेश नहीं किया जा सकेगा। हालांकि साधारण बीमा कारोबार में प्रीमियम आय का कुछ प्रतिशत बीमा कवच प्राप्त करने हेतु विदेश में भेजा जा सकता है, जैसा कि वर्तमान में पब्लिक सेक्टर की बीमा कंपनियों द्वारा भी किया जा रहा है। यह बीमा कारोबार में एक सामान्य प्रक्रिया है और यह उनके प्रचालनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है। केवल वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात के माध्यम से लाभांशों को विदेश में अंतरण करने की पाबंदी लगाने की कोई योजना नहीं है। जैसा कि उपर्युक्त (क) के उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि विदेशी निवेशकों द्वारा 26 प्रतिशत की सीमा तक लाभांशों को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-निष्पादक आस्तियां

479. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-निष्पादक आस्तियों का विश्व बैंकिंग प्रणाली में औसत क्या है और विश्व अनुपात की प्रतिशतता के अनुसार गैर-निष्पादक आस्तियों के संबंध में भारतीय बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली हेतु सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल/निवल अनुपयोज्य आस्तियां और सकल/निवल अग्रिमों की तुलना में उनकी प्रतिशतता निम्नानुसार थी—

	राशि (करोड़ रुपये में)	अग्रिमों की तुलना में प्रतिशतता
(i) सकल अनुपयोज्य आस्तियां	60841	12.8
(ii) निवल अनुयोज्य आस्तियां	30152	6.8

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि विश्व बैंकिंग प्रणाली की अनुपयोज्य आस्तियों की औसत प्रतिशतता से संबंधित सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बैंक देयराशियों की वसूली के लिए कई उपाय करने का परामर्श दिया है, जैसे कि बैंकों द्वारा वसूली नीति तैयार एवं कार्यान्वित किया जाना, सिविल न्यायालयां में मुकदमे दायर करना, ऋण वसूली अधिकरणों में मामले दायर करना, निपटान सलाहकार समितियों के माध्यम से समझौते का प्रस्ताव और बैंक में विभिन्न स्तरों पर अनुपयोज्य आस्तियों के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई करना। हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 27 जुलाई, 2000 के अपने परिपत्र के तहत 5 करोड़ रुपये तक की अनुपयोज्य आस्तियों के निपटान के लिए अविवेकाधीन और अभेदमूलक मार्गनिर्देश तैयार किए हैं और बैंकों को 5 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया ऋणों के लिए स्वयं अपनी नीति तैयार करने का परामर्श दिया है। पुनर्वास, एकबारगी निपटान या 31.3.2001 तक सभी आवश्यक मामलों में वाद दायर करने के लिए बैंकों द्वारा कारगर कार्रवाई मुख्य कार्यपालकों द्वारा सुनिश्चित की जानी होती है।

आयात-निर्यात बैंक का निजीकरण

480. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति ; क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयात-निर्यात बैंक का निजीकरण किए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को ब्रिटेन की सहायता

481. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन का विचार गरीबी उपशमन के प्रयोजनों हेतु मध्य प्रदेश को 400 लाख पौंड की सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(ख) ब्रिटेन द्वारा दी जाने वाली सहायता के शासी नियम और शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) सरकार को यूनाइटेड किंग्डम की सरकार से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान दिया जाना

482. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न राज्यों विशेषकर तमिलनाडु की पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया संस्वीकृत अनुदान जारी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रकम को जारी करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) ग्यारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2000-05 की अवधि के प्रत्येक वर्ष में राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1600 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। इसमें से 537.30 करोड़ रुपये की कुल अनुदान राशि राज्यों को चालू वर्ष में अभी तक जारी की जा चुकी है। तमिलनाडु राज्य के लिए आयोग ने वर्ष 2000-01 के लिए 93.22 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है और इसमें से 46.61 करोड़ रुपये का अनुदान अब तक राज्य सरकार को दिया जा चुका है।

(ग) और (घ) कुछ विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्यों को 2000-05 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान अनुदान देने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ ग्यारहवें वित्त आयोग की 2000-05 की मुख्य रिपोर्ट 27 जुलाई, 2000 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

चेन्नई दूरदर्शन केन्द्र द्वारा अर्जित राजस्व

483. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 2000 तक चेन्नई दूरदर्शन केन्द्र द्वारा राजस्व अर्जित करने का निर्धारित लक्ष्य क्या था और वास्तविक अर्जित राजस्व कितना था;

(ख) क्या राजस्व में कोई गिरावट आई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस केन्द्र के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि चेन्नै केन्द्र के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य 50.00 करोड़ रुपये है और केन्द्र द्वारा 31.12.2000 तक अर्जित किया गया वास्तविक राजस्व 5.54 करोड़ रु. है। प्रसार भारती द्वारा लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के लिए निम्नलिखित कारण बताए गए हैं–

(i) चैनलों की बहुलता और निजी चैनलों से प्रतिस्पर्धा।

(ii) निजी चैनलों द्वारा दरों में कमी किए जाना तथा दूरदर्शन की अपरिवर्तनीय दरें होना।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि चेन्नै केन्द्र की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(i) डीडी-1 तथा उपग्रह चैनल 'पोदीपाइ' दोनों पर प्राइम टाइम स्लॉट को पूर्व में अपनाई गई 'पहले आओ–पहले पाओ' नीति के बजाय सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जा रहा है।

(ii) नई एजेंसियों और पहली बार विज्ञापन देने वालों के बीच चैनल के हितों को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए स्टाफ में से कोर विपणन दल का गठन किया गया है।

(iii) उन सभी विज्ञापन दाताओं का डाटा बेस तैयार किया गया है जो पहले केन्द्र के साथ थे, और उन्हें दूरदर्शन में वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(iv) केन्द्र ने व्यापक आधार पर तथा नमूने के आधार पर दूरदर्शन कार्यक्रमों के दर्शकों की वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए एजेंसियों के साथ मिलकर कदम उठाए हैं ताकि इन्हें रेटिंग प्वाइंट में परिलक्षित किया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्र को नाबार्ड द्वारा ऋण दिया जाना

484. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्राम-ऋण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए वी.एस. व्यास की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विचारणीय विषय क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने ग्रामीण ऋण से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, श्री वी.एस. व्यास की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति के विचारार्थ विषय और उसकी संरचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जून 2001 तक का समय दिया गया है।

विवरण

I. ग्रामीण ऋण संबंधी समिति के विचारार्थ विषय

1. ग्रामीण ऋण प्रणाली की संरचना और इसके प्रमुख घटकों की भूमिकाएं।
2. ऋण संवितरण की लागत को कम करने की आवश्यकता के संदर्भ में सहकारी ऋण प्रणाली के स्तरों की भूमिका।
3. प्रभावकारी ग्रामीण ऋण के लिए विकास नीतियां और सहायक प्रणाली।
4. क्षेत्रों, खंडों और ग्राहक समूहों की विकास संबंधी आवश्यकताओं के संदर्भ में ग्रामीण ऋण आपूर्ति के अंतरालों को पूरा करने की कार्यनीति।
5. उधारकर्ता के अनुकूल प्रभावकारी ग्रामीण ऋण के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण।
6. ब्याज दरों के अविनियमन, विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करने तथा लचीले ऋण लिखतों को लागू करने जैसे वित्तीय क्षेत्र सुधारों का क्रियान्वयन।
7. वसूली और उसकी पर्याप्तता के लिए कानूनी ढांचा।
8. उससे प्रासंगिक कोई अन्य मामला।

II. समिति की संरचना

अध्यक्ष : प्रो. वी.एस. व्यास, अवकाशप्राप्त प्रोफेसर, विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर।

सदस्य : प्रो. अभिजीत सेन, भूतपूर्व अध्यक्ष, कृषि लागत और मूल्य आयोग, नई दिल्ली।

श्री अशोक बन्दोपाध्याय, अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लि., कलकत्ता।

श्री वी. सामल अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता।

डा. दयानाथ झा, राष्ट्रीय प्रोफेसर, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली।

सुश्री इलाबेन भट्ट, अध्यक्ष, स्वनियोजित महिला संघ, एसईडब्ल्यूए, अहमदाबाद।

डा. कतार सिंह, निदेशक, ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, आनंद।

डा. पी.आर. दुबशी, पुणे।

डा. पी.वी. शेणाय, अध्यक्ष, कृषि वित्त निगम (एएफसी), मुम्बई।

सदस्य सचिव : श्री एस.बी. शर्मा, कार्यपालक निदेशक (सेवानिवृत्त), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई।

[हिन्दी]

गरीब लोगों के लिए बीमा योजना

485. श्री हरिभाई चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में गरीब लोगों को केवल उनके घर में आग लगने पर ही बीमा सुरक्षा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गरीब लोगों को बाढ़, भूकम्प और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उनके घर नष्ट हो जाने पर भी बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय साधारण बीमा निगम की (i) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि., (ii) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि., (iii) ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि. और (iv) यूनाइटिड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. नामक चार अनुषंगी कम्पनियों के पास न केवल आग लगने पर बल्कि भूकम्प, चक्रवात, बाढ़, तूफान, भूस्खलन आदि जैसी अन्य विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी बीमा कवच उपलब्ध है। इन कम्पनियों से ये कवच अपेक्षित प्रीमियम की राशि अदा करके खरीदे जा सकते हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्पाद कर/सीमा शुल्क अधिकारियों की आय से अधिक परिसम्पत्तियां

486. श्री मानसिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीमा-शुल्क और उत्पाद कर/आयकर अधिकारियों के पास ज्ञात आय स्रोतों से अधिक की परिसम्पत्तियों पर निगरानी रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान आज तक ऐसे अधिकारियों के

विरुद्ध भ्रष्टाचार और आयकर वंचन के कितने मामले दर्ज किए गए हैं और इनका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अपर्याप्त प्रौद्योगिकी के कारण खाद्य पदार्थों का खराब होना

487. श्री बसुदेव आचार्य : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अपर्याप्त प्रौद्योगिकी के कारण प्रतिवर्ष 70,000 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनको खराब होने से बचाने तथा फलों और सब्जियों को उपयोग में लाए जाने की अवधि बढ़ाने और खाद्यान्नों के उचित प्रसंस्करण हेतु नई प्रौद्योगिकियां अपनाए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) कीटों, मूषकों, नमी, पक्षियों माइक्रो-ओरगेनिज्म आदि के कारण फार्म स्तर पर फसल कटाई उपरांत अवधि के दौरान होने वाली खाद्यान्नों की हानि की सही मात्रा ज्ञात नहीं है। तथापि, डा. वी. पानसे की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1968 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में विभिन्न अवस्थाओं में खाद्यान्नों में फसल कटाई उपरांत 9.33 प्रतिशत वार्षिक हानि होने का अनुमान लगाया था। इनमें थ्रैसिंग (1.68%), ढुलाई (0.15%), प्रसंस्करा (0.92%), मूषक (2.50%), पक्षियों (0.85%), कीटों (2.55%) और नमी (0.68%) के दौरान होने वाली हानि शामिल हैं। 1973-74 के दौरान विपणन और निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार द्वारा किए गए सर्वे में अनुमान लगाया गया था कि खाद्यान्नों में फसल कटाई उपरांत लगभग 5% हानि होती है, जिसमें से भंडारण हानि लगभग 2.7% होने का अनुमान था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 1985-88 के दौरान भारतीय कृषि सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए संयुक्त सर्वेक्षण में फसल कटाई उपरांत की विभिन्न अवधियों में विभिन्न कारणों से लगभग 4.12% खाद्यान्न हानि होने का अनुमान लगाया गया था।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा फल और सब्जियों में फसल कटाई उपरांत की हानि 20 से 30% की रेंज में होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) फलों और सब्जियों की शैल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। जहां तक खाद्यान्नों का संबंध है इनमें से अधिकांश आधुनिक प्रौद्योगिकी से प्रसंस्कृत किए जाते हैं और खाद्यान्नों के प्रसंस्करण के दौरान बर्बादी की बहुत कम संभावना होती है।

(ग) सरकार फलों और सब्जियों की हैंडलिंग में आधुनिक प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए सहायता देने हेतु योजना स्कीमें चला रही है। सरकार ने खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा भी की है ताकि आधुनिक प्रौद्योगिकी लागू करके भंडारण और मार्गस्थ हानियां कम की जा सकें।

व्यापार क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भागीदारी

488. श्री अशोक प्रधान : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले सांसदों ने प्रधानमन्त्री को 17 दिसंबर, 1996, 1 दिसंबर, 1997 और 23 जुलाई, 1998 के अपने ज्ञापनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की आर्थिक विकास में भागीदारी का अवसर देने और उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की विदेशी व्यापार में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं अथवा सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संसद सदस्यों के संसदीय फोरम द्वारा दिनांक 17.12.96, 1.12.97 और 23.7.98 को दिए गए तीन अभ्यावेदनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों की विदेश व्यापार के क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान बनाने की कोई विशिष्ट मांग नहीं की गई है। तथापि, विदेश व्यापार का एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र होने के कारण इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के उद्यमियों समेत सभी उद्यमियों को आवश्यक सहायता मुहैया की जाती है।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति

489. श्री के.ए. सांगतम :
श्री ए.के.एस. विजयन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सरकारी उपक्रमों और स्वायत्तशासी वैधानिक संगठनों में प्रमुख/अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, प्रबंधक मंडल शासी निकायों के सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों के स्तर के कितने पद हैं; और

(ख) 1.1.1996 और 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार इन पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के कितने व्यक्ति कार्यरत थे और उपरोक्त संगठनों में कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दूरदर्शन धारावाहिक

490. श्री ए. नरेन्द्र :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इतिहास को महिमामंडित करने वाले दूरदर्शन धारावाहिकों के प्रसारण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे दूरदर्शन धारावाहिकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है और जिन्हें आज की तारीख में स्वीकृत कर दिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रसार भारती द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है—

(i) छत्रपति शिवाजी	—	मै. एड डिक्ट, मुम्बई
(ii) काकाती प्रतापरुद्रा	—	मै. मधु आर्ट क्रिएशन, वारंगल
(iii) स्वामी विवेकानन्द (यह मामला उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।)	—	मै. बिम्ब, मुम्बई
(iv) मेरी कहानी (राष्ट्रपिता पर धारावाहिक— हाल ही में इसका प्रसारण शुरू किया गया है)	—	मै. राघव प्रोडक्शंस, मुम्बई
(v) राजा भर्तृहरि	—	मै. दीपक आर्ट्स

ऐतिहासिक विषयों पर निम्नलिखित प्रस्ताव हैं जिन्हें अनुमोदनार्थ भेजा गया है—

(i) 1857 क्रान्ति	—	मै. न्यूमेरा उनो, मुम्बई।
(ii) दास्तां-ए-इश्क	—	मै. तबस्सुम इन्टरनेशनल, मुम्बई।
(iii) ताज महल	—	मै. अकबर आर्ट्स, मुम्बई।

[अनुवाद]

राजसहायता में वार्षिक वृद्धि

491. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राजसहायता में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है; और

(ख) इनको उत्तरोत्तर रूप से कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) राजसहायता की कुल राशि में वार्षिक अभिवृद्धि वर्ष 1998-1999 में 27.1%, वर्ष 1999-2000 (संशोधित अनुमान) में 3.7% और वर्ष 2000-2001 (बजट अनुमान) में (—) 11.3% थी। विभिन्न मदों पर राजसहायता पर व्यय की निरंतर समीक्षा की जाती है और राजसहायता की अभिवृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रशासित मूल्यों में यथासंभव समायोजन किए जाते हैं।

[हिन्दी]

प्रकाशन उद्योग को बैंक ऋण

492. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी बैंक किसी उद्योग की स्थापना के लिए ऋण देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के ऋण स्वीकृत करने के लिए क्या मापदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या प्रकाशन व्यापार के लिए भी बैंक ऋण दिया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंक फैक्टरियां, कार्यशालाएं आदि स्थापित करने हेतु सावधि ऋण के रूप में ऋण प्रदान करते हैं जिनकी 3 से 7 वर्ष के भीतर वापसी अदायगी की जानी होती है।

(ख) परियोजना की तकनीकी आर्थिक अर्थक्षमता के बारे में संतुष्ट होने और प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि के बारे में संतुष्ट होने के पश्चात् फैक्टरी के भवन, कार्यशाला की मशीनरी, औजारों आदि के लिए इन सावधि ऋणों पर विचार किया जाता है।

(ग) जी, हां। बैंक की ऋण नीति के अनुसार वाणिज्यिक ऋण के रूप में।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों को बैंक ऋण

493. वैद्य विष्णुदत्त शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान देश से राज्य-वार, विशेषतः जम्मू-कश्मीर से सरकारी बैंकों को लघु उद्योगों हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने आवेदन स्वीकृत किए गए और कितनी ऋण राशि स्वीकृत/उपलब्ध कराई गई; और

(ग) विचाराधीन आवेदनों की संख्या कितनी है और इनको विशेषतः जम्मू-कश्मीर राज्य के आवेदनों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़े सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहियों में, लघु औद्योगिक इकाइयों को दिए गए अग्रिमों से संबंधित खातों की संख्या और बकाया राशि से संबंधित हैं। मार्च 1997, मार्च 1998 और मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए लघु उद्योगों को दिए गए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों का ब्यौरा (जम्मू एवं कश्मीर सहित राज्य-वार, खाता संख्या-वार और बकाया राशि-वार) संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा ऋणों की मांग से संबंधित आवेदनों की राज्य-वार संख्या से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं होती है।

विवरण

मार्च 1997, 1998 और 1999 को समाप्त वर्षों के लिए लघु उद्योगों को दिए गए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों (जम्मू एवं कश्मीर सहित राज्य-वार, खाता संख्या-वार और बकाया राशि-वार) का ब्यौरा

	लघु उद्योग 1997		लघु उद्योग 1998		लघु उद्योग 1999	
	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	72080	11017963	43414	13235218	43875	17041406
हिमाचल प्रदेश	19073	1496906	18625	1841855	17493	1876943
जम्मू एवं कश्मीर	9569	1097441	10067	1317758	10086	1424994
पंजाब	102389	21264337	97056	26064423	100567	29635752
राजस्थान	95903	9392952	90231	14047365	79475	15136525
चंडीगढ़	4832	2340966	4285	2530198	3378	2734851
दिल्ली	42138	25265357	46313	31637041	42941	36688433
उत्तरी क्षेत्र	345984	71875922	309991	90674658	297815	104538904
असम	61946	2487905	61935	2629335	58231	2741362

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	14272	401574	15011	407974	15367	456120
मेघालय	4248	96261	4350	133929	4203	170376
नागालैंड	5976	213802	4348	202925	3657	215829
त्रिपुरा	16569	206868	17852	212745	17488	217895
अरुणाचल प्रदेश	1371	37731	1353	41447	1426	45148
मिजोरम	2137	64678	2388	68385	2258	79963
सिक्किम	892	45553	2206	53643	1993	81740
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	107411	3554372	109443	3750383	104623	4008433
बिहार	221267	8705597	211727	9132639	201787	10789488
उड़ीसा	343968	4498043	130991	5199851	134723	5922475
पश्चिम बंगाल	626585	20572464	559921	23307405	547705	25618425
अंडमान और निकोबार	654	32638	1183	40036	844	42783
पूर्वी क्षेत्र	1192474	3808742	903922	37679931	885059	42373171
मध्य प्रदेश	122945	11864312	114037	14508265	118315	16364303
उत्तर प्रदेश	316306	27896569	272273	32286535	256003	35291556
मध्य क्षेत्र	439251	39750881	386310	46794800	374318	51655859
गुजरात	96040	22175981	72855	28145832	72663	30491522
महाराष्ट्र	133367	53239874	110683	67909798	96147	78634756
दमन एवं दीव	126	37030	95	41957	99	49642
गोवा	3809	1160259	3943	1613281	4040	2242807
दादरा और नागर हवेली	70	29009	127	90200	117	132600
पश्चिमी क्षेत्र	233412	76643003	187703	97801068	173066	111551327
आंध्र प्रदेश	157264	20340106	122206	23870130	119870	26463198
कर्नाटक	104727	19088545	96701	22277770	105540	25616250
केरल	261600	10323759	120593	11538736	119972	12379787
तमिलनाडु	240875	39562081	241839	43982509	238979	46956442
पांडिचेरी	6398	321462	6071	342408	6202	363016
लक्षद्वीप	32	846	23	600	18	562
दक्षिणी क्षेत्र	740896	89636799	587433	102012153	590581	111779245
अखिल भारत	3059428	315269219	2484702	378712993	2425462	425906939

भूकम्प पीड़ित व्यक्तियों के बीमा दावे

494. श्री विजय गोयल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बीमा कंपनियों ने गुजरात में हाल के भूकम्प से प्रभावित व्यक्तियों के दावों पर कार्यवाही कर उनकी सहायता के लिए संयुक्त रूप से विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख तक इन प्रकोष्ठों को जिले-वार कितने दावे प्राप्त हुए हैं; और

(ग) पीड़ितों के परिवारों के ऐसे कितने मामलों पर कार्यवाही की गई है और अब तक कितने मामलों का निपटान किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन (जिप्सा), जो चार पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कम्पनियों की एसोसिएशन है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम ने दावों के तत्काल निपटान हेतु विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की है। जबकि साधारण बीमा कम्पनियों द्वारा चार विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है, जीवन बीमा निगम ने अहमदाबाद में तीन दावा निपटान प्रकोष्ठों की स्थापना की है। जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन ने अभी तक 22665 दावे प्राप्त किए हैं, जिसमें से उन्होंने 657.02 लाख रुपये की राशि के 2224 दावों का निपटान किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम में अभी तक 666 दावे प्राप्त किए हैं, जिसमें से 411 लाख रुपये की राशि के 441 दावों का निपटान किया जा चुका है।

[हिन्दी]

बैंकों में पूंजी निवेश

495. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 'अनुप्रयोज्य आस्तियां' शीर्ष के तहत हुए भारी नुकसान को पूरा करने के लिए 10 से 13 मिलियन डालर के ताजा पूंजी की निवेश आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन बैंकों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां मार्च 2000 के अंत तक की स्थिति के अनुसार 60,841 करोड़ रुपये थी। इनमें से सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां 53,294 करोड़ रुपये थीं। ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियों के लिए प्रावधान करते हैं और ऐसा प्रावधान करने के पश्चात् सरकारी क्षेत्र 27 बैंकों में से 26 बैंक (इंडियन बैंक को छोड़कर) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सी आर ए आर) की तुलना में न्यूनतम पूंजी स्तर प्राप्त करने में सफल रहे हैं।

(ग) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बैंक देयराशियों की वसूली के कई उपाय करने का परामर्श दिया है, जैसे कि बैंकों द्वारा वसूली नीति तैयार एवं कार्यान्वित किया जाना, सिविल न्यायालयों में मुकदमे दायर करना, ऋण वसूली अधिकरणों में मामले दायर करना, निपटान सलाहकार समितियों के माध्यम से समझौते का प्रस्ताव और बैंक में बिभिन्न स्तरों पर अनुपयोज्य आस्तियों के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई करना हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 27 जुलाई, 2000 के अपने परिपत्र के तहत 5 करोड़ रुपये तक की अनुपयोज्य आस्तियों के निपटान के लिए अविवेकाधीन और अभेद मूलक मार्गनिर्देश तैयार किए हैं और बैंकों को 5 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया ऋणों के लिए स्वयं अपनी नीति तैयार करने का परामर्श दिया है। पुनर्वास, एकबारगी निपटान या 31.3.2001 तक सभी आवश्यक मामलों में वाद दायर करने के लिए बैंकों द्वारा कार्रवाई मुख्य कार्यपालकों द्वारा सुनिश्चित की जानी होती है।

[अनुवाद]

एस बी आई में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

496. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस बी आई में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयु के आधार पर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भेदभाव के कारण अधिकारियों में भारी असंतोष है;

(घ) यदि हां, तो भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आयु के आधार पर अन्य बैंकों में भी भेदभाव शुरू हो गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो एसबीआई में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में अधिकारियों और कर्मचारियों की बीच आयु का अंतर किए जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) से (छ) भारतीय बैंक संघ द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को परिचालित की गई माडल योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया गया था कि बैंक प्रबंधन का यह विशेषाधिकार होगा कि यह बैंक की आवश्यकता के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार करे या उसे अस्वीकार कर दे। सरकार ने भी बैंकों पर यह जोर दिया है कि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के आवेदनों पर अपनी जन-शक्ति के अनुसार निर्णय ले। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अंतर्गत कर्मचारियों का बहिर्गमन बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार हो, भारतीय स्टेट बैंक ने, संख्या उसकी आवश्यकताओं से अधिक होने पर, योजना में आयु के संबंध में एक शर्त निर्धारित की है। यह शर्त सभी कर्मचारियों के लिए है और अधिकारियों तथा अन्य स्टाफ के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है। सरकारी क्षेत्र के अधिकांश अन्य बैंकों को प्राप्त आवेदन अभी विचाराधीन हैं और इनमें से किसी भी बैंक द्वारा संख्या को अपनी आवश्यकताओं के अन्दर सीमित करने के लिए अपनाए गए मानदंडों, यदि कोई हो, की जानकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो पाएगी।

विवरण

भारतीय स्टेट बैंक में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की मुख्य विशेषताएं

पात्रता : 15 वर्ष की सेवा या 40 वर्ष की आयु वाले सभी स्थायी कर्मचारी।

अपात्र :

वे विशेष अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने सेवा बांड निष्पादित किया है और उसे पूरा नहीं किया है, विशेष व्यवस्थाओं/बांडों के अधीन विदेशों में सेवारत कर्मचारी/अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, निदेशक मंडल, बांड/अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के अध्यधीन, इसे माफ कर सकता है।

वे कर्मचारी, जिनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित हैं या जो निलंबनाधीन हैं।

पहरा निगरानी कर्मचारी।

संविदा आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी।

अत्यंत कुशल और योग्यता प्राप्त स्टाफ।

अनुग्रह राशि : सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 60 दिन का वेतन (वेतन एवं गतिरोध वेतनवृद्धियां तथा विशेष वेतन एवं महंगाई राहत) या जितने महीने की सेवा बाकी है, उतने महीने का वेतन, जो भी कम हो।

अन्य लाभ : (i) उपदान अधिनियम के अनुसार उपदान या उपदान जैसी भी स्थिति हो।

(ii) पेंशन (पेंशन के परिवर्तित मूल्य सहित पेंशन)/भविष्य निधि में बैंक का अंशदान, जैसी भी स्थिति हो।

(iii) नियमानुसार छुट्टी का नकदीकरण।

अन्य विशेषताएं : आवश्यकतानुसार कर्मचारियों का बहिर्गमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से, बैंक को प्रत्येक श्रेणी के स्टाफ अर्थात अधिकारी, लिपिकीय एवं अधीनस्थ श्रेणी में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या को सीमित करने का विवेकाधिकार है। इस प्रयोजन के लिए पात्र आवेदकों की श्रेणी-वार सूचियां, उनकी आयु के अवरोहीक्रम में तैयार की जाएंगी और निर्दिष्ट आयु से ऊपर के अधिक आयु समूहों में आने वाले कर्मचारियों के आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, प्रत्येक श्रेणी में निर्दिष्ट आयु, उन कर्मचारियों की स्वीकार्य संख्या पर निर्भर करेगी, जिन्हें सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जा सकती है।

आवधिकता : 15.1.2001 से 31.1.2001

अनुग्रह राशि के भुगतान का तरीका : सेवानिवृत्ति की तारीख से 5 सप्ताह के अन्दर नकद रूप में।

[हिन्दी]

बिहार में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां

497. **श्री राजो सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितनी गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियां काम कर रही हैं;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान इन कम्पनियों में कितने व्यक्तियों ने अपना धन जमा कराया और कुल जमा राशि कितनी है;

(ग) उक्त कम्पनियों में से कितनी कम्पनियां जमा राशि सहित गायब हो गई हैं;

(घ) सरकार ने ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 507 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जिन्हें बिहार राज्य में निगमित किया गया था, ने पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन भेजे हैं, जिनमें से 288 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां 'ए' श्रेणी की अर्थात जनता से जमाराशियां स्वीकार करने वाली कम्पनियां थीं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना, जो कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमा की गई विवरणियों पर आधारित है, के अनुसार 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार जमाराशियों की कुल राशि 6987.67 लाख रु. थी। वर्ष 1999 और 2000 की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे कम्पनियां भारतीय रिजर्व बैंक के पास विवरणियां जमा नहीं कराती रही हैं जिनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र संबंधी आवेदन अस्वीकार कर दिए गए थे। श्रेणी 'ए' की (अर्थात सार्वजनिक धनराशियां स्वीकार करने वाली) कम्पनियों से प्राप्त 288 आवेदनों में से 239 ने भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रों का उत्तर नहीं दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन कम्पनियों को विलुप्त/चुपचाप बैठी रहने वाली कम्पनियां माना है और पंजीकरण के लिए उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया है।

(घ) और (ङ) व्यापक विनियामक ढांचा लागू किया गया है जिसका उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ठीक ढंग से कार्य करें। विनियामक ढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनिवार्य पंजीकरण, चल आस्तियां रखना, निवल लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत आरक्षित निधि में अंतरण और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को निदेश जारी करने की भारतीय रिजर्व बैंक को शक्तियां प्रदान करना शामिल है। विभिन्न चूकों और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन जारी निदेशों के उल्लंघन के लिए दोषी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक कई प्रकार की कार्रवाई करता है। सरकार ने हाल ही में लोक सभा में एक विधेयक पेश किया है।

भारत-वियतनाम समझौता

498. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री की वियतनाम यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों के सुदृढ़ होने की कितनी संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, नहीं। यद्यपि प्रधान मंत्री के दौरे के दौरान दोनों देशों की सरकारों के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे तथापि हाइड्रो-कार्बन की खोज एवं उसका दोहन करने और वियतनाम को बस चेसिस की आपूर्ति करने के क्षेत्र में व्यापारिक साझेदारी सुदृढ़ करने के लिए दोनों पक्षों के व्यापारियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के परिसंघ (फिक्की), भारत ने भी द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने एवं सुदृढ़ करने में एक-दूसरे को सुविधा प्रदान करने के लिए वियतनाम में भारतीय व्यापार मंडल (इनचाम), हो ची मिन सिटी, वियतनाम के साथ एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए थे।

[अनुवाद]

कर्नाटक में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए एडीबी ऋण

499. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार के आधारभूत ढांचे के विकास हेतु एशियाई विकास बैंक से सहायता लेने के प्रस्ताव की अनुशंसा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार को गत तीन वर्ष के दौरान एशियाई विकास बैंक से कोई सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) दिसंबर, 1995 में बैंक (एशियाई विकास बैंक) ने कर्नाटक राज्य के लिए राज्य में 4 शहरों में शहरी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 85 मिलियन डालर की ऋण सहायता अनुमोदित की। अक्तूबर, 1999 में बैंक ने 10 शहरों के लिए कर्नाटक शहरी विकास और तटीय पर्यावरणीय प्रबंध परियोजना हेतु 175 मिलियन डालर का ऋण अनुमोदित किया। दोनों ही ऋणों के अंतर्गत जलापूर्ति और सफाई, ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल प्रबंध, शहरी सड़क सुधार और गंदी बस्ती तथा पर्यावरण सुधार प्रमुख संघटक हैं। दोनों ही परियोजनाएं कर्नाटक अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन (केयूआईडीएफसी) के जरिए कार्यान्वित की जा रही हैं। दूसरे ऋण में संवितरण अभी आरंभ किया जाना है, पहले ऋण के अंतर्गत दिसंबर,

2000 तक 42.6 मिलियन डालर की राशि संवितरित की जा चुकी है।

बैंक ऋणों के चूककर्ता

500. श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच करोड़ रुपये और इससे अधिक रुपये की धनराशि के ऋण के बैंकवार कितने चूककर्ता हैं;

(ख) उपर्युक्त खातों में अप्रत्याभूत खातों का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार ने अनुप्रयोज्य परिसम्पत्तियां बनने वाले इन ऋणों के लिए वरिष्ठ बैंक अधिकारियों पर उत्तरदायित्व/जवाबदेही निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 'संदिग्ध' या 'घाटे' के रूप में वर्गीकृत चूककर्ताओं के खाते जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2000 को स्थिति के अनुसार कुल 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक की बकाया राशि है और जिनमें मुकदमे दायर किए गए हैं, की बैंक-वार संख्या के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। बैंक सामान्यत: उनके द्वारा दी गई अग्रिम राशि हेतु जमानत लेते हैं।

(ग) और (घ) सामान्यत: बैंक उन अनुप्रयोज्य ऋण मामलों में, कर्मचारियों के उत्तरदायित्व की जांच करते हैं और आवश्यकतानुसार उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

विवरण

31.3.2000 की स्थिति के अनुसार 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक की बकाया राशि वाले चूककर्ताओं की सूची	खातों की संख्या
1	2
(क) सरकारी क्षेत्र के बैंक	
I. भारतीय स्टेट बैंक समूह	
1. भारतीय स्टेट बैंक	311
2. बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	32
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	56
4. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	16
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	27
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	31
7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	17
8. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	45
कुल	535
II. राष्ट्रीयकृत बैंक	
1. इलाहाबाद बैंक	55
2. आंध्रा बैंक	16
3. बैंक ऑफ बड़ौदा	96
4. बैंक ऑफ इंडिया	201
5. बैंक ऑफ महाराष्ट्र	41
6. केनरा बैंक	244
7. सेंट्रल बैंक	96
8. कारपोरेशन बैंक	14
9. देना बैंक	36
10. इंडियन बैंक	168
11. इंडियन ओवरसीज बैंक	34
12. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	28
13. पंजाब एंड सिंध बैंक	28
14. पंजाब नेशनल बैंक	99
15. सिंडिकेट बैंक	26
16. यूको बैंक	24
17. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	24
18. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	29
19. विजया बैंक	35
कुल	**1294**
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का योग	**1829**

1	2
(ख) गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक	
I. घरेलू बैंक	
1. बैंक ऑफ मदुरा लि.	4
2. बैंक ऑफ पंजाब लि.	3
3. बैंक ऑफ राजस्थान लि.	23
4. बनारस स्टेट बैंक लि.	1
5. भारत ओवरसीज बैंक लि.	1
6. कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	4
7. सेन्च्यूरियन बैंक लि.	4
8. सिटी यूनियन बैंक लि.	1
9. डेवल्पमेंट क्रेडिट बैंक लि.	3
10. फैडरल बैंक लि.	27
11. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	5
12. एचडीएफसी बैंक लि.	3
13. आईसीआईसीआई बैंक लि.	6
14. आईडीबीआई बैंक लि.	2
15. इंडसइंड बैंक लि.	31
16. जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	4
17. कर्नाटक बैंक लि.	6
18. करूर वैश्य बैंक लि.	2
19. लक्ष्मी विलास बैंक लि.	2
20. लार्ड कृष्ण बैंक लि.	1
21. एसबीआई कमर्शियल एंड इंट बैंक लि.	4
22. साऊथ इंडियन बैंक लि.	6
23. तमिलनाड मर्केन्टाइल बैंक लि.	2
24. युनाइटेड वैस्टर्न बैंक लि.	9
25. यूटीआई बैंक	10
26. वैश्य बैंक लि.	24
कुल	188

1	2
(ग) विदेशी बैंक	
1. एबीएन आमरो बैंक	1
2. आबू धाबी बैंक	2
3. एएनजेड ग्रींडलेज	5
4. बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	2
5. बैंक ऑफ अमरीका	3
6. बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत	4
7. बैंक ऑफ टोक्यो-मित्शुबिशी	33
8. बैंक नेशनल डी पेरिस	1
9. बरकलॉज बैंक	1
10. सिटी बैंक	3
11. कामर्ज बैंक	1
12. क्रेडिट एग्रीकोल इंडोसूज	10
13. डयूश बैंक एजी	4
14. डेवल्पमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर	2
15. ड्रैस्डनर बैंक	2
16. हांगकांग एंड शंघाई बैंक	16
17. आईएनजी बैंक	3
18. मसरक बैंक	4
19. ओमान इंटरनेशनल	7
20. सकूरा बैंक	1
21. स्काशिया बैंक	6
22. सोसिएट जनरल	2
23. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	14
24. स्टेट बैंक ऑफ मारीशस	
कुल	127

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी

501. **श्री एम.के. सुब्बा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर में कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में राज्य का हिस्सा कम करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार राज्य का हिस्सा किस सीमा तक कम करने की मांग की गई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उनमें सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों में राज्यों के अलग-अलग हिस्से का निर्णय कार्यान्वयन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संबद्ध मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित स्कीमों के लिए समान कटौती के एक सामान्य नियम पर विचार करना व्यावहारिक नहीं होगा।

आकाशवाणी केन्द्र हेतु अतिरिक्त कर्मचारी

502. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी केन्द्र, परभनी हेतु अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अतिरिक्त मंजूर कर्मचारियों को नियुक्त करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) आकाशवाणी केन्द्र, परभनी द्वारा कार्यक्रम निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश की औद्योगिक नीति

503. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति तैयार की है जिसमें विदेशी और घरेलू निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के लिए गुणवत्ता वाली अवसंरचना प्रदान करने पर अधिक जोर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस नीति का अनुमोदन कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार अवसंरचना में सुधार करने के लिए राज्य सरकार की सहायता करने हेतु सहमत हो गई है ताकि विदेशी निवेशक राज्य में निवेश करने के लिए आकर्षित हो सकें।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (घ) विभिन्न राज्य सरकारों (आंध्र प्रदेश सहित) की औद्योगिक नीतियों के लिए केन्द्र सरकार से अनुमोदन लेना आवश्यक नहीं है और इसलिए विभिन्न राज्यों की औद्योगिक नीतियों में निहित ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

वास्तव में, अपने औद्योगिक विकास के लिए तथा राज्य में निवेश आकृष्ट करने के लिए योजनाओं ओर नीतियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का ही है। केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके प्रयासों में मदद करती है।

[हिन्दी]

भूकम्प के कारण गुजरात में खाद्यान्न का नुकसान

504. **श्री बाबूभाई के. कटारा :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में हाल ही में आए भूकम्प से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का नुकसान हुआ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के खाद्यान्न का नुकसान हुआ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और अनेक देशों ने भूकम्प पीड़ितों के लिए कई टन खाद्यान्न भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है और अब तक प्राप्त खाद्यान्न की वास्तविक मात्रा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

505. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ चीनी मिलों ने मिलों को आधुनिक बनाने हेतु अपने प्रयासों में उनके मंत्रालय की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा चीनी विकास कोष, अन्य बैंकों और वित्त संस्थाओं से उनके लिए ऋण मंजूर कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। चीनी कारखानों से संयंत्र और मशीनरी की पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त ऋण के आवेदनों, जिन्हें वित्तीय संस्थानों और/अथवा बैंकों से वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित कर दिया गया है, पर चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 के अनुसार चीनी विकास निधि से ऋण देने पर विचार किया जाता है।

इरडा के नए दिशा-निर्देश

506. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इरडा ने वृहत् दिशा निर्देशों और बीमा क्षेत्र में एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिए सहकारी समितियों और पंचायतों को अनुमति देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इरडा द्वारा दिशा-निर्देशों में छूट के क्या उद्देश्य हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों की लाइसेंसिंग) विनियम, 2000 के अनुसार, सहकारी समितियों और पंचायतों को एजेंटों के रूप में कार्य करने हेतु पात्र नहीं बनाया गया है क्योंकि इसमें न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं, व्यावहारिक प्रशिक्षण की एक अवधि और परीक्षा को उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता संबंधी अपेक्षा है। तथापि, ग्रामीण बीमा कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण सहकारी समितियों और पंचायतों को बीमा एजेंटों के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के मुद्दे पर विचार कर रहा है।

[हिन्दी]

विदेशों में चर्म उत्पादों की मांग

507. श्री तूफानी सरोज : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विनिर्मित चर्म उत्पादों की मांग विदेशों में बढ़ गई है;

(ख) यदि हां तो किन-किन देशों में मांग बढ़ी है;

(ग) क्या सरकार ने चर्म उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है/तैयार की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पिछले वर्ष के दौरान चर्म उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में विनिर्मित चर्म उत्पादों की मांग जर्मनी, यूएसए, यूके, इटली, फ्रांस, स्पेन, रूस, स्वीडन, ग्रीस, इंडोनेशिया तथा कोरिया गणराज्य में बढ़ी है।

(ग) और (घ) चमड़े के सामानों के निर्यात के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2001-2006 के लिए एक सांकेतिक मध्यावधि योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के तहत विशिष्ट देशों में विपणन किए जाने वाले विशिष्ट उत्पादों की पहचान एक अधिक व्यवस्थित तरीके के लिए की जा रही है।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) चालू वर्ष के दौरान चर्म उत्पाद के निर्यात में एक अच्छी प्रगति हुई है। अप्रैल-अक्टूबर, 2000 तक अर्जित विदेशी मुद्रा वर्ष 1999 की इसी अवधि के दौरान 784.07 मिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले 945.14 मिलियन अमरीकी डालर रही, जो 20.54% की वृद्धि को दर्शाता है।

[अनुवाद]

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों को रियायती दरों पर खाद्यान्न देना

508. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में बहुत कम मूल्य पर खाद्य वस्तुएं वितरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्यान्न के कब तक वितरित किए जाने की संभावना है और वितरण कार्य में लगी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) भारत सरकार ने गुजरात सरकार को भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में वितरण के लिए 80,000 टन गेहूं तथा 20,000 टन चावल आबंटित किया है, जिसको उठाने की वैधता अवधि 31.3.2001 तक है। भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न को बिना भुगतान के राज्य सरकार अथवा उनके नामितियों को रिलीज करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

नशीले पदार्थों और विस्फोटकों की तस्करी

509. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में विस्फोटकों, नशीले पदार्थों और अन्य प्रकार की सामग्री की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियां रोकने हेतु कोई अल्पकालिक/दीर्घकालिक योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धंधा है, अतः यह बताना संभव नहीं है कि तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है या नहीं। तथापि उपलब्ध रिपोर्टों तथा स्वापक औषधियों, विस्फोटकों एवं अन्य निषिद्ध वस्तुओं की जब्ती की प्रवृत्ति से ऐसा नहीं लगता है कि विगत में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

(ग) और (घ) निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी से निपटने के लिए सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 को अधिनियमित किया गया है जिसमें, तस्करी की वस्तुओं के अभिग्रहण तथा जब्ती के अतिरिक्त, तस्करों के विरुद्ध अभियोजन के साथ-साथ दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, कॉफेपोसा अधिनियम, 1974 को अधिनियमित किया गया है। ताकि संगठित तस्करी क्रिया-कलापों में संलिप्त व्यक्तियों की निवारक नजरबंदी के लिए प्रावधान किया जा सके। सरकार क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात तस्करी रोधी उपकरणों जैसे बैगेज एक्स-रे मशीनों, दूरबीनों, धातु खोजियों, हथियार, गोला-बारूद आदि की तैनाती की समय-समय पर समीक्षा भी करती है।

जहां तक नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार का प्रश्न है, भारत सरकार ने इसकी रोकथाम करने के लिए अनेक सांविधिक तथा प्रशासनिक उपाय किए हैं, जैसे—

(i) एन डी पी एस अधिनियम, 1985 तथा पी आई टी एन डी पी एस अधिनियम 1988 का अधिनियमन जिसमें नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के लिए निवारक नजरबंदी सहित कठोर सजा का प्रावधान है।

(ii) एन डी पी एस अधिनियम, 1985 को लागू करने के लिए अनेकों केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की प्रवर्तन एजेंसियों को शक्ति प्रदान की गई है।

(iii) देश में नशीले पदार्थ कानून के प्रवर्तन पर निगरानी रखने तथा समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय एजेंसी अर्थात् स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना करना।

(iv) मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों को नियमित आधार पर प्रशिक्षित किया जाता है ताकि उनकी प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सके।

(v) भारत, समस्त संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों तथा सार्क अभिसमय का सदस्य है, जिसमें नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध बहुपक्षीय सहयोग की संकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

510. श्री प्रभात सामन्तराय :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरगामी परिणाम वाले किसी प्रस्ताव में सरकार ने स्वतःस्वीकृत रूप से विद्युत क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रस्ताव विद्युत और वित्त मंत्रालयों को उनकी सहमति हेतु भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन मंत्रालयों की सहमति प्राप्त कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली को कब तक प्रभावी बनाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (ङ) वर्ष 2000 के प्रेस नोट सं. 7 के साथ पठित वर्ष 1998 के प्रेस नोट सं. 2 के तहत सरकार ने पहले ही, परमाणु विद्युत संयंत्रों को छोड़कर, बिजली परियोजनाओं में उत्पादन, पारेषण, वितरण कार्यों के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे रखी है।

भारतीय खाद्य निगम के डिपो का खोला जाना

511. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर राज्यों में विशेषकर उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के अनेक डिपो खोलने के निर्णय का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय खाद्य निगम के राज्य-वार कुल कितने डिपो हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में विशेषकर उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के और अधिक डिपो खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इन डिपुओं के कब तक खोले जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम निधियों की उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों पर आवश्यकता अनुसार माइक्रो स्तर पर गोदामों का निर्माण करता है।

(ग) फिलहाल, भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं (अपने) की मौजूदा संख्या 536 है। भारतीय खाद्य निगम के मौजूदा डिपुओं की राज्य वार संख्या बताने वाला संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान भारतीय खाद्य निगम का विभिन्न केन्द्रों पर 4.67 लाख टन भंडारण क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है जिसमें से 2.11 लाख टन (उड़ीसा में 0.25 लाख टन सहित) का निर्माण कर लिया गया है। भारतीय खाद्य निगम के उपयोग हेतु लगभग 22 लाख टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य केन्द्रीय भंडारण निगम को सौंपा गया है। वसूली क्षेत्रों में, भारतीय खाद्य निगम के उपयोग के लिए राज्य भंडारण निगम की क्षमता मुहैया करते हैं ताकि वसूली की बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अपने गोदामों की संख्या (ढंके हुए)
1	2	3
1.	बिहार	20
2.	उड़ीसा	22
3.	पश्चिम बंगाल	26
4.	सिक्किम	01
	जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	69
5.	असम	18
6.	अरुणाचल प्रदेश	04
7.	मेघालय	02
8.	मणिपुर	02
9.	मिजोरम	04
10.	नागालैंड	04
11.	त्रिपुरा	02
	जोड़ (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र)	36
12.	दिल्ली	07
13.	हरियाणा	37
14.	हिमाचल प्रदेश	04
15.	जम्मू और कश्मीर	11
16.	पंजाब	111
17.	चंडीगढ़	04
18.	राजस्थान	35
19.	उत्तर प्रदेश	56
	जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	265
20.	आंध्र प्रदेश	35
21.	केरल	22
22.	कर्नाटक	16
23.	तमिलनाडु	16

1	2	3
24.	पांडिचेरी	03
	जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	92
25.	गुजरात	15
26.	महाराष्ट्र	17
27.	गोवा	01
28.	मध्य प्रदेश	41
	जोड़ (क्षेत्र-वार)	74
	सकल जोड़ (अखिल भारत)	536

वाराणसी दूरदर्शन केन्द्र हेतु कार्यक्रम की समयावधि बढ़ाना

512. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नेटवर्क पर वाराणसी दूरदर्शन केन्द्र हेतु समयावधि बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की समयावधि को किस सीमा तक बढ़ाए जाने की संभावना है और यह किस तारीख से प्रभावी होगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है। कार्यक्रमों एवं विषय-वस्तु पर निर्णय प्रसार भारती द्वारा स्वयं लिया जाता है।

चीनी विकास कोष नियम, 1983 में संशोधन

513. **श्री अशोक ना. मोहोल :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रुग्ण चीनी मिलों की सहायता करने के उद्देश्य से चीनी विकास कोष नियम, 1983 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संशोधन के बाद राज्य-वार कितनी रुग्ण इकाईयों का पुनरुद्धार किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और देश में चीनी उद्योग के सम्यक विकास हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की 39 रुग्ण चीनी कम्पनियां औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत हैं, नाबार्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 31.3.1999 को सहकारी क्षेत्र में 92 चीनी कारखानों का नेटवर्थ नकारात्मक था।

सरकार, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की संभावना वाले चीनी कारखानों को रियायती शर्तों पर ऋण देने के लिए चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

एन.सी.सी.एफ. द्वारा वस्तुओं की खरीद

514. **श्री शीश राम सिंह रवि :**
श्री रामजी मांझी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.सी.सी.एफ. विनिर्माताओं अथवा अपने प्राधिकृत वितरकों से वस्तुएं खरीदता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में खरीदी गई एवरेडी सेल्स और टार्चों, मिल्टन उत्पादों, बोम्बे डाइंग उत्पादों, फेबरेकासल वस्तुओं, एक्शन दीवार घड़ियों, ई.सी.ई./ओसराम बल्बों और ट्यूबलाइटों का वास्तविक मूल्य क्या है;

(ग) यदि ऐसी कोई खरीद नहीं की गई है तो इस प्रकार की वस्तुओं के अन्य कौन से ब्रांड खरीदे गए और एन.सी.सी.एफ. के लिए इनका मूल्य क्या था तथा इनका अधिकतम फुटकर मूल्य क्या था और उपर्युक्त विनिर्माताओं के प्राधिकृत डीलरों के मूल्यों के साथ ये मूल्य किस प्रकार तुल्य हैं;

(घ) क्या प्राधिकृत डीलरों/वितरकों को ऐसी सभी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एन.सी.सी.एफ. को निदेश देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत एक स्वायत्तशासी सहकारी समिति है। इसके कारोबार तथा अन्य प्रशासनिक मामलों के बारे में निर्णय लेने के लिए इसका अपना निदेशक मंडल है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे प्रमुख ब्रांड वाली मदों की खरीद अपने पास पंजीकृत विनिर्माताओं अथवा वितरकों/डीलरों से करते हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ विभिन्न मदों की आपूर्ति का मद-वार लेखा-जोखा नहीं रखता है। पिछले दो वर्षों के संबंध में उक्त सूचना का संकलन भारी भरकम होगा और उसको संकलित करना कठिन होगा क्योंकि उसमें अधिक सौदे किए गए हैं।

(घ) और (ङ) ऊपर भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की कारोबार संबंधी गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारत को विकास सहायता

515. श्री किरीट सोमैया :
श्री शिवाजी माने :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू.के. ने भारत को दी जा रही अपनी विकास सहायता में तीन गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी तीन वर्षों के दौरान भारत को कुल कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(घ) क्या यू.के. के अंतर्राष्ट्रीय विकास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपने भारत दौरे के दौरान अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण पर श्वेत पत्र जारी किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत ने श्वेत पत्र का अध्ययन किया है; और

(च) इस श्वेत पत्र में भारत को लाभ पहुंचाने वाले कौन-कौन से मुख्य बिंदु हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सुश्री क्लेयर शार्ट ने अपनी हाल की यात्रा के बाद वित्त मंत्री को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने भारत को अपनी प्रत्यक्ष सहायता राशि को तीन वर्षों की अवधि में कम से कम तिगुना करने—वर्तमान लगभग 700 करोड़ रुपये से 2000 करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक की यूनाइटेड किंगडम की योजना की ओर संकेत किया है। तथापि, यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने इसके बारे में अपना अनुमोदन अभी तक सूचित नहीं किया है।

(घ) ब्रिटिश सरकार ने दिसंबर, 1999 में 'एलिमिनेटिंग वर्ल्ड पॉवर्टी : मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क फार द पुअर' शीर्षक से अंतर्राष्ट्रीय विकास पर एक नया श्वेत पत्र जारी किया है। यह पत्र भारत में यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की यात्रा के दौरान 16.1.2001 को जारी किया गया।

(ङ) जी, हां।

(च) श्वेत पत्र में यह निर्दिष्ट किया गया है कि भारत में यूनाइटेड किंगडम की सरकार विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से राज्य स्तर पर प्रभावी भागीदारी विकसित कर रही है। वे विश्व बैंक के साथ आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा सरकार के साथ इन राज्यों में आर्थिक निष्पादन में सुधार करने तथा गरीबोन्मुखी नीतियों के समर्थन में संसाधनों के वृहत्तर स्तर पर आबंटन के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर नीतिगत सुधारों पर अच्छी प्रगति होती है, तो यूनाइटेड किंगडम विश्व बैंक ऋणों के साथ राज्य बजट के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करेगा। मध्य प्रदेश में यूनाइटेड किंगडम इसी प्रकार एशियाई विकास बैंक के साथ कार्य कर रहा है।

प्रतिलिप्याधिकार कानूनों में संशोधन

516. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रतिलिप्याधिकार कानूनों में संशोधन कर नकली उत्पादों के आयात और बिक्री को गैर-जमानती अपराध घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नकली उत्पादों की समस्या का निर्यात पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कठोर निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (घ) 1999 में संशोधित किए गए प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 51 के अनुसार, नकली उत्पादों के आयात के सभी आयामों पर रोक लगाने की दृष्टि से किसी भी कार्य की अवैध प्रतियों के भारत में आयात को एक अपराध माना गया है। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के अध्याय XII और XIII में में सिविल और आपराधिक उपायों का प्रावधान किया गया है, जिसमें छः माह की कैद तथा 50,000/- रुपये के दंडशुल्क की व्यवस्था की गई है। नकली उत्पादों के आयात और बिक्री को गैर-जमानती अपराध बनाने के लिए प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

व्यापार और पण्यवस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 में भी सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के प्रतिविधान मौजूद हैं, जिनके तहत पंजीकृत ब्रांडों के उत्पादों की ऐसी साहित्यिक चोरी के खिलाफ उपयुक्त न्यायालयों में कार्यवाही की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप अधिकारों का अतिक्रमण होता हो। व्यापार और पण्यवस्तु चिह्न अधिनियम, 1958

को व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 से प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत व्यापार चिह्न अधिकारों के अतिक्रमण के दंडविषयक प्रावधानों में वृद्धि की गई है। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 101 से 105 में नकली उत्पादों के लिए आवश्यक दंड की व्यवस्था है। धारा 103, 104 और 105 के तहत अपराधों को संज्ञेय बनाया गया है और कैद की अवधि छः माह से कम नहीं होगी जो अधिकतम तीन वर्ष हो सकती है तथा न्यूनतम दंडशुल्क 50,000/- रुपये है जिसे 2,00,000/- रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

चीनी का निर्यात

517. **श्री के. येरननायडू :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कृषि विज्ञानियों ने चीनी क्षेत्र विशेषकर इसके निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कदम सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) चीनी का निर्यात विशेषकर इराक को तेल के बदले खाद्य रूप में इसके निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) चीनी उद्योग को चीनी निर्यात सहित आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता में सुधार करने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) चीनी का निर्यात बढ़ाने की दृष्टि में सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं—

(i) निर्यात के लिए नियत चीनी को लेवी के दायित्व से छूट दी गई है। यह छूट जो शुरूआत में पहली जून, 2000 से छः महीनों के लिए थी, की अवधि बढ़ाकर 31.3.2001 कर दिया गया है।

(ii) यह निर्णय किया गया है कि वाणिज्यिक निर्यातों के लिए निर्यात की गई मात्रा को अग्रिम खुली बिक्री रिलीज के रूप में माना जाए और जिसे रिलीज की तारीख से 12 महीनों की अवधि के बाद समायोजित किया जाए।

(iii) यह भी निर्णय किया गया है कि वाणिज्यिक निर्यातों के लिए नियत चीनी की मात्रा को दी गई लेवी छूट का यदि चीनी कारखाने ने लेवी दायित्व के पूरा हो जाने के कारण 1999-2000 के मौसम के उत्पादन में से संबंधित चीनी कारखाना यह लाभ 2000-2001 के चीनी मौसम के उत्पादन में से ले सकता है।

(iv) चीनी के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 5% दर पर डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गई है।

(v) एपेडा ने निर्यातकों द्वारा दी जाने वाली 5% निष्पादन बैंक गारंटी को समाप्त कर दिया है।

इराक को किए जाने वाले सभी निर्यातों की संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित खाद्य कार्यक्रम के लिए तेल के तहत अनुमति है। आपूर्ति के लिए अनुबंधों को निर्धारित निविदा प्रक्रिया के अनुसार दिया जाता है। यह तेल के लिए आदान-प्रदान के आधार पर नहीं है बल्कि निर्यातकों को भुगतान, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विशेष रूप से बनाए गए 'निलम्बलेख इराक खाता' के जरिए किया जाता है।

फैशन टेलीविजन चैनल

518. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :**
डा. (श्रीमती) सुधा यादव :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री शिवाजी माने :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एफ.टी.वी. (फैशन चैनल) सहित विभिन्न टी.वी. चैनलों का यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम भारत में स्थापित संहिता और संस्कृति के अनुकूल हो, का सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों से विशेषकर एक टी.वी. चैनल से और देशी फर्मों तथा कम्पनियों से प्रसारित कार्यक्रमों को प्रसारित करने, विनियमित करने, नियंत्रित करने और यदि आवश्यक हुआ तो, आपत्तिजनक और अश्लील प्रसारणों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सरकार ने विभिन्न उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, निर्धारित संहिताओं के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर मामले को संबंधित चैनलों के साथ उठाया जाता है। आवश्यक समझे जाने पर चैनलों के कार्यक्रमों की मानीटरिंग भी की जाती है। निर्धारित संहिताओं के लगातार उल्लंघन के मामले में मंत्रालय केवल आपरेटरों द्वारा ऐसे चैनलों के प्रसारण को रोकने के लिए ऐसे चैनलों को अधिसूचित कर सकता है।

विश्व आर्थिक मंच की बैठक

519. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में एक भारतीय शिष्टमंडल ने भाग लिया;

(ख) यदि हां, तो वहां हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) औद्योगिक राष्ट्रों की अनुचित वैश्वीकरण प्रक्रिया पर भारत का रुख क्या रहा जिसने विकासशील देशों को 'जीतो या हारो' वाली स्थिति में डाल दिया है; और

(ङ) भारत के रुख पर प्रतिभागियों की क्या प्रतिक्रिया रही?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) विश्व आर्थिक मंच की 31वीं वार्षिक बैठक 25 से 30 जनवरी, 2001 को दावोस, स्विटजरलैंड में आयोजित की गई। मंच में आधिकारिक भारतीय सहभागियों में केन्द्रीय वित्त मंत्री और आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शामिल थे। भारतीय उद्योग में बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों और बहुत से भारतीय परिषद् सदस्यों ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया।

विचार-विमर्श मुख्य रूप से भूमंडलीय वृद्धि, विशेषकर विकासशील विश्व में, के लिए स्थितियों को सुदृढ़ करने, सामाजिक पर्यावरणीय संपोषणता, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने की व्यवस्थाओं, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं की कमी भूमंडलीय स्वास्थ्य और पोषाहार में सुधार, मानवीय अधिकारों और लोक तंत्रीय मूल्यों का संवर्धन करने और बढ़ते हुए एकरूप विश्व में सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा करने पर केन्द्रित था।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने संकेत किया कि भूमंडलीयकरण की वास्तविक चुनौती सैद्धांतिक लाभों को वास्तविक लाभों में परिवर्तित करना था जो भूमंडलीयकरण से प्राप्त होने संभावित थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक असमान विश्व में भूमंडलीयकरण को प्राप्त नहीं किया जा सकता और संपोषित विश्व के निर्माण में दोहरे मानदंड अपनाए जा रहे थे। उन्होंने विकासशील देशों विशेषकर भारत की शक्ति के प्रति विकसित देशों की उदासीनता की आलोचना की और उल्लेख किया कि जहां विकासशील देशों ने अपने बाजार को खोल दिया है वहीं विकसित देश उच्च टैरिफ और अन्य बाधाओं के जरिए अपने बाजार सीमा से बाहर रख रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संवृद्धि की प्रक्रिया को समान अवसरों के सिद्धांतों के आसपास ही निर्धारित किया जाना चाहिए। विभिन्न सत्रों के दौरान भारतीय विचारों और हस्तक्षेपों का स्वागत किया गया और उन पर अनुकूल टिप्पणियां की गईं।

राष्ट्रीय आवास बैंक कर्मियों के लिए पेंशन योजना

520. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों से संबंधित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इन परिवारों की सहायता करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक की क्या योजना है;

(घ) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक कर्मियों के लिए पेंशन योजना का मामला उनके मंत्रालय के पास लंबे समय से लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक कर्मियों के लिए पेंशन योजना को शीघ्रता से अंतिम रूप दिए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आवास के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई पृथक आवास ऋण योजना नहीं बनाई गई है। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण क्षेत्रों सहित समाज के कमजोर वर्गों को आवास ऋण संवितरित करने हेतु प्राथमिक ऋणदाताओं के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा शुरू की गई योजनाएं निम्नलिखित हैं—

(i) स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण आवास वित्त योजना—प्राथमिक ऋणदाताओं को अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में उनके संवितरणों के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाता है।

(ii) आवास वित्त कंपनियों के लिए पुनर्वित्त योजना—समुदाय आधारित वित्तीय संस्थाओं को आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) द्वारा दिए गए आवास ऋणों के लिए पुनर्वित्त योजना ताकि वे स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को आगे ऋण दे सकें।

(iii) राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कंपनियों को बाढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए उनके द्वारा ऋण देने के संबंध में पुनर्वित्त सहायता हेतु भी एक योजना बनाई है; और

(iv) विशेष निधि (ऐच्छिक जमा योजना) के तहत शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंदी बस्तियों के पुनर्विकास एवं गरीबों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/अल्प आय समूह) के लिए कम लागत के आवास वाली परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता देने की योजना।

(घ) से (च) राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन विनियमन का एक मसौदा नवंबर 1999 में प्रस्तुत किया था, जिसको शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

अतिरिक्त गेहूं का वितरण

521. **श्री ब्रजमोहन राम :**
श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों के माध्यम से अपने गोदामों में पड़े अतिरिक्त गेहूं को गरीब और जरूरतमंदों में वितरण करने हेतु एक नई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं और चावल का निर्यात

522. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री संजय पासवान :
श्री रामजी लाल सुमन :
श्री जोरा सिंह मान :
श्री मोहन रावले :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
डा. मन्दा जगन्नाथ :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश-वार निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कितने गेहूं और चावल का निर्यात किया गया;

(ख) इन मदों को किस मूल्य पर निर्यात किया गया;

(ग) क्या इनके निर्यात मूल्य और घरेलू मूल्यों में कोई अंतर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितना वास्तविक घाटा हुआ;

(च) क्या सरकार का विचार गेहूं के निर्यात मूल्य पर ही इसे कुछ राज्यों को वितरित करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

523. **श्री अनन्त नायक :**
कुंवर अखिलेश सिंह :
डा. बलिराम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मासिक दर क्या है;

(ख) क्या 01.01.2001 से महंगाई भत्ते की एक और किश्त सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दी जानी है;

(ग) यदि हां, तो 01.01.2001 से कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता देय है;

(घ) महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी से सरकारी राजकोष पर कितना बोझ पड़ेगा; और

(ङ) इसे कब तक घोषित कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ए.आई.सी.पी.आई.) हेतु उपलब्ध आंकड़े जनवरी से दिसंबर, 2000 के दौरान 431 से 446 के रेंज के बीच थे।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते का संशोधन वर्ष में दो बार, पहली जनवरी और पहली जुलाई को

किया जाता है तथा जिसका भुगतान क्रमश: मार्च एवं सितंबर माह के वेतन के साथ किया जाता है। पहली जनवरी से दी जाने वाली किस्त सामान्यत: मार्च महीने के वेतन के साथ देय होती है, जिसका भुगतान अप्रैल माह में किया जाता है। इस मामले पर निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

524. **श्री वी.एम. सुधीरन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय स्टेट बैंक के श्रमिक संघों द्वारा 'जबरन' स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विरोध किए जाने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ाना

525. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से राज्यों ने केन्द्र सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ाने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 2001 तक ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) जून, 1997 से प्रारंभ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल और गेहूं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशानिर्देशों के अनुसार आबंटित किए जाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों पर सामान्य आबंटन से कहीं ज्यादा चावल और गेहूं का अतिरिक्त आबंटन भी गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य या खुली बाजार बिक्री योजना के अधीन मूल्यों, जो भी कम हो, पर किया गया है।

हाल ही में सिक्किम, मिजोरम और तमिलनाडु राज्य सरकारों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल/गेहूं का अधिक आबंटन करने का अनुरोध किया है। इन अनुरोधों और उन पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया के ब्यौरे निम्नानुसार हैं—

1. **सिक्किम :** सिक्किम सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू दर पर 500 टन गेहूं के आबंटन का अनुरोध किया था। यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर गेहूं और चावल का आबंटन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशानिर्देशों के अधीन किसी राज्य के लिए निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे के आबंटन की मात्रा के अंदर किया जाता है। सिक्किम सरकार ने खाद्यान्नों के गरीबी रेखा से नीचे के अपने आबंटन में से गेहूं की मांग नहीं की थी।

2. **मिजोरम :** जैसा कि मिजोरम सरकार ने अनुरोध किया था, जनवरी, 2001 से गरीबी रेखा से ऊपर की दरों पर उन्हें प्रतिमाह 1000 टन गेहूं की अतिरिक्त मात्रा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उनके सामान्य आबंटन के अलावा आबंटित की जा रही है।

3. **तमिलनाडु :** तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किए जाने वाले गरीबी की रेखा से नीचे के लिए चावल के आबंटन में से समतुल्य आबंटन कम किए बिना गरीबी रेखा से नीचे दरों पर प्रतिमाह 20,000 टन गेहूं का आबंटन करने का अनुरोध किया था। यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे दरों पर गेहूं और चावल का आबंटन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशानिर्देशों के अधीन किसी राज्य के लिए निर्धारित गरीबी रेखा से नीच के आबंटन की मात्रा के अंदर किया जाता है और किसी एक राज्य के लिए गरीबी रेखा के आबंटन में फेरबदल नहीं की जा सकती है।

शिक्षा पर कार्यक्रम

526. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों से संबंधित दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है और इनका विभिन्न चैनलों द्वारा किस सीमा तक पालन किया जा रहा है; और

(ख) इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995

के प्रावधानों के अनुसार, जब उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों को केबल नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित किए जाने पर उन्हें निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का पालन करना अपेक्षित होता है। इन संहिताओं के किसी चैनल द्वारा उल्लंघन के मामले में मंत्रालय, केबल आपरेटरों द्वारा इन चैनलों के कार्यक्रमों के पुन:प्रसारण को रोकने के लिए ऐसे चैनलों को अधिसूचित करेगा। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी प्राधिकृत अधिकारियों अर्थात् जिला मजिस्ट्रेटों, उप जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस आयुक्त तथा केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा यथा अधिसूचित अन्य अधिकारियों की है। भारत से अपने कार्यक्रमों को अपलिंक करने वाले टी.वी. चैनलों को भी दूरदर्शन के लिए यथा लागू कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का पालन करने के लिए उपयुक्त लाइसेंस की शर्तों के जरिए बाध्य किया जाता है।

'क्रूड' पाम ऑयल

527. **श्री भान सिंह भौरा :**
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा पाम के कच्चे तेल के आयात पर वर्तमान में कितनी दर से शुल्क लगाया जाता है;

(ख) क्या वनस्पति उत्पादकों को पाम ऑयल के आयात पर शुल्क में कुछ छूट दी जाती थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जनवरी, 2000 से वनस्पति का मासिक उत्पादन और पाम के कच्चे तेल की खपत कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) क्रूड पाम ऑयल के आयात के लिए शुल्क की मौजूदा दर निम्नवत है–

क्रूड खाद्य तेल	शुल्क की दर
वनस्पति विनिर्माण के लिए पाम ऑयल	25%
अन्य वनस्पति विनिर्माण के लिए पाम ऑयल	55%

(ख) वनस्पति विनिर्माताओं द्वारा क्रूड पाम ऑयल के आयात पर शुल्क 25% है जबकि अन्य तेलों पर 35% है।

(ग) 25% के स्तर पर शुल्क को बनाए रखने का मूल कारण नेपाल से वनस्पति के सस्ते आयात से घरेलू वनस्पति उद्योग पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को संभावित सीमा तक रोकना है।

(घ) वनस्पति का औसत मासिक उत्पादन तथा क्रूड पाम ऑयल की खपत जनवरी, 2000 से क्रमश: 1.1 लाख मीट्रिक टन और 57 लाख मीट्रिक टन आंकी गई है।

सूरत स्थित हीरा उद्योग का चीनी शिष्टमंडल द्वारा दौरा

528. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि चीनी शिष्टमंडल सूरत के हीरा उद्योग का बार-बार दौरा करके वहां के व्यवसायी समुदाय को चीन में व्यापार स्थापित करने हेतु आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चीन के इस प्रयास और जहां तक देश के हीरा उद्योग का संबंध है इससे इस पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी जे ई पी सी) जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक स्वायत्तशासी व्यापार प्रतिनिधि निकाय है, ने सूचित किया है कि चीनी शिष्टमंडल भारत का दौरा करता आ रहा है और वह जीजेईपीसी के पदाधिकारियों और इसके उन अन्य सदस्यों के साथ विचार विमर्श करता रहा है जिनके चीन में हीरा तराशने और पालिश करने की इकाइयां स्थापित करने के लिए हीरा तराशने और पालिश करने की इकाइयां हैं। यदि चीन भी तराशे गए और पालिश किए गए हीरों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता बनता है तो भारतीय हीरा उद्योग के हीरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

जीईपीईसी को सलाह दी गई है कि वे तराशे और पालिश किए गए हीरों के कुल विश्व व्यापार में भारतीय हिस्से में और अधिक वृद्धि करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं और यह भी सुनिश्चित करें कि प्रमुख बाजार हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने न दें जैसा कि विश्व बाजार में भारतीय हीरा उद्योग द्वारा तत्परता से प्रमुख बाजार हिस्सों में अपनी पैठ जमाई है। भारत सरकार साल-दर-साल अपनी एग्जिम नीति में संशोधन करके इस अति महत्वपूर्ण क्षेत्र के निर्यातों को सुकर बनाती आ रही है ताकि वह तराशे और पालिश किए गए हीरों के विश्व बाजार में भीतर की प्रभावशाली स्थिति कायम रख सके।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यनिष्पादन

529. श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999-2000, 2000-2001 के दौरान बहुत सी सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के लाभ में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लाभ में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति से उबरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1998-99 को दिनांक 10.3.2000 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था और उक्त सर्वेक्षण के अनुसार 31.3.1999 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में 235 उद्यम प्रचालनरत थे। इनमें से 114 उपक्रमों ने गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1998-99 के दौरान या तो अपने लाभ में वृद्धि की अथवा घाटे में कमी की है, 118 उपक्रमों के लाभ में कमी या घाटे में वृद्धि हुई है और तीन मामलों में स्थिति अपरिवर्तित रही है। इस गिरावट के कारण उद्यम सापेक्ष हैं। बहरहाल, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, पुराने संयंत्र एवं मशीन, तीव्र प्रतिस्पर्धा, वित्तीय संकट, निविष्टि की अधिक लागत, आवश्यकता से अधिक श्रमशक्ति आदि इसके सामान्य कारण हैं।

(ग) कार्य निष्पादन में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों/सरकारी उपक्रमों के प्रबंधन द्वारा समय-समय पर उद्यम विशेष की आवश्यकता के अनुसार उपाय किए जाते हैं। बहरहाल, कुछ सामान्य उपायों में प्रबंधकीय एवं वित्तीय पुनर्गठन, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, संयंत्रों एवं मशीनों का आधुनिकीकरण, लागत नियंत्रण के उपाय, श्रमशक्ति में उचित कमी, विपणन की बेहतर रणनीतियां आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में संपर्क अधिकारी की नियुक्ति

530. श्री राधा मोहन सिंह :
डा. एस. वेणुगोपाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ने अधिकारी संवर्ग (संपर्क अधिकारी) के लिए कुछ लिपिकों की नियुक्ति बिना कोई परीक्षा या साक्षात्कार लिए ही कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिना किसी परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित किए लिपिकीय कर्मचारियों से संपर्क अधिकारी की रिक्ति को भरा जाना है जिसके लिए इसकी अधिसूचना जारी की गई थी, और आवेदन आमंत्रित किए गए थे; और

(ग) यदि नहीं, तो मनमाने ढंग से इस प्रकार की नियुक्तियों के लिए कौन जिम्मेदार है और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर ने सूचित किया है कि बैंक ने किसी लिपिक को गत वर्ष के दौरान कोई परीक्षा और/अथवा साक्षात्कार लिए बिना अधिकारी ग्रेड (संपर्क अधिकारी) में नियुक्त नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अतिरिक्त खाद्यान्नों की बिक्री

531. श्री रामजी लाल सुमन :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी गोदामों पर बोझ को कम करने की दृष्टि से खुले बाजार में अतिरिक्त खाद्यान्नों की बिक्री का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो खुले बाजार में इन्हें बेचने हेतु सरकार द्वारा गेहूं और चावल का क्या बिक्री मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या निर्यात मूल्य से बिक्री मूल्य भिन्न है; और

(घ) यदि हां, तो मूल्य में अंतर के क्या कारण हैं एवं वर्ष 2000-2001 के दौरान कितनी मात्रा में खुले बाजार में खाद्यान्नों की बिक्री की जा चुकी है और कितनी मात्रा में इनका निर्यात किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) गेहूं और चावल के खुले बिक्री मूल्य निम्नानुसार हैं—

(दर प्रति क्विंटल)

जिन्स	घरेलू बिक्री	घरेलू दर	निर्यात दर
गेहूं	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों सहित उत्तरी जोन	650 रुपये	
	दक्षिण जोन	743 रुपये	415 रुपये
	पश्चिम जोन	724 रुपये	
	पूर्वी/उत्तर पूर्वी जोन	736 रुपये	

यह निर्णय लिया गया है कि सी. और डी. श्रेणी और चमक-रहित गेहूं को रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं, उसके घरेलू बिक्री मूल्य से 50 रुपये प्रति क्विंटल कम पर बेचा जाएगा।

चावल

इसे 950 रुपये प्रति क्विंटल के निर्धारित मूल्य पर वसूली न करने वाले/नगण्य वसूली वाले राज्यों में राज्य सरकार और निजी पार्टियों को और आंध्र प्रदेश में बेचा जाता है। वसूली करने वाले राज्यों के मामले में स्टाक को चालू लेवी मूल्य जमा बोरे की कीमत पर बेचा जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) घरेलू बाजार में चावल और गेहूं के उठान की स्थिति खराब है। स्टाकों के निपटान के लिए निर्यात एक विकल्प है, क्योंकि लंबे समय तक भंडारण के कारण उनकी गुणवत्ता के खराब होने की पूरी संभावना होती है और खराब स्टाकों को बाद में कम मूल्यों पर बेचने की आवश्यकता होगी। भंडारण भी कठिन होता जा रहा है और इस प्रकार वसूली होने पर नए स्टाक को रखने के लिए अधिशेष स्टाक का निपटान करना आवश्यक है।

गेहूं का निर्यात मूल्य आर्थिक लागत जो 8300 रुपये प्रति टन है, में से दो साल के रखरखाव की लागत, जो 3892 रुपये प्रति टन है, को घटाकर निकाला जाता है। चूंकि गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य 4150 रुपये प्रति टन है, अत: निर्यात मूल्य इसी दर के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

1.4.2000 से 31.1.2001 तक घरेलू और विदेशी बाजार में बेचे गए गेहूं का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

गेहूं : घरेलू – 4.60 लाख टन

निर्यात – 8.75 लाख टन

इस अवधि के दौरान सरकार ने चावल का कोई निर्यात नहीं किया है।

[अनुवाद]

गुजरात में भूकंप के कारण बैंकों को घाटा

532. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी.एस. बसवराज :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आए विनाशकारी भूकंप से गुजरात के बैंकों को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न बैंकों के करोड़ों रुपये मलबे के अंदर दब गए;

(ग) यदि हां, तो मलबे में अनुमानत: कितनी राशि दबी पड़ी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस राशि का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) गुजरात राज्य के राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक, देना बैंक ने सूचित किया है कि गुजरात राज्य में कार्यरत 4945 बैंक शाखाओं में से 68 शाखाएं भूकंप के कारण पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गई थीं और 80 शाखाएं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई थीं। तथापि, इन सभी 4945 शाखाओं ने अब कार्य करना आरंभ कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गुजरात राज्य में करेंसी चेस्ट वाली 5 बैंक शाखाएं भूकंप प्रभावित हुई थीं। इन चेस्टों में कुल 97.16 करोड़ रुपये की राशि रखी हुई थी। यह भी सूचित किया गया है कि स्थानीय प्राधिकारियों ने प्रभावित करेंसी चेस्टों में खजाने की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरती है। करेंसी चेस्टों से निधियों की किसी हानि की सूचना अभी तक नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

राज्यों के सूचना और प्रसारण मंत्रियों का सम्मेलन

533. श्री रामशकल :
श्री सुबोध मोहिते :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राज्यों के सूचना और प्रसारण मंत्रियों का सममेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन मुद्दों पर आम सहमति हुई?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के सूचना तथा चलचित्रिकी मंत्रियों का 24वां सम्मेलन 21 जनवरी, 2001 को आयोजित किया गया था।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. सम्मेलन का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया और इसमें 2 मुख्य मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के 13 सूचना तथा जन-संपर्क मंत्रियों, एक उप-राजयपाल तथा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से अधिकारी स्तर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

2. इस सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ सूचना और चलचित्रिकी मंत्रियों के 23वें सम्मेलन पर की गई कार्रवाई, प्रसारण के क्षेत्र में विकास, केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम में परिवर्तन, प्रसारण, सूचना तथा फिल्म क्षेत्र में राज्यों की त्वरित आवश्यकताओं, फिल्मों में हिंसा और अश्लीलता को रोकने, वीडियो चोरी के मुद्दों, मनोरंजन क्षेत्र को और अधिक गतिशील बनाने के लिए कर ढांचे को युक्ति-संगत बनाने और सिनेमा को समवर्ती सूची में लाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई।

3. यह निर्णय लिया गया कि मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जाए। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होंगे और केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। देश के विभिन्न भागों के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों के 9 सूचना मंत्री इसके अन्य सदस्य होंगे। फिल्मों में हिंसा तथा अश्लीलता के चित्रण की प्रवृत्ति को रोकने तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) अधिनियम के प्रवर्तन को सुनिश्चित कराने पर भी सहमति व्यक्त की गई। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के नेटवर्क के जरिए दूरदराज के क्षेत्रों को कवर करने पर सहमति व्यक्त की गई। सभी राज्यों ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाए जाने पर विशेष बल देने के लिए सहमति दी।

विश्व बैंक अध्यक्ष का भारत दौरा

534. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवंबर, 2000 के पहले सप्ताह के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो दौरे का उद्देश्य क्या था और वित्त मंत्री के साथ किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) विश्व बैंक अध्यक्ष के भारत दौरे से पूर्व बैंक द्वारा भारत को कितनी सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग किया गया;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा भारत को की जाने वाली सहायता को बढ़ाने से रोकने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) इस यात्रा का प्रयोजन भारत में विश्व बैंक के कार्यकलापों से परिचित होना, इस देश को और अधिक समझना और परस्पर हितों के मामलों की चर्चा करना था। अध्यक्ष ने वित्त मंत्री के साथ भारत को बैंक की सहायता की मात्रा, संवितरण में सुधार, भारत में निर्धनता कैसे कम की जाए, आधारभूत ढांचे के विकास, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग और ग्रामीण विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को विकसित करने के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

(ग) अध्यक्ष की यात्रा के साथ कोई मदद अथवा सहायता जुड़ी नहीं थी। भारत को विश्व बैंक से इसके आरंभ से लेकर 30 जून, 2000 तक 408 परियोजनाओं के लिए 53.03 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य की सहायता प्राप्त हो चुकी है।

(घ) से (च) अधिकतर परियोजनाओं ने निधियों का पूरा उपयोग किया। तथापि, कुछ परियोजनाओं में परियोजना प्रबंध से संबंधित समस्याओं, प्रतिरूप निधियों की कमी, अभिप्राप्ति और प्राकृतिक आपदाओं, विदेशी मुद्रा की मूल्यवृद्धि इत्यादि के कारण निधियां बच गईं/निरस्त हुईं।

(छ) विश्व बैंक के अध्यक्ष ने ऐसा नहीं किया है।

निर्यातकों को शुल्क की वापसी

535. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली निर्यातक संघ के अनुसार सरकार को नवंबर, 2000 में शुल्क की वापसी के रूप में निर्यातकों को 700 करोड़ रुपये का भुगतान करना था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने 'ड्यूटी इन्टाइटिलमेंट पास बुक योजना' के अंतर्गत भी भुगतान नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ठेका श्रम प्रणाली

536. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के कितने गोदाम हैं और वैसे कितने गोदाम हैं जहां ठेका श्रम प्रणाली अभी भी अपनायी जा रही है;

(ख) क्या ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में प्रदान की गई सुविधाएं उन गोदामों में उपलब्ध कराई जा रही हैं जहां अभी भी ठेका श्रम प्रणाली अपनायी जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार अथवा निगम द्वारा उक्त प्रावधानों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन गोदामों से ठेका श्रम प्रणाली समाप्त करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विशेषकर ठेका प्रणाली समाप्त करने के संबंध में जी.सी. अस्नीनो समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अनुपालन न किए जाने के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) फिलहाल भारतीय खाद्य निगम के कुल 1412 डिपुओं/केन्द्रों में से 976 डिपु/केन्द्र खाद्यान्नों की हैंडलिंग और ढुलाई के लिए ठेका श्रम प्रणाली के अधीन कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) हैंडलिंग और ढुलाई ठेकादारों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे ठेका श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 सहित सभी अधिनियमों के उपबंधों का कड़ाई से पालन करें। इन उपबंधों का क्रियान्वयन/अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सरकारी प्रवर्तन प्राधिकारी भारतीय खाद्य निगम की स्थापनाओं का आवधिक निरीक्षण भी करते हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कार्य यत्र-तत्र और मौसमी स्वरूप का होने की दृष्टि में यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि भारतीय खाद्य निगम के प्रत्येक डिपु/गोदाम में ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त किया जाए, विशेष रूप से इसलिए कि कानून के तहत ठेका प्रणाली के अधीन श्रमिकों की तैनाती की अनुमति है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन में सूचना प्रौद्योगिकी

537. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संवाददाताओं और अद्यतन उपकरणों की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश में राज्य वार, विशेषकर गुजरात में दूरदर्शन द्वारा कितने संवाददाताओं को सेवा में लगाया गया है;

(ग) क्या दूरदर्शन के कार्यक्रमों में लोगों की रुचि लगातार घटती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लोगों में दूरदर्शन की छवि सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) दूरदर्शन में इस समय संपूर्ण भारत में 25 टी.वी. समाचार संवाददाता तैनात हैं। टी.वी. समाचार संवाददाताओं और सहायक समाचार संवाददाताओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अचानक जरूरत पड़ने पर घटना की पर्याप्त कवरेज के लिए कार्यवाही स्थल पर विभिन्न केन्द्रों से संवाददाता भेजे जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर नैमित्तिक समाचार रिपोर्टरों को भी कार्य पर लगाया जाता है जो महीने में अधिकतम दस दिनों के लिए सीमित होते हैं। चार टी. वी. समाचार संवाददाताओं को हाल के भूकंप के बाद गुजरात की आवश्यकता को पूरा करने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था। दूरदर्शन के सभी केन्द्रों में आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं और उपकरण का उन्नयन और संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में तैनात दूरदर्शन के संवाददाताओं की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	संवाददाताओं की संख्या
1	2	3
1.	दिल्ली	2
2.	कर्नाटक	3
3.	उड़ीसा	1

1	2	3
4.	पश्चिम बंगाल	4
5.	तमिलनाडु	3
6.	आंध्र प्रदेश	3
7.	राजस्थान	1
8.	पंजाब	1
9.	उत्तर प्रदेश	3
10.	बिहार	1
11.	झारखंड	1
	कुल	25

[हिन्दी]

निर्यात संभावनाओं की खोज

538. श्री रामदास आठवले : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों के निर्यात और उनकी बिक्री की संभावनाओं की खोज की है या करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां अब तक इन संभावनाओं की खोज की गई है और आज तक इस संबंध में क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा स्पाईसेस बोर्ड के जरिए केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, असम तथा नागालैंड राज्यों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में मसालों के उत्पादन एवं निर्यात के लिए निर्यात संवर्धन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सरकार द्वारा फसलेत्तर रख-रखाव के उत्पादन तथा प्रसंस्करण के लिए सहायता दी जा रही है। ये क्षेत्र कार्बनिक निर्यात उत्पादन गांवों के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों में उत्पादित कार्बनिक मसालों के 2915 टनों का निर्यात किया गया है और 1810 परिवारों को लाभ हुआ है। वर्ष 2001-2002 के दौरान इन क्षेत्रों से होने वाले निर्यातों की मात्रा का और अधिक बढ़ने का अनुमान है। चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा एपीडा के जरिए 9.59 लाख रुपये के परिव्यय से एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि असम से कार्बनिक गन्ना तथा चावल, मणिपुर से पैसन फल, मेघालय तथा त्रिपुरा से अन्नानास के निर्यात को बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

चाय, कॉफी, रबड़ और काली मिर्च के दामों में गिरावट

539. श्री पी.सी. थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्राकृतिक रबड़, चाय कॉफी और काली मिर्च का उत्पादन करने वाले किसान अपने उत्पादों के दामों में भारी गिरावट आने के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन वस्तुओं के मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन वस्तुओं के उत्पादक किसानों की सहायता करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) चाय और कॉफी की कीमतों में गिरावट आई है और इन वस्तुओं के उपजकर्त्ताओं को वे कीमत नहीं मिल रही हैं जो वे दो वर्ष पहले प्राप्त कर रहे थे। जबकि प्राकृतिक रबड़ के संबंध में कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है, काली मिर्च की कीमतों के संबंध में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दिए गए इन वस्तुओं की कीमतों के स्वरूप से स्पष्ट है–

(रु. कि.ग्रा.)

वर्ष	प्राकृतिक रबड़	चाय	कॉफी अरेबिका	कॉफी रोबस्टा	काली मिर्च*
1998	30	76	130	83	173
1999	30	73	115	79	206
2000	31	62	96	53	215

*काली मिर्च की कीमतें वित्तीय वर्ष की हैं।

(ग) और (घ) प्राकृतिक रबड़ की घटती कीमतों को स्थिर करने के लिए भारत सरकार ने अगस्त, 1997 से एसटीसी के जरिए सरकारी लेखे से प्राकृतिक रबड़ के प्रापण हेतु बाजार हस्तक्षेप किया

है। एसटीसी ने अभी तक 52.429 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद की है। स्वदेशी रबड़ की खपत को बढ़ाने के लिए सरकार ने दिनांक 20.2.1999 से अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। एसटीसी द्वारा प्राकृतिक रबड़ की खरीद उसको दी गई मांगों पर ए एल धारकों को आपूर्ति करने के लिए ज़ारी है।

नीलामी में अलाभकारी कीमत स्थिति से उबारने के लिए चाय के उपजकर्त्ताओं को मदद करने के प्रयोजन से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं : 1.5.2000 से एक कीमत इमदाद योजना का कार्यान्वयन जिसमें लघु चाय उपजकर्त्ताओं को नीलामी कीमत और 55 रु. प्रति कि.ग्रा., अधिकतम 8 रुपये प्रति किलोग्राम तक के बीच की कमी के बराबर एक राशि की इमदाद प्रदान की गई है, तमिलनाडु के निलगिरि जिला में गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम का कार्यान्वयन और सार्वजनिक चाय नीलामियों के जरिए चाय उत्पादन के 75% की अनिवार्य बिक्री शर्त को हटाना।

विश्व भर में और घरेलू बाजार में कॉफी की कीमतों में गिरावट कॉफी की बेशी उत्पादन के कारण है। भारत सरकार ने हाल में कॉफी के लिए कॉफी उत्पादक देशों के संघ (ए सी पी सी) की धारण योजना को शुरू करने की स्वीकृति दी है। यह आशा की गई है कि कॉफी बोर्ड द्वारा छः महीनों की अवधि के लिए शुरू की गई योजना से कॉफी की कीमतों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की भर्ती

540. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की भर्ती हेतु आरक्षण की प्रभावी तिथि 8 सितंबर, 1993 थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सामान्य बीमा कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों ने उक्त निर्णय को वर्ष 1996 में ही लागू कर दिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 8 सितंबर, 1993 के बाद से की गई नियुक्तियों के कारण शेष बचे रिक्त स्थानों सहित वर्ष 1996 से की गई सभी भर्तियों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपयुक्त आरक्षण नीति को अमल में लाया गया था।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात को सुचारु बनाने के लिए ढांचागत सुविधाओं का विकास

541. **श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी, 1999 के बाद से निर्यात को सुचारु बनाने के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु पूर्वोत्तर राज्यों में कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) प्रधान मंत्री द्वारा इसके लिए जनवरी, 1999 में कुल कितनी राशि की घोषणा की गई थी;

(ग) आधारभूत ढांचे के विकास की गति धीमी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत ढांचे के विकास की गति को तीव्र करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) निर्यातों का संचालन करने के लिए जनवरी, 1999 से पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 27.54 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि में से 17.60 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु प्रधान मंत्री के पैकेज के अनुसार, जोखावतार (मिजोरम), मोरेह (मणिपुर), डाकी (मेघालय) तथा सुतारखंडी (असम) स्थित चार बार्डर टाऊनशिपों के विकास के लिए 20.00 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के बजटीय प्रावधान का न्यूनतम 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु रखे गए हैं।

(ग) और (घ) बुनियादी ढांचे के विकास में भूमि के प्रावधान सहित विभिन्न मामलों पर विभिन्न एजेंसियों के साथ सहयोग की आवश्यकता होती है। स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गई हैं।

पाटन रोधी निदेशालय का कार्यकरण

542. **श्री अनंत गुढे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कंपनियों हेतु पाटन रोधी मामलों के निपटाने में अधिक प्रभावी और सक्षम बनाने के दृष्टिकोण से पाटन रोधी निदेशालय के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उभरती प्रवृत्तियों के साथ मानक मानदंड के संदर्भ में **तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;

(ग) पाटन रोधी निदेशालय के सुदृढ़ीकरण/पुनर्गठन/उन्नयन हेतु किन **क्षेत्रों की** पहचान की गई है; और

(घ) जनहित में पाटन रोधी मामलों को सक्षमता से निपटाने हेतु निदेशालय को व्यवसायिकों की विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) अपर सचिव तथा एक वरिष्ठ संयुक्त सचिव की सहायता से पाटन रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) के पास पाटन रोधी कारंवाई करने के लिए उनके अधिकार में अपेक्षित तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी हैं। डी जी ए डी में विभिन्न स्थितियों में अधिदेशित समय-सीमा के भीतर किए गए खर्च संबंधी याचिकाओं से निपटने का प्रयास एक सतत प्रक्रिया है। यह प्रस्ताव हे कि जानकारी में आए मामलों की संख्या के आधार पर डी जी ए डी को और सुदृढ़ किया जाए। डी जी ए डी द्वारा विभिन्न वाणिज्य मंडलों के साथ विचार-विमर्श के सत्रों का आयोजन किया है और इसने विधायी विशेपज्ञों के साथ चर्चा भी की है ताकि उनके द्वारा बतलाए गए पाटन रोधी संबंधी ज्ञान के भंडार को उद्योग जगत एवं पाटन रोधी निदेशालय के लिए उपयोगी बनाया जा सके।

राज्यों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश

543. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान संस्थान-वार प्रत्येक राज्य में उद्योगों को सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थानों द्वारा कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन संस्थानों द्वारा वास्तविक रूप में कितनी राशि जारी की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) 1998-99 और 1999-2000 के दौरान स्वीकृत की गई संस्था-वार (आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईआईबीआई, सिडबी और एक्जिम बैंक) और राज्य-वार सहायता संलगन विवरण-I में दी गई है।

(ख) 1998-99 और 1999-2000 के दौरान ऊपर वर्णित संस्थाओं द्वारा जारी (संवितरित) की गई संस्था-वार और राज्य-वार राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1998-1999 और 1999-2000 के दौरान आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, सिडबी, आईआईबीआई और एक्जिम बैंक द्वारा मंजूर राज्यवार/संस्थावार सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	आईडीबीआई		आईएफसीआई		आईसीआईसीआई		सिडबी		आईआईबीआई		एक्जिम बैंक	
		1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1865.12	4394 82	475.46	287.18	1645.1	3406.9	180.88	253.51	109.74	88.42	189 82	155.17
2.	अरुणाचल प्रदेश							1.49	1.46				
3.	असम	48.12	43.43	13.61		27	181.71	8.18	13.29	2.4			
4.	बिहार	678.3	241.5	35.6	23.23	292.5	607.63	95.86	103.03	12.61	12.93		
5.	गोवा	187.09	71.47	10		45	136	86.19	54.46	35	20		
6.	गुजरात	2091.37	4538.93	318.27	615.63	4615	5677.54	457.61	552.37	278.75	154.89	94.86	84.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	हरियाणा	520.24	572.84	89.6	43.65	780.5	959.91	306.27	247.87	28.15	51.79	14.49	2
8.	हिमाचल प्रदेश	66.7	373.01	192.5	64.32	0	175	38.66	37	5	45		
9.	जम्मू और कश्मीर		41.48			15	262.45	20.09	17.33				
10.	कर्नाटक	2319.7	1262.31	292.7	206.36	1427.75	2689.18	418.5	353.05	122.7	190.25	49	28.43
11.	केरल	367.36	222	55		179.13	162	265.57	353.48	20	8	6	
12.	मध्य प्रदेश	700.83	1122.72	184.51	22.8	1169.88	630.95	243.18	263.18	51	69.85	5	22
13.	महाराष्ट्र	5539.39	4878.48	1305.07	317.47	11678.09	11755.37	865.53	737.96	644.94	456.44	84.51	213.56
14.	मणिपुर							3.69	4.79				
15.	मेघालय							4.84	4.09				
16.	मिजोरम							0.98	1.06				
17.	नागालैंड							1.46	1.48				
18.	उड़ीसा	142.4	46.33			616.36	2275.26	135.16	141.66	105	300		
19.	पंजाब	546.81	1526.15	115.3	84.79	817.21	443.1	226.16	269.99	50.85	5.77		
20.	राजस्थान	1020.5	778.22	91.89	38.81	150.05	419.07	151.74	243.59	78	100		
21.	सिक्किम	0.4						6.58	2.45				
22.	तमिलनाडु	2532.01	3368.14	510.85	54.6	3573.23	3801.87	509.4	557.14	228.09	349.56	55.54	166.67
23.	त्रिपुरा							3.94	5.01				
24.	उत्तर प्रदेश	2048.73	810.94	458.75	178.19	865.17	2112.81	271.68	186.54	140.5	60.92	83	50
25.	पश्चिम बंगाल	509.37	925.21	57.7	75.14	2145.64	1920.82	2924.58	218.19	185.43	319.7	111.35	78.25
26.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2251.53	1927.18	76	108.24	1842.51	5739.43	186.53	261.91	17.5	103.56	4.65	12.34
27.	संघ राज्य क्षेत्र	213.68	169.79	162.4	255.8	65.2	166.3	25.56	28.64	9.5	1		
	(क) अंडमान और निकोबार							0.08					
	(ख) दमन और दीव	56.78	56	10		12	65	0.24	2.19				
	(ग) दादरा एवं नगर हवेली	105.5	66.43	92.4	255.8	37.7	51.3	15.74	16.21	9.5			
	(घ) चंडीगढ़	22.7	42.36	55				2.42	8.37		1		
	(ङ) लक्षद्वीप												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(त्र) पांडिचेरी	28.7	5	5		15.5	50	7.08	1.87				
	बहुराज्य/गैर विशिष्ट क्षेत्र				420.26	955.45							
	कुल	23649.7	2731.5	4445.2	2376.2	32370.6	44478.8	4810.3	4914.5	2175.2	2338.1	698.2	845.9

विवरण-II

वर्ष 1998-1999 और 1999-2000 के दौरान आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, सिडबी, आईआईबीआई और एक्जिम बैंक द्वारा मंजूर राज्यवार/संस्थावार सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं	राज्य	आईडीबीआई		आईएफसीआई		आईसीआईसीआई		सिडबी		आईआईबीआई		एक्जिम बैंक	
		1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1234.8	1692.6	329.6	303.4	643.7	1275.6	154.5	211.7	15.2	88.8	120.9	111.3
2.	अरुणाचल प्रदेश			3.8				1.5	1.5				
3.	असम	26.3	29.9	15.8	5.6	25.1	102.1	9.6	13.1	2.4	0.5		
4.	बिहार	137.7	317.4	8.5	2.7	461.2	512.5	78.7	96.7		10.1		
5.	गोवा	113.8	103.4	28.8	58.8	34.0	95.7	72.8	57.8	70.4	30.0		
6.	गुजरात	2340.6	2457.5	694.5	416.8	3112.1	3680.0	323.3	311.0	256.6	125.4	85.6	56.8
7.	हरियाणा	303.4	385.2	112.2	46.4	495.3	734.6	295.0	229.2	30.8	6.1	10.3	
8.	हिमाचल प्रदेश	95.1	362.3	94.9	61.5	71.9	48.4	38.7	31.6	5.0	31.1		
9.	जम्मू और कश्मीर	1.0	42.3				16.5	16.8	16.6				
10.	कर्नाटक	1292.5	955.6	480.1	177.0	1102.9	2178.7	323.3	263.4	97.7	209.0	23.3	0.8
11.	केरल	174.9	118.0	47.7	1.3	119.0	173.2	202.5	315.0	13.7	2.7	1.4	56.5
12.	मध्य प्रदेश	718.4	658.9	494.1	101.2	549.5	284.6	194.0	226.8	40.3	62.3	13.5	19.3
13.	महाराष्ट्र	2706.4	3563.5	887.0	1104.2	6885.5	6419.3	734.9	654.4	511.6	331.1	99.0	100.3
14.	मणिपुर							0.7	4.2				
15.	मेघालय							2.8	3.7				
16.	मिजोरम							1.0	1.0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	नागालैंड							1.4	1.5				
18.	उड़ीसा	236.4	202.9	174.0		386.5	484.8	82.6	91.2	65.3	61.7		
19.	पंजाब	525.8	559.9	202.4	99.9	196.3	264.6	146.7	210.3	59.1	12.8	122.9	3.1
20.	राजस्थान	864.6	680.1	156.4	47.6	226.7	278.8	131.3	195.0	76.7	45.0		
21.	सिक्किम							6.1	3.4				
22.	तमिलनाडु	1407.4	1213.5	423.2	157.4	1470.4	1922.4	363.3	439.1	126.5	138.6	22.3	67.4
23.	त्रिपुरा							3.8	5.1				
24.	उत्तर प्रदेश	881.1	814.6	277.9	468.4	445.7	968.1	240.5	173.5	86.3	49.2	39.7	
25.	पश्चिम बंगाल	669.6	627.7	133.8	97.5	1462.8	1733.8	206.2	183.5	210.4	187.6	5.1	18.7
26.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	452.9	1330.8	35.8	56.1	1065.5	3871.6	191.6	133.8	5.5	46.2	3.5	40.7
27.	संघ राज्य क्षेत्र	192.8	95.3	218.9	56.7	50.6	82.1	22.5	28.5	15.1	1.5	14.0	
	(क) अंडमान और निकोबार							0.1				*	
	(ख) दमन और दीव	51.3	18.1			23.0	18.3	0.7	1.3	1.1			
	(ग) दादरा एवं नगर हवेली	102.8	32.4	144.2	54.4	8.7	31.9	16.1	13.3	14.0	0.6		
	(घ) चंडीगढ़	17.6	27.9	68.0				1.2	11.1		0.9	12.4	
	(ङ) लक्षद्वीप												
	(च) पांडिचेरी	21.1	17.0	6.7	2.3	19.0	31.9	4.4	2.8			1.6	
	बहुराज्य/गैर विशिष्ट क्षेत्र					420.3	708.4						
	कुल	14375.1	16211.5	4819.3	3262.3	19225.1	25835.7	3845.9	3902.5	1688.5	1439.6	451.6	474.7

संयुक्त राष्ट्र के पैनल द्वारा हीरों को लेकर हुए रक्तपात में भारत को संलिप्त पाना

544. श्री सुबोध मोहिते : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जनवरी, 2001 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में 'यू.एन. पैनल नेम्ज इंडिया इन ब्लड डायमंड्ज ट्रेल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ पैनल में अन्य देशों के साथ भारत को सियारा लियोन में हीरों को लेकर हुए रक्तपात में भारत को संलिप्त पाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस पैनल ने भारत को हीरा व्यापार के संबंध में आयात और बीजक प्रक्रिया को और अधिक कठोर बनाने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) श्री मार्टिन चुंगोंग अयेफर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र पैनल्ल को उनके भारत में किए गए दौरे के दौरान यह सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया गया था कि भारत का किसी विवाद/हीरों को लेकर हुए रक्तपात में कोई हाथ नहीं है। इसके प्रत्युत्तर में यू एन पैनल ने भारत द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। अपनी रिपोर्ट में विशेषज्ञ पैनल ने यह उल्लेख किया है कि यह आवश्यक है कि प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों, जिनमें भारत शामिल है, को अपरिष्कृत हीरों के आयातों की रिकार्डिंग एवं सार्वजनिक प्रलेखीकरण पर एक समान करार पर सहमत होना चाहिए जो कि एक देश से दूसरे देश में समान हो और वह उद्गम देश के अलावा मूल देश का स्पष्ट रूप से उल्लेख करती हो।

किसी विवाद वाले हीरों के भारत में प्रवेश की संभावना को दूर करने की दृष्टि से भारत सरकार ऐसी किसी भी समुचित वैश्विक प्रलेखीकरण योजना के साथ पूरा सहयोग करने के लिए इच्छुक है जिससे कोई अवांछित विलंब न होता हो और जिससे हीरों के वैधानिक व्यापार में अवांछित कठिनाइयां उत्पन्न न हों।

अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात का प्रभाव

545. श्री मोइनुल हसन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात-बाजार है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमेरिका के 450 बिलियन डालर की बड़ी राशि के व्यापार घाटे के कारण भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, हां। अमरीका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और निर्यात गंतव्य है। अमरीकी बड़े व्यापार घाटे को ऋणात्मक कारक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत अमरीकी व्यापार संतुलन लगातार भारत के पक्ष में रहा है और इसमें प्रत्येक विगत वर्ष में वृद्धि भी हुई है। सरकार का यह प्रयास रहा है कि वह एक मध्य अवधि निर्यात कार्यनीति के जरिए यू एस ए को अपने निर्यात बढ़ाए जो सहयोग के नए और तेज क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष प्रयास पर ध्यान देकर, उनकी निकट मॉनीटरिंग, साथ ही साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार संबंधी मुद्दों पर यू एस प्राधिकारियों के साथ संपर्क करके द्विपक्षीय व्यापार में अप्रयुक्त संभाव्यता का दोहन करने का प्रयास करे।

[हिन्दी]

झारखंड में उद्योग

546. प्रो. दुखा भगत : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार झारखंड में कितने सरकारी/गैर-सरकारी उद्योग कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या किसी सरकारी और गैर-सरकारी संगठन ने झारखंड के बंद उद्योगों को पुनः चालू करने हेतु धन उपलब्ध कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने झारखंड में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् 31 जनवरी, 2001 तक झारखंड राज्य में 29 गैर लघु उद्योग एककों को स्थापित किया गया है। इसके अलावा, झारखंड राज्य में 31 दिसंबर, 1999 को 38,558 लघु उद्योग एककों को स्थापित किया बताया गया है।

(ख) और (ग) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश; रुग्ण एककों को स्वस्थ एककों के साथ मिलाना; रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशिष्ट उपबंध) अधिनियम (एस.आई.सी.ए.) के अंतर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनः संरचना बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना करना सम्मिलित हैं। ये उपाय झारखंड राज्य सहित सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में औद्योगिक एककों के लिए लागू हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने 30 अगस्त, 2000 को झारखंड सहित देश में लघु क्षेत्र के संवर्धन तथा विकास के लिए एक व्यापक नीति की घोषणा की थी। यह नीति अवस्थापनापरक, प्रौद्योगिकीय तथा विपणन सहायता के साथ वित्तीय तथा ऋण प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए केन्द्रीय नीतियां दिशा-निर्देशों का काम

करती हैं परंतु प्रत्येक राज्य अपनी नीतियां और प्रोत्साहन पैकेज तैयार करता है।

[अनुवाद]

संविधान समीक्षा आयोग की विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सिफारिशें

547. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान समीक्षा आयोग ने विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते, जिससे देश की वित्तीय स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है, पर जनता तथा संसद सदस्यों के विचार जानने के लिए सरकार को कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अब तक विश्व व्यापार संगठन के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डब्ल्यू टी ओ करार का अनुसमर्थन करके भारत 'डब्ल्यू टी ओ को स्थापित करने वाले करार' तथा इससे संबंधित बहुपक्षीय करारों, जिसमें गैट, 1994 के अलावा 16 अन्य बहुपक्षीय करार शामिल हैं, का एक पक्ष बन गया है। डब्ल्यू टी ओ करारों द्वारा अनुमान योग्य नियम आधारित एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की व्यवस्था है। डब्ल्यू टी ओ करार पर हस्ताक्षर करने से भारत स्वत: ही डब्ल्यू टी ओ के सभी सदस्यों से अपने निर्यातों के लिए परम मित्र राष्ट्र (एम एफ एन) तथा राष्ट्रीय व्यवहार प्राप्त करने का हकदार हो गया है। डब्ल्यू टी ओ करारों के तहत विदेशी बाजारों में मौजूदा गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के प्रावधान भी हैं। डब्ल्यू टी ओ के पास अपने सदस्यों के बीच होने वाले किसी विवाद को सुलझाने के लिए एक दृढ़ विवाद निपटान तंत्र भी है। पूर्ण रूप से एक गणतांत्रिक संगठन होने के नाते जिसमें प्रत्येक सदस्य को समान मताधिकार है, भारत बहुपक्षीय नियम बनाने की प्रक्रिया में अपनी बात कहने के लिए आश्वस्त है।

हैदराबाद में एच.एम.टी. इकाई को बंद करना

548. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हैदराबाद में एच.एम.टी. घड़ी इकाई को बंद करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए अनुरोध की क्या स्थिति है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) एच.एम.टी. के लिए एक टर्न अराउंड प्लान को अनुमोदित कर दिया गया है जिसमें वित्तीय, संगठनात्मक पुनर्गठन इत्यादि जैसे विभिन्न उपाय प्रस्तावित हैं। प्लान में, हैदराबाद स्थित वॉच यूनिट सहित इसकी अजैव्य, चिरस्थायी रूप से हानि उठा रही इकाइयों को भी बंद करने की बात है।

(ग) और (घ) जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि यथोचित विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है।

खाद्यान्नों की आवाजाही

549. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से आंध्र प्रदेश में खरीदे गए मक्का को उसकी खपत वाले राज्यों यथा राजस्थान एवं गुजरात में भेजने और आंध्र प्रदेश मार्कफेड और भा.खा.नि. को माल को खुले बाजार में बेचने की अनुमति देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार से यह अनुरोध प्राप्त हुआ था कि आंध्र प्रदेश मार्कफेड और भारतीय खाद्य निगम को मक्का के स्टाक का निपटान खुले बाजार में करने की अनुमति दी जाए अथवा उन्हें इस स्टाक को गुजरात और राजस्थान जैसे उपभोक्ता राज्यों में भेजने की अनुमति दी जाए क्योंकि आंध्र प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन इस स्टाक को बेचना संभव नहीं होगा।

(ग) चूंकि सार्वजनिक में वितरण प्रणाली के अधीन मक्का को

मांग नहीं है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि वसूल की गई मात्रा को खुली निविदा द्वारा निपटा दिया जाए।

[हिन्दी]

भारत को विश्व व्यापार संगठन से अलग करने की मांग

550. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कई राज्यों के किसानों, मजदूरों और लघु उद्योग मालिकों से भारत को विश्व व्यापार संगठन से अलग होने की मांग करते हुए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनसे ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन ज्ञापनों में उठाए गए मामलों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित कुछ संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें भारत को डब्ल्यू टी ओ से मुख्यत: इन आधारों पर अलग होने की मांग की गई कि डब्ल्यू टी ओ करारों से घरेलू नीति संबंधी विकल्प काफी हद तक बाधित हुए हैं और इनसे मुख्यत: विकसित देश लाभान्वित हुए हैं और विकासशील देशों के घरेलू उत्पादकों के हितों पर गंभीर रूप से समझौता किया गया है।

(ग) से (ङ) डब्ल्यू टी ओ ने एक अनुमान योग्य नियम आधरित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की व्यवस्था की है जो विकसित व्यापार साझेदारों के बहुपक्षीय दबावों से विकासशील देशों को संरक्षण देता है। डब्ल्यू टी ओ का एक सदस्य होने से, भारत स्वत: ही अपने निर्यातों के लिए परम मित्र राष्ट्र (एमएफएन) और राष्ट्रीय व्यवहार प्राप्त करने का हकदार हो सकता है। पूर्ण रूप से एक गणतांत्रिक संगठन होने के कारण, जिसमें प्रत्येक सदस्य को समान मताधिकार है, भारत बहुपक्षीय नियम बनाने की प्रक्रिया में अपनी बात कहने के लिए आश्वस्त है। तथापि, डब्ल्यू टी ओ के तहत विभिन्न करारों के कार्यान्वयन के दौरान, भारत और अन्य कई विकासशील देश मौजूदा डब्ल्यू टी ओ करारों में कुछ असंतुलनों और विकसित देशों द्वारा वास्तविक रूप में अपने दायित्वों को पूरा नहीं करने के कारण कार्यान्वयन से संबंधित कुछ कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं। भारत ने 11 अन्य विकासशील देशों के साथ दिनांक 11.10.1999 के डब्ल्यू टी ओ दस्तावेज सं. डब्ल्यूटी/जीसी/डब्ल्यू 354 और 355 द्वारा इन कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को उठाया है। डब्ल्यू टी ओ की महापरिषद ने मई, 2000 की अपनी बैठक में विकासशील देशों में विश्वास पैदा करने की कार्रवाई के एक भाग के रूप में यह निर्णय लिया था कि विकासशील देशों की कार्यान्वयन संबंधी चिंताओं का हल डब्ल्यू टी ओ की कार्य योजना में यथा उल्लिखित तरीके से किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

खाद्य फसलों की खरीद को बढ़ाना

551. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कई खाद्यान्नों की खरीद को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो बढ़ाए जाने संबंधी फसलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने उस राज्य से मक्का, ज्वार, रागी और धान की खरीद को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अधीन सरकार मूल्य समर्थन प्रचालनों के अधीन भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से उन्हीं खाद्यान्नों की वसूली करती है जो उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होते हैं। किसानों के पास यह विकल्प होता है कि वे अपने उत्पाद को भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों को समर्थन मूल्य पर अथवा खुले बाजार में, जहां भी उन्हें लाभकारी हो बेच सकते हैं। इस प्रकार खाद्यान्नों की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। खरीफ विपणन मौसम 2000-2001 के दौरान (19.2.2001 तक) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 145498 टन मक्का और 1003 टन धान की वसूली कर ली गई है जबकि पिछले खरीफ विपणन मौसम की तदनुरूपी अवधि के दौरान शून्य वसूली हुई थी।

जहां तक ज्वार और रागी का संबंध है, कर्नाटक सरकार का प्रस्ताव इन मोटे अनाजों को विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के अधीन वसूल करने का है।

गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली

552. **श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गैर निष्पादक आस्तियों की वसूली हेतु विज्ञापन और प्रचार पर बैंक-वार कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) पिछले तीन माह के दौरान विज्ञापन अभियान के परिणामस्वरूप गैर निष्पादन आस्तियों की कितनी राशि वसूल की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोवा में फिल्म संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव

553. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोवा विश्वविद्यालय के सहयोग से गोवा में राष्ट्रीय फिल्म संस्थान पुणे की एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफ.टी.आई.आई.), पुणे और सत्यजीत रे फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान* (एस.आर.एफ.टी.आई.), कोलकाता नामक दो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान पहले ही स्थापित कर दिए हैं। इस प्रकृति के संस्थान को स्थापित करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और निधियों की कमी को देखते हुए इस मंत्रालय की कोई अन्य संस्थान स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

सरकारी इक्विटी की बिक्री

554. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इक्विटी की बिक्री में पारदर्शिता आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या विनिवेश की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य सरकारी क्षेत्र को उत्पादक और प्रभावी क्षेत्र में बदलना है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 2000-2001 के दौरान विनिवेश के द्वारा दस हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य ऋण दायित्व से बहुत कम है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार की विनिवेश नीति का उद्देश्य पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग, बेहतर निगमित शासन, करदाता के धन के वाणिज्यिक जोखिम में कमी लाना विरल संसाधनों को परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और बड़े जनहित के अन्य क्षेत्र जैसे सामाजिक क्षेत्रों में लगाने के लिए जारी करना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्ष 2000-2001 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 10 हजार करोड़ रुपये है जो भारत सरकार की ऋणदेयता से काफी कम है। तथापि विनिवेश की प्रक्रिया को वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए नहीं जोड़ा जा रहा है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन

555. **श्री अशोक ना. मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अतिशय अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार में कमी करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या सरकार का खाद्यान्न के अंतर-राज्यीय व्यापार की अनुमति देने और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारियों द्वारा रखे जाने वाले भंडार की सीमा में छूट देने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन उपायों से सूखे के प्रभाव में किस सीमा तक कमी आएगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को संशोधित करने के लिए आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2000 लोक सभा में 8.3.2000 को पुरःस्थापित किया गया। संशोधन का उद्देश्य जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध अधिक निवारक कार्यवाही करना और ईमानदार व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशान किए जाने की गुंजाइश को कम करना है। प्रस्तावित संशोधन में जुर्माने और कारावास की अवधि में वृद्धि करना, प्रथम बार किए गए छोटे अपराधों को छोड़कर सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाना, प्रवेश, तलाशी और जब्ती करने के लिए किसी अधिकारी जिसका स्तर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कम का न हो, की पूर्व अनुमति को अनिवार्य करना, गिरफ्तारी के अधिकार का प्रयोग पुलिस उपनिरीक्षक के नीचे के स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं किए जाने, जब्त की गई वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने, वास्तविक माल और रिकार्ड में दर्ज माल के बीच मार्जिन की अनुमति देने, जब्ती के विरुद्ध अपील का अधिकार राज्य सरकार को देने की व्यवस्था करना शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) से (छ) मार्च, 1993 में लिए गए केंद्र सरकार के नीति निर्णय के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से खाद्यान्नों के एक राज्य से दूसरे राज्य में/राज्य के भीतर आवाजाही पर लगाए गए सभी अनौपचारिक/औपचारिक प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह किया गया था। तथापि, तमिलनाडु, जम्मू व कश्मीर और पश्चिम बंगाल जैसी कुछ राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खाद्यान्नों (धान/चावल) की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए हैं।

चावल पर से स्टॉक सीमा को खत्म करने के केंद्र सरकार के नीति निर्णय के बावजूद तमिलनाडु तथा जम्मू व कश्मीर सरकार ने अभी तक स्थानीय परिस्थितियों के कारण चावल के लिए स्टॉक सीमाएं जारी रखी हैं। बिहार को छोड़कर सभी राज्यों/संघ क्षेत्र प्रशासनों ने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा रखी है।

खाद्यान्नों की समग्र संतोषजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और भारतीय खाद्य निगम के सामने आ रही भंडारण संबंधी उलझनों को भी ध्यान में रखते हुए नवंबर, 2000 में राज्य सरकारों से यह आग्रह किया गया था कि वे गेहूं और गेहूं के उत्पादों के व्यापार पर से सभी प्रतिबंध हटा दें और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी तरफ से यदि इनकी आवाजाही पर कोई अनौपचारिक प्रतिबंध लगाए गए हों तो उनको भी हटाने का आग्रह किया गया था। इसी प्रकार जनवरी, 2001 में राज्य सरकारों से चावल के व्यापार पर से सभी प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया गया है।

विवरण

केंद्रीय पूल से अतिरिक्त स्टॉक को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

1. 11.7.2000 से घटे हुए मूल्यों पर गेहूं की खुली बिक्री प्रारंभ कर दी गई है।

2. 4.9.2000 से चावल की खुली बिक्री प्रारंभ कर दी गई है।

3. 25.7.2000 को गेहूं और चावल के केंद्रीय निर्गम मूल्यों को संशोधित करके कम कर दिया गया था।

4. गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए चावल और गेहूं के केंद्रीय निर्गम मूल्य आर्थिक लागत के 100 प्रतिशत पर या भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय-समय पर निश्चित किए गए खुले बाजार बिक्री मूल्य पर जो भी कम हो निश्चित किए गए हैं। खुली बाजार दरें, आर्थिक लागत से कम होने के कारण राज्य इस पेशकश का लाभ उठा सकते हैं और गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी को घटे हुए मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं।

5. गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का वितरण 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से किया जा रहा है। इसके लिए 1995 की प्रक्षेपित आबादी के बजाय 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार महापंजीयक के आबादी प्रक्षेपणों को आधार माना गया है।

6. राज्य सरकारों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 कि.ग्रा. की दर से आबंटित करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध हैं ताकि वे राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रयोजित भिक्षु गृहों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के होस्टलों/नारी निकेतनों जैसी कल्याण संस्थाओं में रहने वाले गरीब लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा सकें। अन्नपूर्णा स्कीम के तहत अब खाद्यान्न अक्षम वृद्ध लोगों

को भी आबंटित किए जाते हैं चाहे उनको राज्य सरकारों से वृद्धावस्था पेंशन क्यों न मिल रही हो।

7. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू केंद्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी कल्याण स्कीमों के लिए आबंटित किए जाएंगे।

8. राज्यों में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम शुरू करने तथा भारत को हरा-भरा बनाने के अभियान के लिए भी राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू दरों पर खाद्यान्न आबंटित किए जाएंगे।

9. राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित और भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय और विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी समर्थित गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जा रही विकास स्कीमों (जहां लाभ भोगी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित हों) के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न आबंटित किए जाएंगे।

10. भारतीय खाद्य निगम को गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्य, जो इस समय 4150 प्रति मी.टन है, से अन्यून मूल्य पर निर्यात के लिए गेहूं की पेशकश करने की अनुमति दी गई है।

लेवी चीनी की मात्रा में कटौती

556. **श्री किरीट सोमैया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी क्षेत्र को और अधिक उदार बनाने और अस्वस्थ चीनी उद्योग का सुधार करने के लिए लेवी चीनी की मात्रा में कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गन्ने की कीमतों के समय पर भुगतान और किसानों के बकाये का भुगतान करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कदमों के परिणामस्वरूप भारतीय चीनी उद्योग को कितना लाभ होने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने सभी घरेलू चीनी उत्पादकों तथा चीनी के आयातकों पर 1 फरवरी, 2001 से लेवी देयता 30% से घटाकर 15% कर दी है।

(ग) केन्द्र सरकार ने गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान करवाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं—

1. गन्ने के मूल्य के भुगतान की स्थिति पर कड़ी नजर रखना तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार उच्चतम स्तर पर राज्य सरकारों को इस बारे में लिखना क्योंकि गन्ने के मूल्य का भुगतान करवाने की जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है।

2. 1.1.2000 से चीनी मिलों की लेवी देयता 40% से घटाकर 30% करना तथा 1.2.2001 से और कम करके 15% करना।

3. आयातित चीनी पर 850 रुपये प्रति टन के वर्तमान प्रतिशुल्क को जारी रखते हुए 9.2.2000 से सीमा शुल्क को बढ़ाकर 60% कर दिया गया है ताकि देश में चीनी की आमद को नियंत्रित किया जा सके।

4. खुली बिक्री की चीनी के कोटों को विवेकपूर्ण निर्मुक्ति करके घरेलू बाजार में चीनी के मूल्यों को स्थिर रखने और उन्हें उचित स्तर पर बनाए रखने की नीति का अनुसरण करना।

5. जरूरतमंद चीनी मिलों को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्तियां करना ताकि वे किसानों को गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का भुगतान कर सकें।

6. 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है

7. 29.11.2000 से गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में संशोधन किया गया है जिसमें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि वे भू-राजस्व के समान ही गन्ने के देय मूल्य की वसूली कर सकें।

(घ) इन कदमों/उपायों से निश्चित रूप से सामान्य रूप से उद्योग की स्थिति में सुधार होगा तथा विशेष रूप से लेवी में कमी करने से चीनी उत्पादक खुली बिक्री की चीनी से और अधिक वसूली प्राप्त कर सकेंगे।

भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा भारतीय मानकों का क्रियान्वयन

557. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने विस्तृत आयातित उत्पादों/

सामान पर भारतीय मानकों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.आई.एस. मानकों को लागू करने से घटिया आयातित वस्तुओं के आगमन पर रोक लगेगी; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय, विदेश व्यपार महानिदेशालय ने 24 नवंबर, 2000 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें 131 मदों के आयात को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यथा अधिसूचित और घरेलू सामानों पर भी लागू अनिवार्य भारतीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अधीन रखा गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त अपेक्षा का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि विनिर्दिष्ट 131 मदों में से किसी का भी आयात भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करके किया जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडारण सुविधाएं

558. **श्री के. येरननायडू** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न के लिए भंडारण की सुविधाएं स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों को धन आबंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 2000 टन तक की क्षमता के गोदामों का निर्माण करने हेतु केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना नामत: 'गोदामों का निर्माण' चला रही है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को विशेष रूप से ग्रामीण, दूरस्थ, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में सुचारु रूप से भेजा जाना सुनिश्चित हो सके।

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 50% सहायता अनुदान (राजसहायता) और 50% ऋण आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन निधियों का इस्तेमाल मंजूरी की तारीख से दो वर्ष के अंदर किया जाना होता है। यह ऋण पांच वार्षिक किस्तों में अदा करना होता है। चूक होने पर ब्याज की दंडात्मक दर ली जाती है। राज्य सरकार द्वारा गोदामों के प्रस्ताव के साथ तकनीकी अनुमान और भूमि की उपलब्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होता है। विगत में ली गई सहायता, यदि कोई हो, का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नये प्रस्तावों के विचारार्थ एक आवश्यक पूर्व शर्त है।

सीमा शुल्क विभाग द्वारा की गई जब्ती

559. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय विमान-पत्तनों और समुद्री पत्तनों में गैर-कानूनी सामग्री जब्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सामग्रियों को किस प्रकार निपटाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या संसद सदस्यों को भी नीलामी के स्थान के बारे में सूचित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए आयात अथवा निर्यात किए गए किसी माल का अभिग्रहण एवं जब्ती की जा सकती है।

(ग) अभिगृहीत माल को उचित कानूनी प्रक्रिया अर्थात् कारण बताओ नोटिस जारी करने और व्यक्तिगत सुनवाई आदि के बाद जब्त कर लिया जाता है। उपभोक्ता माल के मामले में जब्तशुदा माल को अपील/पुनरीक्षण कार्यवाहियों की समाप्ति के बाद आमतौर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित अन्य सहकारी संस्थाओं को बेच दिया जाता है। सीमा शुल्क कार्यालयों द्वारा उपभोक्ता माल के एक छोटे भाग को खुदरा आधार पर भी बेचा जाता है। औद्योगिक माल और कच्ची सामग्रियों जैसे अन्य जब्तशुदा माल को सार्वजनिक नीलामी/निविदाओं के जरिए बेचा जाता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, सार्वजनिक नीलामी/निविदा के जरिए माल का निपटान करते समय, नीलामी के स्थान और माल के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है।

सीआरआर और एसएलआर में कटौती

560. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** :
श्री शिवाजी माने :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्यूनतम नगदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और अनिवार्य तरलता अनुपात (एसएलआर) में कटौती

करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन के लिए प्रस्ताव किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से संबंधित उपबंधों में संशोधन भी शामिल है। मामले की जांच की जा रही है।

जीवन बीमा निगम द्वारा निवेश

561. **श्री गंता श्रीनिवास राव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा कंपनी ने घाटे में चलने वाली कुछ कंपनियों में निवेश करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन कंपनियों में निवेश करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जीवन बीमा निगम ने बताया है कि उन्होंने घाटा उठाने वाली कंपनियों में कोई निवेश नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मैक्सिको की फर्मों के साथ समझौता

562. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय निर्यात को बढ़ाने के लिए उत्तरी अमेरिका में नाफ्ता देशों के साथ समझौते हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या मैक्सिको की फर्मों के साथ समझौता किए जाने से अमरीकी बाजार में कम शुल्क दर पर व्यापार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसकी संभावनाओं का पता लगाने के लिए मैक्सिको सरकार और मैक्सिको के औद्योगिक वर्ग के साथ कोई चर्चा की गई है;

(ङ) क्या नाफ्ता और निकटवर्ती देशों में निर्यात हेतु बड़े पैमाने पर प्रवेश के लिए कोई समग्र कार्यनीति तैयार किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क), (ङ) और (च) नाफ्ता जोन वैश्विक व्यापार के लिए विश्व का सर्वाधिक ताकतवर तंत्र है। इन्ट्रा-नाफ्ता व्यापार टैरिफ तथा गैर-टैरिफ दोनों बाधाओं की दृष्टि से अधिमानी प्रणाली से लाभान्वित होता है। सरकार नाफ्ता सहयोगी देशों के साथ दीर्घावधि संबंधों के बारे में भारतीय कंपनियों को लगातार प्रोत्साहित करती रही है। ताकि समूचे नाफ्ता क्षेत्र के लिए बाजार पहुंच में सुधार हो, अपने विशेष हित के क्षेत्रों में उनके पूरक सहयोग के लिए वार्ता हो और परस्पर लाभ के संयुक्त परियोजनाओं को शुरू करने के लिए द्विपक्षीय करारों में सुधार को आसान बनाया जा सके।

(ख) से (घ) मैक्सिको में अपेक्षाकृत कम लागत वाली अर्थव्यवस्था होने का उसे कुल लाभ मिला है और इसके कारण यह नाफ्ता में हमारे बाजार पहुंच को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तथापि, उत्पत्ति नियमों के कारण यह लाभ केवल संयुक्त उद्यम या निवेश के जरिए उठाया जा सकेगा। इस पहलू ने भारत सरकार के ध्यान को आकर्षित किया है और उसने भारतीय व्यापारियों को मैक्सिको के सहभागियों के साथ दीर्घावधि करारों का पता लगाने के लिए उकसाया है।

ग्रामीण बैंकों को स्वायत्तता

563. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण बैंकों को और अधिक स्वायत्तता दिए जाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ग्रामीण बैंकों के पास पहले से ही पर्याप्त स्वायत्तता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का अतिरिक्त स्टॉक

564. **श्री अनन्त नायक :**
श्री बी.के. पार्थसारथी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में चीनी के कुल स्टॉक की मात्रा कितनी है और इन राज्यों में चीनी की कुल घरेलू मांग कितनी है;

(ख) क्या देश के सामने चीनी के अतिरिक्त स्टॉक की समस्या है;

(ग) यदि हां, तो चीनी के अतिरिक्त स्टॉक की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) भारत की तुलना में अन्य देशों में चीनी की उत्पादन लागत कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) 15 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार चीनी के स्टॉक का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की चीनी की आवश्यकता आंशिक तौर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित की जाने वाली लेवी चीनी से पूरी की जाती है जिसका कोटा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित होता है तथा आंशिक रूप से खुले बाजार में उपलब्ध खुली बिक्री की चीनी से पूरी की जाती है जिसके संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार चीनी की घरेलू मांग/आवश्यकता का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने अधिशेष चीनी की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं–

(i) 10 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

(ii) देश में आयातित चीनी की आमद को रोकने के लिए 9.2.2000 से चीनी के आयात पर 850 रुपये प्रति टन के वर्तमान प्रतिशुल्क के साथ सीमा शुल्क बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।

(iii) खुली बिक्री की चीनी के कोटों को विवेकपूर्ण ढंग से रिलीज करके घरेलू बाजार में चीनी के मूल्यों को स्थिर तथा उचित स्तर पर बनाए रखने की नीति का अनुसरण किया जा रहा है। पिछले चीनी मौसम के महीनों में की गई चीनी की निर्मुक्तियों की तुलना में इस चीनी मौसम के महीनों के दौरान अपेक्षाकृत अधिक निर्मुक्तियां की गई हैं।

(iv) जरूरतमंद फैक्ट्रियों को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्तियां की जा रही हैं।

(घ) विभिन्न राज्यों में विभिन्न चीनी मिलों द्वारा चीनी के उत्पादन पर वहन की जाने वाली वास्तविक लागत का इस मंत्रालय द्वारा हिसाब नहीं रखा जाता है और इसलिए इसका अन्य देशों में चीनी की उत्पादन लागत से तुलना करना संभव नहीं है।

विवरण

15 जनवरी, 2001 को स्थिति के अनुसार चीनी के स्टॉक को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	राज्य का नाम		मात्रा
1.	पंजाब		311245
2.	हरियणा		266202
3.	राजस्थान		17994
4.	उत्तर प्रदेश		2889615
5.	मध्य प्रदेश		53269
6.	गुजरात		759255
7.	महाराष्ट्र		4711033
8.	बिहार		210864
9.	असम		2743
10.	आंध्र प्रदेश		729651
11.	कर्नाटक		1082837
12.	तमिलनाडु		940365
13.	केरल		7592
14.	उड़ीसा		19669
15.	पश्चिम बंगाल		3678
16.	पांडिचेरी		13613
17.	गोवा		8551
	समस्त भारत	योग	12028173

सरकारी कर्मचारी

565. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रतिष्ठानों पर होने वाला व्यय बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-I, II, III और IV के कर्मचारियों के वेतन के रूप में खर्च की जाने वाली राशि का वर्ग-वार प्रतिशत क्या है;

(ग) प्रत्येक वर्ग में नियोजित कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अन्य देशों द्वारा अपने कर्मचारियों, उनकी सेवा शर्तों, अर्थात् भविष्य निधि, उपदानों, पेंशन आदि पर खर्च की जाने वाली राशि के प्रतिशत के विषय में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 (संशोधित अनुमान) के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (सशस्त्र बल कार्मिकों और संघ शासित प्रदेशों के कर्मचारियों सहित) के वेतन एवं भत्तों और पेंशन पर हुआ कुल व्यय 66055.87 करोड़ रुपये था। वेतन पर खर्च की जाने वाली राशि 45444.87 करोड़ रुपये थी, जो कि कुल सरकारी व्यय का 14.96 प्रतिशत है। व्यय के श्रेणी-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) संघ शासित प्रदेशों के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकारी (सिविल) कर्मचारियों की 1 मार्च, 2000 को यथाविद्यमान अनुमानित संख्या को व्यय बजट खण्ड-I, में दिया गया है। अलग-अलग उपलब्ध अनुपात के आधार पर श्रेणी-वार विवरण निम्नवत है—

समूह	I	II	III	IV	जोड़
कर्मचारी संख्या	78708	176987	2419235	1151735	3826665

सशस्त्र बल कार्मिकों का विभाजन सिविलियनों की तरह नहीं किया जाता है और उपरोक्त विवरण में उनके ब्यौरे शामिल नहीं हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्मचारियों को पेंशन

566. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** कर्मचारियों को पेंशन के बारे में 18 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4032 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौदह कर्मचारियों के मामले में पेंशन की सहमति अग्रेषित न करने के संबंध में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के नाम क्या हैं और ड्यूटी की अवहेलना करने पर उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि अभिकथित चूक के लिए उनके अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापा

567. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने अपराध जगत से सांठगांठ के आरोपों के कारण फिल्म वित्त-पोषक तथा हीरा व्यापारी के कार्यालयों और आवास पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या ये छापे मुम्बई स्थित अलग-अलग आवासीय और कार्यालय परिसर पर मारे गए थे;

(ग) यदि हां, तो छापों के दौरान जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो वित्तपोषक और अपराध जगत के बीच संबंध को किस सीमा तक सिद्ध किया जा सका; और

(च) जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) तलाशियों के परिणामस्वरूप, विभिन्न अहातों से कुछ दस्तावेज तथा विदेशी मुद्रा जब्त की गई।

(घ) से (च) जांच आरंभ की जा चुकी है तथा अभी पूरी की जानी है।

[हिन्दी]

बच्चों के लिए कार्यक्रम

568. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी व्यय पर नियंत्रण के लिए गठित व्यय सुधार आयोग ने सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि दूरदर्शन के प्रत्येक चैनल पर बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम दिखाए जाएं;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन सिफारिशों को लागू करने के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में गीताकृष्णन समिति (व्यय सुधार आयोग) की रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है कि निजी चैनलों सहित सभी टेलीविजन चैनलों द्वारा बच्चों के लिए रुचिकर एवं प्रासंगिक कार्यक्रमों के लिए प्रसारण समय रखा जाना चाहिए। इसके द्वारा यह सिफारिश भी की गई है कि भारत में सभी टेलीविजन चैनलों के लिए ऐसे कार्यक्रम बच्चों द्वारा देखने हेतु उपयुक्त समय पर प्रसारित किए जाने को अनिवार्य किया जाए। वर्तमान कानूनी ढांचा सरकार को ऐसी शक्तियां प्रदान नहीं करता है।

[अनुवाद]

यू.टी.आई. की नई योजनाएं

569. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यू.टी.आई. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान चलाई गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि एकत्रित की गई;

(ग) क्या यू.टी.आई. द्वारा बेची जाने वाली यूनिटों का मूल्य गिरा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विभिन्न वर्तमान योजनाओं में शामिल की गई नई विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यू.टी.आई. ने कुछ इक्विटी योजनाओं को असूचीबद्ध कर दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भा.यू.ट्रस्ट द्वारा प्रारंभ की गई नई योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत संग्रहित कुल राशि 17,903 करोड़ रुपये है।

(ग) तथा (घ) म्युचुअल फंड योजनाओं की यूनिटों के मूल्य अथवा निवल परिसंपत्ति मूल्य पोर्टफोलियो के महत्वपूर्ण शेयरों तथा अन्य प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव पर निर्भर करते हुए परिवर्तित होते रहते हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निवल परिसंपत्ति मूल्य नियमित रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और भा. यू.ट्रस्ट की वेबसाई W.W.W. unittrustofindia.com पर दिए जाते हैं।

(ङ) अनेक मौजूदा योजनाओं में शामिल की गई नई विशिष्टताओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) भा.यू.ट्रस्ट ने 11 इक्विटी योजनाओं को सूची से हटा दिया है।

(छ) सूची से हटाई गई योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। भा.यू.ट्रस्ट ने सूचित किया है कि स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण को सुविधा मूलतः यूनिट धारकों को एक निकास मार्ग प्रदान करने हेतु कतिपय सीमित अवधि वाली इक्विटी योजनाओं के मामले में दी गई थी। तथापि, बाद में जब ऐसी सीमित अवधि वाली योजनाओं को असीमित अवधि वाली योजनाओं में परिवर्तित किया गया अथवा जब यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए योजनाएं खुलीं, तो यह पाया गया कि निवेशक पुनर्खरीद (भा.यू.ट्रस्ट को अपने यूनिट वापस बेचकर) के माध्यम से भा.यू.ट्रस्ट से ही अपने यूनिटों का नकदीकरण करा सकते थे जिसमें यूनिटधारकों को अधिक मूल्य मिलता था क्योंकि सूचीबद्ध यूनिटों के अपने संबंधित निवल परिसंपत्ति मूल्य से कम पर उद्धृत किए जाने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा, सूचीकरण में लागत अंतर्ग्रस्त है जिसका वहन योजनाओं द्वारा किया जाता है।

विवरण-I

यू.टी.आई. द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं का विवरण

(एक जुलाई, 1997 से 15 फरवरी, 2001 तक)

क्र.सं	योजना का नाम	आरंभ होने की तिथि	राशि (लाख रुपये)
1	2	3	4
	1997-98		
1.	मासिक आय योजना-1997-IV	16 सितम्बर, 1997	95193
2.	मासिक आय योजना-1997-V	17 नवम्बर, 1997	47903
3.	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना-1997-II	24 नवम्बर, 1997	67390
4.	मास्टर इक्विटी प्लान-1998 (वृद्धि)	24 नवम्बर, 1997	2163
5.	मासिक आय योजना-1998	28 जनवरी, 1998	90471
6.	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना-1998	23 मार्च, 1998	97953
7.	यू.टी.आई. अनिवासी भारतीय निधि-1998	6 अप्रैल, 1998	6364
8.	यूनिट वृद्धि योजना-10000 (वृद्धि)	28 अप्रैल, 1998	7937
9.	यू.टी.आई. बांड निधि-1998	4 मई, 1998	13740
10.	मासिक आय योजना-1998-II	12 मई, 1998	79007
11.	यू.टी.आई. लघु निवेशक निधि-1998	25 मई, 1998	7
12.	मास्टर इंडेक्स फंड-1998 (वृद्धि)	1 जून, 1998	17689
13.	मास्टर वैल्यू यूनिट योजना-1998 (वृद्धि)	1 जून, 1998	10063
	उप-जोड़-क		541879
	1998-99		
1.	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना-1998-II	2 नवम्बर, 1998	112464
2.	मास्टर इक्विटी प्लान-1999 (वृद्धि)	1 जनवरी, 1999	349
3.	मासिक आय योजना-1998-III	6 जुलाई, 1998	134141
4.	मासिक आय योजना-1998-IV	28 सितम्बर, 1998	88287
5.	मास्टरप्लस 81**	1 अक्तूबर, 1998	12126
6.	मासिक आय योजना-1998 V	23 दिसम्बर, 1998	85998
7.	चिल्ड्रन्स गिफ्ट ग्रोथ फण्ड-1998	1 फरवरी, 1999	4324

1	2	3	4
8.	राजलक्ष्मी यूनिट योजना-1999	8 फरवरी, 1999	2504
9.	मासिक आय योजना-1999	5 अप्रैल, 1999	272264
10.	ग्रोथ सेक्टर फण्ड—बांड वैल्यू (वृद्धि)	27 मई, 1999	1831
11.	ग्रोथ सेक्टर फण्ड—पैट्रो (वृद्धि)	27 मई 1999	547
12.	ग्रोथ सेक्टर फण्ड—फार्मा एण्ड हैल्थफेयर (वृद्धि)	27 मई, 1999	1451
13.	ग्रोथ सेक्टर फण्ड—सार्वसेज (वृद्धि)	27 मई, 1999	331
14.	ग्रोथ सेक्टर फण्ड—साफ्टवेयर (वृद्धि)	27 मई, 1999	1267
	उप जोड़-ख		717883
		1999-2000	
1.	जी सेक फण्ड 5 1999	23 अगस्त, 1999	85131
2.	मासिक आय योजना-1999-II	27 सितम्बर, 1999	132558
3.	मास्टरग्रोथ 99***	1 अक्तूबर, 1999	244
4.	इक्विटी कर बचत योजना-1999 (वृद्धि)	15 नवम्बर, 1999	1394
5.	मासिक आय योजना-2000	20 दिसम्बर, 1999	145829
6.	निफ्टी इण्डेक्स फण्ड-2000 (ग्रोथ)	14 फरवरी, 2000	10256
7.	मासिक आय योजना-2000-II	19 मई, 2000	51371
	उप-जोड़-ग		426784
		2000-2001	
1.	मासिक आय योजना-2000-III	30 अगस्त, 2000	62287
2.	इंडेक्स सेनेक्ट इक्विटी फण्ड-97****	16 अक्तूबर, 2000	20
3.	मासिक आय योजना-2001	8 जनवरी, 2001	41500
	उप-जोड़-घ		103807
	कुल जोड़ (क + ख + ग + घ)		1790353

*आरम्भिक बिक्री अवधि के दौरान जुटायी गयी राशि

**1 अक्तूबर, 1998 से असीमित अवधि वाली योजना में रूपांतरित

***1 अक्तूबर, 1999 से असीमित अवधि वाली योजना में रूपांतरित

****16 अक्तूबर, 2000 से असीमित अवधि वाली योजना मे रूपांतरित

विवरण-II

योजनाओं में परिवर्तन/सुधार जनवरी, 1998 से जनवरी, 2001

योजना	किया गया परिवर्तन/सुधार	प्रभावी होने की तिथि
1	2	3
संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1993 (आईआईएसएफयूएस, 93)	समापन	01.04.1998
यूजीएस 10000	ट्रस्ट द्वारा यथा निर्धारित आवधिक अंतरालों में योजना बिक्री के लिए खुलेगी	27.01.1998
सीआरटीएस 1981, सीसीसीएफ, 1993 तथा प्राइमरी इक्विटी फंड	न्यूनतम निवेश रुपये में (पूर्व में यूनिट के गुणकों में, के स्थान पर) इसके पश्चात् निवेश की राशि पर बिना किसी प्रतिबंध के	25.03.1998
मास्टर वैल्यू यूनिट प्लान, 1998	'स्टाकविखण्डन विकल्प' जिसका नाम परिवर्तित कर 'बोनस यूनिट विकल्प' कर दिया गया	27.05.1998
एमआईपी (III)/एमआईपी 95/एमआईपी 95(II)/एमआईपी 95(III)	निवेश मानकों में इक्विटी, इक्विटी संबद्ध तथा मनी मार्केट प्रपत्रों में 20% तक से परिवर्तन करके इक्विटी तथा इक्विटी संबद्ध प्रपत्रों में 20% तक किया गया	24.07 1998
मास्टर शेयर 1986	न्यासों द्वारा किए गए निवेशों को नियमित करने के लिए न्यासों को पात्र निवेशकों के रूप में विनिर्धारित करना	–
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान (II)	आरयूपी (II) के अंतर्गत बिक्री आस्थगित	01.10.1998
मास्टरशेयर 1986/मास्टरगेन 1992/ग्रैंड मास्टर 1993/मास्टरग्रोथ 1993	यूनिटों का अभौतिकीकरण	28.08.1998
मास्टरप्लस 1991	असीमित अवधि वाली योजना	01.10.1998
चिल्ड्रन शिफ्ट ग्रोथ फंड 1986	योजना का पुनर्आरंभ, पहले 1.11.1997 से बिक्री आस्थगित कर दी गई थी	01.02.1998
आईआईएसएफयूएस 1996 तथा आईआईएसएफयूएस 1998	प्रमाणपत्रों का समेकन/उप-विभाजन	25.09.1998
यू.टी.आई. बांड फंड	न्यूनतम निवेश राशि 10,000 रु. से घटाकर 5,000 रु. की गई	25.11.1998
एम.आई.पी. 95 (II)/एम.आई.पी. 95 (III)/एम.आई.पी. 96/एम.आई.पी. 96 (II), एम.आई.पी. 96 (III)/एम.आई.पी. 96 (IV)/डी.आई.पी. 95/डी.आई.पी. 91	साप्ताहिक औसत निवल परि. मूल्य के स्थान पर मासिक औसत निवल परि. मूल्य के आधार पर व्यय का परिकलन	23.12.1998

1	2	3
आर.यू.पी. (II)	पुनः प्रारंभ	08.02.1999
मास्टर प्लस 91/मास्टरगेन 92/मास्टर ग्रोथ 93	किसी दूसरी कंपनी अथवा कार्पोरेट निकाय सहित किसी कंपनी अथवा अन्य कार्पोरेट निकाय अथवा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, जिनमें कोई भी अवयस्क नहीं हो, द्वारा निवेश की अनुमति	19.01.1999
ओमनी यूनिट प्लान 1991	15 दिनों से कम अविध के लिए निधि स्वीकार करना	22.02.99
	भारतीय 'स्टेट बैंक की बचत बैंक दर पर आय का भुगतान	
सी.जी.जी.एफ. 1986	यूनिट प्रमाणपत्र के स्थान पर सदस्यता सूचना जारी किया जाना	22.02.1999
विकलांगों के लिए विशेष योजना	पुनः आरंभ	03.05.1999
यू.एल..आई.पी. 1971	योजना में गर्भवती महिलाओं के शामिल होने पर प्रतिबंध खत्म कर प्रावधानों का अनुसमर्थन	11.05.1999
पी.ई.एफ./मास्टरगेन 92/ग्रैंडमास्टर 93/ मास्टरप्लस 91/यू.जी.एस. 10,000	निवल परिसंपत्ति मूल्य बिक्री एवं पुनः खरीद मूल्य का दैनिक आधार पर परिकलन ड्राफ्ट वाले आवेदनों के लिए स्वीकृति तिथि में परिवर्तन	नवम्बर, 1999
यू.जी.एस. 2000/यू.जी.एस. 5000/यू.एस. 92/ ई.ओ.एफ.	निवल परिसंपत्ति मूल्य बिक्री तथा पुनर्खरीद मूल्य का दैनिक आधार पर परिकलन	नवम्बर 1999
सी.सी.सी.एफ. 1993	निवल परिसंपत्ति मूल्य के 5% बट्टे पर परिपक्वता से पूर्व पुनर्खरीद, मासिक गुणक कारक को हटा दिया गया	11.05.1999
यू.टी.आई. बांड फंड	मासिक आहरण योजना की शुरूआत	01.10.1999
	यू.टी.आई. बांड में निवेश को परिवर्तित करने की सुविधा की शुरूआत	06.03.2000
मास्टर इंडेक्स फंड	फोलियो संकल्पना की शुरूआत-फोलियो न्यूनतम निवेश 5000/- रु. तथा अनुवर्ती निवेश न्यूनतम 1000/- रु.	01.09.1999
	खरीद की तिथि से छः महीने के भीतर पुनर्खरीद निवल परिसंपत्ति मूल्य के प्रति 2% बट्टे से घटाकर 1% बट्टे पर तथा तत्पश्चात निवल परिसंपत्ति मूल्य पर	01.07.1999
यू.जी.एस. 1000	बिक्री/पुनर्खरीद की 7 दिवसीय अवधि को बढ़ाकर 8 दिन करना अर्थात् माह के प्रथम सोमवार से तत्काल अनुवर्ती सोमवार तक। यू.टी.आई. के शाखा कार्यालयों पर आवेदन-पत्र केवल उन दिवसों को स्वीकार किए जाएंगे जो संबंधित कार्यालय के लिए कार्य दिवस है।	10.08.1999
	आय वितरण के लिए समर्थकारी अनुच्छेद शामिल करना। निवेशकों के पास दो विकल्प होंगे (1) आय का विकल्प, (2) पुनर्निवेश का विकल्प	10.08.1999

1	2	3
सेवानिवृत्ति लाभ योजना	सभी वर्गों के निवेशकों के लिए निवेश की अनुमत बारम्बारता को एक वर्ष में 4 से बढ़ाकर 12 करना	17.09.1999
	वेतन बचत योजना की शुरूआत/वेतन बचत योजना के तहत 550/- रु. के निम्नतम निवेश में छूट। किन्तु किसी भी संस्था को 5000/- रु. प्रतिमाह की न्यूनतम राशि का निवेश करना होगा।	17.09.1999
ओमनी यूनिट योजना	योजना का आस्थगन	01.11.1999
यूनिट स्कीम 95	यू.एस. 95 को एक संतुलित निधि के रूप में पुनः अवस्थित करना	13.3.2000
इंडेक्स इक्विटी फंड	नाम में परिवर्तन-इंडेक्स सिलेक्ट इक्विटी फंड	मई, 2000
प्राइमरी इक्विटी फंड यूनिट स्कीम	नाम में परिवर्तन—पी.ई.एफ. यूनिट योजना	मई, 2000
मास्टर वैल्यू यूनिट प्लान, 98	योजना के यूनिट धारकों को नकदी प्रदान करने के लिए द्वितीयक बाजार से एम.वी.यू.पी. के यूनिटों की वापस-खरीद	23.02.2000
यू.टी.आई.—ग्रोथ सेक्टर फंड	संबंधित सैक्टर फंड के तहत सदस्य द्वारा 5000/- रु. का न्यूनतम अधिशेष जिसका परिकलन पुनर्खरीद/स्विचओवर आवेदन की स्वीकृति की तिथि को प्रयोज्य पुनर्खरीद मूल्य पर किया जाएगा, अनुरक्षित करने के अध्यधीन आंशिक पुनर्खरीद/स्विचओवर की अनुमति देना	22.03.2000
	5000/- रु. के प्रारंभिक निवेश के आगे 1000/- रु. के गुणकों में निवेश के प्रतिबंध को हटाया गया	27.04.2000
	ट्रस्ट की किसी अन्य असीमित अवधि वाली योजना में अथवा विपर्ययेन स्विच ओवर सुविधा की अनुमति देना	27.04.2000
यू.टी.आई. इक्विटी कर बचत योजना	3 वर्ष की निरुद्ध अवधि के पश्चात सदस्य द्वारा उस वर्ष के निवेश से 5000/- रु. का अधिशेष अनुरक्षित करने की शर्त के अध्यधीन आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति देना	27.04.2000
यू.टी.आई. मनी मार्केट म्युचुअल फंड	आय वितरण के लिए प्रावधान शामिल करना	29.05.2000
वरिष्ठ नागरिक यूनिट योजना, 93	बिक्री का आस्थगन	01.07.2000
चिल्ड्रन गिफ्ट ग्रोथ फंड यूनिट स्कीम-86	अंतरिम लाभांश की घोषणा तथा उनके पुनर्निवेश के लिए प्रावधान	22.05.2000
	बिक्री का आस्थगन	01.07.2000
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान (II)	बिक्री का आस्थगन	01.07.2000
यू.एस. 1964	यूनिट प्रमाणपत्र के बदले में सदस्यता सूचना जारी करना	01.09.2000

1	2	3
सी.आर.टी.एस 1981	प्रावधानों को सेबी विनियमों के समनुरूप बनाने के लिए संशोधन। फोलियो प्रणाली की शुरूआत, स्वीकृति तिथि की परिभाषा में परिवर्तन	23.08.2000
यूलिप 1971	प्रावधानों को सेबी विनियमों के समनुरूप बनाने के लिए संशोधन। 15,000/- रुपये की न्यूनतम लक्ष्य राशि में वृद्धि, फोलियो संकल्पना को शुरूआत, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के लिए राष्ट्रीय बीमा कंपनी के साथ सहबद्धता, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा आरक्षण की राशि बढ़ाकर 50,000/- रुपये की गई, निवेशकों को 10/15 वर्ष की अवधि के बाद भी बने रहने की अनुमति दी गई, 10/15 वर्ष के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 0.5% का अतिरिक्त बोनस, अनिवासी भारतीयों को निवेश करने की अनुमति दी गई, नवीकरण अंशदानों का भुगतान 2 महीने अग्रिम किया जा सकता है।	08.08.2000
सी.सी.सी.एफ. 1993	प्रावधानों को सेबी विनियमों के समनुरूप बनाने के लिए संशोधन। नाम परिवर्तित करके चिल्ड्रन कैरियर योजना किया गया, फोलियो संकल्पना तथा आवधिक निवेश योजना की शुरूआत, संवृद्धि विकल्प की शुरूआत, आय वितरण के लिए प्रावधान, संवृद्धि विकल्प के तहत लाभानुभोगी 18 वर्ष के पश्चात किसी को नामित कर सकता है।	29.09.2000

योजना में परिवर्तन/सुधार	योजना का नाम
1	2
10.08.1999 को 37 योजनाओं में 'कर्मचारी कल्याण न्यास' का कर्मचारी कल्याण कोष के रूप में पुनः नामांतरण	पी.ई.एफ., मास्टरगेन 92, ग्रांड मास्टर 93, यू.टी.आई. बांड फंड, एम.आई.पी, मास्टर प्लस, यू.जी.एम. 10,000, एम.ई.पी. 96, एम.ई.पी. 97, एम.ई.पी. 98, ई.ओ.एफ, आई.ई.एफ., आई.आई.एस.एफ.यू.एस. 95, आई.आई.एस.एफ.यू.एस. 96, आई.आई.एस.एफ.यू.एस. 97, आई.आई.एस.एफ.यू.एस. 97 (II), आई.आई.एस.एफ.यू.एस. 98, एम.आई.पी. 95 (II), एम.आई.पी. 95 (III), एम.आई.पी. 96, एम.आई.पी. 96 (II), एम.आई.पी. 96 (III), एम.आई.पी. 96 (IV), एम.आई.पी. 97, एम.आई.पी. 97 (II), एम.आई.पी, 97 (III), एम.आई.पी. 97 (IV), एम.आई.पी. 97 (V), एम.आई.पी. 98, एम.आई.पी. 98 (II), एम.आई.पी. 98 (III), एम.आई.पी. 98 (IV), डी.आई.पी. 91, डी.आई.पी. 95, यू.टी.आई.एन.आर.आई. फंड, यू.टी.आई. लघु निवेशक फंड, एम.वी.यू.पी. 98
सात इक्विटी योजनाओं को समान आधार देने तथा समान प्रचार अभियान तथा बिक्री संवर्धन प्रक्रिया बनाने के लिए उनमें संशोधन	मास्टर प्लान 91, मास्टर गेन 92, ग्रांड मास्टर 93, पी.ई.एफ., एम.आई.पी. तथा यू.जी.एस. 10,000—23.2.1000 से संशोधित मास्टर ग्रोथ 01.12.1999 से
(i) विदेशी निवेश, (ii) स्टॉक धारिता, (iii) व्युत्पादों के संबंध में प्रावधानों का सम्मिलन	(i) विदेशी निवेश : आई.ई.एफ., यू.टी.आई.-एम.एम.एफ., एम.आई.एफ. एवं एन.आई.एफ. (ii) स्टॉक धारिता : यू.टी.आई. एम.एम.एफ., यू.टी.आई. बांड फंड एवं यू.टी.आई. जी. सेक फंड को छोड़कर सभी योजनाओं में शामिल।

1	2
	(iii) यू.टी.आई. एम.एम.एफ. को छोड़कर सभी योजनाओं में व्युत्पादों का समावेश
आय के वितरण तथा/अथवा बोनस यूनिटों के निर्गम के प्रावधान का समावेश	एम.ई.पी. 96, एम.ई.पी. 97 तथा एम.ई.पी. 98
बोनस यूनिटों के निर्गम के प्रावधान का समावेश	मास्टर प्लस 91, यू.एस. 92, मास्टर ग्रोथ 93, एम.ई.पी. 91, एम.ई.पी. 92, एम.ई.पी. 93, एम.ई.पी. 94, एम.ई.पी 95, एम.ई.पी. 99, ई.ओ.एफ., इं.टी. एस.पी., यू.एस. 95, पी.ई.एफ., मास्टरगेन-92, यू.जी.एस. 10,000, यू.टी.आई. —जी.एस.एफ.

विवरण-III

क्र.सं.	योजना का नाम	सूची से हटाने की तारीख
1.	मास्टर ग्रोथ यूनिट स्कीम 1993	दिनांक 1.4.2000 से सूची में हटाई गई।
2.	ग्रैंड मास्टर 93	दिनांक 26.4.2000 से सूची से हटाई गई।
3.	मास्टरगेन-1992 (कैपिटल ग्रोथ यूनिट स्कीम-1992)	दिनांक 23.4.2000 से सूची से हटाई गई।
4.	मास्टरशेयर प्लस यूनिट योजना 1991 (मास्टरप्लस)	दिनांक 26.4.2000 से सूची से हटाई गई।
5.	यूनिट ग्रोथ स्कीम 2000 (यू.जी.एस. 2000)	दिनांक 26.4.2000 से सूची से हटाई गई।
6.	यूनिट ग्रोथ स्कीम 5000 (यू.जी.एस. 5000)	दिनांक 26.4.2000 से सूची से हटाई गई।
7.	मास्टर शेयर 86	मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज को छोड़कर दिनांक 26.4.2000 से सूची से हटाई गई।
8.	इक्विटी ओपॉरच्यूनिटी फंड (ई.ओ.एफ.)	दिनांक 26.6.2000 से सूची से हटाया गया।
9.	यूनिट स्कीम 92 (यू.एस. 92)	दिनांक 26.6.2000 से सूची से हटाई गई।
10.	मास्टर इक्विटी प्लैन्स (एम.ई.पी.-93, 95, 96)	दिनांक 26.6.2000 से सूची से हटाई गई।
11.	यूनिट स्कीम 95 (यू.एस.-95)	दिनांक 1.8.2000 से सूची से हटाई गई।
12.	इंडेक्स सिलेक्ट इक्विटी फंड (आई.एस.ई.एफ.) पूर्व नाम इंडेक्स इक्विटी फंड (आई.ई.एफ.)	दिनांक 20.11.2000 से सूची से हटाई गई।

निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण

570. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर 31 मार्च, 2001 तक मात्रात्मक प्रतिबंध को हटाए जाने को ध्यान में रखते हुए निर्यात से संबंधित प्रक्रिया को तार्किक और सरल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में भारतीय निर्यातकों को कोई आश्वासन दिया है;

(ग) क्या निर्यातकों की सुविधा के लिए डीजीएफटी के लगभग सभी कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु सभी

संभव सहायता मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों को राज्य निर्यात नीति बनाने की सलाह दी है; और

(च) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) निर्यात और आयात नीति के अंतर्गत क्रियाविधियों की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है और विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार के शीर्षस्थ मंडल तथा व्यक्तिगत निर्यातकों से प्राप्त सुझावों पर इस प्रकार की क्रियाविधियों को तैयार करने और उनमें संशोधन करने से पहले सरकार द्वारा विचार किया जाता है। वर्तमान में एग्जिम नीति एवं क्रियाविधियों की वार्षिक समीक्षा प्रगति पर है और इसके वार्षिक संशोधित संस्करण के 31 मार्च, 2001 तक प्रकाशित होने की संभावना है।

(ग) और (घ) नई दिल्ली स्थित विदेश व्यापार महानिदेशालय का कार्यालय और इसके अधीन कार्य कर रहे पानीपत, चंडीगढ़ और पांडिचेरी स्थित कार्यालयों को छोड़कर सभी क्षेत्रीय लाइसेंसिंग कार्यालय कम्प्यूटरीकृत किए गए हैं।

(ङ) और (च) वाणिज्य विभाग ने राज्यों के लिए निर्यात और निर्यात उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को विभिन्न उपाय करने का अनुरोध किया है। उनको राज्यों के लिए निर्यात संवर्धन नीतियां बनाने के लिए कहा गया है। इस संबंध में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से उत्तर प्राप्त हुए हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश और केरल सहित विभिन्न राज्यों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निर्यात संवर्द्धन समिति का गठन किया गया है। निर्यात से संबंधित मामलों और निर्यातों को बढ़ाने के लिए कुछ राज्यों द्वारा पहले ही अलग वाणिज्यिक निदेशालय या ब्यूरो का गठन कर दिया गया है।

[हिन्दी]

प्याज का निर्यात

571. श्री राजो सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से प्याज का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वर्षवार कितने मूल्य की प्याज निर्यात की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस निर्यात के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ङ) प्याज के निर्यात में मुख्य साझेदार राज्य कौन-कौन से हैं; और

(च) प्याज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्याज उत्पादकों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) जिन प्रमुख देशों को प्याज का निर्यात किया जाता है उनमें शामिल हैं--बंगलादेश, मलेशिया, मालदीव, मारीशस, कुवैत, यू ए ई, श्रीलंका, सिंगापुर और सऊदी अरब।

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान निर्यात किए प्याज की मात्रा और मूल्य तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है--

	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1997-98	333349	202.06
1998-99	215694	176.05
1999-2000	260475	202.70

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता/एपीडा, नई दिल्ली

निर्यातों के देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार सांख्यिकी के मासिक/वार्षिक बुलेटिन में उपलब्ध हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ङ) राज्य-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) से उपलब्ध सूचना के अनुसार प्याज के निर्यात में योगदान करने वाले प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात शामिल हैं।

(च) प्याज सहित चुनिंदा फलों व सब्जियों की घरेलू आपूर्ति और निर्यात के उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन के संबंध में वर्ष 1998 में एक अध्ययन करवाया गया है। निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए अध्ययन पर एक सिफारिश यह थी कि आधुनिक हवादार, भंडारण, समुचित ग्रेडिंग, छंटाई व अनुबंधित खेती शुरू करके फसल पश्चात् घाटे को कम किया जाए। सरणीकृत एजेंसियों और प्रमुख निर्यातकों को इन मौलिक बुनियादी सुविधाओं की स्थापना की जरूरत के बारे में सूचित किए गए हैं।

चीनी मिलों की स्थापना

572. श्री रामदास आठवले : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर महाराष्ट्र में किसी नई चीनी मिल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिलें स्थापित नहीं करती है। चीनी उद्योग को 11.9.1998 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। उद्यमी मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों से 15 किलोमीटर की दूरी रखकर अपनी परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार चीनी मिलें स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

वी.एस.एन.एल. और सी.एम.सी. का विनिवेश

573. **श्री अजय सिंह चौटाला :**
श्री विजय गोयल :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वी.एस.एन.एल. और कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम (सी.एम.सी.) में अपनी भागीदारी विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसमें सरकार को कितनी आय प्राप्त होने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार की घोषित नीति अनुसार गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत या उससे भी नीचे लाया जाना है। गैर महत्वपूर्ण होने के नाते विदेश संचार निगम लि. और कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम (सी.एम.सी.) में सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत से नीचे लाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) इस लेन-देन को पूरा करने की समय सीमा बोलीदाताओं की संख्या, उनके द्वारा विधिवत अध्यव्यवसाय, दस्तावेजों को पूरा करने के लिए लगने वाले समय पर निर्भर करती है।

(घ) सरकार को होने वाली संभावित आय का इस चरण पर कोई आंकलन नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

बीमा कंपनियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी

574. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सामान्य बीमा उद्योग और इसकी सहायक कंपनियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में 'आल इंडिया जनरल इंश्योरेंस ओ.बी.सी. एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसमें उल्लिखित मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, 'दि जनरल इंश्योरर्स' (पब्लिक सेक्टर), 'एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (जिप्सा) ने सूचित किया है कि उन्हें ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस ओबीसी एम्प्लायीज़ वेलफेयर एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एसोसिएशन को मान्यता प्रदान करने, विकास-कार्य में अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व, अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों को प्रोन्नति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व और साक्षात्कार समिति में अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को शामिल करने के मुद्दे भी शामिल थे। साधारण बीमा निगम इस एसोसिएशन को मान्यता देने से संबंधित मामले में पहले से ही रुचि ले रहा है। अधिकारियों को विकास-कार्यों के समनुदेशन की जांच इस प्रयोजन के लिए गठित पैनल द्वारा की जाती है और अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी से संबंधित अधिकारियों सहित सभी पात्र अधिकारियों के मामले पर ऐसे समनुदेशन हेतु विचार किया जाता है। प्रोन्नति के समय अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के हित की रक्षा करने का विशेष ध्यान रखा जाता है। हालांकि साक्षात्कार समिति में अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों का नामांकन किया जाना अनिवार्य नहीं है, फिर भी समिति में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि को शामिल करने का विशेष ध्यान रखा जाता है।

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

575. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार लक्षित सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी होगी;

(ख) क्या यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लक्षित की गई वृद्धि के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2000-2001 में कारक लागत पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत की अभिवृद्धि अनुमानित है। अभिवृद्धि के लक्ष्य वार्षिक रूप से निर्धारित नहीं किए जाते। फिर भी 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अभिवृद्धि लक्ष्य औसतन 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार वर्ष 2000-2001 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में अभिवृद्धि 6.0-6.5 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास केन्द्र

576. प्रो. दुखा भगत : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में कितने और कहां-कहां औद्योगिक विकास केन्द्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन औद्योगिक विकास केन्द्रों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान झारखंड में कहां-कहां और कितने औद्योगिक विकास केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (ग) हजारीबाग (जिला हजारीबाग) स्थित विकास केन्द्र नये राज्य झारखंड के अंतर्गत आता है। हजारीबाग विकास केन्द्र को मई, 1995 में स्वीकृत करने के बाद से इसे 200 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की गई है। राज्य सरकार और इसके अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली यह परियोजना क्रियान्वयन के चरण में है।

[अनुवाद]

भारतीय नौवहन निगम में विनिवेश

577. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय नौवहन निगम (एस.सी.आई.) में विनिवेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विनिवेश प्रक्रिया में एस.सी.आई. के कर्मचारियों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) विनिवेश आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को भारतीय नौवहन निगम का विनिवेश तेलशोधक कम्पनियों के पक्ष में करना चाहिए। भारतीय नौवहन निगम की इक्विटी के 30 प्रतिशत की पेशकश आई ओ सी, एस पी सी एल, बी पी सी एल, सी आर एल और एम आर एल को उनके निवल लाभों के अनुपात में कर दी जाए। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत की पेशकश निजी क्षेत्र और संयुक्त-क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों को की जा सकती है। निजी क्षेत्र के तेलशोधक कारखानों द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार न करने की दशा में इसकी पेशकश पहले बताए गए तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के तेलशोधक कारखानों को की जा सकती है। सरकार ने इन सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के एककों में विनिवेश

578. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ब्ल्यूचिप पब्लिक सैक्टर यूनिट्स में अपनी भागीदारी को कम करके वित्तीय संस्थाओं को बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वित्तीय संस्थाओं के साथ इस मामले को उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर वित्तीय संस्थाओं की क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की इक्विटी का विनिवेश एक सतत प्रक्रिया है। विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इसकी इक्विटी के विनिवेश के दृष्टिकोण से सरकार विभिन्न प्रस्तावों पर विचार करती रहती है। विशेषकर, विनिवेश प्रस्तावों के माध्यम से 'शेयर की पेशकश' की प्रणाली में शेयरों को वित्तीय संस्थानों को देना होता है। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी इक्विटी के विनिवेश के संबंध में सरकार के निर्णय समय-समय पर यथा निर्धारित विनिवेश नीति द्वारा संचालित होते हैं।

- पुनर्संरचना तथा संभाव्य व्यवहार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनरुद्धार करना।
- उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करना जिन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता।
- सभी गैर-महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की इक्विटी को 26 प्रतिशत तक अथवा आवश्यकता पड़ने पर इससे कम स्तर तक नीचे लाना और
- कर्मचारियों के हितों की पूरी-पूरी रक्षा करना।

तथापि वित्तीय संस्थानों के ब्ल्यूचिप सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश के लिए कोई अलग योजना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

एफ.एम. रेडियो स्टेशन

579. **श्री किरीट सोमैया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने एफ.एम. रेडियो स्टेशन हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और एफ.एम. रेडियो स्टेशन खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विद्यमान एफ.एम. सेवा से कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया और एफ. एम. रेडियो स्टेशन से राजस्व बढ़ाने के लिए क्या नीति तैयार की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) वर्तमान में आकाशवाणी नेटवर्क में 122 एफ.एम. ट्रांसमीटर हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। 3 एफ.एम. परियोजनाएं तकनीकी रूप से तैयार हैं और 37 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने तथा इन्हें शीघ्र चालू करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं जो दिल्ली मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै और पणजी स्थित एफ.एम. मेट्रो चैनलों से संबंधित हैं—

1997-98	4,98,84,043/- रुपये
1998-99	11,51,21,891/- रुपये
1999-2000	11,21,18,465/- रुपये

राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रयोग की जा रही नीति में कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा प्रायोजकता, प्रायोजित कार्यक्रमों तथा स्पॉटबाई के जरिए विपणन कार्य करना है।

यूनिट लिंक्ड बीमा योजना

580. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा कम्पनी का विचार यूनिट लिंक्ड बीमा योजना (यूलिप) शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम ने 12 फरवरी, 2001 को 'बीमा प्लस' योजना नामक यूनिट से संबद्ध बीमा योजना पहले ही आरंभ कर दी है। जीवन बीमा निगम की बीमा प्लस योजना उच्च विकास की संभावना के साथ जीवन बीमा कवच मुहैया कराती है। इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि के एक भाग को पूंजी बाजार में इक्विटी और ऋण संबंधी ऐसे दस्तावेजों में निवेश किया जाता है जहां उच्च स्तरीय विकास की गुंजाइश विद्यमान होती है। इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम 10 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक या अर्ध-वार्षिक

किस्तों में देय होता है। इस योजना के अंतर्गत अदा किए गए प्रीमियम की राशि पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अंतर्गत छूट प्राप्त होती है। इस योजना में, जहां कहीं भी लागू होगा, कटौती किए जाने पर, परिपक्वता पर बीमित राशि के 5 प्रतिशत की दर पर परिपक्व बोनस के साथ फंड की यूनिटों के बोली मूल्य के लाभ का भुगतान किए जाने और फंड की यूनिटों के बोली मूल्य सहित बीमित राशि की एक विनिर्दिष्ट प्रतिशतता और पालिसी की अवधि को ध्यान में रखते हुए मृत्यु होने पर अन्य लाभ मुहैया कराए जाते हैं। इस स्कीम में दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर भुगतान किए जाने की भी व्यवस्था है।

बफर स्टॉक के रखरखाव में एफ.सी.आई. की विफलता

581. श्री के. येरननायडू :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम दूरस्थ और दूरगम्य क्षेत्रों में बफर स्टाक के रखरखाव में विफल रहा है जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के निर्धन लोग कुपोषण के शिकार हो गए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्धन लोगों के लिए खाद्यान्नों की उचित खरीद; भंडारण, ढुलाई और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनेक स्वायत्त निगमों में विभाजित किए जाने के बारे में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम के पास संपूर्ण देश में विभिन्न क्षेत्रों में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कर अपवंचकों के विरुद्ध अभियान

582. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसंबर, 2000 में दिल्ली में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो फर्मों और व्यक्तियों के ब्यौरे सहित इस अभियान के दौरान वसूल किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पाद शुल्क विभाग के कुछ अधिकारी कर अपवंचकों की मदद करते पाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के विरुद्ध दिसंबर, 2000 में दिल्ली में गहन अभियान चलाया गया था। अभियान के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तथाकथित अपवंचन के 14 मामलों का पता लगाया गया था, जिनमें 110.39 लाख रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त थी। इसमें से 12.91 लाख रुपये की वसूली की गई थी। फर्मों तथा व्यक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। तद्नुसार कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

क्र.सं.	फर्म तथा व्यक्तियों के नाम	वसूल की गई शुल्क की राशि (लाखों में)
1.	महाराजा केबल्स	0.09
2.	दीपांजली स्टैम्पिंग प्रा. लिमिटेड	0.17
3.	महालक्ष्मी केबल	0.20
4.	बी इ सी इन्डस्ट्रीज	0.23
5.	फिक्सोपैन इंजीनियर्स (प्रा.) लि.	0.29
6.	एस एस पालीमर्स	0.29
7.	बी बी स्टील	0.37
8.	डी पी इंडस्ट्रीज	0.52
9.	खरकिया एलाइज (प्रा.) लिमिटेड	0.78
10.	बंसल प्लाइवुड	1.00
11.	ओसवाल केबल प्रॉडक्ट्स	1.00
12.	एयरो क्लब	1.00
13.	रवि एंटरप्राइजेज	1.98
14.	स्वीट वॉयस कैसेट्स इंडिया प्रा. लिमिटेड	5.00

राष्ट्रीय प्रसारण और सूचना नीति

583. **श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रसारण और सूचना नीति के बारे में गहन अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो नए विदेशी चैनलों को आकर्षित करने वाले प्रावधानों के संदर्भ सहित इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इन नीति को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) .: (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आई.टी.पी.ओ. की भूमिका

584. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आई.टी.पी.ओ.) ने लैटिन अमेरिका में भारतीय उत्पादों का प्रचार-प्रसार बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय निर्यातकों में लैटिन अमेरिका के उभरते सर्वोत्तम निर्यात की क्षमता पर जोर देने की रणनीति बनाने में इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका क्या है;

(घ) क्या इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने निर्यातकों की सकारात्मक छवि बनाने के लिए लैटिन अमेरिका के किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्र विशेष को इंगित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) लैटिन अमरीकी एवं कैरिबिअन क्षेत्र की क्षमताओं की पहचान करते हुए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नवंबर, 1997 में एक क्रियाकलाप आधारित सामूहिक कार्यक्रम 'फोकस एल ए सी' की शुरूआत की गई थी। यह कार्यक्रम भारत सरकार, निर्यात संवर्धन परिषदों, वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर्स, लैटिन अमरीकी देशों में भारतीय मिशनों और एक्जिम बैंक, ई सी जी सी इत्यादि जैसे संस्थानों का एक सामूहिक प्रयास है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तीन उत्पाद समूहों अर्थात वस्त्र, इंजीनयरिंग उत्पाद एवं रसायनिक उत्पादों की आरंभ में फोकस उत्पाद समूहों के रूप में पहचान की गई है।

इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आरगेनाइजेशन (आई टी पी ओ) क्रमवार आधार पर लैटिन अमरीकी देशों में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अनन्य रूप से भारतीय प्रदर्शनियों का आयोजन करता रहा है–

(i) *ब्यूनोस एरजी, अर्जेंटीना* में भारतीय प्रदर्शनी (जून, 1996)

(ii) साओ पाउलो, ब्राजील में भारतीय प्रदर्शनी (नवम्बर, 1996)

(iii) मैक्सिको सिटी में भारतीय प्रदर्शनी (मार्च, 1998)

(iv) सैंटिआगो, चिली में भारतीय प्रदर्शनी (जुलाई, 2000)

सितम्बर, 2001 के दौरान साओ पाउलो (ब्राजील) में अनन्य रूप से एक भारतीय प्रदर्शनी आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

उपरोक्त के अलावा, आई टी पी ओ लैटिन अमरीकी देशों में साओ पाउलो में एफ ई एन आई टी (जून, 2000) तक पनामा सिटी में एक्सपोकोमर (मार्च, 2000) जैसे कई आयोजनों में नियमित रूप से भागीदारी आयोजित करता रहा है।

लैटिन अमरीकी देशों में आयोजित अन्य आयोजनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

क्र.सं.	वर्ष	आयोजन एवं देश
1.	1998-99	साओ पाउलो, ब्राजील में इंजीनयरिंग उत्पादों के लिए क्रेता विक्रेता बैठकें
2.	1999-2000	अर्जेन्टीना, ऊरुग्वे तथा चिली में बाइसाईकिलों एवं इसके पुर्जों के लिए संबंध संवर्धन कार्यक्रम
3.	2000-2001	मैक्सिको तथा ब्राजील में इलेक्ट्रिकल तथा पावर उपकरणों के लिए संबंध संवर्धन कार्यक्रम

वर्ष 2001-2002 के दौरान मैक्सिको में रसायनों के लिए एक क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

आई टी पी ओ ने फोकस एल ए सी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में लैटिन अमरीकी देशों को निर्यात का संवर्धन करने के लिए 1998-99 से 7 निर्यात पुरस्कार भी शुरू किए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। आई टी पी ओ द्वारा उजागर किए गए देश ब्राजील, अर्जेन्टीना, चिली, मैक्सिको, पनामा, त्रिनिदाद और टौबैगो हैं। आई टी पी ओ पेरू तथा कोलम्बिया के आयोजनों में भागीदारी आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आपदा बैंक

585. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राकृतिक आपदा संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा बैंक स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) इस समय सरकार के पास राष्ट्रीय आपदा बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

फिल्म उद्योग को वित्तीय सहायता

586. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री सुबोध मोहिते :
श्री खारबेल स्वाइं :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्म उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है ताकि वह अपराध जगत के प्रभाव से उभर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फिल्म निर्माताओं और अपराध जगत के बीच के संबंधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) फिल्म उद्योग को और अधिक मात्रा में सांस्थानिक वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय ने दिनांक 16.1.2000 को अधिसूचना जारी की है जिसके अंतर्गत 'फिल्मों सहित मनोरंजन उद्योग' को आई डी बी आई अधिनियम की धारा 2(ग)(17) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 'औद्योगिक संस्था' के अंतर्गत एक अनुमोदित कार्यकलाप के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने आई डी बी आई से मान्य और स्वीकार्य मानक तैयार करने को कहा है ताकि वित्तीय संस्थान फिल्म उद्योग से संबंधित कार्यकलापों को वित्तपोषित कर सकें। आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने आई डी बी आई सहित भारतीय रिजर्व बैंक से भी इस संबंध में बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश परिचालित करने का कहा है।

फिल्म उद्योग के व्यवस्थित कार्यकरण हेतु फिल्म उद्योग की सहायता करने के उद्देश्य से मंत्रालय को फिल्म उद्योग से संबंधित नीति एवं अन्य मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार ग्रुप का गठन किया गया है जिसमें फिल्म क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अलावा, मनोरंजन क्षेत्र के विकास के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है जिसमें नौ राज्यों के सूचना एवं जन-संपर्क मंत्रियों को शामिल किया गया है।

मसालों का निर्यात

587. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान आज तक मसालों के निर्यात में मात्रात्मक रूप से 13 प्रतिशत की तथा रुपये लागत में 32 प्रतिशत की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) अप्रैल 2000-जनवरी 2001 की अवधि के लिए मसालों के निर्यात से संबंधित नवीनतम उपलब्ध आंकड़े के अनुसार, मसालों के निर्यात में पिछले वर्ष की अवधि के दौरान हुए निर्यातों की तुलना में मात्रा के रूप में 11% तथा रु. के मूल्य में 29% की गिरावट प्रदर्शित हुई है।

(ख) मसालों के निर्यात में आई प्रमुख गिरावट का कारण मिर्च के निर्यात में गिरावट का होना है, जो मसालों से अर्जित होने वाले कुल निर्यात का प्रमुख हिस्सा है। मिर्च के निर्यात में आई इस गिरावट का कारण प्रतिस्पर्धी देशों द्वारा सस्ती कीमतों का दिया जाना तथा आपूर्ति की बढ़ती हुई स्थिति का होना है। मसालों के निर्यात में आई इस गिरावट के अन्य कारण जीरा, मेथी, अदरक एवं अन्य मसाला बीज के मामले में निर्यात योग्य पर्याप्त बेशी की अनुपलब्धता अजमोद एवं सौंफ के मामले में कम अंतर्राष्ट्रीय मांग तथा अदरक, धनिया, मिर्च एवं सौंफ के मामले में प्रतिस्पर्धी देशों द्वारा प्रस्ताव की जा रही सस्ती कीमतें हैं।

(ग) सरकार द्वारा मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं—

(i) मसालों के निर्यात पर 0.5% की एक समान दर से उपकर का यौक्तिकरण।

(ii) ब्रांड संवर्धन योजनाओं का कार्यान्वियन करना, जैसे मूल्य वर्धित मसालों के निर्यातक के लिए 'इंडियन स्पाईसेस लोगो' पुरस्कार तथा गुणवत्ता मानदंडों का पालन करने वाले मसालों का भारी रूप से निर्यात करने वाले निर्यातकों के लिए 'साईस हाऊस प्रमाण पत्र'।

(iii) विकसित प्रौद्योगिक के लागू करने के जरिए उत्पादों की लागत को प्रतिस्पर्धी बनाने के अलावा भारतीय मसालों तथा मसाला उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयास करना।

(iv) प्रौद्योगिकी हस्तानांतरण, प्रक्रिया का उन्नयन तथा उत्पाद का विकास करना।

(v) नए बाजारों, नए अनुप्रयोगों तथा नए ब्रांडों के विकास के द्वारा उत्पाद में विविधता पैदा करना।

(vi) कार्बनिक मसाला उत्पादों के लिए प्रमुख बाजारों की व्यवस्था करने हेतु कार्बनिक मसालों तथा मसाला उत्पादों का विकास करना।

(vii) भारतीय मसालों के बाजार को विकसित करने के लिए व्यापारिक शिष्टमंडल भेजना।

[हिन्दी]

चाय का उत्पादन/निर्यात

588. **श्री राजो सिंह :**

श्री एम.के. सुब्बा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चाय का वार्षिक अनुमानित उत्पादन कितना होता है;

(ख) इसमें से कितनी प्रतिशत चाय का वार्षिक निर्यात किया जाता है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चाय के उत्पादन और निर्यात में गिरावट आई;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान और आज की तिथि के अनुसार चाय के उत्पादन, घरेलू उपयोग तथा निर्यात के तुलनात्मक आंकड़ों सहित इसमें आई गिरावट के क्या कारण हैं;

(ङ) चाय के उत्पादन, घरेलू मांग तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए विशेष अभियान और उपर्युक्त अवधि के दौरान उत्पादकों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को विदेशों से भारत द्वारा उन्हें घटिया किस्म की चाय के निर्यात के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(छ) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान चाय का उत्पादन 816.06 मिलियन कि.ग्रा. था, जिसमें से 23.58 प्रतिशत का निर्यात किया गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अप्रैल से दिसम्बर 2000 की अवधि के दौरान चाय के उत्पादन एवं निर्यात में पिछले वर्ष की इसी संगत अवधि की तुलना में क्रमश: 7.37 मिलियन कि.ग्रा. और 5.40 मिलियन कि.ग्रा. वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान चाय का उत्पादन, निर्यात एवं घरेलू खपत निम्नानुसार है—

(मिलियन किग्रा. में)

वर्ष	उत्पादन	निर्यात	अनुमानित खपत*
1997-98	834.88	211.26	597
1998-99	850.25	205.86	615
1999-2000	816.06	192.44	633
2000-2001 (अप्रैल-दिसंबर)	751.67	155.58	653 (जन.-दिस.)

*कैलेंडर वर्ष संबंधित है।

(ङ) सरकार/चाय बोर्ड द्वारा भारत में चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ताकि घरेलू अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके और चाय के विश्व निर्यातों में भारत के हिस्से को बनाए रखा जा सके। इन कदमों में चाय बोर्ड द्वारा विस्तारण रोपण, पुनर्रोपण, नवीनीकरण, छंटाई इत्यादि को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से चाय उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

चाय के निर्यात में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं चुनिंदा बाजारों में विशिष्टिकृत भारतीय चाय के बारे में उपभोक्ता जागरूकता, विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, प्रचार

अभियान और भारत तथा चाय आयातक देशों के बीच चाय प्रतिनिधि-मंडलों का आदान प्रदान करना। घरेलू मांग में वृद्धि लाने की दृष्टि से चाय बोर्ड देश में विभिन्न मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी और इसे विभिन्न स्थानों पर चाय केन्द्र खोलने में संलग्न है जहां आम जनता को तरल चाय परोसी जाती है।

(च) से (ज) जी, हां। भारतीय दूतावास त्रिपोली ने अगस्त 2000 के महीने में मंत्रालय को एक भारतीय निर्यातक द्वारा लिबियाई नेशनल सप्लाई कारपोरेशन (नास्को) को असंतोषजनक गुणवत्ता वाली चाय की आपूर्ति किए जाने के बारे में सूचित किया।

चाय बोर्ड ने शुरू में घटिया चाय की आपूर्ति संबंधी आरोप के बारे में भारतीय निर्यातक से विचार प्राप्त किए थे और इसके बाद में चाय (वितरण तथा निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1957 के तहत प्रदान किए गए चाय के निर्यातक लाइसेंस को निलंबित/रद्द करने के लिए निर्यातक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। भारतीय निर्यातकों ने कारण बताओ नोटिस के उत्तर में बताया था कि उसे नैस्को से सीधे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः चाय बोर्ड ने भारतीय दूतावास, त्रिपोली से नैस्को द्वारा निर्यातक के विरुद्ध, यदि कोई हो, लिखित शिकायत की एक प्रति प्राप्त करके भेजने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

गुजरात के तूफान प्रभावित लोगों के लिए अल्पकालिक ऋण

589. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के तूफान प्रभावित लोगों को उनके पुनर्वास, उनके घरों के पुनर्निर्माण तथा मरम्मत के लिए बैंकों के माध्यम से विशेष अल्पकालिक ऋण दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक बैंक-वार कितनी राशि दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अगस्त, 1984 में भारतीय रिजर्व बैंक से अनुदेश प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना प्राकृतिक आपदा/दंगों आदि से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए उनके अनुपालनार्थ स्थायी मार्गनिर्देश जारी किए थे। ये मार्गनिर्देश बैंकों को शीघ्रतापूर्वक समान एक संगठित कार्रवाई करने, खासतौर से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषकों, लघु उद्योग एककों, कारीगरों, छोटे कारोबारियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में समर्थ बनाते हैं। प्रभावित किसानों को प्रदान की जाने वाली राहत सहायता की प्रमात्रा के बारे में निर्णय लेने के लिए बैंकों को अधिक विवेकाधिकार देने के उद्देश्य से जून, 1998 में इन मार्गनिर्देशों को और उदार बनाया गया था। ये मार्गनिर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को निम्नलिखित निर्णय लेने में भी समर्थ बनाते हैं—

(1) प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल के निरंतर खराब होने/फसल की हानि की तीव्रता पर निर्भर करते हुए ऋणों को 3 वर्ष से 9 वर्ष की अवधि तक परिवर्तित करने/पुनर्निर्धारित करने।

(2) प्रभावित किसानों को फसल ऋण प्रदान करने।

(3) मूलधन और विद्यमान ऋणों पर ब्याज को परिवर्तित करने।

(4) खपत ऋण प्रदान करने।

(5) परिवर्तित या पुनर्निर्धारित ऋणों के हिस्से को अनुप्रयोज्य आस्तियों के रूप में नहीं मानने।

(6) परिवर्तित/पुनर्निर्धारित ऋणों आदि पर चक्रवृद्धि ब्याज न लगाने।

(7) आवश्यकता पर आधारित अतिरिक्त फसल ऋणों/कार्यशील पूंजी का प्रावधान करने।

(8) प्रतिभूति और मार्जिन मानदंडों में छूट देने।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भुगतान संतुलन की स्थिति

590. श्री अनन्त नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) देश के भुगतान संतुलन की स्थिति की सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक दोनों द्वारा बारीकी से मानीटरिंग की जाती है और निर्यातों तथा अदृश्य प्राप्तियों में वृद्धि करने तथा ऋण-भिन्न सृजक पूंजीगत प्रवाहों विशेषतया विदेशी निवेशों के स्तर में वृद्धि करने के लिए जब भी आवश्यकता हो उचित उपाय किए जाते हैं ताकि भुगतान संतुलन की स्थिति को व्यवहार्य बनाए रखने तथा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों का उपयुक्त स्तर बनाए रखने में मदद मिल सके।

(ख) एशिया और रूस में संकट के परिणामस्वरूप विश्व की प्रतिकूल आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति के बावजूद पिछले तीन वर्षों (वर्ष 1997-98 से वर्ष 1999-2000 तक) के दौरान भारत के भुगतान संतुलन (बी.ओ.पी) की स्थिति सहज बनी रही। भुगतान संतुलन के चालू खाते में घाटा जो वर्ष 1997-98 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 प्रतिशत था, वर्ष 1998-99 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 1.0 प्रतिशत और 1999-2000 में और घटकर 0.9 प्रतिशत रह गया। इन वर्षों के दौरान, सभी स्रोतों से निवल पूंजी प्रवाह चालू खाते के घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक थे। परिणामस्वरूप, देश के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों में वर्ष 1997-98 में 3.61 बिलियन अमरीकी डालर, 1998-99 में 3.55 बिलियन अमरीकी डालर और 1999-2000 में 5.54 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। निम्नलिखित सारणी में वर्ष 1997-98 से लेकर 1999-2000 के दौरान भुगतान-संतुलन की स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है—

(अमरीकी मिलियन डालर)

	1997-98	1998-99	1999-2000
निर्यात (पोतपर्यन्त निःशुल्क)	35680	34298	38285
आयात (लागत, बीमा, भाड़ा)	51187	47544	55383
व्यापार संतुलन	−15507	−13246	−17098
अदृश्य (निवल)	10007	9208	12935
चालू खाता शेष	−5500	−4038	−4163
(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	(−1.4)	(−1.0)	(−0.9)
कुल पूंजी प्रवाह (निवल)	9393	786	10305
प्रारक्षित भंडार संचलन			
(+ वृद्धि)	+ 3893	+ 3829	+ 6142

कृषि के संबंध में विश्व व्यापार संगठन से वार्ता

591. **श्री अशोक ना. मोहोल :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि संबंधी समझौते के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन के साथ वार्ता के लिए प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन संबंधी मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन में वार्ता के लिए रखे जाने वाले अन्य संभावित मुद्दे क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) जी, हां। भारत ने कृषिजन्य निर्यातों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अधिक बाजार पहुंच पैदा करने और अपनी खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा को संरक्षित करने के उद्देश्य से डब्ल्यू टी ओ में बाजार पहुंच, घरेलू समर्थन, निर्यात प्रतिस्पर्धा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में कृषि करार के तहत तयशुदा वार्ताओं के लिए अपने वार्ताकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। डब्ल्यू टी ओ मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

भारत कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ समिति में चल रही वार्ताओं की प्रगति के आधार पर मौजूदा प्रस्तावों के स्पष्टीकरण या विस्तार करके या नए मुद्दों को जोड़ करके अतिरिक्त प्रस्तावों को प्रस्तुत करने पर विचार कर सकता है।

भारतीय प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातें हैं—

- कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रमुख कृषि निविष्टियों को इमदाद प्रदान करने के लिए अतिरिक्त लोचशीलता।
- कतिपय क्रियान्वयन मुद्दों जैसे नकारात्मक उत्पाद विशिष्ट समर्थन से सकारात्मक गैर-उत्पाद विशिष्ट समर्थन, मुद्रास्फीति और मूल्यह्रास पर ध्यान देने के लिए स्थिर मुद्रा में घरेलू समर्थन अधिसूचित करने की समुचित प्रणाली के बारे में स्पष्टीकरण।
- विकासशील देशों की कृषि कार्य पर लगी जनसंख्या की आजीविका की सुरक्षा करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित अत्यधिक विकार और उनकी विकासात्मक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उनके कृषिजन्य उत्पादों पर मर्यादित बाध्यकारी टैरिफ स्तर को बनाए रखना। साथ ही विकासशील देशों के समुचित टैरिफ स्तरों को बाजार पहुंच, घरेलू समर्थन और निर्यात प्रतिस्पर्धा के क्षेत्रों में व्यापार संबंधी विकारों के साथ जोड़ना।
- उन विकासशील देशों की निम्न टैरिफ दरों को युक्तिसंगत बनाना जिन्हें पूर्ववर्ती वार्ताओं में युक्तिसंगत नहीं बनाया जा सका था।
- विशेष और विभेदकारी उपाय के रूप में आयातों में वृद्धि अथवा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट की स्थिति में घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने के प्रावधान समेत विशेष सुरक्षोपाय धारा के अनुरूप पृथक सुरक्षोपाय तंत्र।

– विकासशील देशों के लिए कोई भी न्यूनतम बाजार पहुंच की वचनबद्धता नहीं।

– गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार और कृषि के विविधिकरण के लिए विकासशील सदस्य देशों द्वारा किए गए उपायों को वचनबद्धता कम करने की छूट दी जानी चाहिए।

– कतिपय प्राथमिक कृषिजन्य वस्तुओं जैसे रबड़, जूट, कॉयर इत्यादि को शामिल करके कृषि संबंधी करार में उत्पाद शामिल करने को युक्तिसंगत बनाना।

– कम आय और कम संसाधन वाले कृषकों को प्रदत्त उत्पाद विशिष्ट सहायता को समग्र सहायता उपाय (एएमएस) से अलग रखा जाना चाहिए।

– अन्य डब्ल्यू टी ओ शामिल करारों के अनुसार कतिपय उपाय करने में विकासशील देशों को मिली शिथिलता में कृषि संबंधी करार के प्रावधानों की वजह से कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

– विकसित देशों में उच्च टैरिफों और टैरिफ वृद्धियों को समाप्त करने समेत टैरिफ दरों में पर्याप्त कटौती करना।

– उनकी संभावित समाप्ति तक टैरिफ दर कोटा का विस्तार एवं पारदर्शी प्रशासन।

– ग्रीन बॉक्स में आय बीमा और आय सुरक्षा-निवल कार्यक्रमों और ब्ल्यू बॉक्स उपायों, पृथक एवं प्रत्यक्ष भुगतानों को अम्बर बॉक्स में शामिल किया जाएगा जो वचनबद्धताओं की कटौती के अधीन होगा।

– एएमएस में तीव्र कटौती करना ताकि इसे विकसित देशों द्वारा 3 वर्षों में और विकासशील देशों द्वारा 5 वर्षों में न्यूनतम स्तर से नीचे लाया जा सके।

– निर्यात इमदादों में तीव्र कटौती समाप्त करना और निर्यात ऋणों, निर्यात बीम और निर्यात गारंटी इत्यादि जैसी सभी अन्य निर्यात इमदादों को अनुशासित करना।

– विकसित देशों के लिए शांति संबंधी धारा समाप्त करना।

महाराष्ट्र में दूरदर्शन के कार्यक्रम

592. श्री किरीट सोमैया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित किए जाने वाले कई निर्धारित कार्यक्रमों को रद्द/रोक दिया गया;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से ऐसे कितने कार्यक्रम, विशेषकर मराठी भाषा के कार्यक्रम, रद्द किए गए हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एफ.एम. रेडियो नेटवर्क

593. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री जसवंत सिंह यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन के लिए एक विशेष पैकेज कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरदर्शन के कार्यक्रम कब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र में देखे जा सकेंगे;

(घ) क्या इस क्षेत्र में एफ.एम. रेडियो नेटवर्क का भी विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में डीडी-1 और डीडी-2 सेवाओं को रिले करने के लिए क्रमशः 105 तथा 14 ट्रांसमीटर विद्यमान हैं। टी.वी. कवरेज का और विस्तार करने के लिए 10 और ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में आकाशवाणी के 10 एफ.एम. ट्रांसमीटर कार्यरत हैं। विस्तार योजना के भाग के रूप में 11 और एफ.एम परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। 24 घंटे के उत्तर-पूर्व चैनल को शुरू करने सहित उत्तर-पूर्व में दूरदर्शन द्वारा 80% से अधिक जनसंख्या की कवरेज करने में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली गई है।

यूरोपीय संघ के आयुक्त का भारत दौरा

594. श्री के. येरननायडू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2001 के अंतिम सप्ताह में यूरोपीय संघ के आयुक्त ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन आपसी हित के विषयों पर चर्चा की गई; और

(ग) उनके दौरों के दौरान क्या समझौते हुए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, हा। विदेश मामलों के यूरोपीय आयुक्त श्री क्रिस्टोफर एफ. पैटन ने जनवरी, 2001 के अंतिम सप्ताह में भारत की यात्रा की।

(ख) आयुक्त पैटन ने विदेश मंत्री तथा कुछ अन्य उच्चाधिकारियों से भेंट की। उन्होंने 29 जनवरी, 2001 को वित्त मंत्री से भी भेंट की। इस भेंट के दौरान उन्होंने गुजरात भूकम्प पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। द्विपक्षीय विकास सहयोग, निवेश तथा विश्व व्यापार संगठन के मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

(ग) आयुक्त की यात्रा के दौरान किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

मारुति उद्योग लिमिटेड में 'गोल्डन हैंड शेक स्कीम'

595. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड का विचार कर्मचारियों की संख्या कम करने और लाभार्जन करने हेतु कर्मचारियों के लिए 'गोल्डन हैंड शेक स्कीम' लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) मारुति उद्योग लिमिटेड (एमयूएल) एक गैर-सरकारी बोर्ड द्वारा नियंत्रित कंपनी है तथा गोल्डन हैंड शेक स्कीम लागू करने सहित उपयुक्त वाणिज्यिक निर्णय लेने में सक्षम है। मारुति उद्योग ने सूचित किया है कि कुछ कर्मचारियों तथा संघ के प्रतिनिधियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का अनुरोध किया है।

भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा क्षेत्र विशिष्ट मेलों का आयोजन

596. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापार संवर्धन संगठन देश में क्षेत्र विशिष्ट मेलों का आयोजन करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1999-2000 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन ने किसी क्षेत्र विशिष्ट मेले का आयोजन किया है;

(ग) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में ऐसे मेले आयोजित किए गए;

(घ) क्या कोई ऐसे निर्यातोन्मुख मेले भी आयोजित किए गए; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित इन विशिष्ट निर्यातोन्मुख मेलों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) वर्ष 1999-2000 के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आरगेनाइजेशन (आई टी पी ओ) द्वारा निम्नलिखित व्यापार मेलों का आयोजन किया गया है जिनमें से चेन्नई तथा कोलकाता में आयोजित मेले मुख्यत: निर्यातोन्मुखी मेले थे।

दक्षिण क्षेत्र

भारतीय चमड़े एवं चर्म उत्पादों का संवर्धन करने के लिए 31 जनवरी-4 फरवरी, 2000 तक चेन्नई (तमिलनाडु) में 16वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले का आयोजन किया गया था।

पूर्वी क्षेत्र

भारतीय चर्म उत्पादों के संवर्धन हेतु 4-6 मार्च, 2000 तक कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में अंतर्राष्ट्रीय चर्म सामान मेले का आयोजन किया गया था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र

11-18 मार्च, 2000 तक गंगटोक, सिक्किम में भारतीय व्यापार प्रदर्शनी (एक बहु-उत्पाद प्रदर्शनी) का समायोजन किया गया था।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की स्थिति

597. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की स्थिति के संबंध में मंत्रियों के समूह को अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रियों के समूह ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) नवरत्न तथा मणिरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को जोड़ने अथवा हटाए जाने में अपनाई जा रही क्रियाविधि पर विचार करने और उनके कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए मंत्रियों का एक दल गठित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रुग्ण/बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयां

598. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री मोइनुल हसन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में आज की तिथि के अनुसार लघु, मझौले और बड़े रुग्ण/बंद पड़े उद्योगों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य में वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान अलग-अलग कितने उद्योग बंद हुए;

(ग) इन रुग्ण/बंद इकाइयों से कितने श्रमिक प्रभावित हुए;

(घ) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जो सामान्य रूप से बंद हो गए हैं और इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन इकाइयों को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पुनरुज्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) से (ग) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किए जाते हैं। मार्च, 2000 तक रुग्ण औद्योगिक एककों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

श्रम मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो, शिमला उद्योगों के बंद होने संबंधी सूचना एकत्र करता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन वर्ष 1998-2000 तक 425 औद्योगिक एकक बंद हुए बताए गए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। 425 औद्योगिक एककों के बंद होने के परिणामस्वरूप 33,554 श्रमिक प्रभावित हुए हैं।

(घ) श्रम ब्यूरो, शिमला के अनुसार जो उद्योग बंद कर दिए गए हैं वे मुख्य इंजीनियरिंग, वस्त्र खाद्य उत्पाद, रसायन तथा रसायन उत्पाद, रबड़, प्लास्टिक पैट्रो तथा कोयला उत्पाद क्षेत्रों में हैं।

उद्योगों को बंद किए जाने के मुख्य कारण वित्तीय अभाव कच्चे माल और विद्युत की कमी तथा उत्पादों के लिए मांग में कमी थी।

(ङ) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश रुग्ण एककों को स्वस्थ एककों के साथ मिलाना, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशिष्ट उपबंध) अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुन:संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना करना आदि सम्मिलित हैं।

विवरण-I

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	रुग्ण/कमजोर लघु उद्योग एककों की संख्या	रुग्ण/कमजोर गैर-लघु उद्योग एककों की संख्या
1	2	3
अंडमान और निकोबार	31	—
आंध्र प्रदेश	12461	400
अरुणाचल प्रदेश	120	12
असम	11445	48
बिहार	26909	79
चंडीगढ़	156	14
दादरा और नगर हवेली	46	9
दमन और द्वीप	10	8
दिल्ली	3309	79
गोवा	161	14
गुजरात	5928	281

1	2	3
हरियाणा	2952	101
हिमाचल प्रदेश	893	30
जम्मू और कश्मीर	2002	9
कर्नाटक	5416	218
केरल	9017	76
मध्य प्रदेश	6072	163
महाराष्ट्र	9115	580
मणिपुर	5577	2
मेघालय	528	13
मिजोरम	41	5
नागालैंड	168	8
उड़ीसा	7444	60
पांडिचेरी	1052	15
पंजाब	1897	90
राजस्थान	7560	88
सिक्किम	25	1
तमिलनाडु	11602	285
त्रिपुरा	7170	3
उत्तर प्रदेश	21235	232
पश्चिम बंगाल	143893	241
कुल	304235	3164

विवरण-II

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बन्द किए गए गैर-लघु उद्योग रुग्ण/कमजोर एककों की संख्या 1998	रुग्ण/कमजोर लघु उद्योग एककों की संख्या 1999	रुग्ण/कमजोर गैर-लघु उद्योग एककों की संख्या 2000 (अनंतिम)
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार	0	0	0
आंध्र प्रदेश	0	2	3
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
आसाम	0	1	0
बिहार	4	3	0
चंडीगढ़	0	3	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0
दमन और द्वीप	0	0	0
दिल्ली	2	0	0
गोवा	2	4	4
गुजरात	34	14	19
हरियाणा	2	2	4
हिमाचल प्रदेश	0	0	4
जम्मू और कश्मीर	0	0	0
कर्नाटक	3	3	
केरल	0	9	
लक्षद्वीप	0	0	उपलब्ध नहीं
मध्य प्रदेश	4	9	0
महाराष्ट्र	1	0	0
मणिपुर	0	0	0
मेघालय	0	0	0
मिजोरम	0	0	0
नागालैंड	0	0	0
उड़ीसा	13	5	8
पांडिचेरी	21	5	17
पंजाब	1	51	0
राजस्थान	1	5	3
सिक्किम	0	0	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4
तमिलनाडु	7	2	2
त्रिपुरा	42	18	6
उत्तर प्रदेश	38	13	उपलब्ध नहीं
पश्चिम बंगाल	0	10	5
कुल	175	159	91

स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला

आपदा राहत कोष

599. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपदा राहत कोष के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के लिए कर्नाटक हेतु राज्य शेयर की कितनी राशि है तथा केन्द्र सरकार की कितनी राशि है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राहत उपायों के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले ही कितनी धनराशि जारी की जा चुकी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अपना शेयर जारी कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और यह धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसार कर्नाटक के लिए 2000-01 के लिए आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) से 74.57 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य का हिस्सा क्रमशः 55.93 करोड़ रुपये और 18.64 करोड़ रुपये था।

(ख) राज्य सरकार द्वारा आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) से किए जाने वाला व्यय "आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) के प्रशासन और संघटन तथा उससे किए जाने वाले निवेश" द्वारा अधिशासित किया जाता है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 06.01.2001 तक आपदा राहत कोष से 68.44 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

(ग) केन्द्र सरकार ने 55.93 करोड़ रुपये का अपना पूरा हिस्सा जारी कर दिया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों को मध्यावधि बीमा सुरक्षा

600. **श्री वी.एम. सुधीरन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने देश भर के बड़े उद्योगों, छोटी इकाइयों और आवासीय इकाइयों को मध्यावधि भूकम्प बीमा सुरक्षा देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में बीमा कम्पनियां कौन सी नीति अपना रही हैं;

(घ) क्या उक्त नीति अन्य प्राकृतिक आपदाओं में भी लागू होगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक अंतिम फैसला लिये जाने की संभावना है; और

(च) भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों के बीमा पालिसी धारकों के दावों के शीघ्र निपटान हेतु कौन से अन्य कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कम्पनियों की एसोसिएशन 'जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन' (जिप्सा) ने देश भर में स्थित सभी सम्पत्तियों को मध्यावधिक भूकम्प कवच की पेशकश करने का निर्णय लिया है। तथापि, ऐसा कवच देते समय निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं :

(i) भूकम्प सुरक्षा को मध्यावधि में शामिल करने के मामले में नकद या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रीमियम का भुगतान करना होगा और उसके लिए प्रीमियम अल्पावधिक मान पर प्रभारित किया जाएगा।

(ii) साधारण जोखिमों जैसे आवासीय इमारतों के मामले में संस्थांतर्गत सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा निरीक्षण के बाद ही जोखिम स्वीकृत किया जाएगा। तथापि, औद्योगिक जोखिमों/बहु-मंजिली इमारतों के मामले में, जोखिम की स्वीकृति बाह्य ढांचागत इंजीनियरों से संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही की जाएगी।

(iii) प्रीमियम की प्राप्ति के 15 दिन बाद भूकम्प के प्रति सुरक्षा-कवच अवधि शुरू होगी।

(घ) बाढ़, आंधी, तूफान, चक्रवात आदि जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध मध्यावधिक सुरक्षा के मामले में टैरिफ दिशा-निर्देश पहले ही उपलब्ध हैं।

(ङ) ऊपर प्रश्न (ख), (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) दावों के शीघ्र निपटान के लिए, बीमा कम्पनियों ने एक कार्य योजना बनाई है जिसमें दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा में ढील देना, सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए निश्चित समय-सीमा और पालिसीधारकों के लाभ के लिए पूर्णतया समन्वित प्रचार कार्यक्रम शामिल है।

अभयारण्यों के विकास हेतु निधियां

601. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य वन विभागों ने अपने-अपने राज्यों में अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और प्राणी उद्यानों के विकास हेतु ग्यारहवें वित्त आयोग से धनराशि मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य वन विभाग के लिए कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) क्या अपेक्षित धनराशि जारी कर दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) कुछ राज्य सरकारों ने वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों आदि के संरक्षण/विकास के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) को दिए गए 'स्तरोन्नयन और विशेष समस्या अनुदान' संबंधित अपने ज्ञापन में वित्तीय सहायता मांगी थी।

(ग) राज्यों की जरूरतों के उनके आकलन के आधार पर ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा वनों, राष्ट्रीय उद्यानों, झीलों और अभयारण्यों आदि के विकास/संरक्षण के लिए 2000-05 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश (राष्ट्रीय उद्यानों के लिए 13 करोड़ रुपये), मेघालय (वन संरक्षण/सुरक्षा उपयों के लिए 10 करोड़ रुपये), नागालैंड (इनटांकी राष्ट्रीय उद्यान और रंगापहार वन्य जीव अभयारण्य के वन्य जीवों की रक्षा हेतु उपायों के लिए 5 करोड़ रुपये), उड़ीसा (नन्दनकानन और चंदाका-दंपारा ईको-जूलोजिकल कॉम्प्लैक्स की पुन: स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये और चिलका झील में पर्यावरण अनुकूलन कार्यों में (ईको-रिस्टोरेशन वर्क्स) के लिए 30 करोड़ रुपये) और उत्तर प्रदेश (कुमाऊं क्षेत्र में झीलों के पुनर्नवीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये) (अब यह नवनिर्मित उत्तरांचल राज्य में पड़ता है) के अनुदानों की सिफारिश की है।

(घ) और (ङ) ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा स्तरोन्नयन और विशेष समस्या के लिए संस्तुत अनुदान का 25 प्रतिशत राज्यों को जारी किया जा चुका है। राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत कार्ययोजना और जारी की गई राशियों की उपयोगिता प्रस्तुत करने पर ही अनुदान की परवर्ती राशियां जारी की जाएंगी।

गुजरात के भूकम्प पीड़ितों को वित्तीय सहायता

602. श्री दिनशा पटेल :
श्री राधामोहन सिंह :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गुजरात में राहत कार्य के लिए आज की तारीख के अनुसार विभिन्न देशों/विदेशी वित्तीय संस्थाओं तथा घरेलू उद्योग और स्वैच्छिक संगठनों से अलग-अलग कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) ऋण का किस तरीके से भुगतान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) सरकार द्वारा इस सहायता के वितरण और उचित उपयोग पर नजर रखने हेतु क्या तंत्र बनाया जा रहा है; और

(घ) सरकार को गुजरात में राहत कार्य हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कक्ष में उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत सरकार से 500 करोड़ रुपये, 51 देशों तथा 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से 115 करोड़ रुपये, गुजरात के मुख्य मंत्री राहत कोष में दान स्वरूप प्राप्त 49.18 करोड़ रुपये, प्रधान मंत्री राहत कोष से स्वीकृत 10 करोड़ रुपये तथा अन्य राज्यों से वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त 48.68 करोड़ रुपयों को मिलाकर गुजरात सरकार ने कुल 722.86 करोड़ रुपये की नकद सहायता प्राप्त की है। ऋणों के रूप में प्राप्त कोई नकद सहायता उसके नियम एवं शर्तों के तहत अधिशासित की जाएगी।

(ग) राहत तथा पुनर्वास कार्यों में समुचित समन्वय स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति तथा मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह स्थापित किए हैं। गुजरात सरकार ने राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यों को करने के लिए एक गुजरात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित किया है।

(च) गुजरात सरकार ने 21,262 करोड़ रुपये की सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तियों के नुकसान का एक अस्थाई आकलन किया है।

प्राकृतिक रबड़ के मूल्य

603. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा 50,000 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद की घोषणा किए जाने के बावजूद बाजार में प्राकृतिक रबड़ का मूल्य कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने प्राकृतिक रबड़ के बैंचमार्क मूल्य को बढ़ाए जाने का भी आश्वासन दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या उपाय कर रही है;

(ङ) क्या खरीद एजेंसियों द्वारा ढिलाई बरते जाने के कारण बाजार में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ जमा हो गया है;

(च) यदि हां, तो क्या रबड़ उत्पादक सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है; और

(ज) न्यूनतम समर्थन मूल्य को कब तक निर्धारित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। प्राकृतिक रबड़ की मासिक औसत कीमत, जो दिसम्बर, 2000 में 28.67 रुपये प्रति किलोग्राम थी जनवरी, 2001 में घटकर 28.53 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी और 19.2.2001 को 27.50 रुपये प्रति किग्रा. पर है। बाजार में बेशी स्टाक की उपलब्धता और खपत करने वाले उद्योग द्वारा प्राकृतिक रबड़ की खपत में कमी होना इसकी गिरावट का कारण है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रबड़ बोर्ड के अनुमानों के अनुसार प्राकृतिक रबड़ के 1,84,000 मी. टन का निबल स्टाक बाजार में उपलब्ध है। तथापि, इस स्टाक की उपलब्धता खरीद करने वाली एजेंसियों की शिथिलता के कारण नहीं है अपितु यह अंतिम उपयोक्ताओं द्वारा प्राकृतिक रबड़ की कम खरीद के कारण है।.

(च) से (ज) प्राकृतिक रबड़ के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत को निर्धारित करना मुक्त बाजार काल में संभव प्रतीत नहीं है, प्राथमिक रूप मे कीमतें मांग और आपूर्ति संबंधी कारकों के द्वारा निर्धारित होती हैं। इसके अलावा अधिकांश कृषिजन्य फसलें जो न्यूनतम समर्थन कीमत रबड़ (एम एस पी) तंत्र के अंतर्गत आते हैं, में असमानता है, दीर्घ आयु पौध के साथ बारहमासी फसलें हैं और सामान्य तौर पर इसकी खेती उच्च मूल्य वाली फसलों के साथ की जाती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

604. डा. (श्रीमती) सुधा यादव :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिक्की के ताजा सर्वेक्षण के अनुसार बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत में निवेश करने को प्राथमिकता देती हैं;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में फिक्की और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने क्या सुझाव दिए हैं; और

(ग) सरकार ने भारत में विशेषत: ढांचागत क्षेत्र में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) और (ख) फिक्की ने भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों के अनुभवों के आधार पर एक सर्वेक्षण किया जिसमें उल्लेख किया गया है कि अधिकांश विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने के इच्छुक हैं। इस रुचि का कारण भारत में कम्पनियों के विकास की संभावना व इनकी लाभ प्रदत्ता है। भारत में उपलब्ध अन्य कारण ये हैं कानूनी रूपरेखा, बेहतर श्रमिक बल की उपलब्धता, आसानी से बाजार में प्रवेश, धन प्रवाह एवं लाभ को अपने देश में भेजने की सुविधा का होना।

(ग) सरकार ने पहले ही एक पारदर्शी, गतिशील एवं निवेश अनुकूल एफडीआई नीति बना रखी है, जिसमें एक संक्षिप्त सूची को छोड़कर सभी कार्यकलापों को 100 प्रतिशत तक एफडीआई हेतु स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत रखा गया है, जिसका आशय देश में अधिकाधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।

चीनी उद्योग को सरल ऋण

605. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चीनी उद्योग को चीनी विकास कोष से सरल ऋण देने के लिए कोई पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चीनी क्षेत्र को उदार बनाने तथा चीनी उद्योग को एक प्रमुख निर्यात क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) चीनी विकास निधि से गन्ना विकास और प्लांट तथा मशीनरी के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए चीनी इकाइयों को रियायती दर पर ऋण दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) चीनी क्षेत्र को उदार बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

(i) सरकार ने चीनी उद्योग से नियंत्रण समाप्त कर दिया है। उद्यमी अपने सर्वोत्तम वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार किसी भी क्षमता का नयी चीनी मिल लगाने अथवा अपनी मौजूदा मिलों की क्षमता में विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार द्वारा निर्धारित शर्त केवल यह है कि मौजूदा चीनी कारखाने और प्रस्तावित चीनी कारखाने के बीच त्रिज्यीय दूरी 15 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

(ii) सरकार ने चीनी उद्योग से चरणबद्ध ढंग से नियंत्रण हटाने का निर्णय लिया है। लेवी दायित्व को 1.1.2000 से 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने इसे 1.2.2001 से 30 प्रतिशत से और कम करके 15 प्रतिशत कर दिया है।

(iii) सरकार ने चीनी व्यापार को उदार कर दिया है और चीनी के मान्यता प्राप्त व्यापारियों के संबंध में स्टाक रखने की सीमा समाप्त कर दी है।

(iv) प्रत्येक पखवाड़े के दौरान मुक्त बिक्री के मासिक कोटे के कम से कम 47.5 प्रतिशत बिक्री करने के संबंध में प्रतिबंध था। सरकार ने उक्त प्रतिबंध हटा दिया है। इसके अलावा सरकार ने चीनी कारखानों को मासिक मुक्त बिक्री कोटे के 10 प्रतिशत तक को आगामी महीने में बेचने की इस शर्त के अध्यधीन अनुमति दी है कि यह बिक्री आगामी महीने की 7 तारीख से शुरू की जानी चाहिए।

चीनी के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं—

(i) निर्यात की जाने वाली चीनी को लेवी दायित्व से छूट दी गई है। यह छूट जो शुरू में पहली जून, 2000 से 6 माह के लिए थी उसे बढ़ाकर 31.3.2001 तक कर दिया गया है।

(ii) यह निर्णय भी लिया गया है कि वाणिज्यिक निर्यातों के लिए निर्यात की गई मात्रा को अग्रिम मुक्त बिक्री की रिलीज समझी जाएगी, जिसे रिलीज की तारीख से 12 महीने के बाद समायोजित किया जाएगा।

(iii) यह निर्णय लिया गया है कि वाणिज्यिक निर्यातों की चीनी की मात्रा के संबंध में यदि लेवी संबंधी छूट चीनी कारखानों द्वारा लेवी दायित्व पूरा कर लेने के कारण 1999-2000 के चीनी मौसम में नहीं ली जाती है तो संबंधित चीनी कारखाना यह छूट आगामी चीनी मौसम के उत्पादन में से लेगा।

(iv) चीनी के निर्यातों की जहाज पर्यंत नि:शुल्क कीमत की 5 प्रतिशत की दर पर डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गई है।

बकाया देयताओं का निपटान

606. **श्रीमती रेणुका चौधरी :**
श्री रामदास आठवले :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री जी.एस. बसवराज :
श्री सी.पी. राधाकृष्णन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रसार भारती द्वारा प्रसिद्ध व्यक्तियों की बकाया देयताओं के निपटान हेतु की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है और निर्माता/एजेंसी-वार ब्याज और अन्य देयताओं से बट्टे खाते डाली गई या अन्यथा निपटाई गई राशि कितनी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अर्थव्यवस्था पर भूकम्प का प्रभाव

607. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अर्थव्यवस्था पर हाल ही के भूकम्प का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या अर्थव्यवस्था पर इसके आर्थिक प्रभाव का आंकलन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गुजरात के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों के उद्योगपतियों की सहायता के लिए उनके मंत्रालय ने किस पैकेज की घोषणा की है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में उद्योगों को अगले दस वर्षों के लिए उत्पाद शुल्क से राहत प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो कच्छ और अन्य प्रभावित क्षेत्रों के वर्तमान उद्योगों की सहायता के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) गुजरात राज्य सरकार द्वारा यथाआकलित प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार भूकम्प से निजी सम्पत्तियों, घरेलू (रिहाइशी) संपदाओं, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक स्थापनाओं को क्षति हुई है। राज्य सरकार द्वारा सूचित रिपोर्ट के अनुसार इस क्षति से कुल 21262 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है। गुजरात में भूकम्प के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले किसी अप्रत्यक्ष प्रभाव को अर्थव्यवस्था द्वारा सहन किया जा सकता है।

(घ) से (च) गुजरात के प्रभावित क्षेत्रों के उद्योगों को दस वर्षों के लिए उत्पाद शुल्क से राहत प्रदान करने का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। तथापि, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों को राहत उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु अवधि उत्पादन ऋणों को मध्यम अवधि ऋणों में बदलने, मौजूदा आवधिक ऋणों के पुनःनिर्धारण तथा प्रतिभूति और मार्जिन (गुंजाइश) मानकों में छूट के साथ अतिरिक्त सक्रिय पूंजी उपलब्ध कराने के लिए सभी बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बहुमूल्य सामान की तस्करी

608. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री रामजी मांझी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्व आसूचना निदेशालय के महानिदेशक और सीमा शुल्क और उत्पाद कर के महानिदेशक (सतर्कता) और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आदेश दिया है कि उजबेकिस्तान मूल की एक महिला को एक वर्ष में अस्सी बार भारत यात्रा की तथाकथित स्वीकृति देकर बहुमूल्य सामान की तस्करी करने के मामले में हवाई अड्डे पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच कार्य पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) यदि नहीं, तो जांच कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(च) भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) सरकार ने नवम्बर, 2000 में राजस्व आसूचना निदेशालय के महानिदेशक तथा केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क के महानिदेशक, सतर्कता को जांच-पड़ताल करने के आदेश दिए थे जिसमें सीमा शुल्क अधिकारियों की मिली-भगत से कथित रूप से नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उजबेकिस्तान मूल की एक महिला को माल की तस्करी करने की तथाकथित रूप से अनुमति देने की जांच करना भी शामिल है। महानिदेशक (सतर्कता) की आरम्भिक जांच-पड़ताल रिपोर्ट के आधार पर कुछेक अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है। इसके अलावा, इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी भेज दिया गया है।

(च) नई दिल्ली स्थित इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निवारक एवं सतर्कता उपायों को सुदृढ़ बना दिया गया है।

दूरदर्शन द्वारा भूकम्प संबंधी समाचार उपलब्ध कराने में ढील

609. श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 26 जनवरी, 2001 को प्रातः 9 बजे गुजरात में विनाशकारी भूकम्प की त्रासदी घटी और दूरदर्शन ने इस त्रासदी से संबंधित समाचार को दोपहर के समय ही प्रसारित किया जबकि अन्य निजी चैनल त्रासदी की सूचना देने में आगे रहे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी की सूचना देने में दूरदर्शन अधिकारियों की ढील और अमानवीय व्यवहार की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दूरदर्शन के कार्यकरण में और अधिक सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) प्रसार भारती द्वारा यह सूचित किया गया है कि दूरदर्शन समाचार कार्यक्रमों आदि के प्रस्तुतीकरण में व्यावसायिक स्तर में सुधार लाने के लिए निरन्तर विभिन्न उपयुक्त कदम उठाता रहा है। दूरदर्शन अन्य निजी चैनलों से प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्तुतीकरण/कवरेज की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी क्षेत्रों से नवीनतम तकनीकें अपनाता है।

कर्मचारियों की बर्खास्तगी

610. **श्री गंता श्रीनिवास राव :**
डा. (श्रीमती) सुधा यादव :
श्री अरूण कुमार :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड के कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रबंधन द्वारा कितने कर्मचारियों को सेवा से निलम्बित/बर्खास्त किया गया;

(घ) क्या कम्पनी का प्रबंधन कर्मचारियों की अधिकांश मांगों को पूरा करने पर सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रबंधन द्वारा अब तक स्वीकृत/अस्वीकृत की गई मांगों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड के कर्मचारियों की मांगों में प्रोत्साहन योजना में संशोधन करना, कंपनी आधारित पेंशन योजना का गठन करना, गैर उत्पादन वाले क्षेत्रों में पर्यवेक्षक स्तर पर कामगारों को पदोन्नत करना और कंपनी में शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना शामिल है।

(ग) से (ङ) मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रबंधन और मारुति उद्योग कर्मचारी संघ ने 8 जनवरी, 2001 को एक समझौता किया है। समझौते की शर्तों के अनुसार, यूनियन और कामगारों ने दिनांक 11.10.2000 को कंपनी द्वारा लागू की गई उत्पादकता, निष्पादन और लाभदायकता से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को स्वीकार कर लिया है। अन्य सहमत शर्तों में प्रबंधन द्वारा आवश्यक सेवाओं से संबंधित 2? कामगारों, 21 प्रशिक्षु कामगारों और 5 अन्य कामगारों की सेवाओं को समाप्त करने वाले आदेशों को निरस्त करना शामिल था। सेवा से निकाले गए 24 कामगारों के संबंध में यह सहमति हुई थी कि कानून अपना कार्य करेगा। निलम्बित किए गए 10 कामगारों के मामलों में यह सहमति हुई थी कि प्रमाणित स्थायी आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

खाद्यान्नों का अतिरिक्त भंडार

611. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के अनेक गोदामों में और अन्य सरकारी भांडागारों में खाद्यान्नों का भंडार उनकी क्षमता से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस अतिरिक्त भंडार के रखरखाव पर वास्तविक रूप से कितना खर्च आता है;

(ग) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने हाल ही में इस संबंध में सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या सरकार को इस बात की भी आशंका है कि इन खाद्यान्नों का अन्यत्र प्रयोग हो सकता है; और

(छ) यदि हां, खाद्यान्नों के इस तरह अन्यत्र प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए क्या निवारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास समूचे देश में 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार कुल भंडारण क्षमता 30.07 मिलियन टन (अपनी और किराये की/ढकी हुई और कवर व प्लिंथ) है जबकि इसके पास 27.06 मिलियन टन स्टाक है और क्षमता के 90 प्रतिशत का उपयोग हो रहा है।

(ख) अधिशेष की मात्रा खाद्यान्नों की वसूली और उठान के स्तर के संदर्भ में भिन्न-भिन्न होती है। 31.1.2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 241.18 लाख टन गेहूं और 223.97 लाख

टन चावल का स्टाक था, जबकि गेहूं और चावल के लिए बफर मानदंड क्रमशः 84 लाख टन हैं। तथापि, अधिशेष स्टाक के रखरखाव पर वहन किए गए वास्तविक खर्च का पता वर्ष के अंत में और लेखाओं को अंतिम रूप देने के बाद ही चलेगा क्योंकि मात्राएं दैनिक आधार पर भिन्न-भिन्न होती हैं। बफर स्टाक की रखरखव लागत 2211 रुपये प्रति टन प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

मारुति के शेयरों की सुजुकी मोटर्स को बिक्री

612. **डा. मन्दा जगन्नाथ** : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड में सरकार की इक्विटी की बिक्री हेतु जापान की सुजुकी मोटर्स के साथ विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुजुकी मोटर्स लिमिटेड ने इक्विटी खरीदने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो सुजुकी मोटर्स लिमिटेड द्वारा इक्विटी खरीदने से इंकार करने के क्या कारण बताए हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार का किस प्रकार आगे बढ़ने का विचार है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) सरकार ने अभी तक सुजुकी मोटर कम्पनी लिमिटेड (एस.एम.सी.) के साथ कोई औपचारिक चर्चा नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने इस चरण पर सरकार के लिए परित्याग विकल्प के साथ जो भारतीय वित्तीय संस्थानों के पक्ष में हो सकते हैं, उपयुक्त आधार पर मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा शेयरों की पेशकश के प्रस्ताव पर सुजुकी मोटर कम्पनी लिमिटेड के साथ औपचारिक बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है।

भेल द्वारा विद्युत संयंत्र उपकरणों का निर्माण

613. **श्री मोइनुल हसन :**
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड उच्च और विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मक स्तर के विद्युत संयंत्र उपकरणों का निर्माण करने में सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में घटिया किस्म के विद्युत उपकरणों के कारण बड़ी मात्रा में बिजली बेकार चली जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार घटिया किस्म के विद्युत उपकरणों के निर्माताओं को दंडित करने के लिए कोई कानून बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। भेल, बी.आई.एस. (भारतीय मानक ब्यूरो) और आई.बी.आर. (इंडियन बॉयलर रेगुलेशन) के अलावा ए.एस.एम.ई. (अमरीकन सोसायटी ऑफ मेकैनिकल इंजीनियर्स), आई.ई.ई.ई. (इंटरनेशनल इलैक्ट्रिकल्स एंड इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियर्स), डी.आई.एन. (डचिस इंस्टीट्यूट फॉर नॉरमंग ई.वी.), आई.ई.सी. (इन्टरनेशनल इलैक्ट्रोटेक्निकल कमीशन) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बिजली उत्पादन (थर्मल, हाइड्रो, नाभिकीय और गैस आधारित) के लिए पावर प्लांट उपकरण तथा पावर ट्रांसमिशन के लिए सिस्टम्स और प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है।

गुणवत्ता प्रणाली से जुड़ जाने के लिए भावी कदम (उपाय) के रूप में सभी निर्माण इकाइयों को आई.सी.ओ. के लिए प्रमाणित किया गया है और प्रमुख यूनिटें भी अद्यतन आईएसओ 14001 पर्यावरण पद्धति के लिए योग्य हो गई हैं।

कंपनी ने 1978 से देशीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा (बिडींग) के लिए दिए गए सभी विद्युत संयंत्र क्रयादेशों का 86 प्रतिशत भाग प्राप्त कर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मकता सिद्ध कर दी है। इसने विश्व स्तर की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करके निर्यात बाजार में अनेक विद्युत संयंत्र उपस्कर क्रयादेशों को भी प्राप्त किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। विद्युत का अधिकांश भाग ऊर्जा के अपर्याप्त होने तथा घटिया उपस्करों/उपकरणों के कारण बर्बाद हो जाता है। अनुमान है कि देशीय क्षेत्र में 20 प्रतिशत की तथा कृषि और औद्योगिक प्रत्येक क्षेत्र में 25 प्रतिशत की बचत होगी।

(ङ) और (च) जी, हां। ऊर्जा संरक्षण बिल अधिनियम लागू होने के बाद सरकार को विभिन्न अधिसूचित उपस्करों और उपकरणों के लिए न्यूनतम ऊर्जा उपभोग मानदंड निर्धारण करने का अधिकार (empower) होगा। न्यूनतम उपभोग मानदंड का पालन न करने पर दंड देना पड़ेगा।

राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम

614. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार की अर्थोपाय अग्रिम सीमा में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों को जारी मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कदम राज्य वित्त सचिवों के अनौपचारिक समूह की सिफारिश पर उठाया गया था; और

(घ) यदि हां, राज्य सरकारों को धन प्रदान करने के संबंध में समूह की अन्य कौन सी सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) राज्य वित्त सचिवों के अनौपचारिक समूह की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 1 फरवरी, 2001 से लागू 'अर्थोपाय अग्रिम स्कीम (डब्ल्यू.एम.ए.), 2001' में यथा-निहित अर्थोपाय अग्रिम की सीमा में वृद्धि की है।

अर्थोपाय अग्रिम स्कीम, 2001 की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं—

(i) दिनांक 1 फरवरी, 2001 से सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा को बढ़ा दिया गया है।

(ii) विशेष अर्थोपाय अग्रिमों को भारत सरकार की प्रतिभूतियों में राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश से जोड़ा जाना जारी रहेगा।

(iii) ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम जो कि दिनांक 1 फरवरी, 2001 से राज्य सरकारों को लागू होगी, निम्नवत है—

(क) किसी भी राज्य को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लगातार 12 कार्य दिवसों से अधिक के लिए ओवरड्राफ्ट रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी राज्य के खाते में ओवरड्राफ्ट दिखता हो और लगातार 12 कार्य दिवसों से अधिक तक बना रहता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक और इसकी एजेंसियां संबंधित राज्य सरकारों की ओर से भुगतान को रोक देंगी। 12 दिनों तक विस्तार एक तदर्थ उपाय है तथा संवीक्षा के अधीन है।

(ख) ओवरड्राफ्ट सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। पहली बार जब यह एक वित्तीय वर्ष में बढ़ेगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक राज्य को सलाह देगा कि बाद के किसी भी अवसर पर ओवरड्राफ्ट राशि सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) उपरोक्त खंड (क) में कोई पक्षपात किए बिना यदि वित्तीय वर्ष के दौरान दूसरे और किसी परवर्ती अवसर पर ओवरड्राफ्ट की राशि अर्थोपाय अग्रिम सीमा से 100 प्रतिशत अधिक हो जाती है, तो राज्य को ओवरड्राफ्ट की राशि को सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 100 प्रतिशत के स्तर तक नीचे लाने के लिए केवल पांच कार्य दिवसों का नोटिस दिया जाएगा। यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो भुगतान रोक दिया जाएगा।

घरेलू उद्योगों पर बहुपक्षीय संधियों का प्रभाव

615. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, भारतीय घरेलू उद्योगों पर बहुपक्षीय संधियों का प्रभाव पड़ने के संबंध में, विश्व व्यापार संगठन से अपनी चिंता जताई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर विश्व व्यापार संगठन की क्या प्रतिक्रिया रही; और

(ग) इस विषय में किन-किन देशों ने भारत का पक्ष लिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) डब्ल्यू टी ओ के विभिन्न करारों के कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर भारत कुछ अन्य समान सोच वाले देशों के समूह ने

सीएटल में तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए डब्ल्यू टी ओ जैनेवा में प्रारंभिक प्रक्रिया में विकासशील देशों के अनेक कार्यान्वयन से संबंधित चिंताओं को सफलतापूर्वक तत्काल सुलझाने की मांग की है। सीएटल में अनिर्णायक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बाद डब्ल्यू टी ओ की सामान्य परिषद ने अपनी मई, 2000 की बैठक में विकासशील देशों के लिए विश्वास निर्माण अभ्यास के रूप में निर्णय लिया कि विकासशील देशों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को डब्ल्यू टी ओ कार्य कार्यक्रम के अनुसार निराकरण किया जाना चाहिए। यद्यपि अब तक कार्यान्वयन संबंधी चिंताओं को सुलझाने में केवल साधारण प्रगति हुई है सामान्य परिषद ने अपनी दिसम्बर, 2000 को हुई बैठक में इस बात को पुन: दोहराया कि विकासशील देशों की कार्यान्वयन संबंधित चिंताओं को कार्यक्रम के अनुसार निराकरण किया जाना चाहिए।

(ग) इस मुद्दे पर भारत का समर्थन विभिन्न विकासशील देशों ने किया है जिनमें ये शामिल हैं—मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, क्यूबा, पाकिस्तान, नाइजीरिया, डोमीनीकन रिपब्लिक, एलसाल्वाडोर, होंडूरास तथा उगांडा ने दिनांक 11.10.1999 के दस्तावेज संख्या डब्ल्यू टी/जी सी/डब्ल्यू 354 और 355 के तहत कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे पर भारतीय प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बजटीय सहायता

616. **श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष की बजटीय सहायता में कटौती करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस सीमा तक कटौती की जाएगी; और

(ग) बजटीय सहायता में कटौती करने के बाद सरकार का केन्द्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं अर्थात् दोनों के लिए ही समग्र सहायता के अनुमान की किस तरह से व्यवस्था करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) दिनांक 28 फरवरी, 2001 को वर्ष 2001-2002 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् स्थिति का पता लगेगा।

व्यापार के संबंध में भारत-रूस बैठक

617. **श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2001 के दौरान मास्को में व्यापार संबंधी भारत-रूस बैठक का आयोजन किया गया;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में चाय, तम्बाकू, चावल और गेहूं को खरीदने और उसका भुगतान रुपया-कोष (रूसी फंड) से करने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर रूसी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस बैठक का आमूल परिणाम क्या रहा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी भारत, रूसी अंत सरकारी आयोग के तत्वावधान में व्यापार और आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-रूसी कार्यकारी समूह का सातवां सत्र जनवरी, 2001 में मास्को में आयोजित किया गया था, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों, जिनमें पहले हुई बैठक के निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा, व्यापार और आर्थिक सहयोग की वर्तमान स्थिति और आगे परिवहन में सहयोग, बैंकिंग तथा वित्त और कृषि क्षेत्र इत्यादि से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, पर विचार किया गया था।

(ग) से (ङ) बैठक के दौरान चाय, तम्बाकू, चावल और गेहूं के निर्यात के मुद्दे पर विचार किया गया, जिसमें इस बात पर सहमति हुई कि 2001 के दौरान 100 मिलियन किग्रा. चाय का निर्यात करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी संभव उपाय करने की आवश्यकता जिसके लिए पूरे वर्ष नियमित वाणिज्यिक आधार पर खरीद की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह निर्णय किया गया था कि एसोसिएशन टेबोक्प्रोम ऑफ एशियन फेडरेशन और भारतीय तम्बाकू बोर्ड को तम्बाकू निर्यातों को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करने के लिए पारस्परिक विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। चावल और गेहूं के निर्यात के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि रूसी परिसंघ के कृषि मंत्रालय द्वारा चावल एवं गेहूं के आयात के लिए इच्छुक वाणिज्यिक संगठनों की चावल और गेहूं की मात्रा इत्यादि के संबंध में भारतीय वाणिज्यिक संगठनों के साथ आगे वार्ता करने के लिए अभिज्ञात किया जाएगा और उसकी एक सूची भारतीय पक्ष को दी जाएगी।

कुल मिलाकर बैठक के निष्कर्ष सकारात्मक रहे थे और दोनों पक्ष इस पर भी सहमत हुए कि व्यापार के क्षेत्र में और विविधीकरण तथा व्यापार के दुर्लभ मुद्रा में बढ़ाने की और जरूरत थी। इस संबंध में यह भी नोट किया गया था कि सॉफ्टवेयर गुड्स ग्रेनाइट, भेषजीय सामग्री, मशीन उपस्कर, विद्युत उपकरण, धात्विक परियोजनाएं, नागरिक विभाग, खनन सामग्री, चमड़ा एवं वस्तुएं, समुद्री उत्पाद इत्यादि के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संभावना थी।

चीनी नीति में संशोधन

618. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कटौती करने और चीनी के संबंध में वायदा व्यापार आरंभ करने के उद्देश्य से वर्तमान चीनी नीति में कतिपय परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बाजार और जनता पर इसका प्रभाव क्या रहा;

(घ) क्या सरकार ने चीनी मिलों की आर्थिक-व्यवहार्यता को सुधारने के लिए उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने, जहां तक लेवी चीनी के आपूर्ति का संबंध है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुन: संरचना करने का निर्णय किया है। आयकर निर्धारितों तथा उनके परिवार के सदस्यों को जुलाई, 2000 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लेवी चीनी की परिधि से बाहर कर दिया गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लेवी चीनी की आपूर्ति को 1.2.2001 से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए सीमित कर दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों/पहाड़ी राज्यों/द्वीप समूहों में रहने वाले लोगों में मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रति व्यक्ति, प्रति महीने दी जाने वाली लेवी चीनी की मात्रा को 425 ग्राम से बढ़ाकर 500 ग्राम कर दिया गया है, जिससे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को लाभ होगा।

सरकार ने चीनी में वायदा व्यापार शुरू करने का पहले ही निर्णय ले लिया है।

(ग) चूंकि परिवर्तित नीति केवल पहली फरवरी, 2001 से ही लागू हुई है, अत: बाजार तथा लोगों पर इसके प्रभाव को जानने का अभी समय नहीं आया है।

(घ) और (ङ) चीनी विकास निधि से ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता, गन्ना विकास और चीनी कारखानों से आवेदन/पत्राचार प्राप्त होने पर संयंत्र/मशीनरी के आधुनिकीकरण/पुन:स्थापना के लिए दिया जा रहा है।

आय कर कानून

619. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :
डा. अशोक पटेल :
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :
श्री रामजी मांझी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आयकर कानून में व्यापक सुधार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के महाधिवक्ता ने आयकर अपीली अधिकरणों की हीरकजयंती समारोह के अवसर पर इस संबंध में कोई टिप्पणियां की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया सहित ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वर्तमान कर प्रणाली को सरल बनाने और इसे अधिक प्रभावी बनाना एक चालू प्रक्रिया है। इस पर भी चालू बजट प्रक्रिया के दौरान विचार किया जा रहा है और इस संबंध में सरकार का निर्णय, यदि कोई होगा, तो उसे 28 फरवरी, 2001 को लोक सभा में पेश किए जाने वाले वित्त विधेयक, 2001 में शामिल किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, हां। (क) तथा (ख) में यथा निर्दिष्ट इस तरह के सुझावों पर चालू बजट प्रक्रिया के एक भाग के रूप में विचार किया जा रहा है और इस संबंध में सरकार का निर्णय, यदि कोई होगा तो उसे 28 फरवरी, 2001 को लोक सभा में पेश किए जाने वाले वित्त विधेयक, 2001 में शामिल किया जाएगा।

ऑटो उद्योग में नकारात्मक वृद्धि

620. **श्री राम मोहन गाड्डे :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के पिछले नौ महीनों में ऑटो उद्योग में नकारात्मक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) ऑटोमोबाइल सेक्टर ने वर्ष 1999 की समान अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 2000 के दौरान उत्पादन में कुल मिलाकर 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है। जबकि दोपहिया, तिपहिया और बहु उपयोगी वाहनों ने वृद्धि दर्शाई है। यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों ने उत्पादन में कमी दर्शाई है जो निम्नानुसार है—

(उत्पादन संख्या में)

श्रेणी	अप्रैल-दिसम्बर, 1999	अप्रैल-दिसम्बर, 2000
यात्री कार	422,080	358,785
बहु उपयोगी वाहन	84,925	88,231
वाणिज्यिक वाहन	121,835	102,938
तिपहिया	155,554	170,432
दोपहिया	2,694,843	2,859,784
कुल	3,479,237	3,580,170

कारों और वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन घटने का मुख्य कारण मांग की कमी का होना है। अर्थव्यवस्था में सुधार के अनुरूप मांग में वृद्धि होने की आशा है।

कर सुधार संबंधी एराडी समिति की रिपोर्ट

621. **श्री शिवाजी माने :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा क्षेत्र में कर सुधार के लिए सुझाव देने हेतु नियुक्त एराडी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उठाया गया मुद्दा प्रत्यक्ष कर उपबंधों से संबंधित है जिसके विभिन्न पहलुओं पर सरकार द्वारा वार्षिक बजट प्रक्रिया के एक भाग के रूप में विचार किया जाता है। इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया, यदि कोई होगी, तो उसे वर्ष 2001-2002 के लिए वार्षिक बजट प्रस्तावों में शामिल किया जाएगा।

(घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

भारत अल्यूमिनियम कंपनी का निजीकरण

622. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अल्यूमिनियम कंपनी (बाल्को) के निजीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बाल्को में अपनी हिस्सेदारी हेतु कौन-कौन सी निजी कंपनियां बोली में भाग ले रही हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) सरकार ने प्रबंधन नियंत्रण के स्थानांतरण के साथ स्टर्लाइट उद्योगों के पक्ष में बाल्को की 51 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश करने का निर्णय लिया है।

(ख) यह सामान्य मामलों में गैर महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयरधारिता को 26 प्रतिशत अथवा इससे नीचे लाने के सरकार की विनिवेश नीति के अनुसार ही है।

(ग) विनिवेश की प्रक्रिया प्रगति पर है। दो निजी पार्टियों ने पेश की गई सरकारी साझीदारी के लिए अपनी वित्तीय बोलियां अंतिम रूप से प्रस्तुत कर दी हैं और स्टर्लाइट उद्योग द्वारा लगाई गई उच्चतर बोली को स्वीकार कर लिया गया है।

पूर्वाह्न 12.01 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2001, जो 18 जनवरी, 2001

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 26(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3251/2001]

(2) (एक) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी, इंडिया, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी, इंडिया, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3252/2001]

(4) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3253/2001]

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं आर्थिक सर्वेक्षण, 2000-2001 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3254/2001]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया) : महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (क) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा से संबंधित वक्तव्य।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1998-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3255/2001]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): महोदय, श्री उमर अब्दुल्ला की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत दुग्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी) नियम 2000, जो 16 दिसंबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2720 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3256/2001]

(2) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 की उपधारा (5) के अंतर्गत जारी चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2001, जो 12 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 40(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3257/2001]

(3) चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश 2001 के पैरा 17 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 41(अ) जो 12 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें यह निर्देश देने का आदेश दिया गया है कि असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और केरल का प्रत्येक पंजीकृत उत्पादक एक वर्ष में स्वयं द्वारा उत्पादित चाय का कितना भी प्रतिशत भारत में चाय नीलामी के ऐसे आयोजनकर्ताओं जिन्हें नीलामी करने का लाइसेंस प्राप्त है

के नियंत्रण या तत्वावधान में होने वाली सार्वजनिक चाय नीलामी के माध्यम से बेचने के लिए स्वतंत्र है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3258/2001]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : महोदय, मैं विकास और विनियमन अधिनियम 1951 की धारा 29-ख की उपधारा (2ज) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 2(अ), जो 1 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 477(अ) में कतिपय संशोधन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धिपत्र जो 9 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 19(अ) (केवल हिन्दी संस्करण में) और का.आ. 20(अ) (केवल अंग्रेजी संस्करण में) में प्रकाशित हुआ था, सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3259/2001]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 919(अ), जो 19 दिसंबर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाईट्राइट पर अंतिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 920(अ), जो 20 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडोनेशिया में उद्भूत या वहां से निर्यातित फ्थैलिक एनहाइड्राइड पर अंतिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 922(अ), जो 21 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और हंगरी में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक पेपर पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर अंतिम प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 923(अ), जो 2 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या 93/20007 सीमाशुल्क का विखंडन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 931(अ), जो 26 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अहिभहित प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार रूस और चीन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित कतिपय श्रेणी/प्रकार के मिश्र धातु एवं गैर मिश्र धातु इस्पात की विलटों, बारों और राउन्डों पर अनन्तिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छ:) सा.का.नि. 932(अ), जो 26 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार रूस और चीन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित फेरो सिलिकान पर अनंतिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि 933(अ), जो 26 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सऊदी अरेबिया, ईरान, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में उद्भूत या वहां से निर्यातित सामान्यत: कास्टिक सोडा के नाम से ज्ञात सोडियम हाइड्रोक्साइड पर अनंतिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 934(अ), जो 26 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीनी जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से निर्यात किए गए स्ट्रोंथियम कार्बोनेट पर अनंतिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 935(अ), जो 26 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ में उद्भूत या वहां से निर्यातित एनलाइन पर अनंतिम रूप प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 936(अ), जो 26 दिसम्बर, 2000 के

भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय यूनियन और जापान में उद्‌भूत या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित थर्मल सेंसीटिव पेपर पर पहले लगाए गए अंतिम प्रति-पाटन शुल्क की दर को रुपये से डालर के रूप में परिवर्तित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 938(अ), जो 27 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और ताईवान में उद्‌भूत या वहां से निर्यातित नाईलान टायर कोर्ड फैब्रिक पर लगाए गए प्रति-पाटन शुल्क को यू.एस. डालर के रूप में निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 939(अ), जो 27 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में उद्‌भूत तथा भारत में आयातित पाली स्ट्रीन पर यू.एस. डालर के रूप में बताए गए शुल्क की दर पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 4(अ), जो 3 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित किए गए अनुसार यूरोपीय संघ और ताईवान में उद्‌भूत या वहां से निर्यातित बिस्फिनॉल-ए अनंतिम रूप से लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को वापस लेना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 28(अ), जो 22 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत या वहां से निर्यातित थ्योफीलीन और कैफीन पर अंतिम प्रति-पाटन शुल्क लगाना है, हालांकि यह दर अलग होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 29(अ), जो 22 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 5 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 14/99 सी. शु. को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 30(अ), जो 22 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 27/97-सी. शु. को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 34(अ), जो 24 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय गामा फैरिक ऑक्साइड पर दो वर्ष और छह महीने की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 45(अ), जो 31 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम फैरोसाइनाईड पर अनंतिम प्रति-पाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 46(अ), जो 31 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित थ्योफीलीन और कैफीन पर अनंतिम प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 47(अ), जो 31 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय संघ, चेक गणराज्य और कोरिया गणराज्य में उद्‌भूत या निर्यातित और भारत में आयातित सोडियम साइनाईड पर यू.एस. डालर में बताई गई शुल्क दर पर अंतिम प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 48(अ), जो 31 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीनी जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत या निर्यातित 3, 4, 5—ट्राईमेथोक्सी बेंजलडिहाईड पर अंतिम प्रति-पाटन शुल्क लगाना है, हालांकि यह दर अलग होगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 49(अ), जो 31 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 29 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना संख्या 46/99-सी. शु. को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3260/2001]

(2) बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 की उप-धारा

(6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) (तीसरा संशोधन) योजना, 2000, जो 29 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1172(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) (तीसरा संशोधन) योजना, 2000, जो 29 दिसम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1173(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(3) केन्द्रीय आबकारी अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 32 (अ), जो 22 जनवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उत्तर पूर्व में एककों पर लागू आबकारी शुल्क छूट की योजना से सिगरेट को हटाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3261/2001]

अपराह्न 12.02 बजे

लोक लेखा समिति

की गई कार्यवाही संबंधी विवरण

[अनुवाद]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : मैं लोक लेखा समिति (नौवीं लोक सभा) के 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वसूली के प्रेषण में देरी' के बारे में 16वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मैं नेशनल हाईड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

रेल अभिसमय समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल अभिसमय समिति का '2001-2002 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक मामले' से संबंधित दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 26 फरवरी, 2001 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।
3. कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2001 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और अध्यादेश का प्रतिस्थापन चाहने वाले विधेयक पर विचार और पारित करना।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :

(एक) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की बागडिगो खान में 30 कर्मचारियों की दुखद मौत।

(दो) बाल्को जैसी 'मिनी रत्न' सरकारी क्षेत्र की कंपनी का अत्यधिक कम मूल्य पर विनिवेश।

मंत्री जी उपस्थित हैं। उन्हें सभा को यह बताना चाहिए, उन्होंने इतने कम मूल्य पर बाल्को का विनिवेश क्यों किया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? क्या यह 'शून्य काल' है? यह एक अनुरोध है और सदस्य अभी अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया है। श्री विलास मुत्तेमवार।

(व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :

(एक) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने में सरकार की विफलता से उत्पन्न गंभीर स्थिति।

(दो) राजधानी दिल्ली में लोगों की जान और माल को प्रभावित करने वाली कानून और व्यवस्था की कथित रूप से बिगड़ती स्थिति।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय मैं अनुरोध करता हूं कि 26 फरवरी से शुरू सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित करने की कृपा करें :

"कारगिल युद्ध की समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा"

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें।

(एक) अजमेर जिले की विजयनगर नामक कस्बे में विगत एक वर्ष से स्थापित एवं सभी आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित टी.वी., एल.पी.टी. रिले केन्द्र के कर्मचारियों की नियुक्ति कर जनहितार्थ शीघ्र प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता।

(दो) राजस्थान में अजमेर स्थित छोटे से सार्वजनिक उपक्रम एच.एम.टी. की इकाई के हजारों कर्मचारियों के हितार्थ अधिकाधिक जोब एवं कार्य के आदेश प्रदान कर नियमित रूप से चलाए जाने की आवश्यकता। इसे किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जाए। धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़ने की कृपा करें :

(एक) दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत बोकारो थर्मल पावर स्टेशन और चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी लंबित मामले का निष्पादन तत्काल प्रभाव से करने की अपेक्षा।

(दो) झारखंड राज्य के बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिले के क्रमशः खैराचातर, दांतु, अंगवाली, भेण्डरा, तुपकाडीह, तेलो, पोरदाग, बांसपहाड़ (तोपचौची) प्रखंड के अंतर्गत नये टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना और इस क्षेत्र में अनियमित टेलीफोन व्यवस्था को नियमित करने की महती आवश्यकता। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एम. चिन्नासामी (करूर) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :

(एक) तमिलनाडु में मौजूदा राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तन और मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए पर्याप्त धनराशि के आबंटन की आवश्यकता।

(दो) तमिलनाडु में सभी गांवों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं

(एक) देश में बिजली संकट को देखते हुए डीजल जैसी अति महत्वपूर्ण कृषि उपयोग की सामग्री जो केरोसिन तेल से कम ज्वलनशील भी है उसे कृषि उपयोग की महत्ता की दृष्टि से केरोसिन तेल के समान गांव में वितरण की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे ताकि कृषकों का समय एवं धन बच सके।

(दो) कार्बेट नेशनल पार्क में हाथियों की हत्या हो या मध्य प्रदेश में सिवनी जिले के पैंच अभ्यारण्य में हाथियों की मृत्यु तथा शेरों का करन्ट द्वारा मारा जाना सभी तस्करों की कार्यवाहियां प्रतीत होती हैं। अतः नन्दनकानन वन की सामूहिक शेरों की मृत्यु हो या अन्य नेशनल पार्कों में वन्य जीवों की मृत्यु, यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा महसूस होता है। अतः इन प्रकरणों की जांच हेतु कड़े कदम सरकार उठाए। धन्यवाद।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषय जोड़े जाएं :

(एक) भूकम्प की संभावना को देखते हुए दिल्ली में अवैध निर्माण के जिम्मेदार अफसरों तथा बिल्डरों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

(दो) चांदनी चौक को दिल्ली की राजधानी का दिल होने के कारण इस ऐतिहासिक क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :

(एक) सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय चिकित्सा परिषद, 1956 में संशोधन की आवश्यकता।

(दो) प्राथमिकता के आधार पर सेतु सामुन्द्रय परियोजना को शुरू करने की आवश्यकता।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए :

(एक) मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने का भारतीय उद्योग पर प्रभाव।

(दो) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) का इस देश की कृषि पर प्रभाव।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में 'शून्य काल' आरंभ होगा। श्री मोहन रामराव जाधव।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.10 बजे

बाल्को के शेयरों की कथित बिक्री के बारे में

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, मैं आपका ध्यान सरकार के उस निन्दास्पद तथा निर्लज्ज भाव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिस भाव से इसने बाल्को को फेंक दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब कौन बोल रहा है? मैंने किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : यह अत्यधिक निन्दास्पद है। यह अत्यधिक निर्लज्ज बात है। मैंने यह मामला कल उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे कल उठाया था। आज फिर आप इसे उठा रहे हैं। यह क्या है?

श्री माधवराज सिंधिया : मैंने यह कल उठाया था परंतु मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला था। बाल्को एक 460 करोड़ रुपये के भंडार तथा अधिशेष वाली सरकारी क्षेत्र की कंपनी है। यह ऐसी कम्पनी है जो 110 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित कर रही है। 7000 कर्मचारी परेशानी में पड़ जाएंगे। उनके भविष्य के बारे में क्या ख्याल है?

एक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की गई है जिसका कहना है कि भंडार और अधिशेष विषयेत्तर मामले हैं। वह केवल नियत संपत्तियों का मूल्यांकन करता है। वह किस प्रकार का मूल्यांकनकर्ता है? बाजार के शेयर पर कोई विचार नहीं किया गया। बाजार शेयर का 15 प्रतिशत बाल्को का शेयर है। मूल्यांकनकर्ता पूछता है : "बाजार का हिस्सा क्या है?" वह नहीं जानता कि बाजार का शेयर क्या है। वह कहता है कि ये विषयेत्तर मामले हैं। इस तरीके से हमारी सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के साथ खिलवाड़ की जा रही है।

[हिन्दी]

नि:संदेह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें यह जानकारी अखबारों से प्राप्त होती है। यह सरकार पूरी तरह से खिलवाड़ कर रही है, हमारे देश के हीरे-जवाहरातों को फेंक दिया जा रहा है। जो 7000 मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, यह उनकी रोजी-रोटी का सवाल है और अगर हम यहां इस मामले को न उठाएं तो हम अपने कर्त्तव्य का निर्वाह नहीं करते हैं। इसलिए हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि यह सेल बंद कर दी जाए जब तक इस पर यहां डिसकशन न हो। हम चाहते हैं कि यहां डिसकशन हो, उसके बाद विस्तृत जानकारी सरकार सदन को दे और अगर संतोषजनक जवाब न हो तो यह सेल न किया जाए। जल्दबाजी में सेल करने का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने यह कहा कि हम घाटे की यूनिट सेल करने के लिए बास्केट बनाना चाहते हैं जिसमें मुनाफे वाली यूनिट भी डालना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि एक भी घाटे की यूनिट सेल नहीं कर रहे हैं और जो यूनिट मुनाफा कमा रही हैं, जिसके रिजर्व और सरप्लस 460 करोड़ रुपये के हैं, ऐसे यूनिट को उठाकर फेंका जा रहा है। यह इतनी बड़ी कंपनी है कि हमारे वैल्यूअर ने 11 दिन में वैल्यूएशन किया है और ये कहते हैं कि हम रिजर्व और सरप्लस को...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया, सदस्य और भी हैं जो बोलना चाहते हैं। अन्य सूचनाएं भी हैं।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : हमारे 7000 मजदूर मजबूर हैं।... *(व्यवधान)* मंत्री जी ने कहा है कि एक साल के लिए रिट्रेन्चमेंट नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिए यहां हैं।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : मगर फिर भी हम पूछना चाहते हैं कि एक साल के बाद जो वालंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू की जाएगी, या तो रिट्रेन्चमेंट फेस करो या वीआरएस लो। इसलिए 7000 मजदूरों के लिए हम कहना चाहते हैं कि इस तरह की बातें न हों। जल्दबाजी में देश के कीमती हीरे-जवाहरातों को रद्दी की टोकरी में सिर्फ इसलिए न फेंक दिया जाए कि ये अपना घाटा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फिस्कल डैफिसिट को, सरकारी खर्च को पूरा करने के लिए 7000 मजदूरों का बलिदान किया जा रहा है और ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम उस पर जवाब चाहेंगे।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बाल्को को बेचना इस सरकार द्वारा उद्योगपतियों के दबावों के सामने आत्मसमर्पण करने का एक और उदाहरण है। ऐसी कहानियां हैं कि उन्होंने स्टर्लाइट कम्पनी के मालिक को वचन दिया है कि बाल्को उन्हें दे दी जाएगी। उसी उद्देश्य के अनुसार उन्होंने कार्यवाही की। मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल स्टर्लाइट कम्पनी के मालिक के हितों में सहायता पहुंचाने के लिए चलाई गई। हम सभी दस्तावेज इस सभा के पटल पर रखने के लिए तैयार हैं। यह दूसरी बार है जब यह सरकार स्टर्लाइट कम्पनी के हित में कार्य कर रही है। हो सकता है कि यह बर्बादी के पथ पर चल रही हो।

बाल्को एक धनी कम्पनी है। इसने 104 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ अर्जित किया है। अब इसके 51 प्रतिशत शेयरों को बेचने का निर्णय लिया गया है। विनिवेश आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रमुख क्षेत्र के 40 प्रतिशत से अधिक शेयरों का विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए। तो सरकार ने बाल्को के 51 प्रतिशत शेयर बेचने का निर्णय लिया है...*(व्यवधान)* वे इसे पूरी तरह बेच रहे हैं। परन्तु बाजार की अपनी 'क्लोज अप स्टोरी' होती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल आपने चर्चा आरम्भ की है। यह 'शून्य काल' है। आप मुद्दों का जिक्र कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : कुछ मंत्री इस कम्पनी के साथ घुले-मिले हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कह रहे हैं कि सरकार को क्या निर्णय लेना है।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : इस सरकार के कुछ मंत्री न केवल वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए अपितु इस विशेष उद्योग समूह को लाभ पहुंचाने के लिए इसके साथ मिले हुए हैं।...*(व्यवधान)* ऐसा करने का उन्होंने जुगाड़ बैठा लिया है।...*(व्यवधान)* मैं इस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता हूं...*(व्यवधान)* मंत्री जी को इस सभा को एक स्पष्टीकरण देना है कि कैसे और क्यों ऐसा अनर्थकारी और विध्वंसक निर्णय लिया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री लक्ष्मण सेठ, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री समर चौधरी और डा. रघुवंश प्रसाद सिंह भी इसके साथ अपने आपको संबद्ध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.16 बजे

इस समय श्री अवतार सिंह भडाना और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : आप सरकार से कोई उत्तर नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री से कोई उत्तर नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी को उत्तर देने के लिए कह रहा हूं परन्तु आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने मुद्दा उठाया है और मैं मंत्री जी को

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उत्तर देने के लिए कह रहा हूं। परन्तु आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको मंत्री जी से कोई उत्तर नहीं चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है। आपने एक बात उठाई है। मैं मंत्री जी से उत्तर के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : परन्तु आप मंत्री जी को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। क्या सभा में अनुपालन की जाने वाली यही संसदीय प्रक्रिया है? मंत्री जी आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे का उत्तर देने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को उत्तर क्यों नहीं देने दे रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए। आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और मंत्री जी उत्तर देने जा रहे हैं। परन्तु आप मंत्री जी को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। क्या 'शून्य काल' के दौरान सभा में अपनायी जाने वाली यही प्रक्रिया है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सरकार से उत्तर नहीं चाहते?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आम परम्परा तो यह है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण मामला शून्य काल के दौरान उठाया जाता है तो सामान्यत: मंत्री जी उत्तर देते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने मामला उठाया है परन्तु आप जो मंत्री कहना चाहते हैं, उसे नहीं सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? यह एक विचित्र स्थिति है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 3.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.19 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[हिन्दी]

अपराह्न 3.35

लोक सभा तीन बजकर पैंतीस मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य लिए जाएंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

अपराह्न 3.35½ बजे

(एक) भारत का उच्चतम न्यायालय (नागपुर में एक न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागपुर में उच्चतम न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नागपुर में उच्चतम न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विलास मुत्तेमवार : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।**

---

*भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-2, दिनांक 23.2.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.36 बजे

(दो) राजभाषा (संशोधन) विधेयक* (धारा 3 आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजभाषा अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.36½ बजे

(तीन) विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी.एस. बसवराज (तुमकुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सभी विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में सभी विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एस. बसवराज : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

(चार) विवाह (व्यय पर निर्बंधन) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी.एस. बसवराज (तुमकुर) महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विवाहों पर व्यय का निर्बंधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विवाहों पर व्यय का निर्बंधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एस. बसवराज : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 248 आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरेश कुरुप : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

(छह) अवैध अप्रवासी (पहचान और विवासन) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें विवासित करने हेतु एक आयोग गठित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें विवासित

---

*भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-2, दिनांक 23.2.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-2, दिनांक 23.2.2001 में प्रकाशित।

करने हेतु एक आयोग गठित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

(सात) कारखाना (संशोधन) विधेयक*
(धारा 51 आदि का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि कारखाना अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण चौहान : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.40½ बजे

(आठ) जांच आयोग (संशोधन) विधेयक*
(धारा 3 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

(नौ) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*
(धारा 77 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41½ बजे

(दस) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक*
(धारा 5 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन

---

*भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-2, दिनांक 23.2.2001 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

*भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-2, दिनांक 23.2.2001 में प्रकाशित।

करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.42 बजे

(ग्यारह) बेरोजगारी भत्ता संदाय विधेयक*

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते का संदाय और तत्संबंधी विषयों पर उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते का संदाय और तत्संबंधी विषयों पर उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.43 बजे

(बारह) संविधान (संशोधन विधेयक*
(अनुच्छेद 200, आदि का संशोधन)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-2, दिनांक 23.2.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.44 बजे

(तेरह) बालक श्रम उत्सादन विधेयक*

[अनुवाद]

श्री जी.एस. बसवराज (तुमकुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालक श्रम का उत्सादन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि बालक श्रम का उत्सादन करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एस. बसवराज : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.45 बजे

(चौदह) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक*
(धारा 4 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-2, दिनांक 23.2.200 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.45½ बजे

(पन्द्रह) उपभोक्ता संरक्षण (प्राइवेट सेक्टर में विनिर्मित उत्पादों की कीमत अवधारण) विधेयक*

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्राइवेट सेक्टर में विनिर्मित उत्पादों की कीमतों के अवधारण के लिए एक ब्यूरो की स्थापना करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्राइवेट सेक्टर में विनिर्मित उत्पादों की कीमतों के अवधारण के लिए एक ब्यूरो की स्थापना करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वी. सरोजा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करती हूं।

अपराह्न 3.46 बजे

(सोलह) घरेलू कर्मकार (सेवा शर्तें) विधेयक*

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि घरेलू कर्मकारों की मजदूरी का नियतन और उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि घरेलू कर्मकारों की मजदूरी का नियतन और उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वी. सरोजा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करती हूं।

---

*भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-2, दिनांक 23.2.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.47 बजे

(सत्रह) राष्ट्रीय बाल आयोग विधेयक*

[अनुवाद]

डी. वी. सरोजा (रासीपुरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वी. सरोजा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करती हूं।

अपराह्न 3.48 बजे

(अठारह) आयकर (संशोधन) विधेयक*
(धारा 1, आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

*भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-2, दिनांक 23.2.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.48½ बजे

(उन्नीस) उत्तरांचल राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक*

[हिन्दी]

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरांचल राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि करने तथा इसके संसाधनों का विकास, विदोहन और उचित उपयोग करने के प्रयोजनार्थ विशेष वित्तीय सहायता देने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उत्तरांचल राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि करने तथा इसके संसाधनों का विकास, विदोहन और उचित उपयोग करने के प्रयोजनार्थ विशेष वित्तीय सहायता देने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हरपाल सिंह साथी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.49½ बजे

(बीस) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन विधेयक*

(नये अनुच्छेद 68क आदि का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.50 बजे

(इक्कीस) संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

(नए अनुच्छेद 75क, आदि का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति जी, मैंने संविधान संशोधन विधेयक इस सदन के सामने पारित करने के लिए प्रस्तुत किया है। 1989 से लेकर 1999 तक पिछले दस साल में पांच चुनाव हमारे देश में हो गए हैं और 1989 से लेकर 1999 तक किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत इस देश में नहीं मिला है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, सरकार की तरफ से इस वाद-विवाद का उत्तर कौन दे रहा है?

सभापति महोदय : श्री संतोष कुमार गंगवार माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : तो वह विधि-मंत्रालय के मामलों को भी देखने में सक्षम हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, 1989 से लगातार मिली-जुली सरकारें इस देश में चल रही हैं और बार-बार चुनाव इस देश में हो रहे हैं। हमारा देश गरीब और प्रगतिशील देश है। आज भी हमारे देश में पीने के पानी की, शिक्षा की तथा सड़कों की समस्या है और लगातार हजारों करोड़ों रुपये चुनाव पर खर्च हो रहे हैं। जो धन राष्ट्र के विकास पर लगना चाहिए था वह धन चुनाव पर खर्च हो रहा है। पूरे देश के अंदर एक प्रकार की राजनैतिक अस्थिरता का निर्माण हो गया है और भविष्य में भी हमें मिली-जुली सरकारें ही देखनी पड़ेंगी। आज यह स्थिति किसी पार्टी की नहीं है कि एक पक्ष की सरकार भविष्य में होगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या यह इशारा बीजेपी की तरफ है?...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : यह सभी को है। जो वास्तविकता है, उसे कबूल करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

---

*भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-2, दिनांक 23.2.2001 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : गीते जी, आप टोकाटोकी में मत पड़िए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : राजनैतिक अस्थिरता के कारण हमारी अर्थव्यवस्था भी आज दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। आप और हम ग्यारहवीं लोक सभा से यहां हैं। आप तो मुझसे भी पहले से होंगे। हमने सरकार बनते हुए भी देखी है और गिरते हुए भी देखी है।

सभापति जी, जो लोग सरकार गिराने के लिए एकत्र होते हैं, वे बनाने के लिए नहीं होते। सरकार गिराने के लिए सारे एक साथ हो जाते हैं लेकिन बनाने के लिए कोई साथ नहीं आता। इसका नतीजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : पीएमके चला गया, टीडीपी क्यू में है और बाकी इंतजार में हैं। हम क्या कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* हम कुछ नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : दासमुंशी जी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* आप हमेशा के लिए विपक्ष में बैठ सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसके लिए हमें आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : बार-बार जो सरकारें गिराने का प्रयास हो रहा है, उन्हें आप रोक सकते हैं। इसका नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हर डेढ़-दो साल में चुनाव आ रहे हैं और हजारों-करोड़ रुपये इन चुनावों पर ऑफिशियली खर्च हो रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, इसलिए हम संविधान में यह संशोधन यहां लाए हैं। जब कोई सरकार अल्पमत में आती है तो अविश्वास प्रस्ताव की बजाय विश्वास प्रस्ताव इस सदन में लाया जाए। इस सदन के बहुमत से नेता को चुना जाए और नेता के चयन पर महामहिम राष्ट्रपति जी से प्रार्थना की जाए कि उन्हें प्रधान मंत्री पद पर नियुक्त करें। इसीलिए हम यह संशोधन लाए हैं। जब भी पहले सरकार गिरी है तो गिराने के लिए हमने सबको इकट्ठे होते देखा है, लेकिन बनाने के लिए पार्टियां साथ नहीं आतीं, इसलिए हमने संविधान में यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

सभापति जी, यदि सरकार अल्पमत में आती है और यह सदन अपना नेता नहीं चुन सकता तो इस सदन को चार मास के लिए स्थगित किया जाए और चार मास के भीतर महामहिम राष्ट्रपति जी फिर एक बार सदन को बुलाएं। इस सदन के नेता का चयन करने के लिए फिर एक बार अवसर दिया जाए। बार-बार के चुनाव के कारण हमारी जो करोड़ों रुपयों की धन की हानि हो रही है, उसे टालने की आवश्यकता है। अभी कुछ ही दिन पहले गुजरात में भयानक भूकम्प आया। उसमें लगभग 13500 करोड़ की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है और लगभग 14,000 से 15,000 तक जीविन हानि हुई है। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हर साल हमारे देश पर आती हैं—कहीं बाढ़ आती है, कहीं पर सूखा, कहीं चक्रवात है और हर साल सरकार को उसका सामना करना पड़ता है।

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति जी, हमारे देश में आज भी 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण लोग हैं और हमारा देश आज भी किसानों और गरीब मजदूरों का देश है। हमारे देश में बेरोजगारी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और विकास के काम धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। जब बजट का समय आता है तो देश के हर नागरिक के मन में यह भय होता है कि अब टैक्स और सरचार्ज बढ़ेगा, पैट्रोल और डीजल महंगा होगा जिससे यातायात महंगा होगा और इसका सारा बोझ गरीबों पर पड़ेगा। इसलिए जब ऐसी स्थिति हमारे देश की है और वित्तीय कठिनाइयों का सामना हमारा देश कर रहा है तो ऐसी स्थिति में बार-बार का चुनाव इस देश के हित में नहीं है। चुनाव पर करोड़ों रुपयों का व्यय होना, देश के अंदर राजनैतिक अस्थिरता का पैदा होना, इन सारी बातों से सारी दुनिया हमारी तरफ आशंका की दृष्टि से देखती है। जब सरकार चल रही है और उसने अपना कोई कार्यक्रम तय किया है, पॉलिसी तय की है लेकिन लोगों के मन में आता है कि इस सरकार ने जो कार्यक्रम बनाया है अगर यह सरकार चली जाती है तो आने वाली सरकार उस कार्यक्रम पर अमल करेगी या नहीं। इन सारी बातों का हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए यह संविधान संशोधन हमने सदन के सामने रखा है। मुझे विश्वास है कि इस संशोधन पर सदन के सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस संशोधन का सारा सदन समर्थन करेगा।...*(व्यवधान)* कोई भी सदस्य यह नहीं चाहता है कि बार-बार चुनाव हों। चुनाव बार-बार आने से जो धनराशि गरीबों की शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के विकास में लगनी चाहिए वह चुनावों पर खर्च हो जाती है। इसलिए बार-बार चुनावों का होना देश के हित में नहीं है। इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि चर्चा के बाद यह सदन एकमत से इसका समर्थन कर इसे पारित करे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता, उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, उनके अपने विचारों के अलावा, माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्वाचन आयोग की पचासवीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर अपने भाषण में भी इसी तरह की बात कही थी, मैं मानता हूं कि इस मामले को पूरी गंभीरता और प्राथमिकता के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री अनंत गीते भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से हैं, वे भी इसके सहयोगियों में से एक हैं।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : सभापति महोदय, मैं माननीय श्री अनंत गंगाराम गीते द्वारा संशोधित रूप में प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह सच है कि पिछले दस या ग्यारह वर्षों से सदन में बहुमत पाने के लिए विचार, सिद्धांतों और उपलब्धियों के साथ समझौता किया गया है जिसके फलस्वरूप भारतीय राजनीति में अधोगामी प्रकृति उत्पन्न हो गई है, यही कारण है जो कुछ उन्होंने कहा वह बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के कतिपय उपबंधों में संशोधन करने की आवश्यकता है। उन्होंने अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 175 की ओर इशारा किया है। जब हम अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 85 में संशोधन के बारे में सोचते हैं तो आवश्यक परिवर्तनों सहित यह अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 175 पर भी लागू होगा। यहां मैं भारत के संविधान के कतिपय अस्पष्ट क्षेत्रों की ओर आपका ध्यान आमंत्रित करना चाहूंगा।

संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि सभा को छोटे-छोटे मुद्दों पर जल्दी-जल्दी भंग कर दिया जाएगा या इसका कार्यकाल इस बावत पांच वर्ष से अधिक समय तक बढ़ाया जाएगा जैसा कि ऐसा एक बार किया गया था। उन्होंने सोचा था कि सदन के सदस्य सत्यनिष्ठ मूल्यों वाले और शिक्षित व्यक्ति होंगे, जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त के निधन संबंधी उल्लेख के माध्यम से ऐसा इंगित किया गया था कि इस सदन के सदस्यों के नैतिक मूल्य अपनी अधोगति तक आ गए हैं। इसलिए, अब इस बात की आवश्यकता है कि संविधान के बारे में पुनर्विचार किया जाए।

भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हाल ही में इस मुद्दे पर कार्य करने का इशारा करते हुए कहा कि संविधान में जनप्रतिनिधि सभा, अर्थात लोक सभा के लिए एक निर्धारित कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कुछ संशोधन किए जाने चाहिए। मेरा कहना है कि वर्तमान स्थिति में संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के इन कतिपय अस्पष्ट क्षेत्रों के बारे में व्याख्या करने की आवश्यकता है। डा. बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया, ने इस बारे में सोचा था। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह दूरदृष्टि वाले थे। उन्होंने सोचा कि यहां अवनति होगी और यही कारण है कि उन्होंने संविधान में कतिपय विचारों को शामिल किया था, मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 83 की ओर आमंत्रित करता हूं जिसके बारे में पहले ही श्री गीते कह चुके हैं, अनुच्छेद 83 खंड (2) में यह उल्लेख किया गया है :

"लोक सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन की नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी।"

इस समस्या का दारोमदार तीन शब्दों पर है 'अनलेस सूनर डिजोल्वड', मेरा कहना है कि इन तीन शब्दों में ही संशोधन करना चाहिए। हमें इन शब्दों का संविधान से लोप कर देना चाहिए, ताकि इसका कार्यकाल स्वत: ही पांच वर्ष का हो जाएगा।

यदि इसका कार्यकाल पांच वर्षों का होता है तो हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? इसी के बारे में उन्होंने सोचा था।

तब क्या होगा जब मंत्री परिषद में विश्वास मत की बारी आती है? मेरी विनम्र राय में, यदि मंत्री परिषद सभा का विश्वास खो देती है तो सभा को एक वैकल्पिक नेता का चुनाव करना चाहिए। यही बात है कि उन्होंने सुझाव दिया। विश्वास खोने पर विश्वास में मत। यदि आप किसी को विश्वास मत द्वारा बाहर करने जा रहे हैं तो आपको जो अगला नेता होगा उसका भी पता लगा लेना चाहिए। इस बहुदलीय प्रणाली में वर्तमान समय में हमारे देश के लिए मैं समझता हूं कि जर्मन प्रणाली उचित होगी, क्योंकि यहां बहुदलीय प्रणाली है। केन्द्र में सत्ता में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दल भाग ले रहे हैं। इसलिए 'विश्वास मत-अविश्वास मत' उपायों को अपनाया जा सकता है जैसा उन्होंने संविधान संशोधन विधेयक में सही संकेत दिया है। लेकिन मैंने ऐसा पहले ही कह दिया कि हमें संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों के बारे में सोचना चाहिए।

संविधान के अस्पष्ट भाग हैं संविधान के अनुच्छेद 85 तथा 86 जहां राष्ट्रपति को किसी एक सभा या दोनों ही सभाओं को किसी विशेष निर्णय लेने के बारे में निदेश देने का अधिकार है, मैं आपका ध्यान 12वीं लोक सभा की ओर आमंत्रित करना चाहता हूं जबकि भारत के राष्ट्रपति ने निदेश दिए थे कि बजट पारित किया जाना चाहिए। और कोई प्रावधान नहीं था लेकिन उन्होंने उचित जगह पर उचित निदेश दिए, इसलिए हमें अनुच्छेद 85 और 86 का अर्थ उस तरह से लिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 85 क्या उल्लेख करता है? सभापति महोदय, आपकी अनुमति से क्या मैं अनुच्छेद 85 के खंड 2 को पढ़ सकता हूं?

"(2) राष्ट्रपति समय-समय पर

(क) सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा;

(ख) लोक सभा का विघटन कर सकेगा।"

वे लोक सभा को भंग कर सकते हैं। यह उनका विवेकाधिकार है और इस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। यह वादयोग्य नहीं है और इसे कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए मेरा मुद्दा जिस पर मैं माननीय सदस्यों और देश को अवगत कराना चाहता हूं वह यह है कि राष्ट्रपति सदन का विघटन करने से इंकार करके अथवा किसी भी ढंग से किसी विशेष निर्णय लेने से इंकार करके अपने विवेक

से काम ले सकते हैं और राष्ट्रपति दूसरे नेता को चुनने के लिए सदन से कह सकते हैं। इसका अनुच्छेद 86 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मैं अनुच्छेद 86 के खंड (2) पर पुनः प्रकाश डालता हूं। खंड 2 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह उल्लेख है :

"राष्ट्रपति, संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, संसद के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा।"

यह शब्द 'कोई अन्य संदेश' बहुत महत्वपूर्ण है। यहां यह उल्लेख नहीं किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए 'कोई अन्य संदेश' का क्या अर्थ है। यह नेता का चुनाव करने के लिए लोक सभा को एक निदेश हो सकता है। यह शब्द अन्य संदेश विचार और दृष्टिकोण से ओत-प्रोत है। यह अस्पष्ट क्षेत्र है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं यह कहा गया है कि :

"या जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा।"

श्री गीते ने जो कहा है वह किसी निर्णय के बारे में पुनर्विचार करने के लिए चार माह की अवधि के बारे में है। पुलिस में या सेना में इसे उपशमन अवधि कहते हैं। उपशमन अवधि क्यों दी जाए? भारत के राष्ट्रपति कह सकते हैं कि आप सात या दस दिन का समय लें और इस पर विचार करें। यह इस शब्द 'अन्य संदेश' का संदेश है। वह कह सकते हैं कि 'आप अपने नेता का चुनाव करें और उसे प्रधान मंत्री बनने दें और प्रधान मंत्री अपनी मंत्रिपरिषद को चुनेगा।' इस तरह पहला संशोधन तो यह होना चाहिए कि 'यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है' का लोप किया जाए और अनुच्छेद 85(2) में इस 'अन्य संदेश' शब्द की व्यापक व्याख्या की जाए। इससे सदन का कार्यकाल पांच वर्षों तक रखने में मदद मिलेगी और इससे बाद में कोई समस्या उतपन्न नहीं होगी। संविधान के ढांचे में, कम से कम संशोधन करके हम श्री गीते के उनके गैर सरकारी सदस्य के विधेयक में उल्लिखित उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं। यदि कोई विश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति से प्रधान मंत्री चुना जा सकता है। यदि दूसरे व्यक्ति को प्रधान मंत्री के रूप में नहीं चुना जाता है जैसा कि श्री गीते ने उल्लेख किया है तो यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, कि वह सदन का विघटन करे। इससे काफी व्यय और काफी परेशानियों से बच जाएंगे। इससे राजनीति के अपराधीकरण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। चुनाव काफी खर्चीले हो गए हैं और अपराधीकरण बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए, जब मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ था तो मैंने कहा था कि मैं संशोधित रूप में इसका समर्थन करता हूं। इस सबके बावजूद इस संविधान में गत पचास वर्षों में अनेक उतार-चढ़ाव देखे गए।

मुझे लॉर्ड रोचेस्टर का दोहा याद आ रहा है। उन्होंने बड़े सुन्दर ढंग से राजा के बारे में कहा है। यदि वही बात पचास साल और जारी रहती है तो मैं समझता हूं कि संविधान का भी वही अर्थ रह जाएगा जो लॉर्ड रोचेस्टर ने राजा के बारे में अपनी कविता में कहा है। उन्होंने कहा है :

"हेयर लाइज आवर सोवरिन लार्ड, द किंग
हूज वर्ड नो मैन रिलाइज अपान
ही नेवर सेज ए फूलिस किंग
नोर इवर डज ए वाइस ्वन"

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, माननीय सांसद श्री गीते जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। पिछले एक दशक से देश की जो परिस्थिति बनी हुई है और जिस प्रकार से राजनैतिक अस्थिरता बनी रहती है, उससे प्रायः हर वर्ष देश को चुनाव झेलना पड़ रहा है। यह चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, इस प्रकार बार-बार चुनावों के कारण देश को संवैधानिक रूप से हजारों करोड़ रुपया खर्च करना पड़ रहा है जबकि अवैधानिक रूप से जो चुनाव में खर्च किया जा रहा है, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। इस कारण अपराधीकरण बढ़ गया है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल पर विचार करते समय तरह-तरह की बातें आएंगी। हमारे देश का संविधान बहुत ही सार्थक रहा है। जब संविधान निर्माताओं ने बैठकर संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने काल और समय के हिसाब से दुनिया के कई देशों के संविधानों को देखकर इस सार्थक संविधान को बनाने का काम किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने आज की परिस्थिति को सोचा भी नहीं होगा कि कभी इस प्रकार नैतिकता का ह्रास होगा। यह बात उन लोगों के दिमाग में भी नहीं आयी होगी कि भारत की संसद में छोटी-बड़ी 40 पार्टियों का प्रवेश होगा। भारत के संविधान की स्वर्ण जयंती मनाने के बाद हालात काफी बदल गए हैं। उस समय के नैतिकता के स्तर और आज की नैतिकता के स्तर में जमीन-आसमान का अंतर है। आज दिन-प्रतिदिन नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है जिसका असर भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर पड़ रहा है। उस समय सोच-समझकर ही संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 86, 75, 175 और 185 का समावेश किया गया होगा। डा. राजेन्द्र प्रसाद या बाबा साहेब अम्बेडकर ने

[श्री नवल किशोर राय]

संविधान सभा में यह कल्पना भी नहीं की होगी कि किसी विधान सभा या संसद में बहुमत साबित करने के लिए कोई विवश हो जाएगा, पुलिस गिरफ्तार करने का काम करेगी और कोई बहुमत साबित किए बिना ही सरकार बना लेगा। इसीलिए यह संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है।

सभापति महोदय, मैं एक बात स्मरण दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इन बातों पर पीछे चर्चा की है कि इसके लिए कोई न कोई उपाय करना चाहिए ताकि इस संसदीय लोकतंत्र में जनता को हर वक्त चुनाव न झेलने पड़ें। सभापति महोदय, आप इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं और आपके देखते-देखते कई सरकारें आईं और चली गईं। यह ठीक है कि श्री गीते जी के प्रस्ताव में उपबंध किया गया है कि यह निश्चित होना चाहिए कि लोक सभा या विधान सभा का कार्यकाल संविधान के हिसाब से पांच साल का होना चाहिए, बीच में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है कि यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो पहले यह तय कर लेना चाहिए कि जिन्हें हटाना है, उसके बाद सरकार किसकी बननी चाहिए।

यह सबसे जरूरी बात है कि जब चर्चा में किसी मुद्दे को उठाने में पार्टी के नेता एक-दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते, लेकिन कभी-कभी बेमेल समझौता करके अविश्वास प्रस्ताव लाकर देश पर चुनाव थोपने की कार्रवाई होती है, उस समय देश पर खर्च का बड़ा भारी बोझ हो जाता है, अपराधीकरण बढ़ता है और विकास का काम बाधित हो जाता है।

सभापति महोदय, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि संसद सदस्यों के लिए एम.पी.लैड स्कीम है। इसमें पैसे जाते हैं। आप खुद भी बिहार से सांसद हैं। जब कभी खर्च का माहौल बनता है तो पैसा खर्च नहीं हो पाता है, पता चलता है कि छ: महीने नेपाल की नदियों के पानी ने बिहार को दबा दिया और छ: महीने बाद जब आप विकास शुरू कराते हैं तो आपके क्षेत्र में चुनाव के कारण आचार संहिता लागू हो जाती है। इस तरह मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों के लिए जो एम.पी. लैड स्कीम है, उसका पैसा पिछले तीन-चार चुनावों के कारण खर्च नहीं हो पाया है और काम मुकम्मल नहीं हो पाए हैं। इस तरह विकास विनाश से बढ़ता है। चुनावों से अपराधीकरण तो बढ़ता ही है और साथ ही पैसे का भारी बोझ देश पर पड़ता है।

सभापति महोदय, चुनाव में जो कालाधन खर्च होता है उसके लिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इसे रोकने के लिए मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए। इसके लिए कोई आयोग बनना चाहिए, जिससे कि लोक सभा और विधान सभा के चुनावों में काले धन का प्रयोग न हो और जो धन प्रयोग हो वह सरकारी फंडिंग के आधार पर ही चुनाव में खर्च हो, ताकि नैतिक मूल्यों के ह्रास पर रोक लग सके। मैं आपके माध्यम से इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि संविधान सर्वोत्तम संविधान है। संविधान निर्माताओं के नेक इरादे थे। उस समय के नैतिक स्तर में और आज के नैतिक स्तर में जमीन-आसामन का फर्क है, इसीलिए मैंने रेखांकित किया है, बिना नाम लिये उदाहरण भी दिया है, फिर से उसे दोहराते हुए मैं कहना चाहता हूं कि संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि इस संसद में 40 पार्टियों का प्रवेश होगा, दिन-प्रतिदिन रीजनलिज्म बढ़ता जाएगा, राष्ट्रीय पार्टियां कमजोर होंगी और यहां हर साल चुनाव की परिस्थिति पैदा होगी। उस समय के नेताओं के मन में लेशमात्र भी यह शंका नहीं रही होगी। यदि वे आज होते तो देखते और अपने विचारों में परिवर्तन भी करते तथा संविधान में स्वाभाविक रूप से ऐसा उपबंध करना वे स्वीकार करते ताकि ऐसी व्यवस्था हो कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाए वह विश्वास के लिए भी तैयार होकर आए। नेता अपने पक्ष से लेकर आए। यदि इसके बाद भी कोई संकट पैदा होता है तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति महोदय को संविधान संशोधन के जरिए यह शक्ति होनी चाहिए कि चार महीने तक संसद को विलम्बित करके सांसदों को सोचने के लिए वक्त दे, एक बार नहीं, दो बार वक्त दे। यदि दो बार के बाद भी कोई रास्ता न निकले तब अंतिम हथियार का प्रयोग संसद को भंग करने के लिए किया जाए। लेकिन हर हाल में लोक सभा और विधान सभाओं का कार्यकाल सुनिश्चित हो, तथा नेता का चयन सदन में मतदान के जरिए होना चाहिए। यह स्पष्ट अधिकार लोक सभा को मिले, इस बात का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.24 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, मैं माननीय संसद सदस्य श्री अनंत गंगाराम गीते द्वारा प्रस्तुत विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं जिसमें चुने गए सदस्यों के लिए पांच वर्ष की अवधि को अनिवार्य रूप से बनाए रखने के संबंध में संविधान संशोधन का सुझाव दिया गया है। इस सम्मानीय सदन में चर्चा के लिए इस विधेयक को लाने के लिए उनको मैं सचमुच बधाई देता हूं। जनता द्वारा एक बार चुनी गई लोक सभा का कार्यकाल पांच वर्षों की पूर्ण अवधि के लिए जनता और देश की सेवा के लिए बना रहना चाहिए। यह हमारे प्रजातंत्र के मौलिक सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादित किया गया है।

आगे अपने विचार व्यक्त करने से पहले मैं यह स्पष्ट करना

चाहता हूं कि यह सिद्धांत न केवल संसद के लिए लागू होना चाहिए, बल्कि उन सभी राज्य विधान सभाओं, जहां ऐसी समस्याओं का सामना किया जा रहा है, में भी लागू होना चाहिए। आज प्रजातांत्रिक मूल्यों में पूरी तरह परिवर्तन हो गया है। अब यह ज्ञात नहीं है कि क्या घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है या गाड़ी घोड़े को खींच रही है। सामान्य लोकतांत्रिक व्यवहार में घोड़ा गाड़ी के आगे होना चाहिए और लोगों को संसद सदस्यों को पांच वर्षों तक उनकी सेवा करने के लिए जनादेश देना चाहिए। दुर्भाग्य से अब यह हो रहा है कि संसद स्वयं यह कहते हुए लोगों को निदेश दे रही है कि विभिन्न कारणों और विचारों से वह पांच वर्ष की पूर्ण अवधि तक जनता की सेवा नहीं करना चाहती। इस प्रकार यह लोगों को बार-बार प्रति एक साल या डेढ़ साल अथवा दो साल में फिर मतदान करने के लिए निदेश देती है। इसलिए यह पता लगाना है कि क्या इस व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को निदेश देती है अथवा जनता के प्रतिनिधि लोगों को निदेश दे रहे हैं कि प्रति वर्ष उनको मत देकर चुना जाए।

सदन का विघटन काफी सोच-विचार करके किया जाता है कि क्या यह लोगों के लिए रुचिकर है अथवा नहीं। हम बार-बार उन पर चुनाव थोपते जा रहे हैं। अंतत: आज जो कुछ हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है कि प्रत्येक चुनाव में प्रत्येक गांव में यहां तक कि परिवार तक में लोगों में, लोगों के भिन्न-भिन्न ग्रुपों में तनाव बढ़ता जा रहा है।

इसलिए बार-बार चुनाव होने से कई प्रकार के तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। एक-दूसरे पर चाकू चलाने और हत्या करने के पश्चात लोग न्यायालय में जाते हैं। न्यायालयों में कई अपाराधिक मामले लंबित हैं। इन घटनाओं के भुला दिए जाने के पूर्व ही हम उन्हें पुन: जगा रहे हैं और हम उन्हें इस गुटबाजी को भुलाने नहीं दे रहे। "एक बार फिर अपने बीच मौजूद तनावों को आप जगाएं और मुझे अपना नेता चुनें एवं सत्ता सौंपे।" कुछ-कुछ ऐसा ही संदेश हम दे रहे हैं।

श्री अनंत गीते ने ठीक ही कहा कि वर्ष 1989 से किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला। इसके बावजूद करीब दो वर्ष के औसत अंतराल पर वर्ष 1991, 1996, 1998 और 1999 में हमें चुनाव झेलने पड़े। क्या राजनीतिक व्यवस्था में कोई सुधार हुआ? दिन-पर-दिन चुनाव-दर-चुनाव राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जन प्रतिनिधि जिनका चुनाव इस सभा के लिए हुआ है और जो सरकार चलाने के लिए नेता चुनते हैं वे अधिक से अधिक राजनीतिक दलों के सहयोग से आ रहे हैं। राजनीतिक दलों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। आज इस सभा में करीब 44 राजनीतिक दल हैं। कल का भगवान ही जानता है, यदि पुनः चुनाव होते हैं तो न जाने कितने राजनीतिक दल बन जाएंगे। राजनीतिक दलों की संख्या घटने के बजाय बढ़ेगी ही।

किसी सभा को किन आधारों पर भंग किया जाता है? मैं इस संबंध में कुछ ऐसे भी उदाहरण दे सकता हूं जहां बहुत ही तुच्छ कारणों पर ऐसा किया गया। मुझे तुच्छ शब्द के इस्तेमाल लिए माफ किया जाए यदि यह तुच्छ शब्द जिसका मैंने उपयोग किया, बहुत कड़ा हो। मैं सदस्यों की बुद्धिमत्ता को चुनौती नहीं दे रहा हूं। यह कई लोगों के लिए बहुत दु:खद होता है जब वे जानते हैं कि बेवजह सभा भंग की गई। यहां तक कि एक मत की कमी के कारण भी हाल ही में सभा भंग कर दी गई थी। ऐसे भी अवसर आए हैं जब यह कहा गया कि कुछ पुलिस वाले एक राजनीतिक दल के नेता पर नजर रख रहे हैं तो सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया और जनता पर चुनाव थोप दिया गया।

ऐसे भी मौके आए थे जहां सत्ता पक्ष के नेता अपनी पार्टी के एक खास नेता द्वारा दोषी पाए गए थे, वे सत्ता पक्ष के नेता का पक्ष नहीं ले रहे हैं और दूसरे नेता का पक्ष ले रहे हैं और इसी कारण उनकी पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले रही है। इसलिए ये विभिन्न विचार हैं जो आर्थिक मुद्दों, आर्थिक नीतियों, राजनीतिक मतभिन्नता पर नहीं हैं और न ही राजनीतिज्ञ दर्शन पर हैं। इन मुद्दों पर समर्थन वापस नहीं लिया गया। ऐसा निश्चय ही बहुत ही तुच्छ आधार पर किया गया और सरकार गिरा दी गई थी एवं एक बार फिर जनता पर चुनाव थोप दिया गया था।

इस विशाल देश में जहां कि जनसंख्या अब एक बिलियन से भी अधिक है, जहां चहुंमुखी गतिविधियां हों, चाहे यह भौगोलिक, आर्थिक या भाषा के प्रति उन्मुख हो आदि, दृश्य तो ऐसा दिखता है मानो निकट भविष्य में किसी एक दल की सरकार बनने की संभावना नहीं है। अपने दम पर कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। यह तो होना ही है कि सत्ता में आने के लिए प्रमुख दल को छोटे दलों के समूह को विश्वास में लेना पड़ेगा और तभी देश पर शासन कर पाएगा। सहयोगी दलों के साथ आने के बावजूद, इस बात की गारंटी नहीं है कि ये दल पांच वर्षों के लिए समर्थन करेंगे और एक ही सरकार चलेगी। हमने वर्ष 1996 और 1998 में देखा है और अभी हम तेरहवीं लोक सभा की वर्तमान सरकार को भी देख रहे हैं।

ऐसी परिस्थितियों में इस विशेष पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है, चाहे आप इसे संशोधन कहें या जैसा कि श्री साहु ने सुझाया, संविधान के सिर्फ कुछ अनुच्छेदों में परिवर्तन की आवश्यकता है। कोई भी थोड़ा परिवर्तन संवैधानिक संशोधन होता है। यह अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 85 या अनुच्छेद 166 या 175 भी हो सकता है या जो भी हो व्यापक रूप से इस पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है।

अन्य पहलू देश के आर्थिक पक्ष से संबंधित है। सरकार को लगातार समर्थन न मिलने के कारण निर्धन लोगों के अधिकारिता वाली

[प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु]

और निर्धनता दूर करने वाली नीतियों संबंधी अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को किनारे किया जा रहा है। इन्हें लगातार कभी नहीं चलाया जाता। यहां तक कि आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचित्र तस्वीर उभरकर आती है। भारत जैसे देश में राजनैतिक दल बदलते रहते हैं। जब देश प्राकृतिक आपदाओं, आंतरिक संकट, आतंकवाद, राष्ट्रद्रोह, विधि-व्यवस्था की समस्या आदि कई समस्याओं से जूझ रहा हो जिसका समाधान करने की आवश्यकता है, ऐसे में स्थिर सरकार की आवश्यकता महसूस होती है। हमें पांच वर्षों तक सरकार चलाना चाहिए। इसलिए इन परिस्थितियों में जो विधेयक श्री गीते द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और सचमुच मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, श्री गीते द्वारा जिस भावना से विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे इस तथ्य को दुहराने की आवश्यकता नहीं है कि इस देश के लोग जल्दी-जल्दी लोक सभा भंग होने के कारण तंग आ गए हैं, जैसे कभी 13 महीने या डेढ़ वर्षों में ही आदि। मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिन सदस्यों ने मुझसे पहले ही बोल दिया है उन्होंने उसका विस्तार से वर्णन किया है।

मेरा कहना यह है कि जब यह सरकार सत्ता में आई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने भारत के लोगों से यह वायदा किया था कि सभा की निश्चित अवधि होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट का और प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल नियत है। प्रतिनिधि सभा लगातार चार साल चलती है। इसलिए हम भी ऐसा कर सकते हैं।

श्री अनादि साहु जिन्होंने सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा शुरू की, ने कई अस्पष्ट क्षेत्रों का उल्लेख किया। उन्होंने जो कहा, मैं भी उस बात को दुहराता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि कौन प्रधान मंत्री बने, इसका निर्णय इस देश के राष्ट्रपति द्वारा करने के बजाय, क्यों नहीं यह सभा, यह लोक सभा इस बात की जिम्मेदारी लेती है? हम इस सभा में ही माननीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उनका चुनाव भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं होता है। उनका चुनाव इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा होता है। यदि हम संविधान में थोड़ा परिवर्तन या संविधान की व्याख्या में थोड़ा परिवर्तन करते हैं तो निचले सदन द्वारा इस देश के प्रधान मंत्री का चुनाव कर हम वर्तमान स्थिति में थोड़ा सुधार ला सकते हैं।

अनुच्छेद 356 का ही उदाहरण लें। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, हमने भूतकाल में ऐसी अशोभनीय स्थिति का सामना नहीं किया है। लेकिन राज्यों का ही उदाहरण लें। उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में एक व्यक्ति ने शपथ ले ली थी। तब न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था। उन्हें श्री कल्याण सिंह को मुख्य मंत्री के रूप में लाना पड़ा था। माननीय सदस्य प्रो. वेंकटेस्वरलु जो अभी बोल रहे थे, तेलगु देशम पार्टी से हैं। उन्हें तो इस बात का अनुभव है कि विगत में किस प्रकार एन.टी. रामाराव की सरकार को बर्खास्त किया गया था। फिर क्या हुआ! उन्हें अपने सारे विधायक लेकर सीधे राष्ट्रपति भवन आना पड़ा। वे राष्ट्रपति भवन के सामने बैठे और उन्होंने तस्वीरें खिंचवाईं। वह एक पत्रकार था जिसने वहां पहुंचे विधायकों की गिनती की। यह सब किया। अतः राष्ट्रपति भवन या राज्यपाल भवन को प्रधान मंत्री, किसी राज्य का मुख्य मंत्री तय करने का स्थान बनने की बजाय बेहतर यह है कि इन बातों का निर्णय सदन में ही हो। तब क्या होगा? पांच वर्ष के कार्यकाल का उल्लेख पहले ही किया गया है। केवल संविधान को बदलने या उसमें और संशोधन करने से तो अच्छा है कि हम ऐसी स्थिति का पता लगाएं कि सदन पूरे पांच वर्ष तक चले क्योंकि सदन ही अपने नेता का चुनाव करेगा। यदि कभी ऐसी स्थिति आती है कि सदन अपना नेता चुनने में असमर्थ हो तो हमारे पास दूसरा विकल्प रहेगा। श्री अनंत गीते ने कहा कि चार महीने का समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस विधेयक में इसका उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से सभा का सत्रावसान कर सकते हैं और अधिकतम चार माह के लिए लोक सभा से संबंधित संविधान के किसी भी प्रावधान के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। चार माह का समय देने के बजाय हम सभा से अपना नेता चुनने के लिए कहें और यदि सभा अपना नेता नहीं चुन पाती तो हम माननीय राष्ट्रपति जी को यह संदेश भेज सकते हैं कि सभा अपना नेता चुनने में असफल रही। अतः इस प्रकार की चरम परिस्थिति में सभा को भंग किया जा सकता है। अतः इस मामले में संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं लेकिन हमें यह देखना है कि सभा को पांच वर्ष की अवधि तक चलाया जा सके।

भारत एक विशाल देश है। केवल लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली के द्वारा ही लोगों के साथ न्याय किया जा सकता है। यहां अमरीका की भांति राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार नहीं चल सकती। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले जनप्रतिनिधि ही लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। हमारे यहां विभिन्न भाषाओं, उप-संस्कृतियों और धर्मों को मानने वाले लोग हैं। आपको प्रत्येक को संतुष्ट और खुश रखना पड़ेगा।

अंततः मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सभा को समय से पूर्व भंग करने से आर्थिक अराजकता छा जाएगी। इससे निवेशकों, विशेषकर विदेशी निवेशकों के मन में देश की आर्थिक और राजनैतिक स्थिरता के संबंध में शंका पैदा होगी। इसलिए यदि उन्हें इस स्थिति का सामना करना पड़ा तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक भाग खड़े होंगे।

अतः आइए हम इसे दूसरे नजरिए से देखें और इस सभा को

यह अनुमति दें कि वह अपना नेता चुन सके और श्री गीते द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का समाधान किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, श्री अनंत गीते जी के संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें लोक सभा और विधान सभा का कार्यकाल पांच वर्ष हो, का मैं विरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)* सही मायने में यह गैर-सरकारी विधेयक है लेकिन गीते जी सरकार की मंशा को ही व्यक्त कर रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन का 17 जनवरी को गोल्डन जुबली कार्यक्रम हुआ, उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि विधान सभा और लोक सभा का कार्यकाल फिक्स होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, यदि इजाजत दें तो मैं एक केलैरीफिकेशन देना चाहता हूं। जो विधेयक मैंने सदन के सामने रखा है, यह इलेक्शन कमीशन के पहले का है। तब हमने विधेयक सदन के सामने रखा, ऐडमिट हुआ, चर्चा भी शुरू हो गई थी।

श्री रामजीलाल सुमन : आप उनके मित्र संगठन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 17 जनवरी को प्रधान मंत्री जी ने भी कहा कि सरकार के स्थायित्व के लिए विधान सभा और लोक सभा का कार्यकाल पांच वर्ष होना चाहिए। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने एक दूसरी राय व्यक्त की है। राष्ट्रपति जी इस राय के नहीं हैं और संविधान की समीक्षा के लिए श्री वैंकेट चलैया के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आयोग बना है, उनकी राय भी इस हक में नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे देश में इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। यह विधेयक लोकतंत्र की भावनाओं के विपरीत है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है। यह मानकर चलना कि सरकार संख्या से चलती है, मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी गलतफहमी दुनिया में दूसरी कोई हो सकती है। सरकार संख्या में नहीं चलती, जन-विश्वास से चलती है। हिन्दुस्तान और दुनिया में तमाम उदाहरण ऐसे हैं जहां अपार बहुमत था लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं चल पाई। आपको मालूम है कि 1974-75 में बिहार में श्री जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हुआ।

मुझे प्रसन्नता है कि मैं उस आंदोलन का कार्यकर्ता था। वह तो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था, उस संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में एक मुद्दा यह भी था कि जनता के प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। जनप्रतिनिधि पांच वर्ष के लिए चुना गया है, उसका कार्यकलाप ठीक नहीं है, उसने जन-विश्वास को तोड़ा है तो जनता को यह पूरा अधिकार होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि को वापस बुला ले।

1984 में और 1971 में कांग्रेस पार्टी का अपार बहुमत था, संख्या बल से कांग्रेस पार्टी उस समय राज कर सकती थी, लेकिन 1971 में चुनाव जीतने के बाद देश में ऐसे हालात कैसे बन गए कि श्रीमती गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि राज पांच साल चले या 10 साल चले, बल्कि उससे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राज भले ही दो दिन चले, लेकिन राज की दिशा क्या है, राज किस दिशा में चला है। अगर कोई सरकार बन जाए, उसे बहुमत प्राप्त हो, लेकिन वह सरकार देश तोड़ने का काम करे, सांप्रदायिक दंगे कराने का काम करे, किसानों और मजदूरों का विश्वास तोड़े, उसके राज में गरीब सुरक्षित न हों तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उस सरकार का अर्थ क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि सरकार कितनी चली है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सरकार किस दिशा में चली है। सरकार गरीबों के पक्ष में चली है, मजदूरों के पक्ष में चली है, आम आदमी के पक्ष में चली है या शरमायेदार के पक्ष में चली है, सरकार ने देश की प्रतिष्ठा और गरिमा को बेचा है।

मैं यह विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि यह कहना कि पांच वर्ष के स्थायित्व के लिए विधान सभा और लोक सभा स्थाई रहे, इसलिए उसका कार्यकाल पांच वर्ष होना चाहिए, यह किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है।...*(व्यवधान)* पांच साल कैसे नहीं है, सरकार के स्थायित्व का मतलब है, उसके पीछे व्यावहारिक मतलब यही है कि कोई और सरकार चले या नहीं चले, लेकिन भले ही 20-25 पार्टियों से मिलकर यह सरकार बनी हो, लेकिन यह सरकार जरूर चलती रहे, इसके पीछे मंशा यह है।

श्री गीते का जो विधेयक है, यह बिल्कुल अव्यावहारिक है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : सभापति महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण बहस में हिस्सा लेने का अवसर दिया। मैंने यहां बोलने के लिए कोई खास तैयारी नहीं की थी लेकिन स्थिरता के विषय में बहस को और माननीय संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुनने के पश्चात् मैं यह कहना चाहूंगी कि स्थिरता सरकार को बदलने और नौ वर्ष में चार लोक सभा चुनाव होंने पर सारी बहस के बावजूद इससे हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं लगती। यह सत्य है कि देश में निरक्षरता काफी अधिक है और जब भी चुनाव होता है तो पहले से विद्यमान ढेर सारे दलों की संख्या में एक नया दल और जुड़ जाता है। जब सत्ताधारी गठबंधन में 29 दल सम्मिलित हों तो सुचारु व समेकित तरीके से सरकार चलाना संभव नहीं रहता। दूसरा तथ्य यह है कि

[श्रीमती श्यामा सिंह]

जब गठबंधन में बहुत से दल सम्मिलित हों तो इसका नेतृत्व करने वाले मुख्य दल को भारी दबाव में काम करना पड़ता है।

अब, हम कहते हैं कि साझा सरकारों का युग आ गया है। यह सत्य ही है। यह ऐतिहासिक सत्य है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने में साझा दलों की मुख्य भूमिका है। अत: इनका नेतृत्व करने वाले दल के लिए 29 या 30 दलों के साथ समन्वय स्थापित करना और अधिक मुश्किल हो जाता है। अत: साझा सरकार में मुख्य दल की आलोचना करने की बजाय उस पर सहानुभूति रखनी होगी। मुझे लगता है कि वे बहुत दबाव में रहते हैं क्योंकि सभी एक ही प्रकार से नहीं सोचते। राज्य स्तर पर जनता का विश्वास पाने के लिए दल अलग मामले गढ़ते हैं। यहां तक कि यदि 'क' मुद्दा बहुत अच्छा है, परन्तु कोई दल केवल अपनी उपस्थिति दर्शाने हेतु कहता है कि नहीं 'ख' मुद्दा अधिक अच्छा है।

इसलिए लोकतंत्र में इस तरह की शोशेबाजी चलती है। इसी प्रकार, यह बड़ा दुखद आभास देता है कि एक अरब से अधिक की जनसंख्या वाले देश में नौ वर्ष की अवधि में चार लोक सभा चुनावों का सामना करना पड़ा जिससे कि देश की प्रतिष्ठा और एक ऐसे व्यक्ति के अपने सम्मान को भी धक्का पहुंचा जो कि इस सदन में इसके एक सदस्य के रूप में चुनकर आया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धन व्यर्थ जा रहा है। किसी को भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया जाता। उनका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही उन्हें कह दिया जाता है कि वे अक्षम है, वे पूर्णतया असफल रहे हैं और उन्हें जाना ही होगा। मैं सोचती हूं कि इस सम्मानित सभा के विद्वजन सभा में इस प्रकार की स्थिति आने से पूर्व इस पर अवश्य बहस करेंगे।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं अवश्य जोर देना चाहूंगी वह एक बहुत ही उत्कृष्ट विचार है और वह है संविधान की समीक्षा या संशोधन आयोग का गठन। लेकिन मैं महसूस करती हूं कि बहुत ही अच्छा हो यदि सत्ताधारी दल इस समीक्षा समिति के संबंध में सभा में बहस कराए। मुझे विश्वास है कि यहां उपस्थित सभी लोक सभा सदस्यों की अपनी-अपनी समझ-बूझ होगी। तो ऐसी समीक्षा समिति का गठन किया जा सकता था। हम इस सम्मानित, प्रतिष्ठित सदन में इस साधारण सी बात पर भी परामर्श कर सकते थे कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और हमें जो सही लगता है उस पर हमें अपनी राय प्रकट करने का पूरा अधिकार है। अत: किसी समीक्षा समिति के केवल चार या पांच सदस्य इस पूरे प्रतिष्ठित सदन के लिए कोई चीज निर्धारित नहीं कर सकते। मैं चाहूंगी कि इस बात को नोट किया जाए।

मैं माननीय सांसदों से सहमत हूं। उन्होंने बहुत-सी सही बातें कही हैं क्योंकि मैं महसूस करती हूं कि गत एक दशक में भारत में बहुत अस्थिरता रही है।

जहां तक इस विधेयक की बात है, हमें इस पर मिलकर चर्चा करनी चाहिए, चाहे हम विपक्ष में ही क्यों न बैठे हों। मैं सत्तापक्ष के लोगों को यह सुझाव देना चाहूंगी।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, अनंत गीते जी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में संशोधन के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : आप इसे पास करा दीजिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : हम पास कराने के लिए ही इसे लाए हैं। आप भी साहस दिखाएं। यहां गीते जी के साथ बैठकर समर्थन कर रहे हो, लेकिन वहां जाकर दूसरी बात करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : वहां जाकर मैं वास्तविकता बताता हूं।

श्री थावरचन्द गेहलोत : सभापति महोदय, आप और हम जानते हैं कि जनता हमें पांच साल के लिए चुनकर इस सदन में और विधान सभाओं में भेजती है। जब हम वोट मांगने जाते हैं तो यही कहते हैं कि हमें पांच साल के लिए लोक सभा में चुनकर भेजिए या विधान सभा के लिए चुनकर भेजिए। इसी बात के लिए हम वोट मांगते हैं। इन दोनों संस्थाओं के कार्यकाल को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ही इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। अम्बेडकर जी ने और तत्कालीन महापुरुषों ने संविधान बनाया, तो कभी कल्पना नहीं की थी कि भारत की राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी। जातिवाद और भाषावाद की ओर प्रवृत्त हो जाएगी। क्षेत्रवाद की ओर चली जाएगी। राष्ट्र चिंतन को तिलांजलि देकर केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ही संसद या विधान मंडलों को चलाने लगेगी। पिछले 12-13 सालों से भारत में लोग इस ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। इस दौरान देश में ऐसी परिस्थिति बन गई कि न तो लोक सभा अपनी अवधि पूरी कर पा रही है और न अनेक राज्यों की विधान सभाएं अपना कार्यकाल पूरा कर पा रही हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि संविधान की मंशा के अनुसार ये संस्थाएं अर्थात लोक सभा और विधान सभाएं पांच साल की अवधि के लिए जब चुनी जाती हैं तो बराबर पांच साल चलें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उसके कारणों के बारे में मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह जो विधेयक लाया गया है इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि लोक सभा पांच साल के लिए चलेगी ही, न ही यह है कि पांच साल के लिए विधान सभाएं चलेंगी। इसमें एक शर्त दी गई है कि लोक सभा में किसी सरकार को अपदस्थ करना हो तो उसके लिए उसका विकल्प चुनना अनिवार्य होगा।

हालांकि जो 75क(1) की शब्दावली है, वह उसकी पूर्ति करने

में असमर्थ है। मैं भावनात्मक रूप से गीते जी का पूरी तरह से समर्थन करता हूं परंतु इस शब्दावली को ठीक करने की आवश्यकता है, इसे संशोधित करने की आवश्यकता है नहीं तो कोई मंशा ही नहीं निकल रही है। मैं इसे पढ़कर बताना चाहता हूं। खंड 1 में लोक सभा में प्रधान मंत्री और उसकी मंत्री परिषद में एक सामूहिक प्रस्ताव जिसे सदन के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन हो, के द्वारा उसके उत्तराधिकारी का चयन करके अर्थात् अविश्वास प्रस्ताव पास करने के बाद उत्तराधिकारी का चयन करके, सीधा अर्थ यह निकल रहा है कि उत्तराधिकारी का चयन करके अपना अविश्वास व्यक्त करेगी तथा इस आशय का संशोधन राष्ट्रपति महोदय को उपस्थापित करके जो तदुपरांत इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति को नये प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे अर्थात् अविश्वास प्रस्ताव पास करने के पहले कौन विकल्प होगा, कौन नया प्रधान मंत्री बनेगा, किसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल बनेगा, यह भी चयन करना अनिवार्य है। इस भाषा से और चयन होने के बाद इसकी सूचना राष्ट्रपति जी के पास भेजी जाएगी और राष्ट्रपति जी उसके आधार पर उसे प्रधान मंत्री नियुक्त करेंगे जिसको इस सदन ने चुन लिया हो। अब ये दोनों बातें हो तो सकती हैं परंतु उसका खंड 2 अगर देखें तो वह उसका विरोधाभासी दिखाई दे रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : यदि यह नहीं हो पाता है तो... *(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : जब विकल्प ही नहीं होगा तो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा और जब अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा तो सरकार तो बनी रहेगी और विकल्प चुन लिया गया हो और सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया हो तो राष्ट्रपति उसको प्रधान मंत्री बना ही देंगे। यह खंड 1 में ही परिलक्षित होता है परंतु आपने जो खंड 2 में जोड़ा है, वह उसके विपरीत जाता है। खंड 2 में है कि ''मंत्रिपरिषद में लोक सभा का विश्वास प्राप्त करने अथवा बनाए रखने में असफल रहने पर अपना विश्वास बनाए रखने में असफल होने का सवाल ही नहीं होता। उसमें कांस्टीट्यूशनल ही है, विकल्प चुनने के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, यह है। असफल होना तो खंड 1 में है, अभी तक उपबंधों के अनुसार प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए किसी नये व्यक्ति को निर्वाचित करने में यदि वह असमर्थ रहती है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर और जिसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया हो, मंत्रिमंडल की सलाह पर इस सदन को चार महीने के लिए निलंबित कर दे। इसमें जो लिखा है, मैं पढ़कर ही सुना रहा हूं।...*(व्यवधान)* गीते जी, आप बाद में बोलिएगा, अगर आपकी बातें सही होंगी तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। नियुक्त किए जाने के लिए किसी नये व्यक्ति को निर्वाचित करने में यदि मंत्रिपरिषद असमर्थ रहती है तो राष्ट्रपति महोदय मंत्री परिषद की सलाह पर लोक सभा का सत्रावसान कर देंगे और लोक सभा से संबंधित संविधान के किसी भी उपबंध का निलंबन कर देंगे जिसकी अवधि चार मास से अधिक नहीं होगी अर्थात् इस सदन को चार माह के लिए जीवनदान मिलेगा। निलंबित करने के बाद चार महीने में कोई इधर-उधर की एडजस्टमेंट, खरीद-फरोख्त कर ली जाएगी जैसे, उत्तर प्रदेश की असेम्बली तीन महीने के लिए निलंबित कर दी गई थी और उसके बाद वहां फिर से मुख्य मंत्री चुना गया था। इसी प्रकार का आशय इस प्रस्ताव में है, इस खंड में है और इस संशोधन के कारण यह लोक सभा पांच साल चलेगी, इसकी कहीं गारंटी नहीं मिलती। ज्यादा से ज्यादा चार महीने का जीवनदान मिल जाएगा। मेरा गीते साहब से निवेदन है कि होना यह चाहिए कि लोक सभा पांच साल के लिए चुनी जाती है, विधान सभा पांच साल के लिए चुनी जाती है, संशोधन यह है कि दोनों पांच साल चलें, सरकार किसी की भी बने, किसी की भी हटे, इसका सवाल इसमें नहीं होना चाहिए। होना यह चाहिए कि लोक सभा पांच साल के लिए बनी है, पांच साल चलेगी। मंत्रिमंडल के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो जो 543 सदस्य हैं या जो भी उस समय संख्या हो, वे सब मिलकर अपना नेता चुन लें फिर चाहे कौन सी पार्टी के लोग किस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, यह प्रतिबंध नहीं हो और वे अपना नेता चुन लें और फिर वह नेता चुन लिया जाए तथा वह अपने मंत्रिमंडल का गठन कर ले तभी यह लोक सभा और विधान सभा पांच साल के लिए चलेगी नहीं तो नहीं चलेगी। ज्यादा से ज्यादा चार महीने आगे बढ़ जाएगी, फिर खरीद-फरोख्त हो जाएगी, उसमें तालमेल बैठाया जाएगा और यदि तालमेल नहीं बैठा तो चार महीने के बाद फिर ऑक्सीजन की नली फूंकी जाएगी और फिर ये संस्थाएं भंग हो जाएंगी।

अपराह्न 5.00 बजे सायं

ये संस्थाएं भंग हो जाएंगी। इसलिए इस विधेयक से यह आशय पूरा नहीं होता है कि ये संस्थाएं पांच साल तक चलेंगी। अभी प्रधान मंत्री जी ने चुनाव आयोग के समारोह में कहा कि लोक सभा और विधान सभाएं पांच साल तक चलनी चाहिए। मैं श्री गीते जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वे सरकार से इस प्रकार का आश्वासन लें कि सरकार इस विषय में एक विस्तृत विधेयक लाएगी और उसमें यह प्रावधान हो कि लोक सभा और विधान सभाएं पांच साल के लिए चलेंगी। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार हट जाए, तो नई सरकार बनाने के लिए संसद को अधिकार दिया जाए कि पुन: सरकार बनाए। इस प्रकार का विधेयक यदि लाया जाएगा, तब ही लाभ हो सकेगा, नहीं तो देश को इससे बहुत भारी नुकसान होता है। हम सभी जानते हैं कि चुनाव में भारी खर्च होता है। सभापति महोदय, आप बहुत लंबे समय से चुनाव जीतकर सदन में आ रहे हैं। मैं 11वीं, 12वीं लोक सभा का सदस्य था तथा 13वीं लोक सभा का सदस्य हूं और मैंने चार साल की अवधि भी पूरी नहीं की है। 18 महीने,

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

13 महीने और अब 15 महीने की अवधि—कुल मिलाकर 46 महीने की अवधि हुई और मैं तीन चुनाव लड़ चुका हूं तथा चार साल भी पूरे नहीं हुए। ऐसी स्थिति में देश का विकास अवरुद्ध होता है और चुनाव पर पूरा खर्च होता है। इसके साथ ही तनाव भी बढ़ता है और एक-दूसरे को मरते-मारते देखते हैं। ऐसी स्थिति में प्रजातंत्रीय स्थिति में सुधार करते हुए हमें प्रयास करना चाहिए कि लोक सभा और विधान सभाओं की अवधि पांच साल हो जाए। ऐसा विस्तृत विधेयक सरकार की ओर से लाया जाना चाहिए और कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं इतना ही कहते हुए, इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : सभापति महोदय, मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं 1989 से लोक सभा का चुनाव लड़ रहा हूं। मैं पांच बार लोक सभा का चुनाव लड़ चुका हूं और दस साल भी पूरे नहीं हुए हैं, जबकि पांच चुनाव लड़ने पर 25 साल की अवधि पूरी होनी चाहिए। हम जब चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कि हमें पांच साल के लिए मौका दें। 1989 के चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधान मंत्री थे, जो 11 महीने की अवधि तक रहे। श्री चन्द्रशेखर जी चार महीने की अवधि के लिए प्रधान मंत्री रहे। इनके बाद नरसिंह राव जी ने पांच साल का समय जोड़-तोड़कर पूरा किया। इसके बाद एक भी टर्म ऐसा नहीं है जिसमें पांच साल की अवधि पूरी हुई हो बार-बार चुनाव होने से निश्चित रूप से अरबों रुपयों की बरबादी होती है। देश की जनता को विभिन्न सुविधाओं को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे बिहार में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। 7 मार्च से आचारसंहिता लागू कर दी जाएगी, जबकि पंचायत के चुनावों में आचारसंहिता लागू नहीं होती है। मई-जून का समय वर्षा का होता है, एमपी विकास निधि और एमएलए विकास निधि में से पैसा खर्च नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिसम्बर के बाद विकास का काम हो पाएगा। इसलिए निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि चुनाव की अवधि पांच साल की होनी चाहिए। ऐसा न होने पर डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, दवाओं की कीमत, कपड़ों की कीमत और ऐसा कोई भी सामान नहीं है, किसान के सामान को छोड़कर, जिनमें अनाप-शनाप वृद्धि न होती हो।

हमारा देश किसानों का देश है और यहां किसानों की क्या दुर्गति होती है उसे आप जानते ही हैं। हमारे पूरे देश में किसानों का धान परचेज करने वाला कोई नहीं था। हमने बार-बार लोकसभा में आवाज उठाई, लेकिन फिर भी यह सरकार सक्षम नहीं हो पाई कि कम से कम सभी ब्लॉक हैडक्वार्टर्स पर किसानों के धान के क्रय केन्द्र खुलें। किसानों का फसल पैदा करने में जो मूल्य एवं श्रम लगता है, उसका उसे उचित मुआवजा एवं मूल्य मिले, ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई।

सभापति जी, हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जहां मध्यावधि चुनाव नहीं होते। वहां पूर्व से निर्धारित है कि पांच साल से पहले चुनाव नहीं होंगे और समय पर वहां चुनाव होते हैं। हमारे यहां भी ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो लेकिन पांच साल बाद ही लोक सभा और विधान सभा के चुनाव हों। हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि चाहे जिस तरह से भी व्यवस्था हो लेकिन पांच साल बाद ही लोक सभा के चुनाव हों। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपने मित्र श्री अनंत गंगाराम गीते को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव का सामयिक प्रस्ताव लाया है।

मेरे कुछ मित्र पांच वर्षों से बातचीत करते रहे हैं। यहां मैं मूल पाठ पढ़ते हुए मुझे लोक सभा की अवधि पांच वर्ष तक जारी रखने संबंधी कोई संदर्भ नहीं मिलता। दूसरी ओर मैं समझता हूं महत्वपूर्ण मूल भाग अर्थात धारा 75क, प्रस्तावित नई धारा, जर्मन संविधान में दिए गए सदृश प्रावधान से अत्यधिक प्रभावित है। अब जर्मन संघीय संविधान में यह प्रावधान है कि चांसलर, यहां के संदर्भ में हमारा प्रधान मंत्री है, के विरुद्ध लाए गए किसी अविश्वास प्रस्ताव का उसी प्रस्ताव में प्रस्ताव लाने वालों के अनुसार अगले होने वाले चांसलर का नाम भी प्रस्तावित होना चाहिए। अत: यदि स्थिति यह है तो आप इसे समझ सकते हैं, ऐसी स्थिति में बहुत ही कम अविश्वास प्रस्ताव आएंगे जबकि हमारी पद्धति में ऐसा होता है कि पहले इसे हटाओ और तत्पश्चात हम इस बारे में सोचेंगे। तब वे इससे सहमत नहीं हो सकते। मुझे इस सभा में हुआ विचार-विमर्श याद है। नि:संदेह तब मैं सदस्य नहीं था। मैं यह चर्चा दूरदर्शन पर देखा करता था। जब सरकार एक मत से गिर गई थी तो कुछ सदस्यों ने चिंता प्रकट की थी कि अब वे क्या करेंगे। लेकिन बिहार के एक मान्य सदस्य ने कहा

[हिन्दी]

हम पांच मिनट में नई सरकार बना देंगे, पहले इसे हटाओ।

[अनुवाद]

और फिर पंद्रह-बीस दिन के बाद कोई सरकार नहीं बनी। जब ऐसा होता है तो संपूर्ण प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठ जाता है।

मैं यहां बैठे अपने बहुत से साथियों से पूछना चाहता हूं कि जब वे 1999 में लोगों के वोट मांगने गए तब उनमें से कितनों के

पास ये समस्याएं आईं जब लोगों ने उनसे पूछा कि एक साल से पहले ही तो हमने आपको भेजा था अब आप फिर मत मांगने क्यों आ रहे हो। तब आप पर क्या गुजरी। आप शासन क्यों नहीं कर सकते? अब इसे बदलना है। मैं समझता हूं कि यह बहुत हितकारी व्यवस्था है कि सभी अविश्वास प्रस्तावों में प्रस्तावकर्ताओं द्वारा यह बताया जाना चाहिए कि अगला प्रधान मंत्री कौन होना चाहिए ताकि यह मामला उठे और सरकार को बदलने के बारे में विचार करने से पूरी प्रणाली में और अधिक जिम्मेदारी आएगी।

सभापति महोदय, मैं एक आम बात कहना चाहता हूं कि हमारा संविधान इस पृष्ठभूति पर बनाया गया था जहां कांग्रेस ही व्यावहारिक रूप से एकमात्र पार्टी थी। किसी न किसी तरह संविधान निर्माताओं के मन में यह भावना थी कि कांग्रेस आने वाले समय में इस देश पर शासन करती रहेगी और किसी दूसरी पार्टी के सत्ता में आने का प्रश्न ही नहीं है। पहली बात तो यह है।

दूसरी बात यह है कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भी बहुत प्रभाव है जिसे ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न परिस्थितियों के तहत बनाया था। जब हमने अपना संविधान बनाया तो किसी न किसी तरह हमने दूसरे देशों के संविधान से अध्याय-दर-अध्याय लिए। अत: धारा 93 अनुच्छेद 356 बन गई आदि-आदि। लेकिन तब तक हम स्वतंत्र हो चुके थे और इस प्रकार हमारा संविधान अनेक अन्य देशों, जिनका संविधान बहुत छोटा है, के विपरीत विश्व भर में बड़े संविधानों में से एक बड़ा संविधान हो गया।

तीसरी बात कि किसी भी तरह इस तथ्य को कि भारत एक विशाल विविधतापूर्ण वाला देश है, बहुलवादी समाज है, संविधान निर्माताओं के ध्यान में उस समय नहीं आया।

मुझे इस बात का दु:ख है कि मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं। वे महान व्यक्ति थे। लेकिन किसी न किसी तरह उनके मन में यह बात थी कि देश भर का अंग्रेजी जानने वाला एक छोटा सा विशिष्ट तबका जिनकी बात सुनी जा सकती है—यानी सर सुरेन्द्र नाथ बनर्जी अथवा गांधी जी अथवा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अथवा पंडित जवाहर लाल नेहरू—राय प्रतिपादित कर पाएंगे। उनके विचार देश भर में थोपे जाते थे। लेकिन ऐसा समूचे देश में हुआ।

सभापति महोदय, वह युग समाप्त हो चुका है। आज मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति, अखिल भारतीय स्तर का कोई नेता जो गैर-मराठी हो, मराठी बोलने में श्री अनंत गंगाराम गीते से प्रतिस्पर्द्धा कर सकता है। बिहार में डा. रघुवंश प्रसाद सिंह से हिन्दी बोलने में कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा और कोई डा. करुणानिधि अथवा अन्य नेताओं से तमिल में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अत: कुछ सीमा तक अखिल भारतीय नेतृत्व का युग अत्यधिक प्रभावित हुआ है। यह अब संभव नहीं। गांधी जी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, जवाहर लाल नेहरू अथवा डा. अम्बेडकर जैसे नेताओं के अस्तित्व में लाने वाली परिस्थितियां कभी पैदा नहीं होंगी। दूसरी ओर संविधान में बहुलवादी समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। गठजोड़ की राजनीति का युग शुरू हुआ है। और इस व्यवस्था में मैं समझता हूं हम वह स्थिति पैदा करने में सहायक होंगे जहां स्थिरता, दीर्घकालिक स्थिरता आएगी और वह अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी जो सरकार गिरने के समय उत्पन्न होती है। हिन्दुस्तान की शक्तिशाली सरकार एक मत अथवा कुछ अधिक मतों से गिर जाती है और तत्पश्चात् संपूर्ण देश अनिश्चितता के गर्त में धकेल दिया जाता है जहां नियोजन प्रक्रिया और आर्थिक विकास को नुकसान होता है। इसलिए ऐसा करने से स्थिरता को नुकसान होगा।

तत्पश्चात् दूसरी बात नि:संदेह इस संशोधनकारी विधेयक में नहीं है। महोदय, राज्यों में ऐसी अस्थिरता कभी नहीं हुई जैसी केन्द्र में आई क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है और राज्यपाल के प्रत्यक्ष आदेशों के तहत अधिकारी सीमित अवधि के लिए शासन चलाते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थिति के बारे में कभी नहीं सोचा कि केन्द्र में कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है, मैं यह पुन: कहता हूं कि इसका मोटे तौर पर कारण यह है कि वे इस बात से अवगत नहीं थे कि कांग्रेस कभी पराजय का मुंह देख सकती है और यह स्थिरता अधिक समय तक नहीं रहेगी।

महोदय, संभवत: वह समय आ गया है जब आपको सीमित अवधि के बारे में सोचना चाहिए। चार महीनों का सुझाव है एक अच्छा सुझाव है कि कम से कम चार माह में जब आपको यह पता चल जाए कि सरकार गिरने वाली है तो संभवत: माननीय सदस्य इस पर पुन: विचार करेंगे। वास्तव में जब पिछली सरकार एक मत से गिर गई थी तो अनेक लोक सभा सदस्यों से मैंने यह सुना कि यदि हमें यह पता होता कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करने से रुक जाते और संभवत: सभा से अनुपस्थित रहते। हमने कभी नहीं सोचा था कि सरकार एक मत से गिर जाएगी।

अत: महोदय, पश्चिम जर्मनी के संविधान के आदर्श का अनुसरण करने के लिए श्री अनंत गंगाराम गीते के सामयिक प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक लाया जाना चाहिए और संविधान के एक भाग में इसे कानून बनाया जाए।

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : माननीय सभापति जी, अपने सहयोगी श्री गीते जी द्वारा लाया गया यह संविधान संशोधन स्वागत योग्य है और हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। मान्यवर, हम 20वीं सदी से 21वीं सदी में आए हैं और हम 33 करोड़ लोगों से 103

[श्री श्याम बिहारी मिश्र]

करोड़ लोग हो गए हैं। हम विश्व के छठे शक्तिशाली देश बन गए लेकिन हम राजनैतिक स्थिरता में आज बहुत पीछे चले गए हैं। संविधान के निर्माताओं ने अच्छे उद्देश्य और भावना को सामने रखकर संविधान की रचना की थी लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि इस देश में कुछ समय बाद इतने सारे दल होंगे और वे राजनैतिक, क्षेत्रीय और जातीय चिंतन को भी बढ़ावा देंगे।

जातीय-चिंतन और क्षेत्रचिंतन के आगे राष्ट्र-चिंतन को कौन महत्त्व देगा, उन्होंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। कोई संसद में चुनकर आएगा फिर अपने दल को बदल लेगा इसलिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। बाद में संविधन संशोधन करके दलबदल कानून लाया गया। वह कानून लागू है लेकिन उसकी भी नुक्ताचीनी करके उसकी धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है।

हमारे एक साथी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन एक वोट से सरकार गिर गई। वह सरकार कैसे गिरी, वह सदस्य किस दल से चुनकर आया और वोट किस दल को दिया, यह देखने की बात है। यदि दलबदल कानून पूर्णतः लागू होता तो शायद एक वोट से सरकार नहीं गिरती। मैं भी उस समय लोक सभा में था। मुझे याद है बार-बार कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं लेकिन प्रधान मंत्री किसको बनाओगे? इसका कोई जवाब नहीं था। अभी हमारे साथी गुप्त जी ने ठीक कहा कि उस समय कहा गया कि पांच मिनट में सरकार बना देंगे। वह पांच मिनट कहां चले गए?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस बार हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : क्या पहली बार की तरह ही कर रहे हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत : उस समय लालू जी कह रहे थे कि दो मिनट में बना लेंगे।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : हमारे साथी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यह गाय और भैंस का दूध पीकर खूब पहलवानी कर रहे हैं ताकि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा सकें।...*(व्यवधान)* यह तैयारी कर रहे हैं कि संसदीय लोकतंत्र की कैसे हत्या की जाए? यह देश की रक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में भारत अपने लोकतंत्र का इतिहास रचता है। भारत जैसे विशाल देश में संसदीय लोकतंत्र की जड़ें बड़ी गहरी हैं। उन गहरी जड़ों को उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पांच साल तक सदन चलना चाहिए क्योंकि पांच साल के लिए जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है। इस बात पर सदन को विचार करना चाहिए। यहां ऐसा कोई प्रस्ताव लाएं जिससे विधन सभा और लोक सभा पांच साल चले। आज क्या हो रहा है?

आजादी के बाद हम पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए जबकि सत्ता पर लंबे समय तक बैठे रहे। चुनावों पर हम खर्चा कर रहे हैं। चुनावों पर लगने वाला पैसा बरबाद हो रहा है। न केवल पैसा बरबाद हो रहा है बल्कि विकास की योजनाएं रुक रही हैं। हमने अखबारों में देखा कि संसदीय विकास निधि का पैसा खर्च नहीं हो पाया। वह कैसे खर्च होगा? योजनाएं बनाई गईं और संसद सदस्यों द्वारा दी गईं लेकिन लोक सभा भंग हो गई और सदस्यों के अधिकार खत्म हो गए। फिर लोक सभा चुनी गई, फिर योजनाएं बनाई गईं, योजनाएं भेजी गईं, फिर लोक सभा भंग। संसदीय विकास निधि के पैसे का सदुपयोग करने का मौका सदस्यों को नहीं मिला और कहा गया कि संसदीय विकास निधि का पैसा खर्च नहीं हो पाया। सारा सदन इस बात पर विचार करे किस विधान के द्वारा और किस प्रकार संविधान में संशोधन करके विधान सभा और लोक सभा का पांच साल के लिए कार्य निश्चित हो। चाहे सरकार किसी की भी हो, प्रधान मंत्री कोई भी बने लेकिन लोक सभा पांच साल चले। एक वोट से पूरे देश को न नचाया जाए।

हमारे एक साथी ने कहा कि सरकार संख्या बल पर नहीं चलती है। वह जन-विश्वास के साथ चलती है। जब 1998 में एक वोट से सरकार गिर गई तो क्या जन-विश्वास चला गया था? जन-विश्वास नहीं गया था। उस समय जन-विश्वास सरकार के साथ था। कुछ लोगों का स्वयं सिद्ध सिद्धांत चला गया था। आज इस बात की आवश्यकता है कि यह जो संविधान संशोधन आया है, इसके द्वारा मौका दिया जाए।

अगर देश में ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हम चार माह के लिए लोक सभा को निलंबित करें। उसके बाद इस पर विचार करके प्रधान मंत्री लेकर आएं। इस प्रकार का प्रयास करने में क्या दिक्कत है? मुझे खुशी है कि इस सदन के अधिकांश सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है, केवल एक साथी ने नहीं किया जो इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं। उनको भी इस बात पर विचार करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। शायद वे समझ नहीं पाए और बार-बार पांच साल की बात कह रहे थे। यह पांच साल की बात नहीं है...

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उनको ऐसा लगा कि कोई न कोई पेंच है और सरकार खुद पांच वर्ष तक बने रहने के लिए यह सब कर रही है।

श्री श्याम बिहारी मिश्र : सभापति जी, गरीबी उन्मूलन की बात की गई है। इस कार्यक्रम में सफलता तभी मिलेगी यदि सभी राजनैतिक दल या नेता गरीबी उन्मूलन के नाम पर, शोषितों के नाम पर कोई हिडन एजेंडा नहीं रखेंगे। इस प्रकार से काम चलने वाला नहीं है।

सभापति जी, श्री गीते जो प्रस्ताव इस सदन में लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस पर चिंतन करें कि लोक सभा या विधान सभा का कार्यकाल, जितने साल के लिए हम जनता से वोट लेकर आए हैं, उतने साल तक चले ताकि यहां पर स्थिरता हो, भारतीय संसदीय लोकतंत्र की जड़ें गहरी और मजबूत हों जिससे भारत का नाम विश्व में आगे बढ़े।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : माननीय सभापति जी, श्री गीते संविधान संशोधन का जो गैर-सरकारी प्रस्ताव लेकर आए हैं, उसमें उन्होंने अपने अंत:करण की बात संवेदनशील तरीके से रखी है। उन्होंने इसमें नीति और नीयत दोनों को एक साथ रखा है परंतु ऐसा लगता है कि इसमें उनकी नीति तो दिखाई देती है लेकिन नीयत दिखाई नहीं दे रही है। इसमें कुछ न कुछ पेंच है।

सभापति जी, लोक सभा का कार्यकाल पांच साल होना चाहिए और एक स्थिर सरकार चले लेकिन इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का आदर करता हूं फिर भी लोक सभा को इस मामले पर विचार कर लेना चाहिए परंतु उसके लिए उन्होंने कोई पैनल्न नहीं रखा। यह कैसा लोकतंत्र है? इस मामले को लोकतंत्रीय रूप से चलाना चाहिए था। मैं 1979 का एक उदाहरण देना चाहता हूं। श्री मोरारजी प्रधान मंत्री थे और चौ. चरण सिंह उनके खिलाफ थे। चह्वान साहब के 16 आदमी चौ. चरण सिंह के साथ थे। मैं खुद गया और कहा कि विश्वास के लिए सात आदमी कम थे लेकिन 16 आदमी आने वाले थे। हम मोरारजी भाई के पास गए। उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांत का अपमान नहीं करना चाहता और तोड़-फोड़ करके प्रधान मंत्री नहीं बनूंगा, यह मेरा सिद्धांत है।

हमारे सामने उन्होंने राजीनामा दिया था—ऐसे थे मोरारजी भाई, ऐसे थे पंतप्रधान। संविधान के लिए आयोग रखना आदि यह सब संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच-समझकर किया था।

सभापति महोदय, जब स्थिर सरकार होती है तो जनता ज्यादा से ज्यादा अस्थिर होती है। स्थिर सरकार ज्यादा मनमानी कार्रवाई करती है, जनता के लिए कुछ भी कर सकती है। अस्थिर सरकार कभी-कभी थोड़ा बहुत सोचती है कि आपस में कैसे तालमेल रखना है, इतनी तादाद में उन्हें रखना है, उनका यह ग्रुप है, ऐसा कुछ न कुछ सरकार सोचती है। लेकिन यह बात सच है कि बार-बार लोक सभा का चुनाव होना देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, यह ठीक नहीं है। इस बारे में मेरा कहना है कि लोक सभा का कार्यकाल पांच वर्ष होना चाहिए। इसमें कौन पंतप्रधान होगा, कौन क्या होगा, यह अलग चीज है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : पंतप्रधान बदलता रहना चाहिए।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : हां, पंतप्रधान बदलते रहना चाहिए, लेकिन लोक सभा का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा आदमी हूं। चंद्रशेखर जी के वक्त में उनके साथी ने मुझे एक कोटि रुपये और राज्य मंत्री का पद देने का ऑफर दिया था। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन भारतीय जनता पक्ष के बड़े-बड़े लोग आए। मैं सदन में सच बोल रहा हूं। मैंने बोला नहीं, मैं जनता दल सेकुलर पार्टी का अकेला मैम्बर हूं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा। जो संसद सदस्य हैं उनके मन में परिवर्तन नहीं होगा तो यह संसद ठीक-ठीक चलेगी। मैं अकेला किसी के साथ भी सौदा कर लेता। लेकिन यदि संसद सदस्य सोचेगा, लोक प्रतिनिधि सोचेगा कि लोक सभा में हम किसलिए आए हैं। यहां हमें प्रभु का नाम लेना है, उनका विकास करना है, यह सब सोचेंगे तो यहां ठीक-ठाक कारोबार चलेगा। नीति और नीयत हमें इन दोनों को साथ-साथ रखना है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री अनंत गंगाराम गीते जी ने यह प्रस्ताव लाकर अच्छा काम किया है कि देश भर में जनमत संग्रह हो। कोई नहीं कहेगा कि पांच वर्ष के अंदर चुनाव बार-बार हों, हर बार छ: महीने, साल और दो साल में चुनाव हों। हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं। लेकिन कोई संविधान संशोधन लाकर उपचार निकाला जाए यानी संविधान वेत्ताओं या विद्वानों द्वारा लोक सभा और विधान सभा दोनों की आयु पांच वर्ष के लिए पक्की की जाए, दोनों के चुनाव एक साथ हों। पहले इनके चुनाव एक साथ होते थे, अब अलग-अलग होते हैं, जिसके कारण खर्चा, परेशानी, झंझट और विवाद बढ़ते हैं। श्री नीतिश सेनगुप्ता जी विद्वान और काबिल आदमी हैं, उन्होंने कागज-पत्र देखे हैं। कहा जा रहा है कि लोक सभा और विधान सभा की कार्यावधि पांच वर्ष से कम की न हो। पांच वर्ष के बाद वोटिंग हो और एक साथ दोनों की वोटिंग हो। ऐसा फार्मूला निकाला जाना चाहिए और दोनों की वोटिंग एक साथ होनी चाहिए। अलग-अलग वोटिंग होने से बड़ी भारी आफत आती है। इसलिए यह संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है।

सभापति महोदय, इसमें लोगों को आशंका है। श्री रामजी लाल सुमन तथा अन्य माननीय सदस्यों ने इस पर संदेह प्रकट किया है। इस बारे में प्रधान मंत्री जी ने भी बयान दिया था। हमारा कहना है कि लोक सभा कायम रहे, लेकिन सरकार बदलती रहे। सरकार वोट से है, यदि वोट घट जाए तो सरकार बदल जाए। हालांकि विदेश में लोगों को अल्पमत में सरकार चलाने का अभ्यास हो गया है, लेकिन हमारे यहां नहीं हुआ है। हम लोग उसे स्वीकार नहीं कर पाए हैं। नहीं तो विदेश के कई देशों में अल्पमत की सरकार का राज चलता है। वहां बीच में लोक सभा भंग नहीं होती है, बीच में वोटिंग नहीं

[श्री हरीभाऊ शंकर महाले]

होती है। लेकिन उस तरह का अभ्यास हमारे यहां नहीं हुआ है। इस तरह का विचार पहले भी आया था कि नो-कांफीडेन्स मोशन यहां आता है और नियमावली से आता है।

इसलिए नियमावली में ही संशोधन कर दिया जाए कि प्रधान मंत्री अगर अल्पमत में हो गए और अविश्वास का प्रस्ताव उनके खिलाफ पास होने वाला है तो किसके पक्ष में होने वाला है। यह भी अमेन्डमेंट करके जोड़ दिया जाए कि विकल्प का भी सदन में ही फैसला हो जाए। इस पर कार्यवाही भी आगे बढ़ी थी लेकिन कहा गया कि हमारे संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति जी ही प्रधान मंत्री को नियुक्त करते हैं। जब सदन में ही नियुक्ति हो जाएगी तो यह क्लॉज बाधित हो रही है। इसलिए वह मामला आगे नहीं बढ़ा। हालांकि जर्मनी और दूसरे देशों में इस तरह का प्रावधान है कि नियमावली में संशोधन करके संसद को कम आयु में भंग होने से बचाया जा सकता है लेकिन लोगों को शंका हो जाती है चूंकि आजकल कोआलिशन सरकारों का दौर चल रहा है। लोगों को शंका हो जाती है कि कोई न कोई तरकीब लोग निकाल रहे हैं, क्यों सदन को कॉनफिडेन्स में नहीं लिया जाता और संविधान संशोधन के लिए पैनल बैठाया जा रहा है। लोग सोचते हैं कि इनके मन में कोई खोट है इसलिए संविधान समीक्षा आयोग बैठाया है। इस कारण बहुत विरोध हो रहा है। जहां कमजोरियां हैं, जहां और सुधार की जरूरत है। जब संविधान में 85 संशोधन हो गए तो आगे भी संशोधन हो सकते हैं लेकिन डेढ़ साल में या 13 महीनों में सरकार चली जाए, यह हमें भी उचित नहीं लगता है। हम इस बात के पक्षधर हैं कि लोक सभा निश्चित अवधि तक चले, मगर नालायक सरकार बहुत दिन तक बनी रहे इसे हम सहन करने वाले नहीं हैं। जैसे रोटी बराबर पलटते रहने से सही पकती है, उसी प्रकार सरकार बराबर बदलते रहना ठीक होता है, नहीं तो तानाशाही हो जाती है। मिश्रा जी चले गए, वे लोकतंत्र की बात कर रहे थे। दुनिया में हमारा माथा ऊंचा इसलिए है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और उसमें यह भी होता है कि एक वोट से केन्द्र में सरकार बदल जाती है। इससे पता चलता है कि हमारे यहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। दुनिया में वोट को कौन पूछता है? बगल में ही पाकिस्तान को देखिए और अन्य देशों में देखिए कि वहां वोट का क्या हाल हो रहा है। वोट का राज करने वाले को जेल में बंद कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें हमारे यहां मजबूत हैं। एक वोट से केन्द्र में सरकार बदल गई।...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : वह अटल जी थे जिन्होंने स्वीकार कर लिया। आप होते तो यहां मशीनें तोड़-फोड़ देते और नहीं मानते। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रधान मंत्री देवेगौडा जी, हुए, वी. पी. सिंह जी की सरकार थी, उनकी कुर्बानी की कहानी आपको याद नहीं है। आप लोग ही उसके कुसूरवार हैं। जब वी.पी. सिंह जी थे, उसके बाद आप लोग मस्जिद तोड़ने के लिए कैसे बने हुए थे, आप लोगों के ही समर्थन से राज चल रहा था। मंडल के जवाब में आपने कमंडल का भ्रममंडल कर दिया और कहते हैं कि अटल जी को क्यों गिराया। आप लोगों ने वी.पी. सिंह जी की सरकार को, देवेगौडा जी की सरकार को, गुजराल साहब की सरकार को क्यों गिराया? हम लोग क्या आपसे खराब राज चला रहे थे? बढ़िया राज चला रहे थे। यह ठीक है कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। ये बहुमत की बात कहते हैं। फिलीपीन्स में बहुमत वाले को धक्का देकर हटा दिया। इसलिए बीच में सरकार यदि जनविरोधी हो जाए तो उनको भी हटाने की गुंजाइश हो, इस तरह का संविधान संशोधन होना चाहिए। लोक सभा के चुनाव की 3 टर्म अगर हम रहें तो 15 साल होते हैं। मगर तीन साल में ही हमारी तीन टर्म हो गई और जनता के बीच हम जाते हैं तो जनता कहती है कि तीन टर्म एम.पी. रह चुके हैं और हमारे गांव में सड़क नहीं बनी, कुछ काम नहीं हुआ।

सभापति महोदय, तीन वर्षों में वह सड़क पूरी नहीं हुई। इसलिए मेरा कहना है कि सब लोगों को जनमत संग्रह का अधिकार होना चाहिए और लोक सभा तथा विधान सभा की अवधि पांच वर्ष रहे और यदि वे बीच में भंग हों, तो उनके चुनाव एक साथ हो जाएं। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : आज आपके भाषण में मजा नहीं आ रहा है।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपको तो मजा तभी आएगा जब मैं आपके खिलाफ बोलूंगा।

सभापति महोदय, हालांकि गीते जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें पांच वर्ष की अवधि का भाव नहीं आता, लेकिन उसमें यह भाव जरूर है कि जब तक कोई विकल्प न बने तब तक सरकार रहे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, विकल्प बना लेना चाहिए। यदि विकल्प बना लिया होता, तो आज आप लोग यहां नहीं होते, हम होते। कोई किसी से कम नहीं है। हम लोगों के कसूर के चलते, आप लोगों की सरकार बनी है। जनता और हम आपकी सरकार के पक्ष में कोई नहीं हैं। अब जब कोई हाथी रूपी डैड बाडी है, तो उसको हटाना तो तभी संभव होगा जब लोग मिलकर उसे हटाएंगे। अभी हमारे लोग मिले नहीं हैं। इसलिए आप लोगों की सरकार चल रही है। जिस दिन हम सब लोग एक हो जाएंगे और मिल जाएंगे, तब आपकी सरकार को हटा देंगे। हम सब विपक्ष के लोग नहीं मिल रहे हैं। इसलिए आपकी सरकार चल रही है। हम लोग मिल जाएंगे, तो आपकी सरकार हटते देर नहीं लगेगी। हमें मालूम है, आपके सहयोगी

दलों की क्या दुर्दशा है। हम लोग देख रहे हैं देश के गरीबों और किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है। आप लोग भी मन में महसूस कर रहे हैं और हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। हम लोगों को यह भी मालूम है कि आपके दल के लोगों के मन की क्या दशा है। आज जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, वे लोग पछता रहे हैं कि हमने कैसी सरकार को वोट दिया।

सभापति महोदय, पहले तो लोग यह नारा लगाते थे कि 'अब की बारी अटल बिहारी' लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आपको वोट देकर लोग पछता रहे हैं। हर चीज में कोलाहल मच रहा है, हर जगह सनसनी फैल रही है, हर जगह तबाही और बर्बादी देखने को मिल रही है। सभापित महोदय, आप भी गांवों में जाते होंगे, आपको भी जनता की यह आवाज सुनाई पड़ती होगी। गांवों का गरीब और किसान आज तबाह हो गया है। इसलिए गीते जी के विधेयक का भाव अच्छा है। हम लोग ऐसे मामलों में सरकार के पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि सरकार इस संबंध में विचार करे और ऐसा संशोधन करे।

सभापति महोदय, रामजी लाल सुमन जी की शंका इसलिए है कि पांच साल तक सरकार चले, इसके पीछे आपकी कोई चाल तो नहीं है। मान लीजिए कोई सरकार जनविरोधी कार्य करे, तो क्या वह भी पांच साल तक चले। मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए। जनविरोधी सरकार को बदलने की शक्ति जनता में होनी चाहिए, लेकिन लोक सभा भंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे पांच साल तक चलती रहनी चाहिए। इसलिए उनकी शंका अपनी जगह ठीक है। हम गीते जी के विधेयक के समर्थन में हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का संशोधन होना चाहिए। हम लोग इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार) : माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री गीते जी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदन, जिसके माध्यम से पूरा देश संचालित होता है, उसमें यह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए मैं गीते जी को बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, बार-बार चुनाव होने के संबंध में माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी राय सदन में व्यक्त की है। मैं भी अपने आपको उस राय से संबद्ध करता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं चूंकि मैं अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखता हूं और मैं गांवों में घूमता हूं, मैं जानता हूं कि गांवों में दूर-सुदूर क्षेत्रों में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। उनके ऊपर इस प्रकार से बार-बार चुनाव थोपना, बिलकुल उचित नहीं है। यदि ऐसा होगा, तो गांवों में रहने वाले, गरीब, किसान, मजदूर और दूर-सुदूर रहने वाले लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय, माननीय गीते जी का प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है। मेरे पास इस प्रस्ताव की अच्छाई बखान करने के लिए शब्द नहीं हैं। मैं गांवों में जाता हूं। मुझे मालूम है कि गांवों में गरीबों और किसानों के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं हैं, जहां स्कूल हैं वहां कमरे नहीं हैं और वे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को विवश हैं। जिस धन से बच्चों के पढ़ने के लिए भवन बनाए जाने चाहिए, वह चुनावों में व्यय होता है और जिस कागज की बच्चों को कापी और किताब मिलनी चाहिए उससे चुनावों के पोस्टर छपते हैं। जो कपड़ा गरीबों के तन ढंकने के लिए उपलब्ध होना चाहिए उससे चुनावों के झंडे बनाए जाते हैं।

वह कपड़ा इलेक्शन के पोस्टरों में, इलेक्शन की झंडियों में और इलेक्शन के बस्ते में चला जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां का कृषि मजदूर उसके साथ विशेष तौर से जुड़ा हुआ है। चूंकि मैं खुद गांव का निवासी हूं इसलिए मैंने गांव के किसान और मजदूर को देखा है। आज आप देख रहे हैं कि यहां पर चुनावी सभाएं होती हैं तो कोई भी अमीर आदमी काम छोड़कर नहीं आता बल्कि गरीबों को बहला-फुसलाकर ट्रालियों और बसों में भरकर चुनाव स्थल पर ले जाया जाता है। उनकी दैनिक मजदूरी भी उनको नहीं दी जाती और कहा जाता है कि देखिए, सभा में कितनी भीड़ हुई है। मैं निष्पक्ष तरीके से कहना चाहता हूं चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों, मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं आज इस सदन से कहना चाहता हूं कि इन बार-बार के चुनावों से इस देश को उबारा जाए परंतु होता क्या है? मैं मूल रूप से आर्य समाजी हूं। अनंत स्वामी ने अपनी एक कथा में लिखा है कि किसी गांव के बाहर एक ग्राउंड था जिसकी चारदीवारी बनी हुई थी। उस चारदीवारी में एक दरवाजा था। एक कथावाचक वहां गया और पहले दिन उसने कथा की तो लोगों को सुनाई दिया कि कथावाचक बहुत अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ है। उसके मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है। वह सबके हित के लिए कहता है। जब लोगों में इस बात की चर्चा हो रही थी तब एक नेत्रहीन ने उनकी बात सुनी। उस नेत्रहीन ने कहा कि मुझे भी आज वह कथा सुनाइए। कथा का समय रात का था। सब लोग कथा सुनने चले गए। संयोग से जब नेत्रहीन ने यह बात कही तब एक जवान ने उसकी बात सुन ली। वह उसकी लाठी पकड़कर उस दरवाजे से प्रवेश कर गया और वहां नेत्रहीन को बैठा दिया। कथा प्रारंभ हुई। वह कथा बहुत अच्छी थी, जैसे अभी अटल जी के नेतृत्व में चल रही है। जब कथा समाप्त हुई तब सब लोग उठकर चले गए लेकिन वह नेत्रहीन वहीं बैठा रह गया। उसको कोई भी रास्ता दिखाने वाला नहीं था। अब नेत्रहीन क्या करे तभी उस नेत्रहीन के दिमाग में एक बात आई कि हम जरूर किसी न किसी दरवाजे से अंदर आए होंगे। यह सोचकर वह अपनी लाठी टेकते-टेकते दीवार के पास पहुंच गया और वहां अपना हाथ रख लिया। उसने सोचा कि जहां

[श्री हरपाल सिंह साथी]

पर भी खाली जगह होगी वहीं पर दरवाजा होगा और मैं निकल जाऊंगा। जब वह चलते-चलते दरवाजे के पास पहुंचा तब उसे पीछे खुजली होने लगी और वह उसे खुजलाने लगा। इसी में वह दरवाजा निकल गया। उसके बाद उसने फिर दीवार में हाथ रख लिया। वह पूरी रात घूमता रहा क्योंकि जब भी वह दरवाजे के पास पहुंचता उसे खुजली होनी शुरू हो जाती और वह दरवाजा निकल जाता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब भी गांव के विकास की, गरीब के विकास की या किसान के विकास की बात होती है, तो कुछ लोगों को खुजली होनी शुरू हो जाती है और वह विकास का रास्ता छूट जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि यह सरकारी विधेयक नहीं है बल्कि एक प्राइवेट बिल है। इस प्राइवेट बिल में बहुत से सुझाव छोड़ दिए गए हैं। अभी यहां श्री रघुवंश प्रसाद जी कह रहे थे कि श्री देवगौड़ा जी की सरकार चली गई, उसके बाद श्री गुजराल जी की सरकार चली गई। इसी प्रकार से अटल जी की सरकार गई तो फिर दूसरी सरकार बननी चाहिए थी। मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के लोग जो इसका विरोध करते हैं लेकिन जब उनका भत्ता बढ़ाया जाता है तो विरोध नहीं करते। जब उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाती है तो वे विरोध नहीं करते, जब उनकी सहूलियत बढ़ाई जाती है तो उसका विरोध नहीं करते और एकजुट होकर उस बिल को पास कर देते हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत : यह जरूरी है।

श्री हरपाल सिंह साथी : अगर वह जरूरी है तो यह भी जरूरी है कि यह सभा चाहे विधान सभा हो, लोक सभा हो या गांव सभा हो, पांच साल तक चले। उस गरीब को राहत मिले, उस किसान को राहत मिले, उस विद्यार्थी को राहत मिले। जब चुनाव होते हैं तब विद्यार्थी पढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं क्योंकि उनकी परीक्षाएं निकट होती हैं। जब वह उस परीक्षा की तैयारी में जुटते हैं तब कहीं भोंपू बजता है कि आप भाजपा को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए या अच्छे उम्मीदवार को वोट दीजिए। इससे उनकी पढ़ाई में बाधा पड़ती है। इस तरह वे बच्चे नकल करने की जुगत में लग जाते हैं।

इस बार-बार के चुनावों से कई विषमताएं पैदा होती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमें बार-बार कुछ करना है तो गरीबों की भलाई के लिए काम करें, अगर बार-बार कुछ करना है तो पीने के पानी के लिए सरकार के साथ एकजुट होकर कार्य करें, अगर बार-बार कुछ करना है तो गरीबी उन्मूलन के लिए लड़ें, अगर बार-बार कुछ करना है तो किसानों की उन्नति के लिए लड़ें लेकिन बार-बार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में न जाएं।

आज इस सभा में कितने प्रकार के दल हैं। लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो दलदल में घुसे हैं और उसमें से उबरना नहीं चाहते। अभी गीते जी का प्रस्ताव आएगा, चाहते हुए भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि व्हिप जारी है। अच्छी बात के लिए भी विरोध और बुरी बात के लिए तो विरोध है ही। अगर मेरा देश चुनावी और राजनैतिक दलदल से उबर जाए तो इससे अच्छा उन्नतशील और संभ्रांत देश कोई नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है।

मैं एक बार पुन: कहना चाहता हूं कि वह जमाना गया जब एक ही दल के लोग पांच साल रहते थे। अब तो इस प्रकार की क्षेत्रीय पार्टियां उभरेंगी। मैं दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूं—

वह साल दूसरा था, यह साल दूसरा है
वह सदी दूसरी थी, यह सदी दूसरी है।

यह इक्कीसवीं सदी है। हमें इसमें प्रावधान करना पड़ेगा, नियमावली बनानी पड़ेगी जिससे हमारा समाज, देश ऊपर उठ सके।...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य श्री महाले बोल रहे थे कि नीयत में फर्क आ गया है, जब नीयत ठीक होगी तो नीति ठीक हो जाएगी। लेकिन पहले अपने अंदर झांकिए।

श्री केशव कौमुदी की दो पंक्तियां हैं—

ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वारी
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है
तीन बेर खाती सो अब तीन बेर खाती है।

रघुवंश बाबू, आप सीनियर मैम्बर हैं, आपकी भाषा बहुत अच्छी है। आपकी भावना पूरे विपक्ष और पक्ष की भावना होगी तो देश का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गीते जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार) : सभापति महोदय, मैं संशोधन विधेयक, 1999 जो गीते जी द्वारा रखा गया है, का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय नियत था। दो घंटे पूरे होने को आए हैं। मैं सदन की सहमति चाहूंगा कि इसके लिए एक घंटा और बढ़ा दिया जाए। यदि सदन सहमत हो तो एक घंटा समय और बढ़ाया जाए।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

सभापति महोदय : एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

श्री माणिकराव होडल्या गावित : मैं गीते जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा संशोधन विधेयक यहां प्रस्तुत किया है। यहां वरिष्ठ सदस्य भी हैं। दस साल पहले पांच साल के लिए चुनाव होते थे और सरकारें भी रहती थीं लेकिन उसके बाद बहुमत कम

होने से, बार-बार सरकारें बदलती जा रही हैं। सरकारें बदलने से, सरकारों के पास बहुमत न होने से आखिरी इलाज यह होता है कि लोक सभा बरखास्त की जाए। इसलिए पांच साल का कार्यकाल पूरा होना चाहिए जैसे राज्य सभा छ: साल के लिए पक्की होती है।

लोक सभा का चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन राज्य सभा का कार्यकाल 6 साल के लिए पक्का होता है। लोक सभा में सांसद लोगों से चुनकर आते हैं और राज्य सभा में सांसद हर पार्टी के विधायकों से चुनकर आते हैं। इसके लिए संविधान में सुधार होना चाहिए, ऐसी सबकी एक ही मांग है। बार-बार चुनाव होने से देश का बहुत नुकसान होता है। हमारे देश में अनेक बड़ी-बड़ी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, चूंकि बार-बार चुनाव होने से करोड़ों रुपये का खर्च होता है, इसलिए हमारे पास योजनाओं के लिए पैसा नहीं बचता है। अगर बार-बार चुनाव न हों तो 1-2 हजार करोड़ की कोई योजना पूरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लोगों का जो पैसा है, संविधान में सुधार नहीं होने की वजह से इसी तरह चुनाव में खर्च होता रहेगा।

बार-बार चुनाव होने से देश का नुकसान होता है और जो लोग लोक सभा का चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए इलेक्शन कमिश्नर की गाइडलाइन जरूर है कि इतना खर्च वे कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में उससे भी ज्यादा खर्च होता है। यह पैसा लोगों का होता है। कैंडीडेट भी कहीं से पैसा उधार लेकर चुनाव लड़ते हैं। मैंने सुना है कि बहुत से सांसद अपनी जमीन, मकान वगैरह गिरवी रखकर भी चुनाव लड़ते हैं। इसलिए यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है, संशोधन है कि लोक सभा का कार्यकाल पांच साल पूरा होना चाहिए।

मैं सरकार से भी नम्र निवेदन करूंगा कि अनंत गीते साहब का जो संशोधन है, उस पर सरकार जरूर गौर करे, विचार करे और सरकारी बिल लाकर इसमें संशोधन करे। वैसे इस बिल में सब प्रावधान दिए हैं, अनुच्छेद वगैरह सब दिए हैं, इसका अभ्यास करके सरकार को सरकारी बिल लाना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं। मैं फिर अनंत राव गीते, संसद सदस्य, जो हमारे महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने ऐसा विचार रखा, संशोधन विधेयक उन्होंने यहां पर रखा है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : महोदय, संविधान (संशोधन) विधेयक, 1999 लाने के लिए मैं श्री गीते को बधाई देता हूं। एक या दो माननीय सदस्यों को छोड़कर अधिकांश ने इस विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने कहा है कि चुनावों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। गत पांच वर्षों में हमने तीन चुनाव देखे हैं। इससे देश और देश की अर्थव्यवस्था के टिकाऊपन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे पड़ोसी मित्र नहीं हैं। हमारे देश के स्थिर न होने पर उनको कुछ समर्थन मिलता है। ये सब अच्छे-अच्छे तर्क दिए गए हैं।

मैं एक बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे यहां पांच वर्ष में तीन-तीन चुनाव होंगे। यदि उन्होंने इस प्रकार की स्थिति की कल्पना की होती तो वे व्यवस्था को स्थिरता देने के लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर करते।

उन्होंने एक व्यवस्था की शुरूआत की जो शायद आदर्श व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था आदर्श व्यवस्था नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था भी आदर्श व्यवस्था नहीं है परन्तु यह सबसे अच्छी ज्ञात व्यवस्था है। कल को हमारे पास ऐसी व्यवस्था हो सकती है जो राष्ट्रपति या संसदीय प्रणाली से बेहतर हो। ऐसी कोई व्यवस्था हम विकसित नहीं कर पाए हैं। संविधान-निर्माताओं का विचार था कि भारत जैसे विशाल देश में संसदीय प्रणाली होनी चाहिए और हमने वही अपनायी।

महोदया, श्यामा सिंह ने ठीक ही कहा कि समीक्षा की आवश्यकता है परन्तु जिस प्रकार से हमने समिति बनाई है वह उचित नहीं है। मैं आलोचना नहीं कर रहा लेकिन यदि आप उनकी बात का निहित अर्थ देखें तो उन्होंने समीक्षा की आवश्यकता का समर्थन किया है परन्तु इसे कैसे किया जाए यह अलग बात है। यह एकदम अलग मुद्दा है कि यह संसद के माध्यम से हो या समिति होनी चाहिए या नहीं। पांच सदस्यों की कोई समिति सब कुछ नहीं कर सकती। संविधान में परिवर्तन करने के लिए आम सहमति या जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है। हम सब इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा विचार है कि 50 वर्ष बाद हमें जनमत संग्रह कराना चाहिए कि हमसे गलती कहां हुई और उसे कैसे सुधारा जाए।

भारत जैसे देश में हमारे पास काला धन है, जो अपने आपमें एक अर्थव्यवस्था है और हमारे यहां भ्रष्टाचार है जिसका हम हल खोजने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु खोज नहीं पाए हैं। हमारे यहां राजनीतिक भ्रष्टाचार है। इस देश में कई अन्य समस्याएं हैं। हम राष्ट्रपति प्रणाली नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं चाहते। सर्वाधिक विकसित देश अमरीका, जहां राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार है, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वहां क्या-क्या हुआ। इससे यह पता चला कि वह देश भी कितना उथला है। मैं यह महसूस करता हूं कि इस गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के समर्थन में जनमत संग्रह होना चाहिए। राष्ट्रपति प्रणाली की पांच या छह वर्ष की निश्चित अवधि होती है लेकिन संसदीय प्रणाली में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे विचार से श्री गीते द्वारा लाए गए इस विधेयक की तर्ज पर एक ऐसी प्रणाली विकसित करना सबसे अच्छा रहेगा

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर]

जिसमें सभा की पांच वर्ष की पूर्ण अवधि हो। लोग ऐसा मान सकते हैं कि यह हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है क्योंकि हम बार-बार चुनाव नहीं चाहते इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। अत: यदि जनमत संग्रह कराया जाए तो देश भी श्री गीते द्वारा लाए गए गैर-सरकारी सदस्य विधेयक का समर्थन करेगा।

श्री पी.आर. किन्डिया (शिलांग) : सभापति महोदय, मैं यहां बहस में भाग लेने के लिए नहीं आया था परन्तु जब श्री गीते ने यह विधेयक प्रस्तुत किया तो इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और बहस में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सैकड़ों-हजारों-करोड़ों की लागत से बार-बार होने वाले चुनावों के बारे में प्रभावपूर्ण टिप्पणियां कीं।

इन निधियों का उपयोग जनता की भलाई और कल्याण के लिए किया जा सकता था। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने विधेयक को पढ़ा है और यह सही है कि आशय अच्छा होने के बावजूद इसमें तकनीकी खामी है क्योंकि इसमें पांच वर्ष की अवधि अंतर्विष्ट नहीं की गई। इसकी आवश्यकता है। इसलिए इस मुद्दे पर मेरा विरोध है।

मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि मैं भारतीय संविधान का बड़ा प्रशंसक हूं। हम पिछले 51 वर्षों में देख चुके हैं कि हमने राज व्यवस्था में आघात, संकट और तनाव का सामना किया है, उसे झेल पाए हैं। आज हम यहां तक उस महत्वपूर्ण दस्तावेज की वजह से पहुंचे हैं जिसे संविधान सभा ने 1949 में तैयार किया था और अपनाया था। यही वह दस्तावेज है जिसने हमें वास्तव में जनतांत्रिक बनाया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपका भाषण जब भी अगला दिन तय हो, जारी रहेगा।

अब सभा सोमवार, 26 फरवरी, 2001 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 26 फरवरी, 2001/
7 फाल्गुन, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे
तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/14/4/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।